

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1119 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Reply on behalf of respondent no. 1 Central Pollution Control Board (CPCB) in compliance of orders dated 30.08.2024 in OA No. 1119/2024.	1 – 9
2.	Annexure – I: A copy of Plastic Waste Management Rules, 2016 notification dated 18.03.2016.	10 – 157
3.	Annexure – II: A copy of Solid Waste Management Rules, 2016 notification dated 08.04.2016.	158 – 248
4.	Annexure – III: A copy of letter dated 06.11.2024 issued by CPCB to J & K Pollution Control Committee.	249 – 251
5.	Annexure – IV: A copy of notification dated Gazette notification dated 25.09.2000.	252 – 255
6.	Annexure – V: A copy of water quality data of river Sindhu.	256
7.	Annexure – VI: A copy of Hon'ble NGT order dated. 30.08.2024 in	257 – 259

	Original Application No. 1117/2024.	
--	-------------------------------------	--

Filed by



Adv. Vikrant Pachnanda
(On behalf on Central Pollution Control Board)

Place: Delhi

Dated: 10.12.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1119 OF 2024

In the matter of:

News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024

**REPLY ON BEHALF OF CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD –
RESPONDENT NO. 1, IN THE CAPTIONED MATTER**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Hon'ble National Green Tribunal ["NGT"] *vide* Order dated 30.08.2024 and notice dated 19.10.2024 impleaded the Central Pollution Control Board [hereinafter referred as CPCB / "Answering Respondent"] as Respondent No. 1. Thereby, the submissions are made in the succeeding paragraphs.
2. That at the outset, the Answering Respondent denies all claims, contentions, allegations and averments against it in the above Original Application [hereinafter referred as OA] which are contrary to anything stated or submitted in this reply. Nothing in the OA shall be deemed to have been accepted or admitted by the Answering Respondent for want of a specific denial or on the ground of non-traverse, save any averment which has been expressly admitted hereinafter.
3. That Answering Respondent herein has been constituted under Section 3 of the Water (Prevention & Control of Pollution), Act 1974 [hereinafter referred as Water Act]. It performs functions under the Water Act, Air (Prevention &



Control of Pollution), Act 1981 [**hereinafter referred as Air Act**] and under The Environment (Protection) Act, 1986.

4. That, it is further submitted that the State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees [**hereinafter referred as SPCBs/PCCs**] have been constituted in States / Union Territories under the Water Act and Air Act, and are empowered to perform the functions and implement the provisions of these Acts in respect of their territorial Jurisdiction.
5. That the issues raised in the present matter is primarily related to the rampant pollution in the Sindh nallah in Ganderbal District of Kashmir. It is alleged in news article that bank of nallah is heavily polluted with heaps of unattended waste, primarily plastic and other refuse. As per the News article, the local population has attributed the said pollution to indiscriminate dumping by picnic-goers, nearby hoteliers, shopkeepers, and residents. The article further states that the pollution threatens the trout fish population and the overall water quality, thereby causing irretrievable damage to the habitat. The river's water is allegedly becoming undrinkable, and the pollution is marring the natural beauty of the area.
6. It is humbly submitted that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change ["MoEF&CC"] has notified the Plastic Waste Management Rules, 2016, ["PWM Rules"] vide notification dated 18.03.2016, with subsequent amendments made from time to time. True copy of the PWM Rules is annexed herewith as **Annexure – I**. As per Rule 6(1) of PWM Rules, as amended, every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies. Furthermore, as per



Rule 6(2) of PWM Rules, as amended, the local body shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely:

- ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;
- ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
- ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers;
- ensuring processing and disposal on non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
- creating awareness among all stake holders about their responsibilities;
- engaging civil societies or groups working with waste pickers; and
- ensuring that open burning of plastic waste does not take place.
- ensuring segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;

8. That MOEF&CC has notified the Solid Waste Management Rules, 2016 [“SWM Rules”] *vide* notification dated 08.04.2016. True copy of the SWM Rules is annexed herewith as **Annexure – II**. The duties, roles and responsibilities of various stakeholders have been stipulated in the said rules for proper and scientific management of solid waste. The relevant provisions of the said rules are given below:

- 15 (b): The local authorities and Panchayats shall arrange for door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location;
- 16(1)(a): The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall enforce these rules in their State through local bodies in their respective jurisdiction and review implementation of these




rules at least twice a year in close coordination with concerned Directorate of Municipal Administration or Secretary-in-charge of State Urban Development Department.

- 11(1)(d): The Secretary, Urban Development Department in the State or Union territory through the Commissioner or Director of Municipal Administration or Director of local bodies shall ensure implementation of provisions of these rules by all local authorities. Further, as per Rule 15 (b) of the said rules, the responsibility of the collection of municipal solid wastes lies with the local authorities and panchayats.
9. That under Rule 20 of the SWM Rules, the criteria and actions to be taken for solid waste management in hilly areas has been specified for local authorities. The relevant sub clauses are given below:
- Rule 20(d) Local body shall arrange to convey the provisions of solid waste management under the bye-laws to all tourists visiting the hilly areas at the entry point in the town as well as through the hotels, guest houses or like where they stay and by putting suitable hoardings at tourist destinations.
 - Rule 20(e) Local body may levy solid waste management charge from the tourist at the entry point to make the solid waste management services sustainable.
 - Rule 20(f) The department in- charge of the allocation of land assignment shall identify and allot suitable space on the hills for setting up decentralised waste processing facilities. Local body shall set up such facilities. Step garden system may be adopted for optimum utilisation of hill space.
 - Rule 20(c) Local body shall frame Bye-laws and prohibit citizen from littering wastes on the streets and give strict direction to the tourists not to



dispose any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink canes, tetra packs, any other plastic or paper waste on the streets or down the hills and instead direct to deposit such waste in the litter bins that shall be placed by the local body at all tourist destinations.

10. That in compliance with Hon'ble NGT's order dated 30.08.2024 passed in instant matter, the Answering Respondent has taken up the case with Member Secretary, J&K PCC seeking the status report/ action taken report in the matter via letter dated 06.11.2024, 19.11.2024 and 27.11.2024. Copies of the letters is enclosed as **Annexure – III**. The status report/ action taken report in this regard is awaited.
11. It is further submitted that Primary Water Quality Criteria for Outdoor Bathing has been notified by MoEF&CC vide notification dated 25.09.2000 under the Environment (Protection) Amendment Rules, 2000. These criteria include Faecal Coliform (2500 MPN/ 100 mL Maximum Permissible), Faecal Streptococci (500 MPN/ 100 mL Maximum Permissible), pH (6.5-8.5) Dissolved Oxygen (5 mg/L or more) and Biochemical Oxygen Demand (3 mg/L or less). Copy of the notification dated 25.09.2000 is annexed herewith as **Annexure – IV**.
12. That the Answering Respondent in association with the SPCBs in the States / PCCs in Union Territories (hereinafter referred as UT) has established Water Quality Monitoring Network under National Water Quality Monitoring Programme (hereinafter referred as NWMP) to assess status of water quality of water resources in the respective States/ UTs to facilitate prevention and control of pollution in the water bodies. Under NWMP, J&K PCC is monitoring the water quality of river Sindh in Jammu and Kashmir.



13. That the water quality of River Sindh is monitored at 5 locations in Jammu and Kashmir by J&K PCC under NWMP. Out of these 5 locations, three locations are monitored in Ganderbal district, at the locations viz. i. Wail Bridge (upstream of Ganderbal Bridge) at upstream approximately 3 KM of Duderhama, ii. at Duderhama, Ganderbal and iii. Rangil, Srinagar (downstream of Ganderbal Bridge) at downstream approximately 3 KM of Duderhama.

The water quality data of River Sindh monitored at three locations in Ganderbal, District for the year 2024 (upto the month of August) is provided as **Annexure-V**. Out of the three locations monitored in Ganderbal district, one location of River Sindh at Wail Bridge is non-complying with the notified Primary Water Quality Criteria for Outdoor Bathing w.r.t. Fecal Coliform in the month of July and August 2024.

14. That in year 2018, based on water quality data for the years 2016 and 2017, 351 polluted river stretches [“**PRS**”] were identified. Out of these PRS’s, 9 PRS have been identified in Jammu & Kashmir and were distributed into five priority classes. In Jammu & Kashmir, PRS were identified in Priority I (0), Priority II (1), Priority III (2), Priority IV (2) and Priority V (4). River Sindh was identified as polluted along Duderhama, Ganderbal in Ganderbal District under Priority Class V with the BOD being 3-6 mg/L.

15. That, for rejuvenation of identified PRS, comprehensive action plans have been prepared by River Rejuvenation Committee [“**RRC**”] constituted by the respective State Government/ UT Administration, under the overall supervision and coordination of Principal Secretary, Environment of the concerned State /Union Territory for bringing all the polluted river stretches identified by the Answering Respondent as fit for bathing purposes. The action plans cover relevant aspects such as Source control (Municipal sewage management, Industrial pollution control, Waste management), River catchment/Basin



Management (Adoption of good irrigation practices, Utilization of treated sewage, ground water recharge aspects), Flood Plain Zone protection and its management (Setting up of bio-diversity parks, Removal of encroachments, and Rainwater harvesting, Plantation on both sides of the river).

16. That the action plans are being implemented by Jammu & Kashmir Union Territory agencies. Presently, the progress of implementation of action plan is reviewed by the RRC at State Level and Central Monitoring Committee [“CMC”] constituted under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Jal Shakti at Central Level. So far, CMC has conducted 19 meetings with States/UTs to review the progress on execution of action plans for rejuvenation of polluted river stretches and the last meeting was held on 30.09.2024.
17. That in the year 2022, based on water quality data for years 2019 and 2021, 311 PRSs’ were identified. Out of these PRSs’, 8 PRS have been identified in Jammu & Kashmir. River Sindh which was earlier identified along Duderhama under Priority Class V having BOD of 3-6 mg/L, has been eliminated from the list of PRS in the year 2022.
18. That the Answering Respondent craves the leave of this Hon’ble Tribunal to file additional reply, in future, if required.
19. That, in the light of the above submissions, it is respectfully submitted that the Answering Respondent shall abide by any order(s) and / or direction(s) passed by the Hon’ble Tribunal in the instant case.




(Vishal Gandhi)
Scientist 'E'
Central Pollution Control Board

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1119 OF 2024**

In the matter of:

News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024

AFFIDAVIT

I, **Vishal Gandhi** working as Scientist 'E' in Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi, the Respondent No. 1 in the above matter, do hereby solemnly affirm, declare on oath and state as under :-

1. That I, the deponent herein is authorized representative to represent the Respondent CPCB in the present case, and as such, I am well conversant with the facts and circumstances of the present case on the basis of the information derived from the official records, and hence, I am competent and authorized to verify, sign and swear this affidavit on behalf of the Respondent CPCB.
2. That the accompanying reply may be read part and parcel of the present affidavit.
3. That the accompanying reply has been drafted and filed under my instructions and authority the contents thereof are true and correct on the basis of the record maintained during ordinary course of business of CPCB and available records and documents and the contents of the same are read over and explained to me and are not repeated herein for the sake of brevity.




DEPONENT

विशाल गांधी / Vishal Gandhi
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
(परिवेश, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
एन.ए. नगर, दिल्ली-110032
फोन: 11-110032

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on this day of 10 DEC 2024 2024 that the contents of the above reply are correct and true on the basis of the records of the case as mentioned in the day-to-day affairs of the CPCB. Nothing has been concealed therefrom or mis-stated.


DEPONENT



ATTESTED

NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA

10 DEC 2024

विशाल गांधी / Vishal Gandhi
वैज्ञानिक 'ई' / Scientist 'E'
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110032



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2016/फाल्गुन 28, 1937

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/PHALGUNA 28, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

सा.का.नि. 320(अ).—भारत सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 249(अ), तारीख 4 फरवरी, 2011 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 प्रकाशित किए गए थे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया। इन नियमों ने देश में जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंध के लिए एक नियामक ढांचा उपलब्ध कराया;

और इन नियमों को अधिक कारगर ढंग से लागू करने और प्लास्टिक अपशिष्ट को न्यूनतम करने, स्रोत पर पृथक्करण, पुनः चक्रण पर बल देने के लिए घरों से अथवा इसके जनन के अन्य किसी स्रोत से अथवा मध्यवर्ती सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधा से प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकड़ों के संग्रहण में अपशिष्ट बीनने वालों, पुनः चक्रकों और अपशिष्ट संसाधकों को शामिल किया और अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की दीर्घकालिकता के लिए प्रदूषकों के भुगतान करने का सिद्धांत अपनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने वर्तमान नियमों की समीक्षा की;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मसौदा नियम अर्थात् प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2015 भारत के राजपत्र में सा.का.नि.423(अ), तारीख 25 मई, 2015 के तहत प्रकाशित कराए गए थे जिसमें जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं उससे 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व इनसे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 मई, 2015 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के अंदर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर जो उक्त अधिक्रमण से पूर्व की गई है अथवा जिनका विलोप किया गया है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 है।
- (2) इन नियमों में उपबंध के सिवाए वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.-**
 - (1) ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत विनिर्माता और उत्पादक को लागू होंगे।
 - (2) नियम 4 केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों पर लागू नहीं होगा: परन्तु यह छूट गुटका, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी इकाइयों और किसी अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नहीं होगी।
3. **परिभाषाएं.-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
 - (क) **"अधिनियम"** से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
 - (ख) **"ब्रांड स्वामी"** ऐसे व्यक्ति या कंपनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।
 - (ग) **"कैरी बैग"** से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया गया, ले जाने या वस्तुएं तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नहीं है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है;
 - (घ) **"वस्तु से"** ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित है;
 - (ङ) **"कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई-आक्साइड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कंपोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कंपोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य, विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नहीं छोड़ती है;
 - (च) **"सहमति"** से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण या नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापित करने की सहमति और उसे चलाने की सहमति अभिप्रेत है;
 - (छ) **"विघटन"** से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है;
 - (ज) **"विस्तारित उत्पादक दायित्व"** से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ के लिए उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है;
 - (झ) **"खाद्य पदार्थ"** से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्ध ठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाए हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं;
 - (ञ) **"सुविधा"** से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, पुनः चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किए जाने वाला परिसर अभिप्रेत है;
 - (ट) **"आयातकर्ता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाइसेंस है, जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नहीं दी गई हो;
 - (ठ) **"संस्थागत अपशिष्ट जनित्र"** से केंद्रीय सरकारी विभागी, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनियां, अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्थल, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरां, मॉल और शॉपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है;

- (ड) **"विनिर्माता"** से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या इकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है;
- (ढ) **"बहुस्तरीय पैकेजिंग"** के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, काज बोर्ड, बहुलक्ष्य सामग्रियां, धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्धियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक सतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से एम स्तर रखती है;
- (ण) **"प्लास्टिक"** से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलीन टेरैफ़ेथैलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोलीप्रोपीलीन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रिलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरैफ़िथैलेट जैसी उच्च पालिमेर के आवश्यक तत्व अनतर्विष्ट हों;
- (त) **"प्लास्टिक चदर"** के प्लास्टिक चदर से अभिप्रेत है प्लास्टिक से बनी चदर;
- (थ) **"प्लास्टिक अपशिष्ट"** से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या आशयित उपयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है;
- (द) **"विहित प्राधिकारी"** से नियम 12 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ध) **"उत्पादक"** से कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक शीट या जैसे या प्लास्टिक शीट के बनाए गए कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित हैं;
- (न) **"पुनः चक्रीकरण"** नए उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है;
- (प) **"रजिस्ट्रीकरण"** से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है;
- (फ) **"पथ विक्रेता"** का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) में है;
- (ब) **"शहरी स्थानीय निकाय"** से नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद जैसे विभिन्न नामों वाले शहरी स्थानीय निकाय अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र समिति (एनएसी) या सुसंगत कानूनों के अधीन गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय और जहां प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध ऐसे अभिकरण को सौंपा गया है, सम्मिलित हैं;
- (भ) **"अप्रयुक्त प्लास्टिक"** से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नहीं किया गया है या रद्दी या अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नहीं किया गया है;
- (म) **"अपशिष्ट जनित्र"** से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमानपत्तन, बंदरगाह और रक्षा कन्टून्मेंट जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं, सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है;
- (य) **"अपशिष्ट प्रबंध"** से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भंडारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनःचक्रण, कंपोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है;
- (र) **"अपशिष्ट चुनने वाले"** से पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किए गए व्यक्ति या एजेंसियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

4. शर्तें.-

- (1) कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने आवरण का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग के अनुक्रम दौरान निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएंगी, अर्थात :-
- (क) कैरी बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग या तो प्राकृतिक रंग में होंगे जो किसी मिलाए गए रंजक से रहित है या केवल उन्हीं रंजकों और रंगों का उपयोग कर बनाए गए हैं जो समय-समय पर यथा-संशोधित "खाद्य पदार्थों, भेषजीय

पदार्थों और पीने के पानी के संपर्क में आने वाली प्लास्टिकों के उपयोग के लिए रंजकों और रंगकों की सूची" नामक शीर्षक से भारतीय मानक: आईएस 9833:1981 के अनुरूप हैं ;

- (ख) पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या पुनःचक्रित प्लास्टिक से बने उत्पादों का उपयोग खाने या पीने के लिए तैयार खाद्य सामग्री का भंडार करने, वहन करने, वितरण करने या पैकेजिंग करने के लिए नहीं किया जाएगा;
- (ग) अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई में पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी;
- (घ) प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार, जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर का अभिन्न भाग नहीं है, की मोटाई पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी, वहां छोड़कर जहां ऐसी प्लास्टिक शीट उत्पाद के कार्यरण में बाधक हो;
- (ङ) विनिर्माता संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण न रखने वाले उत्पादक को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक को न बेचेगा या न उपलब्ध कराएगा या न व्यवस्था करेगा;
- (च) गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री हेतु प्लास्टिक सामग्री युक्त सैशे का उपयोग नहीं किया जाएगा;
- (छ) प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनः चक्रण समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक के प्लास्टिक के पुनःचक्रण के लिए मार्गदर्शन नामक विनिर्देश भा.मा.14539:1998 के अनुरूप होगा;
- (ज) मोटाई का प्रावधान कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर लागू नहीं होगा। कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग समय-समय यथा संशोधित कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक भारतीय मानक आईएस या आईएसओ 17088:2008 के अनुरूप होंगे। कंपोस्ट योज्य कैरी बैग के विनिर्माता या विक्रेता विपणन या बिक्री करने से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे;
- (झ) विनायल एसिटेड-मलेइक एसिड-विनायल क्लोराइड कोपॉलिमर सहित किसी भी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसी पैकेज में सभी प्रकार के गुटका, पान मसाला और तम्बाकू के पैकेजिंग के लिए नहीं किया जाएगा।

5. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध-

- (1) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने संबद्ध अधिकारिता में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध इस प्रकार होगा :-
- (क) ऐसा प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे पुनःचक्रित किया जा सकता हो, को रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनःचक्रण को पहुंचाया जाएगा और प्लास्टिक का पुनःचक्रण समय-समय पर यथा-संशोधित पुनःचक्रण के लिए दिशा-निर्देश नामक भारतीय मानक : आईएस 14534:1998 के अनुसार किया जाएगा;
- (ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रधानतः ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट का जिसका पुनःचक्रण नहीं किया जा सकता) के उपयोग को भारतीय रोड कांग्रेस दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण करने या ऊर्जा पुनः प्राप्त करने या बेस्ट टु ऑयल आदि हेतु करने को प्रोत्साहित करेंगी। इन प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- (ग) तापस्थायी प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण और व्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा;
- (घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण की सुविधाओं के अक्रिय का व्ययन ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2000 के अनुपालन में या समय-समय पर संशोधन के अनुसार किया जाएगा।

6. स्थानीय निकाय का दायित्व-

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं या अभिकरण या उत्पादक लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण या संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा;
- (2) स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और समन्वय के लिए तथा सहयोजित कृत्यों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्;

- (क) प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;
 - (ख) यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;
 - (ग) पुनःचक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट भाग के सरणीकरण को सुनिश्चित करना;
 - (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर पुनःचक्रण योग्य भाग के प्रसंस्करण और व्ययन को सुनिश्चित करना;
 - (ङ) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;
 - (च) अपशिष्ट चुनने वालों के साथ कार्य कर रहे सिविल सोसायटी या समूहों को लगाना; और
 - (छ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।
- (3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए प्रणाली के गठन के लिए स्थानीय निकाय उत्पादकों की सहायता लेगा और इन नियमों को भारत के राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी प्रणाली का गठन किया जाएगा।
- (4) स्थानीय निकाय इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाएगा।

7. ग्राम पंचायतों का दायित्व.-

- (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं या अभिकरण के माध्यम से अपने नियंत्रण के अधीन ग्रामीण क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सहयोजित कृत्यों के अनुपालन के लिए स्थापना, प्रचालन और समन्वय करेगा अर्थात्:-
- (क) प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन और विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण रखने वाले पुनःचक्रण करने वाले लोगों के प्रति पुनःचक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट का सरणीकरण सुनिश्चित करना; यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न हो;
 - (ख) सभी पणधारियों में उनके उत्तरदायित्व के लिए जागृति पैदा करना;
 - (ग) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए।

8. अपशिष्ट जनक का उत्तरदायित्व.-

- (1) अपशिष्ट जनक.-
- (क) समय-समय पर यथा संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2000 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के जनन को कम करने और स्रोत पर प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक् करने के कदम उठाएगा।
 - (ख) प्लास्टिक अपशिष्ट को न बिखरने देगा और स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक् भंडारण सुनिश्चित करेगा तथा पृथक् अपशिष्ट को शहरी स्थायी निकायों या ग्राम पंचायत या उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों या अपशिष्ट चुनने वालों, रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को सौंपेगा;
- (2) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत जनक उनके द्वारा जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेंगे और पृथक्कृत अपशिष्टकों को स्वयं के या प्राधिकृत अपशिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्राधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण या व्ययन सुविधा या निक्षेपण केन्द्रों को सौंपेंगे।
- (3) सभी अपशिष्ट जनक ऐसी उपयोक्ता फीस या प्रभार अदा करेंगे जो अपशिष्ट संग्रहण या उसकी सुविधा के प्रचालन आदि जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट हो;
- (4) खुली जगह में आयोजन की व्यवस्था करने वाला प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति जिसमें प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग में खाद्य सामग्री की सेवा अंतर्भूत है, ऐसे आयोजनों के दौरान जनित अपशिष्ट का पृथक्करण और प्रबंधन इस अधिनियम या इसके बाद संशोधित अधिनियम के तहत का.आ.908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 के अनुसार करेगा।

9. उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्रांड स्वामियों का दायित्व.-

- (1) उत्पादक इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यक्तिगत या समूहिक रूप से अपने निजी वितरण चैनल या संबद्ध स्थानीय निकाय के माध्यम से विस्तारित उत्पादक दायित्व पर आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए राज्य शहरी विकास विभाग को सम्मिलित करते हुए रूपरेखा तैयार करेगा।
- (2) उपयोग में लाए गए बहुस्तरीय प्लास्टिक शैशे या पाउचों या पैकेजिंग के संग्रहण का प्रमुख दायित्व उन उत्पादकों, आयातकर्ताओं और ब्रांड स्वामियों का होगा जो बाजार में उत्पाद को पेश करते हैं। उन्हें अपने उत्पादों के कारण जनित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने की जरूरत है। संग्रह करने की यह योजना स्थापित करने या प्रचालन या नवीकरण के लिए सहमति हेतु आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी। जिन ब्रांड स्वामियों की सहमति का नवीकरण इन नियमों की अधिसूचना से पहले कर दिया गया है वे इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के अंदर उक्त योजना प्रस्तुत कर देंगे और उसके दो वर्ष बाद लागू कर देंगे।
- (3) पुनःचक्रीकरण न की जा सकने योग्य बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण एवं उपयोग, यदि कोई हो, दो वर्ष में बंद कर दिया जाएगा।
- (4) उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए राज्यों या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के यथास्थिति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।
- (5) कोई उत्पादक राजपत्र में इन नियमों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों से रजिस्ट्रीकरण के बिना वस्तुओं के पैकेजिंग के लिए किसी प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण या उपयोग नहीं करेगा।
- (6) प्रत्येक उत्पादक कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग के बने कवर के विनिर्माण के लिए कचची सामग्री के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्ति के व्यौरों के अभिलेख बनाए रखेगा।

10. कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार.- प्लास्टिक सामग्री के अविक्रमित की डिग्री और विघटन की डिग्री का निर्धारण, इन नियमों की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा।**11. मार्का या लेबल लगाना.-** (1) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग पर अंग्रेजी में निम्नलिखित जानकारी मुद्रित की जाएगी, अर्थात् :-

- (क) कैरी बैग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या और मोटाई; और
- (ख) बहुस्तरीय पैकेजिंग की दशा में विनिर्माणकर्ता का नाम और उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या।
- (ग) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग की दशा में नाम और प्रमाणपत्र सं. [नियम 4(ज)]।

- (2) प्रत्येक पुनःचक्रीत कैरी बैग पर निम्नलिखित रूप में यथादर्शित "पुनःचक्रीत" लेबल या चिन्ह होगा और भारतीय मानके के समय-समय पर यथा संशोधित पुनःचक्रीत प्लास्टिक के लिए मार्गदर्शक नामक विनिर्देश भा.मा.14534:1998 के अनुसार होगा;



टिप्पण : पैट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीईपी-उच्च डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई - निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आक्साइड), पीपी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(3) कंपोस्ट योज्य प्लास्टिकों से बने प्रत्येक कैरी बैग पर कंपोस्ट योज्य का लेबल लगा होगा और भारतीय मानक के कंपोस्ट योज्य प्लास्टिक के लिए विनिर्देश नामक विनिर्देश भा.मा./भा.मा.स.17088:2008 के अनुरूप होगा।

12. विहित प्राधिकारी.- (1) किसी संघ राज्य क्षेत्र की बाबत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति रजिस्ट्रीकरण, प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विभाग का संबद्ध भारसाधक सचिव अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(3) संबद्ध ग्राम पंचायत राज्य सा संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जनक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के प्लास्टिक शीटों और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बने कवर के उपयोग से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए प्राधिकारी होगा;

(4) उप-नियम (1) से (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन में संबद्ध जिले की अधिकारिता की राज्य क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की सहायता लेगा।

13. उत्पादक, पुनःचक्रणकर्ता और विनिर्माणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण.- (1) कोई व्यक्ति कैरी बैगों या पुनःचक्रित प्लास्टिक बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न हो गया हो;

(2) प्रत्येक उत्पादनकर्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को उपाबद्ध प्ररूप 1 का प्रयोग करते हुए आवेदन करेगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो कैरी बैग और बहुस्तरीय प्लास्टिकों या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःचक्रण करता है या पुनःचक्रण करने के लिए प्रस्ताव करता है, उपाबद्ध प्ररूप 2 का प्रयोग करते हुए पुनःचक्रण यूनिट के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(4) उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक के विनिर्माण में लगे प्रत्येक विनिर्माता प्ररूप 3 में रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबद्ध संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति विनिर्माण या पुनःचक्रण यूनिटों के लिए कोई रजिस्ट्रीकरण तब तक जारी नहीं करेगी या उसका नवीकरण नहीं करेगी जब तक कि यूनिट, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन कोई विधिमान्य सहमति नहीं रखती हो और जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र न रखती हो।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण तब नहीं करेगा जब तक उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रणाली की स्थापना के लिए संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास के भारसाधक सचिव द्वारा पृष्ठांकित कार्य योजना न रखता हो।

(7) उपनियम (3) के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण के रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक के पास समुचित सुविधाएं तकनीकी योग्यताएं और प्लास्टिक अपशिष्ट से

सुक्षित रूप से निपटने के लिए उपकरण हैं, ऐसी शर्तों के पूरा होने पर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगा जो रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों में अभिकथित की जाएं।

- (8) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने हेतु विनिश्चय करेगा।
- (9) इस नियम के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण जब तक कि वह विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और बाद में उसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- (10) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, रजिस्ट्रीकरण को उत्पादक या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण में लगे हुए व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना विखंडित, निलंबित या रद्द नहीं करेगी।
- (11) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से कम से कम एक सौ बीस दिन पूर्व किया जाएगा।

14. खुदरा विक्रेताओं और पथ विक्रेताओं का दायित्व.- (1) खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता उपभोक्ता को ऐसे कैरी बैग या प्लास्टिक शीट या बहुस्तरीय पैकेजिंग में वस्तु नहीं बेचेगा या उपलब्ध कराएगा जो इन नियमों के अधीन विहितानुसार विनिर्मित या लेबल लगे या चिन्हित नहीं है।

(2) प्लास्टिक कैरी बैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार या ऐसे प्लास्टिक शीट से बने जो इन नियमों के अनुसार विनिर्मित या लेबलित या चिन्हित नहीं है, में वस्तुओं को बेचने या उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक खुदरा विक्रेता या पथ विक्रेता ऐसा जुर्माना देने का दायी होगा जो स्थानीय निकायों की विधियों में विनिर्दिष्ट हो।

15. कैरी बैगों की कीमत सुनिश्चित करना.- (1) जो दुकानदार और पथ विक्रेता किसी वस्तु को वितरित करने के लिए प्लास्टिक के कैरी बैग उपलब्ध कराना चाहते हैं उन्हें स्थानीय निकाय के पास पंजीकरण करना होगा। स्थानीय निकाय, भारत के राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर, चार हजार रुपये प्रतिमाह की दर से न्यूनतम अड़तालीस हजार रुपये का प्लास्टिक प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे पंजीकरण के लिए अपने राज्य के उपयुक्त कानून या उपनियमों के तहत अधिसूचना या आदेश के द्वारा प्रावधान करेगा। संबंधित स्थानीय निकाय उत्पादन या बिक्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क निर्धारित कर सकता है। पंजीकृत दुकानदार प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेगा कि प्लास्टिक कैरी बैग भुगतान करने पर दिए जाते हैं।

(2) वस्तुओं का वितरण करने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध कराने के लिए केवल पंजीकृत दुकानदार या पथ विक्रेता पात्र होंगे।

(3) शहरी स्थानीय निकाय कैरी बैगों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदत रकम का अनन्यतः उपयोग अपनी अधिकारिताओं के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की संधार्यता के लिए करेगा।

16. राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति.- (1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, इन नियमों के क्रियान्वयन के प्रभावी मॉनीटरिंग करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-

(क)	सचिव, शहरी विकास विभाग	-	अध्यक्ष
(ख)	राज्य पर्यावरण विभाग से निदेशक	-	सदस्य
(ग)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से सदस्य सचिव	-	सदस्य
(घ)	म्युनिसिपल कमीशनर	-	सदस्य
(ङ)	स्थानीय निकाय से एक विशेषज्ञ	-	सदस्य
(च)	गैर सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ जो अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल हो	-	सदस्य
(छ)	कमीशनर वैल्यु ऐडेड टैक्स या उसका प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ज)	बिक्री कर कमीशनर या अधिकारी	-	सदस्य
(झ)	प्लास्टिक संघ, ड्रग मॅन्युफैक्चरर एसोसिएशन, केमिकल मॅन्युफैक्चरर	-	सदस्य

एसोसिएशन का प्रतिनिधि

- | | | | |
|-----|---|---|--------|
| (ज) | उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| (ट) | शिक्षा संस्था के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| (ठ) | निदेशक, म्युनिसिपल प्रशासन | - | संयोजक |

राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय छह माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा और यदि वह आवश्यक समझता है तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

- 17. वार्षिक रिपोर्टें.-** (1) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण या प्रसंस्करण में लगा प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप 4 में वार्षिक रिपोर्ट्स तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन संबद्ध शहरी स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष की 30 जून संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति की सूचना के अधीन शहरी विकास के संबद्ध भारसाधक सचिव को प्ररूप-5 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।
- (3) प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक इन नियमों के क्रियान्वयन पर प्ररूप-VI में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
- (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्टों के उपयोग और प्रबंधन पर समेकित एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसको प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त से पूर्व अपनी सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

अनुसूची-1

(नियम 10 देखें)

1.	भा.मा./भा.मा.स.14851:1999 जलीय माध्यम से प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बंद रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता मापन द्वारा पद्धति
2.	भा.मा./भा.मा.स.14852:1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति
3.	भा.मा./भा.मा.स.14853:2005 प्लास्टिक - जलीय तंत्र में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - बायोगैस उत्पादन के मापन द्वारा पद्धति
4.	भा.मा./भा.मा.स.14855-1:2005 नियंत्रित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-1 सामान्य पद्धति)
5.	भा.मा./भा.मा.स.14855-2:2007 नियंत्रित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री की अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना - उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा पद्धति (भाग-2; प्रयोगशाला-स्केल परीक्षण में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का भारात्मक मापन)
6.	भा.मा./भा.मा.स.15985:2004 प्लास्टिक - 4उच्च ठोसता की अनाँक्सी (एनोरोबिक) डाइजेशन स्थितियों में अंतिम (अल्टीमेट) अनाँक्सी (एनोरोबिक) जैव विघटनीयता एवं विघटन ज्ञात करना - निकली बायोगैस की विश्लेषण पद्धति
7.	भा.मा./भा.मा.स.16929:2002 प्लास्टिक - पायलट मापन परीक्षण में परिभाषित संघटक स्थितियों में प्लास्टिक सामग्री के विघटन का स्तर ज्ञात करना
8.	भा.मा./भा.मा.स.17556:2003 प्लास्टिक - रेसपीरोमीटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता अथवा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के मापन द्वारा मूदा में अंतिम (अल्टीमेट) ऑक्सी जैव विघटनीयता ज्ञात करना
9.	भा.मा./भा.मा.स.20200:2004 प्लास्टिक - प्रयोगशाला में अनुरूपी कंपोस्टिंग स्थितियों में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन का स्तर ज्ञात करना - स्केल परीक्षण

प्ररूप-1

[नियम 13(2) देखें]

उत्पादकों या ब्रांड स्वामियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2015 के नियम 9 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

I. उत्पादक

भाग-क साधारण	
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति
(ख)	इकाई का नाम
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पंजीकरण : (i) कैरी बैग [(क) पैट्रो आधारित, (ख) कंपोस्ट योज्य] (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक
(घ)	विनिर्माण क्षमता
(ड.)	नवीकरण की दशा में, पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में जिला उद्योग केन्द्र में रजिस्ट्रीकरण है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
3. (क)	परियोजना पर निवेशित कुल पूंजी
(ख)	उत्पादन आरंभ करने का वर्ष
4. (क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अधीन केप्टिव विद्युत उत्पादन और जल भी है, निवेश और उत्पादन को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें।
6.	इन नियमों के अनुपालन की प्रास्थिति - मोटाई - पचास माइक्रोन (हां/नहीं)
भाग-ख द्रव बहिस्त्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
7.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।
भाग-ग	

अपशिष्ट से संबंधित		
8.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए अपबंध	
9.	कैरी बैग अथवा समान प्रकार की प्लास्टिक शीट अथवा बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं।	
10.	उन कार्मिकों या ब्रांड स्वामियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी	
11.	प्लास्टिक अपशिष्ट का वापस संग्रहण करने की कार्य योजना	
तारीख : स्थान :		नाम और हस्ताक्षर पदनाम

II ब्रांड स्वामी

भाग-क सामान्य		
1.	नाम, पता और संपर्क नम्बर	
2.	नवीकरण की दशा में पिछला रजिस्ट्रीकरण नम्बर और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
3.	क्या इकाई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र या डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेशित कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
भाग - ख द्रव बहिष्काव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित		
5.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
6.	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	

भाग-ग अपशिष्ट से संबंधित		
7.	ठोस अपशिष्ट : (क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए अपबंध	

8.	उन कार्मिकों या ब्रांड स्वामियों की सूची संलग्न करें/उपलब्ध कराएं जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी	
9.	प्लास्टिक अपशिष्ट का वापस संग्रहण करने की कार्य योजना	
तारीख : स्थान :		नाम और हस्ताक्षर पदनाम

प्रपत्र - II

[नियम 13 (3) देखें]

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण में संलग्न इकाइयों के पंजीकरण हेतु आवेदन-प्रपत्र

1.	इकाई का नाम और पता				
2.	संपर्क व्यक्ति, पदनाम, टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित				
3.	प्रारंभ किए जाने की तारीख				
4.	कर्मचारों की संख्या (संविदा श्रम सहित)				
5.	सहमति विधिमान्यता	क. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तक विधिमान्य ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तक विधिमान्य ग. प्राधिकरण ; तक विधिमान्य			
6.	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया विनिर्माण, प्रक्रिया का प्रवाहित डायग्राम संलग्न करें प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रवाहित डायग्राम।			
7.	उत्पाद और उत्पादन की संस्थित क्षमता (एमटीए)	उत्पाद	संस्थित क्षमता		
8.	अपशिष्ट प्रबंधन	क्रम सं.	किस्म	श्रेणी	मात्रा
	क. प्लास्टिक अपशिष्ट में अपशिष्ट जनन	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	ख. अपशिष्ट संग्रह और परिवहन (विवरण संलग्न करें)				
	ग. अपशिष्ट निपटान का विवरण	क्रम सं.	किस्म	श्रेणी	मात्रा
(i)					
(ii)					
घ. निपटान सुविधा का ब्यौरा उपलब्ध कराएं, क्या सुविधा एसपीसीबी या पीसीसी द्वारा प्राधिकृत है					
ड. कृपया जनित अपशिष्ट के वर्गीकरण की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (यदि लागू हो तो लीचेट परीक्षण सहित)					
9.	कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग के लिए, यथा स्थिति, विक्री, नीलामी, संविदा या आयात के जरिए अर्जित होने वाले प्रस्तावित प्लास्टिक अपशिष्ट का ब्यौरा	(i) नाम			
		(ii) प्रति वर्ष अपेक्षित मात्रा			
10.	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी पहलू	कृपया सुविधाओं का ब्यौरा दें			
11.	प्रदूषण नियंत्रण के उपाय				
	क्या उत्सर्जन या बहिःस्राव के मानकों को पूरा करने के				

	लिए इकाई के पास पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां या उपस्कर है।	
	क्या इकाई उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है।	
	क्या हथालन अथवा प्रसंस्कृत की जारी सामग्री के पर्यावरण पर पड़ने वाले तत्काल या विलंब से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं या विद्यमान होने की संभावना है।	
	क्या हथालन अथवा प्रसंस्कृत की जा रही सामग्री किसी भी साधन से अन्य सामग्री (अर्थात् लीचेट) उत्पन्न करने में सक्षम है, उसके लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं (या विद्यमान होने की संभावना है जिसमें विषाक्तता हो सकती है)	
12.	कोई अन्य प्रासंगिक सूचना, जिसमें अग्नि या दुर्घटना प्रशमनकारी उपाय शामिल है	
13.	नियमानुसार संलग्नों की सूची	

नाम और हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-III

[नियम 13(4) देखें]

अपरिष्कृत प्लास्टिक विनिर्माताओं के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रेषक

.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

..... प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।

भाग-क		
सामान्य		
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति	
(ख)	इकाई का पता	
(ग)	नवीकरण के मामले में, पिछली रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
2.	क्या यह इकाई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की डीआईसी/डीसीएसएसआई में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हो, तो	

	रजिस्ट्रीकरण की प्रति संलग्न करें।	
3. (क)	परियोजना पर निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन शुरू करने का वर्ष	
(ग)	उत्पादकों की सूची और उत्पादकों को आपूर्ति किए गए कच्चे माल की प्रमात्रा	
तारीख :		नाम और हस्ताक्षर
स्थान :		पदनाम

प्ररूप-IV

(नियम 17(1) देखें)

स्थानीय निकाय को प्लास्टिक प्रसंस्करण या पुनःचक्रण सुविधा के प्रचालनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्टिंग की अवधि :

(1)	सुविधा के प्रचालकता का नाम और पता	
(2)	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम (दूरभाष/फैक्स/मोबाइल/ई-मेल)	
(3)	क्षमता :	
(4)	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां :	
(5)	प्रस्तुत रिपोर्ट के वर्ष के दौरान प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा तथा उसका स्रोत	
(6)	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रमात्रा (टनों में) : - पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) - प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन में) - उपयोग में लाया गया (टन में)	
(7)	खत्ता स्थलों में अंतिम निपटान हेतु भेजे गए बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों की प्रमात्रा :	
(8)	उस खत्ता सुविधा का ब्यौरा जहां बेकार/अस्वीकृत अपशिष्टों को अंतिम निपटान हेतु भेजा गया है : - पता - दूरभाष	
(9)	सहमति प्रदान करने या पंजीकरण के दौरान यदि कोई पर्यावरणीय शर्त विनिर्दिष्ट की गई हो तो उसके अनुपालन की स्थिति संलग्न करें।	

प्रचालनकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-V

(नियम 17(2) देखें)

स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि :

(1)	शहर/नगर और राज्य का नाम	
(2)	जनसंख्या	
(3)	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
(4)	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन सं. फैक्स सं. ई-मेल :	
(5)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में বাড়ों की कुल संख्या	
(6)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में घरों की कुल संख्या	
(7)	घर-घर जाकर किए गए एकत्र करने में शामिल घरों की संख्या	
(8)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की कुल संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(9)	प्रत्येक संस्थान/संस्थान में जाकर एकत्र करने के लिए सम्मिलित वाणिज्यिक संस्थाओं और संस्थानों की संख्या - वाणिज्यिक संस्थाएं - संस्थान	
(10)	घर-घर जाकर एकत्रण में शामिल एजेंसियों के ब्यौरे सहित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार किए गए तंत्रों का सारांश	
(11)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु तैयार की गई अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
(12)	अपेक्षित अवसंरचना, यदि कोई हो, के औचित्य सहित उसका ब्यौरा संलग्न करें	
(13)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वर्ष के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(14)	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से वर्ष के दौरान एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(15)	वर्ष के दौरान पुनर्चक्रण हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(16)	वर्ष के दौरान उपयोग हेतु भेजे गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(17)	वर्ष के दौरान भू-भराव स्थलों को भेजे गए बेकार/अस्वीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
(18)	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान हेतु प्रयुक्त प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा सुविधा-1 i) प्रचालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii) क्षमता iv) प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v) पंजीकरण संख्या	

	vi) पंजीकरण की वैधता (तक) सुविधा-2 i) प्रचालक का नाम ii) टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर सहित पता iii) क्षमता iv) प्रयुक्त प्रौद्योगिकी v) पंजीकरण संख्या vi) पंजीकरण की वैधता (तक)	
(19)	ब्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई स्थानीय निकायों की निजी जनशक्ति।	
(20)	ब्यौरा दें : गली की सफाई, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एकत्रण हेतु तैनात की गई ठेकेदार/ग्रहियों की जनशक्ति।	
(21)	वित्तीय बाध्यताओं, सहित इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें	
(22)	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है? यदि हो तो (प्रति संलग्न करें) संशोधन की तारीख :	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-VI

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन की वर्ष की राज्यवार स्थिति

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम	अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट जनन टन प्रति वर्ष (टीपीए)	रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक विनिर्माता या पुनः चक्रण इकाइयों की संख्या (प्रबंधक, कंपोस्ट योज्य सहित) (नियम 9)	गैर-रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक विनिर्माता या पुनः चक्रण इकाइयों की संख्या (आवासीय या अनधिकृत क्षेत्रों में)	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण (पीडब्ल्यूएम) अर्थात् संग्रहण, पृथक्करण, निपटान (सह-प्रसंस्करण सड़क निर्माण आदि) (नियम 6) (अलग पृष्ठ संलग्न करें)	प्लास्टिक केरी वेग के उपयोग पर आंशिक अथवा पूर्ण प्रतिबंध (कार्यकारी आदेश के जरिए) (अधिमूचना या कार्यकारी आदेश की प्रति संलग्न करें)	केरी वेग पर मार्क करने, लेबल लगाने की स्थिति (नियम 8) (अनुपालन करने/अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों की संख्या का उल्लेख करें)	केरी वेगों का स्पष्ट मूल्य निर्धारण करना (नियम 10)	राज्य स्तरीय सलाहकार संस्था (एमएलए) की बैठकों तथा साथ ही कार्यान्वयन के संबंध में इसकी सिफारिशों का विवरण (नियम 11)	उल्लंघनों की संख्या और इन नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर की गई कार्रवाई	क्षेत्राधिकार के अधीन म्युनिसिपल प्राधिकरणों या ग्राम पंचायतों की संख्या और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (नियम 12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

label.

- (c) **“carry bags”** mean bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.
- (d) **“commodity”** means tangible item that may be bought or sold and includes all marketable goods or wares;
- (e) **“compostable plastics”** mean plastic that undergoes degradation by biological processes during composting to yield CO₂, water, inorganic compounds and biomass at a rate consistent with other known compostable materials, excluding conventional petro-based plastics, and does not leave visible, distinguishable or toxic residue;
- (f) **“consent”** means the consent to establish and operate from the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee granted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981);
- (g) **“disintegration”** means the physical breakdown of a material into very small fragments;
- (h) **“extended producer’s responsibility ”** means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;
- (i) **“food-stuffs”** mean ready to eat food products, fast food, processed or cooked food in liquid, powder, solid or semi-solid form;
- (j) **“facility”** means the premises used for collection, Storage, recycling, processing and disposal of plastic waste;
- (k) **“importer”** means a person who imports or intends to import and holds an Importer -Exporter Code number, unless otherwise specifically exempted.
- (l) **“institutional waste generator”** means and includes occupier of the institutional buildings such as building occupied by Central Government Departments, State Government Departments, public or private sector companies, hospitals, schools, colleges, universities or other places of education, organisation, academy, hotels, restaurants, malls and shopping complexes;
- (m) **“manufacturer”** means and include a person or unit or agency engaged in production of plastic raw material to be used as raw material by the producer.
- (n) **“multilayered packaging”** means any material used or to be used for packaging and having at least one layer of plastic as the main ingredients in combination with one or more layers of materials such as paper, paper board, polymeric materials, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure;
- (o) **“plastic”** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, Polybutylene terephthalate;
- (p) **“plastic sheet”** means Plastic sheet is the sheet made of plastic;
- (q) **“plastic waste”** means any plastic discarded after use or after their intended use is over;
- (r) **“prescribed authority”** means the authorities specified in rule 12;
- (s) **“producer”** means persons engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (t) **“recycling”** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;

- (u) **"registration"** means registration with the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be;
- (v) **"street vendor"** shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014);
- (w) **"local body"** means urban local body with different nomenclature such as municipal corporation, municipality, nagarpalika, nagarnigam, nagarpanchayat, municipal council including notified area committee (NAC) and not limited to or any other local body constituted under the relevant statutes such as gram panchayat, where the management of plastic waste is entrusted to such agency;
- (x) **"virgin plastic"** means plastic material which has not been subjected to use earlier and has also not been blended with scrap or waste;
- (y) **"waste generator"** means and includes every person or group of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways, Airport, Port and Harbour and Defense establishments which generate plastic waste;
- (z) **"waste management"** means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally safe manner;
- (aa) **"waste pickers"** mean individuals or agencies, groups of individuals voluntarily engaged or authorised for picking of recyclable plastic waste.

4. Conditions.- (1) The manufacture, importer stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheet and multilayered packaging, shall be subject to the following conditions, namely:-

- a) carry bags and plastic packaging shall either be in natural shade which is without any added pigments or made using only those pigments and colourants which are in conformity with Indian Standard : IS 9833:1981 titled as "List of pigments and colourants for use in plastics in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water", as amended from time to time;
- b) Carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff;
- c) carry bag made of virgin or recycled plastic, shall not be less than fifty microns in thickness;
- d) plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping the commodity shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impair the functionality of the product;
- e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer, not having valid registration from the concerned State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee;
- f) sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling gutkha, tobacco and pan masala;
- g) recycling of plastic waste shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time;
- h) The provision of thickness shall not be applicable to carry bags made up of compostable plastic. Carry bags made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time. The manufacturers or seller of compostable plastic carry bags shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling; and
- i) plastic material, in any form including Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging gutkha, pan masala and tobacco in all forms.

5. Plastic waste management.- (1) The plastic waste management by the urban local bodies in their respective jurisdiction shall be as under:-

- (a) plastic waste, which can be recycled, shall be channelized to registered plastic waste recycler and recycling of plastic shall conform to the Indian Standard: IS 14534:1998 titled as Guidelines for Recycling of Plastics, as amended from time to time.
- (b) local bodies shall encourage the use of plastic waste (preferably the plastic waste which cannot be further recycled) for road construction as per Indian Road Congress guidelines or energy recovery or waste to oil etc. The standards and pollution control norms specified by the prescribed authority for these technologies shall be complied with.
- (c) Thermo set plastic waste shall be processed and disposed off as per the guidelines issued from time to time by the Central Pollution Control Board.
- (d) The inert from recycling or processing facilities of plastic waste shall be disposed of in compliance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.

6. Responsibility of local body.- (1) Every local body shall be responsible for development and setting up of infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the plastic waste either on its own or by engaging agencies or producers.

(2) The local body shall be responsible for setting up, operationalisation and co-ordination of the waste management system and for performing the associated functions, namely:-

- (a) Ensuring segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of plastic waste;
 - (b) ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
 - (c) ensuring channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers;
 - (d) ensuring processing and disposal on non-recyclable fraction of plastic waste in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
 - (e) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities;
 - (f) engaging civil societies or groups working with waste pickers; and
 - (g) ensuring that open burning of plastic waste does not take place.
- (3) The local body for setting up of system for plastic waste management shall seek assistance of producers and such system shall be set up within one year from the date of final publication of these rules in the Official Gazette of India.
- (4) The local body to frame bye-laws incorporating the provisions of these rules.

7. Responsibility of Gram Panchayat.- (1) Every gram panchayat either on its own or by engaging an agency shall set up, operationalise and co-ordinate for waste management in the rural area under their control and for performing the associated functions, namely,-

- (a) ensuring segregation, collection, storage, transportation, plastic waste and channelization of recyclable plastic waste fraction to recyclers having valid registration; ensuring that no damage is caused to the environment during this process;
- (b) creating awareness among all stakeholders about their responsibilities; and
- (c) ensuring that open burning of plastic waste does not take place

8. Responsibility of waste generator.- (1) The waste generator shall.-

- (a) take steps to minimize generation of plastic waste and segregate plastic waste at source in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2000 or as amended from time to time.
 - (b) not litter the plastic waste and ensure segregated storage of waste at source and handover segregated waste to urban local body or gram panchayat or agencies appointed by them or registered waste pickers', registered recyclers or waste collection agencies;
- (2) All institutional generators of plastic waste, shall segregate and store the waste generated by them in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time and handover

segregated wastes to authorized waste processing or disposal facilities or deposition centers either on its own or through the authorized waste collection agency.

(3) All waste generators shall pay such user fee or charge as may be specified in the bye-laws of the local bodies for plastic waste management such as waste collection or operation of the facility thereof, etc.;

(4) Every person responsible for organising an event in open space, which involves service of food stuff in plastic or multilayered packaging shall segregate and manage the waste generated during such events in accordance with the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 notified vide

S.O. 908(E) dated the 25th September, 2000 under the Act or amendment from time to time.

9. Responsibility of producers, Importers and Brand Owners.- (1) The producers, within a period of six months from the date of publication of these rules, shall work out modalities for waste collection system based on Extended Producers Responsibility and involving State Urban Development Departments, either individually or collectively, through their own distribution channel or through the local body concerned.

(2) Primary responsibility for collection of used multi-layered plastic sachet or pouches or packaging is of Producers, Importers and Brand Owners who introduce the products in the market. They need to establish a system for collecting back the plastic waste generated due to their products. This plan of collection to be submitted to the State Pollution Control Boards while applying for Consent to Establish or Operate or Renewal. The Brand Owners whose consent has been renewed before the notification of these rules shall submit such plan within one year from the date of notification of these rules and implement with two years thereafter.

(3) manufacture and use of non- recyclable multilayered plastic if any should be phased out in Two years time.

(4) The producer, within a period of three months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette shall apply to the Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, of the States or the Union Territories administration concerned, for grant of registration.

(5) No producer shall on and after the expiry of a period of Six Months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette manufacture or use any plastic or multilayered packaging for packaging of commodities without registration from the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees.

(6) Every producer shall maintain a record of details of the person engaged in supply of plastic used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet or like or cover made of plastic sheet or multilayered packaging.

10. Protocols for compostable plastic materials.-Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule-I to these rules.

11. Marking or labelling.-(1) Each plastic carry bag and multilayered packaging shall have the following information printed in English namely,-

- (a) name, registration number of the manufacturer and thickness in case of carry bag;
- (b) name and registration number of the manufacturer in case of multilayered packaging; and
- (c) name and certificate number [Rule 4(h)] in case of carry bags made from compostable plastic

(2) Each recycled carry bag shall bear a label or a mark "recycled" as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 1998 titled as "Guidelines for Recycling of Plastics", as amended from time to time;



NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephthalate) etc.

Each carry bag made from compostable plastics shall bear a label “compostable” and shall conform to the Indian Standard : IS or ISO 17088:2008 titled as Specifications for “Compostable Plastics”.

12. Prescribed authority.- (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multilayered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

(2) The concerned Secretary-in-charge of Urban Development of the State or a Union Territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging.

(3) The concerned Gram Panchayat shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in the rural area of the State or a Union Territory.

(4) The authorities referred to in sub-rules (1) to (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in the enforcement of the provisions of these rules.

13. Registration of producer, recyclers and manufacturer,- (1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained a registration from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union Territory concerned, as the case may be, prior to the commencement of production;

(2) Every producer shall, for the purpose of registration or for renewal of registration, make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, in Form I

(3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, for grant of registration or renewal of registration for the recycling unit, in Form II.

(4) Every manufacturer engaged in manufacturer of plastic to be used as raw material by the producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, for the grant of registration or for the renewal of registration, in Form III.

(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not issue or renew registration to plastic waste recycling or processing units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) along with a certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other Government agency authorised in this regard.

(6) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not renew registration of producer unless the producer possesses and action plan endorsed by the Secretary in charge of Urban Development of the concerned State or Union Territory for setting of plastic waste management system.

(7) On receipt of the application complete in all respects for the registration for recycling or processing of plastic waste under sub-rule (3), the State Pollution Control Board may, after such inquiry as it considers necessary and on being satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical capabilities and equipment to handle plastic waste safely, may grant registration to the applicant on fulfilment of the conditions as may be laid down in terms of registration.

(8) Every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall take a decision on the grant of registration within ninety days of receipt of an application which is complete in all respects.

(9) The registration granted under this rule shall initially be valid for a period of one year, unless revoked, suspended or cancelled and shall subsequently be granted for three years.

(10) State Pollution Control Board or the Pollution Control Committees shall not revoke, suspend or cancel registration without providing the opportunity of a hearing to the producer or person engaged in recycling or processing of plastic wastes.

(11) Every application for renewal of registration shall be made at least one hundred twenty days before the expiry of the validity of the registration certificate.

14. Responsibility of retailers and street vendors- (1) Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multilayered packaging, which are not manufactured and labelled or marked, as per prescribed under these rules.

(2) Every retailers or street vendors selling or providing commodities in, plastic carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like or covers made of plastic sheets which are not manufactured or labelled or marked in accordance with these rules shall be liable to pay such fines as specified under the bye-laws of the local bodies.

15. Explicit pricing of carry bags.- (1) The shopkeepers and street vendors willing to provide plastic carry bags for dispensing any commodity shall register with local body. The local body shall, within a period of six months from the date of final publication of these rules in the Official Gazette of India notification of these rules, by notification or an order under their appropriate state statute or byelaws shall make provisions for such registration on payment of plastic waste management fee of minimum rupees forty eight thousand @ rupees four thousand per month. The concerned local body may prescribe higher plastic waste management fee, depending upon the sale capacity. The registered shop keepers shall display at prominent place that plastic carry bags are given on payment.

(2) Only the registered shopkeepers or street vendors shall be eligible to provide plastic carry bags for dispensing the commodities.

(3) The local body shall utilize the amount paid by the customers for the carry bags exclusively for the sustainability of the waste management system within their jurisdictions.

16. State Level Monitoring Committee.- (1) The State government or the union Territory shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Advisory Committee consisting of the following persons, namely;-

- | | | |
|-----|---|------------|
| (a) | the Secretary, Department of Urban Development | - Chairman |
| (b) | Director from State Department of Environment | - Member |
| (c) | Member Secretary from State Pollution Control Board
or Pollution Control Committee | - Member |
| (d) | Municipal Commissioner | - Member |
| (e) | one expert from Local Body | - Member |
| (f) | one expert from Non-Governmental
involved in Waste Management | - Member |

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (g) | Commissioner, Value Added Tax or his nominee, | - Member |
| (h) | Sales Tax Commissioner or Officer | - Member |
| (i) | representative of Plastic Association,
Drug Manufacturers Association,
Chemical Manufacturers Association | - Member |
| (j) | one expert from the field of Industry | - Member and |
| (k) | one expert from the field of academic institution | - Member |
| (l) | Director , Municipal Administration | - Convener |

The State Level Advisory Body shall meet at least once in Six Month and may invite experts, if it considers necessary.

17. Annual reports.- (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit an annual report in Form-IV to the local body concerned under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th April, of every year.

(2) Every local body shall prepare and submit an annual report in Form –V to the concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department under intimation to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 30th June, every year.

(3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit an annual report in Form VI to the CPCB on the implementation of these rules by the 31st July, of every year.

(4) The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 31st August of every year.

SCHEDULE-I

[See rule 10]

1.	IS / ISO 14851: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by measuring the oxygen demand in a closed Respirometer
2.	IS / ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium-Method by analysis of evolved carbon dioxide
3.	IS / ISO 14853: 2005 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system-Method by measurement of biogas production
4.	IS /ISO 14855-1: 2005 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-1 General method)
5.	IS / ISO 14855-2: 2007 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions-Method by analysis of evolved carbon dioxide (Part-2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test)
6.	IS / ISO 15985: 2004 Plastics- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation and disintegration under high-solids anaerobic digestion conditions- Methods by analysis of released biogas
7.	IS /ISO 16929: 2002 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot - scale test
8.	IS / ISO 17556: 2003 Plastics- Determination of ultimate aerobic biodegradability in soil by measuring the oxygen demand in a Respirometer or the amount of carbon dioxide evolved
9.	IS / ISO 20200:2004 Plastics- Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - scale test

FORM - I

[See rules 13 (2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS or Brand Owners

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board or Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2015

1. Producers

PART - A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: (i) Carry bags; (a) petro- based, (b) Compostable (ii) Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Status of compliance with these rules- Thickness – fifty micron (Yes/No)	
PART - B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
7.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART - C PERTAINING TO WASTE		
8.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
9.	Attach or Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging	

10.	Attach or provide list of personnel or Brand Owners to whom the products will be supplied	
11.	Action plan on collecting back the plastic wastes	
		Name and Signature
		Designation
Date :		
Place :		

II Brand Owners:

PART - A GENERAL		
1.	Name, Address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
PART - B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART - C PERTAINING TO WASTE		
7.	Solid Wastes or rejects: (c) Total quantum of waste generated (d) Mode of storage within the plant (d) Provision made for disposal of wastes	
8.	Attach or Provide list of person supplying plastic material	
9	Action plan on collecting back the plastic wastes	
		Name and Signature
		Designation
Date :		
Place :		

FORM - II

[see rule 13 (3)]

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF UNITS ENGAGED IN PROCESSING OR RECYCLING OF PLASTIC WASTE

1.	Name and Address of the unit	
2.	Contact person with designation, Tel./Fax /email	

3.	Date of commencement				
4.	No. of workers (including contract labour)				
5.	Consents Validity	a. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974; Valid up to _____ b. Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981; Valid up to _____ c. Authorization ; valid up to			
6.	Manufacturing Process	Please attach a flow diagram of the manufacturing process flow diagram for each product.			
7.	Products and installed capacity of production (MTA)	Products		Installed capacity	
8.	Waste Management:	S. No.	Type	Category	Qty.
	a. Waste generation in processing plastic-waste	(i)			
		(ii)			
		(iii)			
	b. Waste Collection and transportation (attach details)				
	c. Waste Disposal details	S. No.	Type	Category	Qty
		(i)			
		(ii)			
d. Provide details of the disposal facility, whether the facility is authorized by SPCB or PCC					
e. Please attach analysis report of characterization of waste generated (including leachate test if applicable)					
9.	Details of plastic waste proposed to be acquired through sale, auction, contract or import, as the case may be, for use as raw material	(i) Name (ii) Quantity required /year			
10.	Occupational safety and health aspects	Please provide details of facilities			
11.	Pollution Control Measures				
	Whether the unit has adequate pollution control systems or equipment to meet the standards of emission or effluent.	If Yes, please furnish details			
	Whether unit is in compliance with conditions laid down in the said rules.	Yes/No			
	Whether conditions exist or are likely to exist of the material being handled or processed posing adverse immediate or delayed impacts on the environment.	Yes/No			
	Whether conditions exist (or are likely to exist) of the material being handled or processed by any means capable of yielding another material (e.g. leachate) which may possess eco-toxicity.	Yes/No			
12.	Any other relevant information including fire or accident mitigative measures				
13.	List of enclosures as per rule				

Name and Signature

Designation

Date :

Place :

FORM - III

[See rules 13(4)]

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR MANUFACTURERS OF PLASTIC RAW MATERIALS

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board or Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under the Plastic Waste Management Rules, 2011

PART - A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the DIC or DCSSI of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
(c)	List of producers and quantum of raw materials supplied to producers	
		Name and Signature Designation
Date :		
Place :		

Form - IV

[See rules 17 (1)]

FORMAT OF ANNUAL REPORT BY OPERATOR OF PLASTIC WASTE PROCESSING OR RECYCLING FACILITY TO THE LOCAL BODY

Period of Reporting:

(1)	Name and Address of operator of the facility	
(2)	Name of officer in-charge of the facility (Telephone/Fax/Mobile/ E-mail)	
(3)	Capacity:	
(4)	Technologies used for management of plastic waste:	
(5)	Quantity of plastic waste received during the year being reported upon along with the source	
(6)	Quantity of plastic waste processed (in tons): - Plastic waste recycled(in tons) - Plastic waste processed (in tons) - Used (in tons)	
(7)	Quantity of inert or rejects sent for final disposal to landfill sites:	
(8)	Details of land fill facility to which inert or rejects were sent	

	for final disposal: - Address - Telephone	
(9)	Attach status of compliance to environmental conditions, if any specified during grant of Consent or registration	

Signature of Operator

Dated :

Place:

Form - V

[See rules 17(2)]

FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE LOCAL BODY**Period of Reporting:**

(1)	Name of the City or Town and State:	
(2)	Population	
(3)	Area in sq. kilometers	
(4)	Name & Address of Local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
(5)	Total Numbers of the wards in the area under jurisdiction	
(6)	Total Numbers of Households in the area under jurisdiction	
(7)	Number of households covered by door to door collection	
(8)	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction -Commercial establishments - Institutions	
(9)	Number of commercial establishments and Institutions covered by door to door collection -Commercial establishments - Institutions	
(10)	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved in door to door collection	
(11)	Attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
(12)	Attach details of infrastructure required, if any along with justification	
(13)	Quantity of Plastic Waste generated during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(14)	Quantity of Plastic Waste collected during the year from area under jurisdiction (in tons)	
(15)	Quantity of plastic waste channelized for recycling during the year (in tons)	
(16)	Quantity of plastic waste channelized for use during the year (in tons)	
(17)	Quantity of inert or rejects sent to landfill sites during the year (in tons)	
(18)	Details of each of facilities used for processing and disposal of plastic waste Facility-I i) Name of operator ii) Address with Telephone Number or Mobile iii) Capacity iv) Technology Used v) Registration Number vi) Validity of Registration (up to)	

Name of the SPCB or PCC	Estimated Plastic Waste generation Tons Per Annum (TPA)	No. of registered Plastic Manufacturing or Recycling (including multilayer, compostable) units. (Rule 9)			No. of Unregistered plastic manufacturing Recycling units. (in residential or unapproved areas)	Details of Plastic Waste Management (PWM) e.g. Collection, Segregation, Disposal (Co-processing road construction etc.) (Rules 6) (Attach separate	Partial or complete ban on usages of Plastic Carry Bags (through Executive Order) (Attach copy of notification or executive order)	Status of Marking Labelling on carry bags (Rule 8) [Specify the number of units or not complied]	Explicit Pricing of carry bags (Rule 10)	Details of the meeting of State Level Advisory Body (SLA) along with its recommendations on Implementation (Rule 11)	No. of violations and action taken on non-compliance of provisions of these Rules	Number of Municipal Authority or Gram Panchayat-under jurisdiction and Submission of Annual Report to CPCB (Rule 12)
		Plastic units	Compostable Plastic Units	Multilayer Plastic units								

	<p>Facility-II</p> <p>i) Name of operator</p> <p>ii) Address with Telephone Number or Mobile</p> <p>iii) Capacity</p> <p>iv) Technology Used</p> <p>v) Registration Number</p> <p>Validity of Registration (up to)</p>	
(19)	<p>Give details of:</p> <p>Local body's own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.</p>	
(20)	<p>Give details of:</p> <p>Contractor or concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste.</p>	
(21)	<p>Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules including the financial constrains, if any</p>	
(22)	<p>Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city? If yes (attach copy)</p> <p>Date of revision:</p>	

Signature of CEO or Municipal Commissioner or

Executive Officer or Chief Officer

Date:

Place:


Form-VI

STATE-WISE STATUS OF IMPLEMENTATION OF PLASTIC WASTE MANAGEMENT RULES, 2016 FOR THE YEAR ... ANNUAL REPORT Format

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940

No. 185]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 का, पूर्वोक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को, लोकहित में अभिमुक्त करने के पश्चात्, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम, 2016 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 3 में,-
i खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा :-

“(क ख) ‘अनुकल्पिक उपयोग’ से किसी सामग्री का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए उसकी परिकल्पना की गई थी, ऐसा उपयोग अभिप्रेत है, जो इसलिए फायदाप्रद है, क्योंकि इससे संसाधन कार्य कुशलता में अभिवृद्धि होती है।”;

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(छ क) ‘ऊर्जा की पुनः प्राप्ति’ से अपशिष्ट से ऊर्जा की पुनः प्राप्ति अभिप्रेत है, जो कि विभिन्न प्रक्रियाओं, जिनके अंतर्गत दहन, गैसीयकरण, उल्ताप विच्छेदन (पाइरोलाइजेशन), निर्वात उपचारण (एनेरोबिक डाइजेशन) और खत्ते से गैस की पुनः प्राप्ति भी हैं, के माध्यम से अपशिष्ट माल का प्रयोग योग्य उष्मा, विद्युत या ईंधन में संपरिवर्तन किया जाना है;”।

3. उक्त नियमों के नियम 9 के, उप नियम (3) में “पुनःचक्रीकरण न की जा सकने योग्य बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण एवं उपयोग, यदि कोई हो” के स्थान पर, बहुसतहीय प्लास्टिक, जो गैर पुनःचक्रणीय हो या जिससे पुनः ऊर्जा प्राप्त न की जा सके, या जिसका कोई अनुकल्पिक उपयोग न हो” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 13 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(2) प्रत्येक उत्पादक या ब्राण्ड – स्वामी रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के प्रयोजन के लिए प्ररूप 1 में,-

- (i) संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति यदि एक या दो राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील है; या
- (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियाशील है, को आवेदन करेगा।

5. उक्त नियमों के नियम 15 का लोप किया जायेगा।

[फा.सं. 17-2/2001-एचएसएमडी]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

G.S.R. 285(E).—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules in public interest, namely :-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,-
 - i. after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ab) ‘alternate use’ means use of a material for a purpose other than for which it was conceived, which is beneficial because it promotes resource efficiency;”;
 - ii. after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ga) ‘energy recovery’ means energy recovery from waste that is conversion of waste material into usable heat, electricity or fuel through a variety of processes including combustion, gasification, pyrolysis, anaerobic digestion and land fill gas recovery;”.
3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (3), for the words “non-recyclable multilayered plastic if any”, the words “multi-layered plastic which is non-recyclable or non-energy recoverable or with no alternate use” shall be substituted.
4. In the said rules, in rule 13, for the sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) Every producer or brand-owner shall, for the purpose of registration or renewal of registration, make an application, in Form 1 to,-

 - (i) the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territory, if operating in one or two states or Union territories; or
 - (ii) the Central Pollution Control Board, if operating in more than two States or Union Territories.”.
5. In the said rules, the rule 15 shall be omitted.

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 320(E), dated the 18th March, 2016.

RAKESH
SUKULDigitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.03.31 12:47:34
+05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228947
CG-DL-E-12082021-228947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]
No. 459]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 571(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169 (अ) द्वारा तारीख 11 मार्च, 2021 में प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी लोगों से, जो उन नियमों से प्रभावित हो सकते हैं, उक्त प्रारूप नियम को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 मार्च, 2021 को उपलब्ध कराई गई थी;

और, उपर्युक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 कहा है।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों को कहा गया है) में, नियम 2 में, उप-नियम (1) में, “आयातकों” शब्द के पश्चात् “ब्राण्ड स्वामी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पुनर्चक्रक, सह-प्रसंस्करणकर्ता आदि)” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

उक्त नियमों में, नियम 3 में -

(i) खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

‘(ढ क) “बिना बुने प्लास्टिक बैग” - से अभिप्रेत है जो यांत्रिक अथवा थर्मल अथवा रासायनिक साधनों द्वारा एक-साथ बंधे हुए जटिल प्लास्टिक फाइबरों या तंतुओं (और छिद्रित फिल्मों द्वारा) की प्लास्टिक की शीट अथवा वेब आकार के कपड़े से बने हुए बिना बुने प्लास्टिक के बैग और “बिना बुने कपड़े” से अभिप्रेत है जिसमें एक समतल अथवा गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट जो सीधे प्लास्टिक फाइबरों, पिघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की फिल्मों से बनाया जाता है;

(ii) खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

‘(थ क) “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण” - से अभिप्रेत है जिससे कोई ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण अथवा नए उत्पादों में परिवर्तन के प्रयोजन के लिए प्रबंधित किया जाता है;’

(iii) खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

‘(फ क) “एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी वस्तु” का अर्थ है - जिससे प्लास्टिक की मद, जिसके निपटान अथवा पुनर्चक्रण से पहले उसे एक ही प्रयोजन के लिए एक बार ही उपयोग किया जाना है;

(फ ख) “थर्मोसेट प्लास्टिक” से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है और इसलिए इसे वांछित आकार में नहीं बदला जा सकता है;

(फ ग) “थर्मोप्लास्टिक” से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और इसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है;’

4. उक्त नियमों में, नियम 4 में -

(क) उप-नियम (1) में, - (i) “आयातक भंडारण” शब्दों के स्थान पर “आयात, भंडारण” शब्द रखें जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, “पचास माइक्रोन की मोटाई”, शब्दों के स्थान पर, शब्द आंकड़े, अक्षर और कोष्ठक “30 सितम्बर 2021 से पचहत्तर माइक्रोन की मोटाई और 31 दिसम्बर, 2022 से एक सौ बीस (120) माइक्रोन की मोटाई” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ज), “कैरी बैगों”, शब्दों के बाद, “और वस्तु” शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(iv) खंड (ज), “कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों”, शब्दों के बाद, “या वस्तु या दोनों” शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(v) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(ज) 30 सितम्बर, 2021 की तारीख से गैर-बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।”;

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(2) 1 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा:-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री;

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिटर।

(3) उप-नियम (2) (ख) के उपाबंध, कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

(4) इस अधिसूचना के बाद कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या समान प्रकार की सामग्री या प्लास्टिक शीट और बहु-परतीय पैकेजिंग से बने कवर और पोलिस्टाइरीन और विस्तारित पोलिस्टाइरीन, वस्तुओं सहित एकल प्रयोग के प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को निषिद्ध करने के संबंध में, जारी की गई कोई भी अधिसूचना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात लागू होगी।

5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (घ) में “2000” अंकों के स्थान पर “2016” रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

7. उक्त नियमों में नियम 7 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

8. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, “संबंधित स्थानीय निकाय” शब्दों के पश्चात, “इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. नियम 11 में, उप-नियम (1), -

(i) “प्लास्टिक कैरी बैग” शब्दों के पश्चात, “प्लास्टिक पैकिंग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में “विनिर्माता” शब्द के पश्चात, “उत्पादक” या ब्रैंड स्वामी” शब्द जोड़े जाएंगे, और “कैरी बैग” शब्द के बाद, “और ब्रैंड के स्वामी द्वारा उपयोग प्लास्टिक पैकिंग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ख), “बहु-परतीय पैकिंग” शब्दों के पश्चात, “आयातित सामग्री के लिए उपयोग बहु-परतीय पैकिंग को छोड़कर” अंतःस्थापित किया जाएगा।

(iv) खंड (ग) में, “नाम और प्रमाणपत्र सं.” शब्दों के पश्चात, “उत्पादक का” अंतःस्थापित किया जाएगा।

10. नियम 12 में, -

(i) उप-नियम (2) में, “अपशिष्ट जनक” शब्दों के पश्चात, “पर प्रतिबंध या निषेध” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, “अपशिष्ट जनक” शब्दों के पश्चात, “पर प्रतिबंध या निषेध” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. नियम 13, में उप-नियम (1) में, “संबंधित संघ राज्यक्षेत्र” शब्दों के पश्चात, “या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 17-2/2001(पार्ट)पार्ट I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 27 मार्च, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

G.S.R. 571(E).—Whereas the draft rules to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th March, 2021 vide notification number GSR 169 (E), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 11th March, 2021;

And whereas, objections and suggestions received within the aforesaid period have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after the word “Importers”, the words, “brand-owner, plastic waste processor (recycler, co-processor, etc.)” shall be inserted.
3. In the said rules, in rule 3,
 - (i) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :-

‘(na) “Non-woven plastic bag” means Non-woven plastic bag made up of plastic sheet or web structured fabric of entangled plastic fibers or filaments (and by perforating films) bonded together by mechanical or thermal or chemical means, and the “non-woven fabric” means a flat or tufted porous sheet that is made directly from plastic fibres, molten plastic or plastic films;’
 - (ii) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(qa) “Plastic waste processing” means any process by which plastic waste is handled for the purpose of reuse, recycling, co-processing or transformation into new products;’
 - (iii) after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: -

‘(va) “Single-use plastic commodity” mean a plastic item intended to be used once for the same purpose before being disposed of or recycled;’

‘(vb) “Thermoset plastic” means a plastic which becomes irreversibly rigid when heated and hence cannot be remoulded into desired shape;’

‘(vc) “Thermoplastic” means a plastic which softens on heating and can be moulded into desired shape;’.
4. In the said rules, in rule 4, -
 - (a) in sub-rule (1),-
 - (i) for the words “importer stocking”, the words “import, stocking” shall be substituted;
 - (ii) in clause (c), for the words “fifty microns in thickness”, the words, figures, letters and brackets “seventy five microns in thickness with effect from the 30th September, 2021 and one hundred and twenty (120) microns in thickness with effect from the 31st December, 2022” shall be substituted;
 - (iii) in clause (h), after the words, “carry bags”, the words “and commodities” shall be inserted;

- (iv) in clause (h), after the words, “compostable plastic carry bags”, the words “or commodities or both” shall be inserted;
- (v) after clause (i), following clause shall be inserted, namely: -
- “(j) non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM) with effect from the 30th September, 2021.”;
- (b) after sub-rule (1), the following sub-ules shall be inserted, namely:-
- “(2) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-
- (a) ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;
- (b) plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.
- (3) The provisions of sub-rule (2) (b) shall not apply to commodities made of compostable plastic.
- (4) Any notification prohibiting the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheets and multi-layered packaging and single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities, issued after this notification, shall come into force after the expiry of ten years, from the date of its publication”.
5. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1), in clause (d), for the figures “2000”, the figures “2016” shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), after clause (a), following clause shall be inserted, namely: -
- “(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;”.
7. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after clause (a), following clause shall be inserted, namely : -
- “(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;”.
8. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), after the words, “local body concerned”, the words “as per guidelines issued under these rules from time to time” shall be inserted.
9. In rule 11, sub-rule (1), -
- (i) after the words “plastic carry bag”, the words, “plastic packaging” shall be inserted;
- (ii) in clause (a), after the word “manufacturer”, the words “producer or brand-owner” shall be inserted, and after the words “carry bag”, the words “and plastic packaging used by the brand owner” shall be inserted;
- (iii) in clause (b), after the words “multilayered packaging”, the words “excluding multi-layered packaging used for imported goods” shall be inserted;
- (iv) in clause (c), after the words “name and certificate number”, the words “of producer” shall be inserted.
10. In rule 12, -
- (i) in sub-rule (2), after the words “waste generator,” ,the words “restriction or prohibition on” shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (3), after the words “waste generator,” ,the words “restriction or prohibition on” shall be inserted.

11. In rule 13, in sub-rule (1), after the words “Union Territory concerned”, the words “or the Central Pollution Control Board” shall be inserted.

[F. No. 17-2-2001 (Pt)-Part I -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended *vide* notification number GSR 285 (E), dated the 27th March, 2018.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092021-229867
CG-DL-E-22092021-229867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 531]
No. 531]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2021

सा.का.नि. 647(अ).—यतः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में उपाबंध किया गया है कि पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग तत्काल खाने या पीने योग्य खाद्य पदार्थों के भण्डारण, वहन, प्रबंधन या पैकिंग के लिए नहीं किया जाएगा;

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) वह अधिनियम है जिसका उद्देश्य खाद्य से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ता प्रदान करना और खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करना तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करना तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करना है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के तहत नोटिस की आवश्यकता को लोक हित में समाप्त करने के पश्चात्, एतद् द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में, नियम 4 में, उप-नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(ख) पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों का उपयोग तत्काल खाने या पीने योग्य खाद्य पदार्थों के भंडारण, वहन, प्रबंधन या पैकिंग के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के तहत उपयुक्त मानकों और समुचित विनियमन के संबंध में जारी अधिसूचना के अधीन किया जा सकता है;”।

टिप्पण: मूल नियमों को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा किया गया।

[फा.सं. 17/17/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

G.S.R. 647(E).—Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016 were notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016;

Whereas clause (b) of sub-rule (1) of rule 4 of the said rules provides that carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic shall not be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff;

Whereas, Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is an Act to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith or incidental thereto;

Now therefore, in exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules to further amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016, in rule 4, in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

“(b) carry bags made of recycled plastic or products made of recycled plastic can be used for storing, carrying, dispensing, or packaging ready to eat or drink food stuff subject to the notification of appropriate standards and regulation under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) by the Food Safety and Standards Authority of India;”.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R 285 (E), dated the 27th March, 2018 and last amended vide notification number G.S.R. 571 (E), dated the 12th August, 2021.

[F. No. 17/17/2021 -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233568
CG-DL-E-17022022-233568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]
No. 131]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 133(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम (1) में 'इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार' शब्दों के स्थान पर "अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, अनुसूची-I के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-II

(नियम 9 (1) देखें)

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि:

(1.1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मंत्रालय' कहा गया है) ने 18 मार्च 2016 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया था। मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को भी अधिसूचित किया था। चूंकि प्लास्टिक अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का हिस्सा है, इसलिए ये दोनों नियम देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर लागू होते हैं।

(1.2) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को प्लास्टिक अपशिष्ट कम उत्पन्न कम करने, प्लास्टिक अपशिष्ट को न फैलाने, स्रोत पर ही अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने और नियमों के अनुसार अपशिष्ट को सौंपने की आज्ञा देते हैं। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों, खुदरा विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वालों के उत्तरदायित्वों को भी आज्ञापित करते हैं।

(1.3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) डाला है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) पूर्व-उपभोक्ता और पश्च उपभोक्ता के प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट दोनों पर लागू होगा।

(1.4) ये दिशानिर्देश विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड स्वामियों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में दी गई परिभाषाएं इन दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित होने तक लागू होती हैं।

2. प्रभावी होने की तारीख :

ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों से संबंधित चल रही प्रक्रियाओं को इन दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा जाएगा।

3. परिभाषाएं :

(क) "जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक" से कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से भिन्न ऐसा प्लास्टिक अभिप्रेत है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो द्वारा प्रमाणित मानकों का अनुपालन करते हुए कोई भी माइक्रो प्लास्टिक, या दृश्य, विशिष्ट या विषाक्त अवशिष्ट, जिसके प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हों, छोड़े बिना विविनिर्दिष्ट समयावधियों में परिवेशी पर्यावरणीय (स्थलीय या जल में) परिस्थितियों में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण अवक्रमण की प्रक्रिया से होकर गुजरता है;

(ख) "ब्रांड स्वामी" से ऐसा व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्री ब्रांड लेबल या व्यापार चिन्ह से कोई वस्तु बेचता है;

(ग) "कैरी बैग्स" (प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि II के अंतर्गत आने वाले - खंड 5.1 (II)) से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट हो सकने योग्य प्लास्टिक सामग्री से बने बैग अभिप्रेत हैं, जिनका उन वस्तुओं को ले जाने या वितरित करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, जिनमें स्वयं ले जाने की सुविधा होती है, किन्तु इसमें ऐसे बैग शामिल नहीं हैं जो पैकेजिंग का एक अभिन्न अंग हो जिसमें उपयोग करने से पहले माल को सील कर दिया जाता है;

(घ) "समय अवसान होने पर निपटान" से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) या अपशिष्ट से तेल या भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण आदि के लिए उपयोग करना शामिल हैं।

(ड.) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)" से उत्पाद के समय अवसान तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए एक उत्पादक का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(च) "आयातक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद या प्लास्टिक पैकेजिंग या कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के उत्पादों का आयात करता है;

(छ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें एक आवश्यक घटक के रूप में एक उच्च बहुलक होता है जैसे पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थैलेट, उच्च घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइन रेजिन और एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन, पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीब्यूटिलीन टैरेफ्थैलेट जैसी बहु-सामग्री होती हैं;

(ज) "प्लास्टिक पैकेजिंग" से विभिन्न तरीकों से उत्पादों की सुरक्षा, परिरक्षण, भंडारण और परिवहन करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग करके बनायी गई पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत है।

(झ) "प्लास्टिक शीट" से ऐसी प्लास्टिक शीट अभिप्रेत है जो प्लास्टिक से बनी शीट होती है;

(ञ) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता" से ऊर्जा के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा) और इसे तेल (अपशिष्ट से तेल), औद्योगिक कम्पोस्टिंग में परिवर्तित करने में लगे पुनर्चक्रणकर्ता और संस्थाएं अभिप्रेत हैं।

(ट) "पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट" से प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के चरण में रिजेक्ट या डिस्कार्ड के रूप में उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पादक के अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता तक प्लास्टिक पैकेजिंग के पहुंचने से पहले अस्वीकृत करने और फेंकने सहित उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(ठ) "पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट" से अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता द्वारा पैकेजिंग का इच्छित उपयोग पूर्ण होने और अपने आशयित प्रयोजन के लिए और अधिक प्रयोग न किए जाने के पश्चात् उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(ड) "उत्पादक" से कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें पैकेजिंग या वस्तु को लपेटने के लिए पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक शीट या समान सामग्री या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग से बने कवर का उपयोग करने वाले उद्योग या व्यक्ति शामिल हैं;

(ढ) "पुनर्चक्रणकर्ता" वे संस्थाएं हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगी हुई हैं;

(ण) "पुनर्चक्रण" से अलग-अलग प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्चे माल में नए उत्पादों के उत्पादन के लिए बदलने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(त) "पुनः उपयोग" से किसी वस्तु या संसाधन सामग्री का फिर से उसी उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु की संरचना को बदले बिना उपयोग करना अभिप्रेत है;

(थ) "पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग" से वर्जिन प्लास्टिक के बजाय पुनर्चक्रित प्लास्टिक को, विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाना अभिप्रेत है;

(द) "अपशिष्ट प्रबंधन" से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति में प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण, खाद बनाना या निपटान करना अभिप्रेत है;

(ध) "अपशिष्ट से ऊर्जा" से ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) शामिल है।

4. बाध्यकारी इकाइयां

निम्नलिखित ईकाइयों को विस्तारित उत्पादक दायित्वों और इस अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत रखा जाएगा अर्थात्:

- (i) प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (पी);
- (ii) सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातक (आई);
- (iii) ब्रांड स्वामी (बीओ) जिसमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म / मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट / खुदरा श्रृंखला शामिल हैं, जो सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम से भिन्न हैं।
- (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता

5. विस्तारित उत्पादक दायित्व की व्याप्ति

(5.1) निम्नलिखित प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि विस्तारित उत्पादक दायित्व के अंतर्गत आती हैं,

(i) कोटि I

सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग

(ii) कोटि II

सिंगल लेयर या मल्टीलेयर (विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक के साथ एक से अधिक लेयर) की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और प्लास्टिक शीट से बने कवर, कैरी बैग, प्लास्टिक सैशे या पाउच

(iii) कोटि III

मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकेजिंग (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और प्लास्टिक भिन्न अन्य सामग्री की कम से कम एक परत)

(iv) कोटि IV

पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री के साथ-साथ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग।

(5.2) प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक दायित्व दिशानिर्देश में निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् :

- I. पुनः उपयोग
- II. पुनर्चक्रण
- III. पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग
- IV. समय अवसान सीमा होने पर निपटान।

6. रजिस्ट्रीकरण

(6.1) (क) निम्नलिखित संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होंगी :

- (i) उत्पादक (पी)
- (ii) आयातक (आई)
- (iii) ब्रांड स्वामी (बीओ)

- (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करणकर्ता जो (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल बनाने और (iv) औद्योगिक कम्पोस्टिंग के काम में लगे हैं,

(ख) उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामियों (एक या दो राज्यों में काम कर रहे) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक दायित्व पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामियों (दो राज्यों से अधिक में काम कर रहे) का रजिस्ट्रीकरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) इन दिशानिर्देशों के प्रभावी होने के पश्चात् किसी वर्ष विशेष में अपना व्यवसाय शुरू करने और उसी वर्ष में बाजार में अपने उत्पादों को उतारने वाली इकाइयों के संबंध में उनकी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य की बाध्यताएं अगले वर्ष से होंगी।

(6.2) खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना कोई व्यवसाय नहीं करेंगी।

(6.3) खंड (6.1) के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रजिस्ट्रीकृत किसी भी इकाई के साथ काम नहीं करेंगी।

(6.4) ऐसे मामले, जिसमें यह पाया या अभिनिर्धारित किया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किसी इकाई ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दिशानिर्देशों के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराते समय गलत सूचना दी है या जानबूझकर सूचना छिपायी है या विविनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में कोई अनियमितता पायी गई या उनसे विचलन किया गया है, तब ऐसी इकाई का रजिस्ट्रीकरण, सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिसंहत कर दिया जाएगा। इकाइयां, जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहत कर दिया गया है, प्रतिसंहरण की अवधि तक नया रजिस्ट्रीकरण कराने में समर्थ नहीं रहेंगी।

(6.5) यदि कोई संस्था खंड (6.1) में उल्लिखित एक से अधिक उप-कोटि में आती है, तो ऐसी संस्था उन प्रत्येक उप-कोटियों के अधीन अलग से रजिस्ट्रीकृत होगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, जहां संस्था की खंड 6.1 में उल्लिखित एक विशेष उप-कोटि में अलग-अलग राज्यों में इकाइयां हैं, तो इन इकाइयों को भी अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। तथापि, एक राज्य में एक उपकोटि के अधीन केवल एक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता होगी, भले ही, एक राज्य में एक से अधिक इकाइयां स्थित हों। यह रजिस्ट्रीकरण, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकथित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(6.6) रजिस्ट्रीकरण करते समय, संस्थाओं को पैन संख्या, जीएसटी संख्या, कम्पनी का सीआईएन संख्या और आधार संख्या और प्राधिकृत व्यक्ति या प्रतिनिधि के पैन संख्या और यथा अपेक्षित कोई अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य और उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों की बाध्यताएं :

(7.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य कोटि-वार निर्धारित किए जाएंगे

(7.2) उत्पादक (पी)

(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन (पहली तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4 (iii) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा (ग) निम्नानुसार घटाई जाएगी :

$$\text{क्यू 1 (एमटी में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, कोटि-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

सारणी - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य

	वर्ष	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य (पहली तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार)
I.	2021 - 22	25 %
II.	2022 - 23	70 %
III.	2023 - 24	100 %

कोटि-वार मीट्रिक टन में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में उत्पादक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ख) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके पश्चात्
कोटि I	50	60	70	80
कोटि II	30	40	50	60
कोटि III	30	40	50	60
कोटि IV	50	60	70	80

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

(ग) समय अवसान सीमा होने पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे समय अवसान सीमा निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) उत्पादक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में विनिर्मित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके पश्चात्
कोटि I	30	40	50	60
कोटि II	10	10	20	20
कोटि III	5	5	10	10

ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में बाध्यता को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी को ऐसे उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग की अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपने बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

7.3 आयातक (आई)

(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन (दूसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री और/या आयात किए गए उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4(iii) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा में से अपशिष्ट की मात्रा (ग) निम्नानुसार घटाई जाएगी।

$$\text{क्यू 2 (एमटी में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, कोटि-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है, अर्थात् :-

	वर्ष	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य (दूसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार)
I.	2021 - 22	25 %
II.	2022 - 23	70 %
III.	2023 - 24	100 %

मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में आयातक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ख) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

आयातक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा निपटान को छोड़कर)
(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके पश्चात् से
कोटि I	50	60	70	80
कोटि II	30	40	50	60
कोटि III	30	40	50	60
कोटि IV	50	60	70	80

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

(ग) समय अवसान सीमा पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे मियाद समाप्ति निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) उत्पादक, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में आयातित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके पश्चात्
कोटि I	30	40	50	60
कोटि II	10	10	20	20
कोटि III	5	5	10	10

आयातित सामग्री में प्रयुक्त किसी भी पुनर्चक्रित प्लास्टिक को दायित्व की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा। आयातक को ऐसे उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग के अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपनी बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का

उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

7.4 ब्रांड स्वामी (बीओ)

(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन में (तीसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बाजार में खरीदी और पेश की गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (कोटि-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में उपभोक्ता पूर्व प्लास्टिक पैकेजिंग की (ख) औसत मात्रा निम्नानुसार जोड़ी जाएगी।

क्यू 3 (एमटी में) = क + ख

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, कोटि-वार नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

	वर्ष	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य (तीसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - कोटि-वार)
I.	2021 - 22	25 %
II.	2022 - 23	70 %
III.	2023 - 24	100 %

मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में ब्रांड स्वामी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(ख) पुनः उपयोग के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 4 और 5 देखें)

I. अपने उत्पादों के लिए कोटि I (सख्त) प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाले ब्रांड स्वामी पर नीचे दिए गए अनुसार ऐसी पैकेजिंग का पुनः उपयोग करने की न्यूनतम बाध्यता होगी।

परंतु कि फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशन में कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः प्रयोग भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के विनियमन के अधीन होगा।

(II) कोटि I (सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग) के लिए पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम बाध्यता।

	वर्ष	लक्ष्य (वर्ष में बेचे जाने वाले उत्पाद में कोटि I के सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में)
क	कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग यथास्थिति, जिसकी मात्रा या वजन 0.9 लीटर या किग्रा के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किग्रा से कम हो।	
I.	2025 - 26	10
II.	2026 - 27	15
III.	2027 - 28	20
IV.	2028 - 29 और उसके पश्चात्	25

ख	कोटि I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका वजन 4.9 लीटर या किग्रा से अधिक या बराबर है।	
I.	2025 – 26	70
II.	2026 – 27	75
III.	2027 – 28	80
IV.	2028 – 29 और उसके पश्चात्	85

(III) ब्रांड स्वामी द्वारा पुनः उपयोग की जाने वाली सख्त पैकेजिंग की मात्रा की गणना ब्रांड स्वामी की बिक्री से उस वर्ष में निर्मित/आयातित/खरीदी गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करके की जाएगी। ब्रांड स्वामी यह जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।

(IV) कोटि I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की पुनः उपयोग की मात्रा को बाध्य संस्थाओं (ब्रांड स्वामी) द्वारा कोटि I के अधीन उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम किया जाएगा।

III. वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान पुनः उपयोग की गई कोटि I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की मात्रा कोटि I के अधीन उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम हो जाएगी।

(ग) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

ब्रांड स्वामी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर किए गए निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (समय अवसान सीमा होने पर किए गए निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके पश्चात्
कोटि I	50	60	70	80
कोटि II	30	40	50	60
कोटि III	30	40	50	60
कोटि IV	50	60	70	80

कोटि IV प्लास्टिक पैकेजिंग कोटि (पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग) के मामले में पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर से, औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं के माध्यम से कम्पोस्टिंग के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना अभिप्रेत है।

(घ) समय अवसान सीमा पर निपटान (उपाबंध में उदाहरण 1 से 3 देखें)

(i) केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे समय अवसान सीमा निपटान के लिए समय-समय पर भारतीय सड़क कांग्रेस अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार भेजा जाएगा।

(ii) ब्रांड स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 5(1)(ख) में विनिर्दिष्ट तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो।

(ड) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए दायित्व (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)

(i) ब्रांड स्वामी कोटि-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग नीचे दिए अनुसार सुनिश्चित करेगा।
प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का आज्ञापक उपयोग

(वर्ष में विनिर्मित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की कोटि	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके पश्चात्
कोटि I	30	40	50	60
कोटि II	10	10	20	20
कोटि III	5	5	10	10

(ii) ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में बाध्यता को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी को ऐसे उत्पादक आयातक ब्रांड स्वामी से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक निबंधनों में) के उपयोग की अपनी बाध्यता को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपनी बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(iii) ऐसे मामले में, जहां ब्रांड स्वामी प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का उत्पादक और/या आयातक भी है, तो खंड 7.2 और 7.3 भी क्रमशः उत्पादक और/या आयातक के रूप में उनके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्यों और बाध्यताओं को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे।

(7.5) मीट्रिक टन में कोटि-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, सभी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

(7.6) विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर पुनः उपयोग, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग की बाध्यताओं का पुनर्विलोकन प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाएगा।

(7.7) प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा देगा :

(i) पुनः उपयोग को बढ़ावा देने वाली पैकेज डिजाइनिंग,

(ii) पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त पैकेज डिजाइनिंग,

(iii) प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री में पुनर्चक्रित प्लास्टिक मात्रा और (iv) पर्यावरण के लिए पैकेज डिजाइनिंग।

(7.8) यदि बाध्य संस्था ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करती है जो परिवेशी वातावरण में 100% जैव अपघटनीय है, और उसका स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई सूक्ष्म प्लास्टिक या रासायनिक अवशेष या कोई भी अन्य निशान नहीं रहता है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, केन्द्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित है। ऐसी सामग्री के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य लागू नहीं होगा।

8. अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को बनाना, पिछले वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों और दायित्वों की तुलना में अग्रेषित और मुजरा करना, और अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद करना

(8.1) ऐसा ब्रांड स्वामी जिसने अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (विस्तारित उत्पादक) लक्ष्यों को कोटि-वार पूरा कर लिया है, निम्नलिखित के लिए अधिशेष का उपयोग कर सकता है, अर्थात् :-

- (i) खंड 9.5 के अधीन पिछले वर्ष की कमी की मुजराई,
- (ii) आगामी वर्ष में उपयोग के लिए अग्रेषित करना
- (iii) इसे अन्य उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों को बेचना

(8.2) एक कोटि में अधिशेष का उपयोग केवल उसी कोटि में मुजराई, अग्रेषण और बिक्री के लिए किया जा सकता है। पुनः उपयोग के अंतर्गत अधिशेष का उपयोग पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और समय अवसान सीमा होने पर निपटान के लिए उपरोक्त के लिए किया जा सकता है। पुनर्चक्रण के अंतर्गत अधिशेष का उपयोग पुनर्चक्रण और समय अवसान सीमा होने पर निपटान के लिए किया जा सकता है। समय अवसान सीमा होने वाले किसी अधिशेष का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(8.3) कोई उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी उसी कोटि के अन्य उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों से अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदकर एक कोटि के अधीन अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को भी पूरा कर सकता है।

(8.4) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अंतर्गत वार्षिक विवरणी फाइल करते समय ऐसे संव्यवहार को उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अभिलिखित और प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीकृत पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

9. पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण

(9.1) पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के प्रयोजन के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा ईपीआर लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के संबंध में 'प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान' के सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की जाएगी।

(9.2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिशानिर्देशों में संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निर्धारित बाध्यताओं को पूरा न करने के मामले में उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और मियाद समाप्ति निपटान करने वाले प्रसंस्करणकर्ता पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधिरोपण और संग्रहण के लिए दिशानिर्देश अधिकथित करेगा और इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधी दिशानिर्देशों को अपेक्षित अनुसार अद्यतन किया जाएगा।

(9.3) इन दिशानिर्देशों में संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा न करने के संबंध में दो से अधिक राज्यों में संचालित उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति, यथा लागू, उद्गृहीत की जाएगी।

(9.4) पर्यावरण क्षतिपूर्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनकी अधिकारिता में काम कर रहे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (दो से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता जिसमें पुनर्चक्रणकर्ता और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता - अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं पर उस स्थिति में लगाया जाएगा, जब वे इन दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित किए गए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्यों/उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उचित समय पर कार्रवाई नहीं करती है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश जारी करेगा।

(9.5) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के भुगतान से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक इन दिशानिर्देशों में निर्धारित बाध्यता से मुक्त नहीं होगा। किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता अगले वर्ष के लिए तीन वर्ष

की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को पश्चात्वर्ती के वर्षों के भीतर तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाता है। लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को निम्नानुसार वापस कर दी जाएगी, अर्थात् :-

- (i) इसी लगाने के एक वर्ष के भीतर : 75% रिटर्न
- (ii) दो वर्ष के भीतर 60% रिटर्न
- (iii) तीन वर्ष के भीतर 40% रिटर्न

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के देय होने पर 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात् पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की पूरी रकम अभिग्रहण कर ली जाएगी। यह व्यवस्था पश्चात्वर्ती वर्षों में भी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण की अनुमति देगी।

(9.6) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्र की गई निधि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। एकत्र की गई निधि का उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के असंग्रहीत और गैर-पुनर्चक्रित या मियाद समाप्ति निपटान के संग्रहण और पुनर्चक्रण/मियाद समाप्ति में उपयोग किया जाएगा, जिस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वार्षिक आधार पर निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों की सिफारिश विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी और इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

10. उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की भूमिका

(10.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा।

(10.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य, श्रेणी-वार जहां लागू हो, पर जानकारी युक्त कार्य योजना प्रदान करेगा। यह कार्य योजना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण की अवधि को कवर करेगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और कार्य योजना प्रोफॉर्मा इन दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा।

(10.3) खंड 4(iii) के अधीन आने वाला ब्रांड मालिक किसी उत्पादक और/या आयातक से खरीदी गई प्लास्टिक पैकेजिंग का विवरण खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन अलग से प्रदान करेगा। ब्रांड मालिक पर लागू होने वाला खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन आने वाले प्रत्येक उत्पादक और आयातक के लिए मात्रा को उत्पादक और आयातक की बाध्यता से घटाया जाएगा। ब्रांड मालिक द्वारा खरीदी गई श्रेणी-वार मात्रा सहित ऐसी खरीद का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा।

(10.4) खंड 4(i) और 4(ii) के अधीन आने वाले उत्पादक और आयातक खंड 4(iii) के अधीन आने वाले ब्रांड मालिक को उपलब्ध कराई गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। श्रेणीवार विक्रीत मात्रा सहित ऐसे विक्रय का रिकॉर्ड उत्पादक और आयातक द्वारा अलग-अलग रखा जाएगा। यदि ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते हैं, तो उन्हें पूरा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता पूरा करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के बीच संव्यवहार की घोषणा को क्रॉस-चेक करेगा।

(10.5) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्याताओं को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट धारा विकसित करने के लिए, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक जमा

वापसी प्रणाली या पुनः खरीद (बाय बैक) या कोई अन्य मॉडल जैसी योजना संचालित कर सकता है। यह कदम प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाने से रोकेगा।

(10.6) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून (अप्रैल-विलोपित) तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित प्रोफार्मा के अनुसार संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए एकत्र और प्रसंस्कृत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनः उपयोग और/या पुनर्चक्रित सामग्री के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। उन रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण भी दिया जाएगा जिनसे पुनर्चक्रित प्लास्टिक की खरीद की गई है।

11. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिका (औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाओं सहित पुनर्चक्रणकर्ता या अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता) :

(11.1) सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध 13(3) के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन के तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

(11.2) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर विहित प्रोफार्मा के अनुसार प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा की श्रेणी-वार वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

(11.3) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत और उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक की प्लास्टिक अपशिष्ट की कुल मात्रा, वार्षिक आधार पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(11.4) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी झूठी है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे के अधीन संचालन से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(11.5) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग के मामले को छोड़कर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। ऐसे मामले में जहां सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित प्रोफार्मा में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यताओं को पूरा करने के लिए केवल रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(11.6) प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा। किसी भी मामले में, उद्यम द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा उद्यम की स्थापित क्षमता से अधिक नहीं होगी। प्रमाण पत्र प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी-वार होंगे और इसमें उद्यम का जीएसटी डेटा सम्मिलित होगा।

(11.7) रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक या स्थानीय अधिकारियों के नाम पर, जैसा लागू हो, सहमत तौर-तरीकों के आधार पर होना चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऐसे प्रमाण पत्र को केंद्रीकृत पोर्टल पर जारी करने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(11.8) प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मियाद समाप्ति पर निपटान अर्थात् अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टे (सह प्रसंस्करण) का कार्य करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर वार्षिक आधार पर विहित प्रोफॉर्मा के अनुसार जानकारी प्रदान करेंगे। ये संस्थाएं पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ रीति से नियामक निकायों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, सुसंगत नियमों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करेंगी।

12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका

(12.1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दो से अधिक राज्यों में काम कर रहे उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अधीन पीआईबीओ के रजिस्ट्रीकृत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विहित करेगा।

(12.2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही के लिए फीस और विवरणी की कार्यवाही के लिए वार्षिक फीस ले सकता है। ऐसे मामले में, जहां उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की अधिकारिता में काम कर रहे हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रकार तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ आवेदन फीस साझा कर सकता है।

(12.3) रजिस्ट्रीकरण, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा ऑनलाइन पूर्ण आवेदन जमा करने के दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण की अवधि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार होगी।

(12.4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामनिर्दिष्ट अभिकरण, जैसा भी उचित समझा जाएगा, के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के अनुपालन का सत्यापन करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवश्यकतानुसार, निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के अनुपालन का सत्यापन भी कर सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काम करने वाले पीआईबीओ के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि आवश्यक हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। (12.5)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक की सूची प्रकाशित करेगा जो अगले वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर तक वार्षिक आधार पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य और बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं।

(12.6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं की पूर्ति में अंतर्वलित पणधारियों के मध्य नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

(12.7) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्रित मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगा।

(12.8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशेष रूप से खंड 7.6 के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों की समीक्षा करेगा।

13. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की भूमिका

(13.1) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (एक या दो राज्यों में कार्यरत) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी। रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, स्वयं या नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार अपनी अधिकारिता में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के अनुपालन को सत्यापित करती है।

(13.2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, उन संस्थाओं (अपवाद रिपोर्ट) की सूची प्रस्तुत करेगा जिन्होंने वार्षिक आधार पर अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति अपनी अधिकारिता में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी और उसे ऑनलाइन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(13.3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को पूरा करने में अंतर्वर्तित सुसंगत पणधारियों के मध्य नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी।

(13.4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के अंश का अवधारण करने के लिए एकत्र किए गए मिश्रित नगरीय अपशिष्ट का एक संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगी।

14. उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली

(14.1) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यताओं को पूरा करते हुए प्लास्टिक की श्रेणी के आधार पर आवश्यकतानुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण के बुनियादी ढांचे का विकास कर सकता है। इसमें उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक द्वारा अपनाए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के आधार पर निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं:

- (क) अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रहण केन्द्रों और सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित करना;
- (ख) संग्रहण केन्द्रों से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करना, इसमें ऐसी आवृत्ति होनी चाहिए जो आच्छादित किए गए क्षेत्र और मात्रा के अनुपात में है;
- (ग) यूएलबी, ग्राम पंचायतों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले तीसरे पक्ष जैसी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रहण की पेशकश करना, और उन सभी संस्थाओं से संग्रहण के लिए व्यवस्था प्रदान करना जिन्होंने उस प्रस्ताव का उपयोग किया है; संग्रहण और परिवहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण केन्द्रों से एकत्र किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पश्चात्कर्ता किसी पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा एक रजिस्ट्रीकृत सुविधा में पुनर्चक्रण के अधीन किया जाता है या सम्मानजनक रीति से इसके अंतिम उपयोग की अनुमति दी जाती है।

(14.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक यह सुनिश्चित करें कि संग्रहण केन्द्रों का नेटवर्क जनसंख्या के आकार, प्लास्टिक या पैकेजिंग अपशिष्ट की अपेक्षित मात्रा, पहुंच और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा जहां संग्रहण और पश्चात् का प्रबंधन लाभदायक है।

(14.3) अपशिष्ट संग्रहण में अंतर्वर्तित संस्थाएं अपशिष्ट को शोधन और पुनर्चक्रण या पहचान किए गए अंतिम उपयोग हेतु सौंप देंगी।

(14.4) स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्रों की भागीदारी - स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्र प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को उनके शोधन और पुनर्चक्रण या उनके पहचाने गए अंतिम उपयोग की दृष्टि से पीआईबीओ या उनकी ओर से कार्य करने वाली तृतीय पक्ष अभिकरणों को सौंप देंगे।

15. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दायित्वों की पूर्ति

उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक को ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक मियाद समाप्ति के लिए भेजी गई मात्रा के विवरण के साथ केवल रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से प्राप्त पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक और रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरण की ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जांच की जाएगी। अंतर के मामले में, उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यता को पूरा करने के लिए निचले/कम आंकड़े पर विचार किया जाएगा। ऐसे प्रमाणपत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, यथास्थिति, द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे।

16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल

(16.1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पादक, आयातक रजिस्ट्रीकरण और ब्रांड मालिक, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ तारीख 31 मार्च 2022 तक विवरणियां (त्रैमासिक या वार्षिक) दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली तंत्र स्थापित करेगा:-

(16.2) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, प्लास्टिक पैकेजिंग के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ विवरणियां (त्रैमासिक/वार्षिक) दाखिल करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गई ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा ऐसा कार्य तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के विनिर्माता और पीआईबीओ द्वारा बाजार में लाए गए प्लास्टिक पैकेजिंग का सामग्री संतुलन परिलक्षित होता है। यह पीआईबीओ और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं/अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की लेखा परीक्षा के बारे में विवरण भी दिखलाएगा।

(16.3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति भी पीआईबीओ के रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ पुनर्चक्रणकर्ताओं/अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक ही वेब पोर्टल का उपयोग करेंगी। यह वेब पोर्टल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और दिशानिर्देशों के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा। पीआईबीओ, यदि वे चाहें, तो ऑनलाइन वेब पोर्टल या प्लेटफॉर्म के विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(16.3) ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित होने तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को ऑफलाइन रीति से संचालित किया जाएगा।

17. निगरानी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उत्पादक सम्मिलित हैं) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अधीन गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भी प्रस्तुत की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्चक्रण/मियाद समाप्ति के निपटान के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगले वर्ष की 31 जुलाई तक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

18. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के लिए समिति

(18.1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देशों में संशोधन सहित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपायों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी। इस समिति को ऑनलाइन पोर्टल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का कार्य भी सौंपा जाएगा, जिसमें अपेक्षित प्ररूपों/प्रोफॉर्मों को अनुमोदित देना भी सम्मिलित है।

(18.2) इस समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि जैसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां, केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट), राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) और तीन औद्योगिक संघों, समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किए गए अनुसार कोई भी अन्य आमंत्रित व्यक्ति सम्मिलित होंगे।

उपाबंध

खंड 7 के उदाहरण

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्य और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर [खंड 7.2 (क), (ख) और (ग), खंड 7.3 (क), (ख) और (ग), और खंड 7.4 (क), (ख) और (ग) देखें]

उदाहरण 1 :

वर्ष 2022-23	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
70% की दर से ईपीआर लक्ष्य	70 मीट्रिक टन
ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर की दर से कोई सीमा विहित नहीं है	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए और पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा और ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए उपयोग की गई मात्रा

उदाहरण 2 :

वर्ष 2024-25	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
100% की दर से ईपीआर लक्ष्य	100 मीट्रिक टन
ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर 30 प्रतिशत की दर से	ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए कम से कम 30 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है। एकत्रित किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 70 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

उदाहरण 3 :

वर्ष 2028-29	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
100% की दर से ईपीआर लक्ष्य	100 मीट्रिक टन
ईपीआर के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर 60 प्रतिशत की दर से	ईपीआर के अधीन एकत्र किए गए कम से कम 60 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है। एकत्रित किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 40 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

पुनः उपयोग

[खंड 7.4 (ख) का संदर्भ लें]

उदाहरण 4 :

वर्ष 2025-26 (पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम बाध्यता लागू होती है)	
बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग की मात्रा 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन या आयतन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम	15 मीट्रिक टन (पुनः उपयोग 15% की दर से पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम दायित्व 10%)
पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (क)	85 मीट्रिक टन

(क) के 100% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य	85 मीट्रिक टन
60% की दर से ईपीआर के अधीन एकत्रित श्रेणी I प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर	ईपीआर के अधीन एकत्रित किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के न्यूनतम 51 मीट्रिक टन को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है। एकत्रित किए गए अधिकतम 34 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

उदाहरण 5 :

2022-23 के लिए	
बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनः उपयोग की मात्रा या 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन या आयतन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम	10 मीट्रिक टन
पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (क)	90 मीट्रिक टन
(क) के 35% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य	31.5 मीट्रिक टन

पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग**[खंड 7.2 (घ), 7.3 (घ) का संदर्भ लें]**

उदाहरण 6 :

वर्ष 2025-26	
बाजार में श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग पेश की गई (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 मीट्रिक टन
खण्ड 5.1 के अनुसार ईपीआर लक्ष्य 100% की दर से	100 मीट्रिक टन
पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक की न्यूनतम मात्रा 10% की दर से	पैकेजिंग में 10 मीट्रिक टन प्लास्टिक सामग्री को पुनर्चक्रित प्लास्टिक होना चाहिए। पैकेजिंग में 90 मीट्रिक टन वर्जिन प्लास्टिक सामग्री

[फा. सं. 17/2/2001-पार्ट I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) सा.का.नि. 320 (अ) दिनांक 18 मार्च, 2016 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 285 (अ) दिनांक 27 मार्च, 2018, सा.का.नि. 571 (अ) दिनांक 12 अगस्त 2021 और सा.का.नि. 647 (अ) दिनांक 17 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2022

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), for the words “as per guidelines issued under these rules from time to time”, the words “as per guidelines specified in SCHEDULE – II” shall substituted.
3. In the said rules, after SCHEDULE – I, the following Schedule shall be inserted namely:-

‘SCHEDULE-II*[See Rule 9 (1)]***Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging****1. Background:**

(1.1) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), (hereinafter referred to as ‘The Ministry’), notified the Plastic Waste Management Rules, 2016 on 18th March, 2016. The Ministry also notified the Solid Waste Management Rules, 2016 on 8th April, 2016. As plastic waste is part of solid waste, therefore, both the rules apply to managing plastic waste in the country.

(1.2) The Plastic Waste Management Rules, 2016, mandate the generators of plastic waste to take steps to minimize generation of plastic waste, not to litter the plastic waste, ensure segregated storage of waste at source and hand over segregated waste in accordance with rules. The rules also mandate the responsibilities of local bodies, gram panchayats, waste generators, retailers and street vendors to manage plastic waste. (1.3) The Plastic Waste Management Rules, 2016 cast Extended Producer Responsibility on Producer, Importer, and Brand Owner. Extended Producer Responsibility shall be applicable to both pre-consumer and post-consumer plastic packaging waste. (1.4) These guidelines provides framework for implementation of Extended Producer Responsibility. The Guidelines provide the roles and responsibilities of Producers, Importers, Brand Owners, Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board or Pollution Control Committees, recyclers and waste processors for effective implementation of Extended Producer Responsibility. The definitions given in Plastic Waste Management Rules, 2016, apply until, specifically mentioned in these guidelines;

2. Date of Coming into Effect:

These guidelines shall come into force with immediate effect. The on-going processes related to Extended Producer Responsibility obligations will be aligned with these guidelines.

3. Definitions:

(a) “**Biodegradable plastics**” means that plastics, other than compostable plastics, which undergoes complete degradation by biological processes under ambient environment (terrestrial or in water) conditions, in specified time periods, without leaving any micro plastics, or visible, distinguishable or toxic residue, which have adverse environment impacts, adhering to laid down standards of Bureau of Indian Standards and certified by Central Pollution Control Board.

(b) “**Brand Owner**” means a person or company who sells any commodity under a registered brand label or trade mark;

(c) “**Carry Bags**” (covered under Category II of plastic packaging – Clause (5.1) (II)) means bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use ;

(d) “**End of Life disposal**” means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns) or waste to oil or for road construction as per Indian Road Congress guidelines, etc;

(e) “**Extended Producer Responsibility**” means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;

- (f) **“Importer”** means a person who imports plastic packaging product or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like;
- (g) **“Plastic”** means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, polybutylene terephthalate;
- (h) **“Plastic Packaging”** means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing and transporting of products in a variety of ways.
- (i) **“Plastic Sheet”** means plastic sheet is the sheet made of plastic;
- (j) **“Plastic Waste Processors”** means recyclers and entities engaged in using plastic waste for energy (waste to energy), and converting it to oil (waste to oil), industrial composting.
- (k) **“Pre-consumer plastic packaging waste”** means plastic packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of plastic packaging and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the plastic packaging reaches the end-use consumer of the product.
- (l) **“Post-consumer plastic packaging waste”** means plastic packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose.
- (m) **“Producer”** means person engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;
- (n) **“Recyclers”** are entities who are engaged in the process of recycling of plastic waste;
- (o) **“Recycling”** means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;
- (p) **“Reuse”** means using an object or resource material again for either the same purpose or another purpose without changing the object's structure;
- (q) **“Use of recycled plastic”** means recycled plastic, instead of virgin plastic, is used as raw material in the manufacturing process;
- (r) **“Waste Management”** means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally sound manner;
- (s) **“Waste to Energy”** means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns).

4. Obligated Entities:

The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations and provisions of these guidelines namely: -

- (i) Producer (P) of plastic packaging;
- (ii) Importer (I) of all imported plastic packaging and / or plastic packaging of imported products;
- (iii) Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.;
- (iv) Plastic Waste Processors

5. Coverage of Extended Producer Responsibility:

(5.1) The following plastic packaging categories are covers under Extended Producer Responsibility:

(i) Category I

Rigid plastic packaging;

(ii) Category II

Flexible plastic packaging of single layer or multilayer (more than one layer with different types of plastic), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags, plastic sachet or pouches;

(iii) Category III

Multilayered plastic packaging (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic);

(iv) **Category IV**

Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags made of compostable plastics.

(5.2) The Extended Producer Responsibility Guidelines covers the following with respect to plastic packaging namely: -

- (i) Reuse;
- (ii) Recycling;
- (iii) Use of recycled plastic content;
- (iv) End of life disposal.

6. Registration:

(6.1) (a) The following entities shall register on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board namely: -

- (i) Producer (P);
- (ii) Importer (I);
- (iii) Brand owner (BO);
- (iv) Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (iv) industrial composting,

(b) Registration of Producers, Importers & Brand-Owners (operating in one or two states) and Plastic Waste processors shall be done by State Pollution Control Board or Pollution Control Committee through the centralized Extended Producer Responsibility portal developed by Central Pollution Control Board.

(c) After these guidelines have come into effect, with respect to, entities starting their business in a particular year and placing their products in market in that year, they shall have Extended Producer Responsibility target obligations from the next year.

(6.2) The entities covered under clause 6.1 shall not carry any business without registration obtained through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(6.3) The entities covered under clause (6.1) shall not deal with any entity not registered through on-line centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(6.4) In case, it is found or determined that any entity registered on the on-line portal has provided false information or has willfully concealed information or there is any irregularity or deviation from the conditions stipulated while obtaining registration under Extended Producer Responsibility guidelines, then the registration of such an entity would be revoked for a one -year period after giving an opportunity to be heard. The entities whose registration has been revoked shall not be able to register afresh for the period of revocation.

(6.5) In case any entity falls in more than one sub-category mentioned in the clause (6.1) then the entity shall register under each of those sub-categories separately. Further, in cases, where the entity has units in different states, in a particular sub-category mentioned in clause 6.1, then these units shall also be registered separately. However, only one registration under a sub category in a state would be needed, even if, more than one unit are located in a state. The registration shall be as per Standard Operating Procedure laid down by Central Pollution Control Board for the purpose, as per these Guidelines.

(6.6) While registering, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number of the company and Aadhar Number and PAN Number of authorized person or representative and any other necessary information as required.

7. Targets for Extended Producer Responsibility and obligations of Producers, Importers & Brand-Owners:

(7.1) The Extended Producer Responsibility targets for the Producers, Importers & Brand-Owners shall be determined category-wise.

(7.2) Producer (P):

(a) Extended Producer Responsibility target (Refer example 1 to 3 in Annexure):

Eligible Quantity in MT (Q 1) shall be the average weight of plastic packaging material (category-wise) sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging waste in the last two financial years (B) minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial year as under: -

$$Q 1 \text{ (in MT)} = (A + B) -$$

and the Extended Producer Responsibility target shall be determined category-wise , as given below

Extended Producer Responsibility target

	Year	Extended Producer Responsibility target (as a percentage of Q1 - category-wise)
I	2021 - 22	25 %
II	2022 - 23	70 %
III	2023 - 24	100 %

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Producer, as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure):

The Producer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility Target, category-wise, as given below namely: -

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste
(% of Extended Producer Responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60
Category IV	50	60	70	80

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

(c) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure):

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, cement kilns (for co processing) etc. as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The producers shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in Rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016,

(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)

The Producer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below namely: -

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging
(% of plastic manufactured for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis. However, in such cases, the Producers, Importers & Brand-Owners will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

7.3 Importer (I):

(a) Extended Producer Responsibility Target (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Eligible Quantity in MT (Q 2) shall be the average weight of all plastic packaging material and / or plastic packaging of imported products (category-wise) imported and sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging in the last two financial years (B) waste minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial years as under: -

$$Q 2 \text{ (in MT)} = (A + B) - C$$

and the Extended Producer Responsibility target shall be determined, category-wise, as given below namely: -

	Year	Extended Producer Responsibility target (as a percentage of Q 2 - category-wise)
I	2021 - 22	25 %
II	2022 - 23	70 %
III	2023 - 24	100 %

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Importer as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure)

The Importer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under extended producer responsibility Target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste
(% of extended producer responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60
Category IV	50	60	70	80

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

(c) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure)

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The importer shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended.

(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)

The Importer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below.

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of imported plastic for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

Any recycled plastic used in imported material shall not be counted towards fulfilment of obligation. The importer will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

7.4 Brand Owner (BO):

a) Extended Producer Responsibility target (refer examples 1 to 3 in Annexure)

Eligible Quantity in MT (Q 3) shall be the average weight of virgin plastic packaging material (category-wise) purchased and introduced in market in the last two financial years (A) plus average quantity of (B) of pre-consumer plastic packaging in the last two financial years as under: -

$$Q\ 3\ (\text{in MT}) = A + B$$

The Extended Producer Responsibility target shall be determined, category-wise, as given below namely: -

	Year	Extended Producer Responsibility Target (as a percentage of Q3 - category-wise)
I	2021 - 22	25 %
II	2022 - 23	70 %
III	2023 - 24	100 %

The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by Brand Owner as part of the Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(b) Obligation for reuse (refer examples 4 and 5 in Annexure):

I. The Brand Owner using Category I (rigid) plastic packaging for their products shall have minimum obligation to reuse such packaging as given below: -

Provided that the reuse of Category I rigid plastic packaging in food contact applications shall be subject to regulation of Food Safety and Standards Authority of India.

(II) Minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging).

	Year	Target (as percentage of Category I rigid plastic packaging in products sold annually)

A	Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 liter or kg but less than 4.9 litres or kg, as the case may be	
I	2025 – 26	10
II	2026 – 27	15
III	2027-28	20
IV	2028-29 and onwards	25
B	Category I rigid plastic packaging with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg.	
I	2025 – 26	70
II	2026 – 27	75
III	2027-28	80
IV	2028-29 and onwards	85

(III) The quantity of rigid packaging reused by brand Owner shall be calculated by reducing virgin plastic packaging manufactured/imported/purchased in that year from the sales of the Brand Owner. The brand owner shall provide this information on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(IV) The quantity of Category I rigid plastic packaging reused shall be reduced from the total plastic packaging used under Category I by the obligated entities (Brand Owners).

III. The quantity of Category I rigid plastic packaging reused during the year 2022 – 2023 and 2023-2024, shall be reduced from the total plastic packaging used under Category I.

(c) Obligation for recycling (refer examples 1 to 3 in Annexure):

The Brand Owner shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste
(% of Extended Producer Responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60
Category IV	50	60	70	80

In case of Category IV plastic packaging category (plastic sheet or like used for packaging and carry bags made of compostable plastics), the minimum level of recycling means processing plastic packaging waste for composting through industrial composting facilities.

(d) End of life disposal (refer examples 1 to 3 in Annexure)

(i) Only those plastics, which cannot be recycled will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress or Central Pollution Control Board from time to time.

(ii) The Brand Owner shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies specified in rule 5 (1) (b) of the Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended.

(e) Obligation for use of recycled plastic content (refer examples 6 in Annexure)

(i) The Brand Owner shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging, category-wise, as given below namely:

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of manufactured plastic for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

(ii) In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by Central Pollution Control Board on case-to-case basis. However, in such cases, the Producers, Importers & Brand-Owners will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers & Brand-Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

(iii) In case, where Brand Owner is also Producer and/or Importer of plastic packaging material, the clause 7.2 and 7.3 shall also apply for determining their Extended Producer Responsibility targets and obligations as Producer and /or Importer, respectively.

(7.5) The Extended Producer Responsibility target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by all Producers, Importers & Brand-Owners as part of Action Plan on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(7.6) The obligations for reuse, recycling of waste and use of recycled plastic content in packaging shall be reviewed every five years based upon available technologies for meeting the Targets specified.

(7.7) Extended Producer Responsibility on plastic packaging will promote sustainable packaging, as per guidelines prepared by Central Pollution Control Board, inter alia based on the following criteria,

(i) package designing promoting reuse;

(ii) package designing amenable for recycling;

(iii) recycled plastic content in plastic packaging material and; (iv) package designing for environment.

(7.8) In case, the obligated entity utilizes plastic packaging which is 100% biodegradable in the ambient environment leaving no traces of micro plastics or chemical residue or any other traces having adverse environmental and health impacts as certified by regulatory entities Central Pollution Control Board, Bureau of Indian Standards, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology, the Extended Producer Responsibility target will not be applicable for such material.

8. Generation of surplus Extended Producer Responsibility certificates, carry forward and offsetting against previous year Extended Producer Responsibility targets and obligations, and sale and purchase of surplus Extended Producer Responsibility certificates:

(8.1) A Brand Owner who has fulfilled their Extended Producer Responsibility targets, category-wise, can use the surplus for the following namely: -

(i) Off setting previous year shortfall subject to clause 9.5;

(ii) Carry forward for use in succeeding year;

(iii) Sell it to other Producers, Importers & Brand-Owners.

(8.2) Surplus in one category can only be used for off-setting, carry forward and sale in the same category. A surplus under reuse can be used for against reuse, recycling and also end of life disposal. A surplus under recycling can be used for recycling and end of life disposal. A surplus under end of life disposal cannot be used for reuse or recycle.

(8.3) Producers, Importers & Brand-Owners can also meet their Extended Producer Responsibility obligations under a category by purchasing surplus Extended Producer Responsibility certificates from other Producers, Importers & Brand-Owners of the same category.

(8.4) Such transactions shall be recorded and submitted by the Producers, Importers & Brand-Owners on the online portal while filing annual returns under the Extended Producer Responsibility framework. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized portal.

9. Imposition of Environmental Compensation:

(9.1) Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle, with respect to non-fulfilment of Extended Producer Responsibility targets by Producers, Importers &

Brand Owners, for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environment pollution .

(9.2) Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on Producers, Importers & Brand-Owners, recyclers and end of life processors, in case of non-fulfilment of obligations set out in these guidelines, and the same shall be notified. The Guidelines for Environmental Compensation shall be updated, as required.

(9.3) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by Central Pollution Control Board on the Producers, Importers & Brand-Owners operating in more than two states with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets, responsibilities and obligations in these guidelines.

(9.4) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by respective State Pollution Control Board on the Producers, Importers & Brand-Owners operating in their jurisdiction (for Producers, Importers & Brand-Owners not operating in more than two states/Union Territory's), Plastic Waste Processors which includes recyclers and other waste processors – waste to energy, waste to oil, co-processors, with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets or responsibilities and obligations set out under these guidelines. In case, the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee does not take action in reasonable time, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board /Pollution Control Committee.

(9.5) Payment of environmental compensation shall not absolve the Producers, Importers & Brand-Owners of the obligations set out in these guidelines. The unfulfilled Extended Producer Responsibility obligations for a particular year will be carried forward to the next year for a period of three years. In case, the shortfall of Extended Producer Responsibility obligation is addressed within three years. The environmental compensation levied shall be returned to the Producers, Importers & Brand-Owners as given below, namely

- (i) Within one year of levying of EC: 75% return;
- (ii) Within two years 60% return;
- (iii) Within three years 40% return,

After completion of three years on environmental compensation getting due the entire environmental compensation amount shall be forfeited. This arrangement shall allow for collection and recycling of plastic packaging waste by Producers, Importers & Brand-Owners in later years as well.

(9.6) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee. The funds collected shall be utilized in collection, recycling and end of life disposal of uncollected and non-recycled or non- end of life disposal of plastic packaging waste, on which the environmental compensation is levied. Modalities for utilization of the funds for plastic waste management on an annual basis would be recommended by the Committee for Extended Producer Responsibility implementation and approved by the Competent Authority in the Ministry.

10. Role of Producers, Importers & Brand-Owners:

(10.1) The Producers, Importers & Brand-Owners shall have to register through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board. The certificate of registration shall be issued using the portal.

(10.2) Producers, Importers & Brand-Owners shall provide Action Plan containing information on the Extended Producer Responsibility Target, category-wise, where applicable, through the online centralized portal developed by Central Pollution Control Board, along with application for registration or renewal of registration under Plastic Waste Management Rules, 2016. The Action Plan shall cover tenure of the Registration as per the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016. The standard operating procedure for registration and the action plan pro forma shall be developed by Central Pollution Control Board as per these guidelines.

(10.3) Brand Owner covered under clause 4 (iii) shall provide details of plastic packaging purchased from Producers and/or Importers covered under clause 4 (i) and 4 (ii) separately. The quantities attributed to each Producer and Importer covered under clause 4 (i) and 4 (ii) obligated upon Brand Owner shall be deducted from the obligation of Producers and Importers. The record of such purchase including category-wise quantity purchased, shall be maintained separately by Brand Owner.

(10.4) The Producers and Importers covered under clauses 4 (i) and 4 (ii) will maintain the record of the quantity of plastic packaging material made available to Brand Owner covered under clause 4 (iii). The record of such sale including category-wise quantity sold, will be maintained separately by Producers and Importers. In case such records are not maintained, they will have to fulfil the complete Extended Producer Responsibility obligation. The online platform shall cross-check the declaration of transactions among Producers, Importers & Brand-Owners.

(10.5) In order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producers, Importers & Brand-Owners may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.

(10.6) The Producers, Importers & Brand-Owners shall file annual returns on the plastic packaging waste collected and processed towards fulfilling obligations under Extended Producer Responsibility with the Central Pollution Control Board or concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as per pro forma prescribed by Central Pollution Control Board by the 30th June of the next financial year. Information on the reuse and/or recycled content used for packaging purposes will also be provided. The details of the registered recyclers from whom the recycled plastic has been procured will also be provided.

11. Role of Plastic Waste Processors (Recyclers or Other Waste Processors including industrial composting facilities)

(11.1) All plastic waste processors shall have to register with concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee in accordance with provision 13(3) of Plastic Waste Management Rules, 2016 on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board. Central Pollution Control Board shall lay down uniform procedure for registration within three months of the publication of these guidelines.

(11.2) The Plastic waste processors shall submit annual returns after end of every financial year by 30th April of the next financial year on the quantity of plastic waste processed category-wise as per prescribed pro forma on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board.

(11.3) The total quantity of plastic waste processed by plastic waste processors and attributed to Producers, Importers & Brand-Owners, on an annual basis, will be made available on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board as also on the website of Plastic waste processors.

(11.4) In case, at any stage it is found that the information provided by the plastic waste processor is false, the plastic waste processor shall be debarred by State Pollution Control Board, as per procedure laid down by Central Pollution Control Board, from operating under the Extended Producer Responsibility framework for a period of one year.

(11.5) Only plastic waste processors registered under Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, shall provide certificates for plastic waste processing, except in case of use of plastic waste in road construction. In case where plastic waste is used in road construction the Producers, Importers & Brand-Owners shall provide a self-declaration certificate in pro forma developed by Central Pollution Control Board. The certificate provided by only registered plastic waste processors shall be considered for fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations by Producers, Importers & Brand-Owners.

(11.6) The pro forma for the certificate shall be developed by Central Pollution Control Board. In no case, the amount of plastic packaging waste recycled by the enterprise shall be more than installed capacity of the enterprise. The certificates will be for plastic packaging category-wise and shall include GST data of the enterprise.

(11.7) The certificate for plastic packaging waste provided by registered plastic waste processors shall be in the name of registered Producers, Importers & Brand-Owners or Local authorities, as applicable, based upon agreed modalities. Central Pollution Control Board will develop mechanism for issuance of such certificate on the centralized portal.

(11.8) The Plastic Waste Processors undertaking end-of-life disposal of plastic packaging waste viz. waste to energy, waste to oil, cement kilns (co processing) shall provide information on an annual basis as per prescribed pro forma, on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board. These entities shall ensure the disposal of plastic packaging waste as per relevant rules, guidelines framed by regulatory bodies in an environmentally sound manner.

12. Role of Central Pollution Control Board

(12.1) The Central Pollution Control Board shall register Producers, Importers & Brand-Owners who are operating in more than two states and plastic waste processors, through online portal. Central Pollution Control Board shall prescribe the standard operating procedure for registration of Producers, Importers & Brand-Owners under Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12.2) The Central Pollution Control Board may charge fee for processing of applications for registration and an annual fee for processing of returns, as per procedure prescribed by CPCB. In case, where Producers, Importers & Brand-Owners, are operating in the jurisdiction of a State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, the Central Pollution Control Board as per guidelines so decided, will share the application fee with the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.

(12.3) The registration shall be done within two weeks from the submission of a complete application online by the Producers, Importers & Brand-Owners. The tenure of registration shall be as per Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12.4) Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of Producers, Importers & Brand-Owners through inspection and periodic audit, as deemed appropriate. Central Pollution Control

Board, as required, can also verify compliance of Plastic Waste Processors through inspection and periodic audit. In case of plastic waste processors and Producers, Importers & Brand-Owners operating in a State or Union Territory, Central Pollution Control Board may, if required, direct State Pollution Control Board or Pollution Control Committee to take action.

(12.5) Central Pollution Control Board shall publish the list of Producers, Importers & Brand-Owners who have failed to meet Extended Producer Responsibility targets and obligations in the previous financial year, on an annual basis, by 30th September of the next financial year.

(12.6) The Central Pollution Control Board will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations for plastics under the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(12.7) The Central Pollution Control Board shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis.

(12.8) The Central Pollution Control Board shall carry out review of technologies related to plastic packaging and plastic waste management for techno-economic viability and feasibility specifically with respect to clause 7.6.

13. Role of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee:

(13.1) The concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall register Producers, Importers & Brand-Owners (operating in one or two states) and plastic waste processors, through the online portal developed by Central Pollution Control Board. Provision for registration shall be made on the Extended Producer Responsibility portal. State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by itself or through a designated agency shall verify compliance of Producers, Importers & Brand-Owners through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, of Producers, Importers & Brand-Owners as well as plastic waste processors in their jurisdiction as per the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(13.2) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall bring out a list of entities (Exception Report) who have not fulfilled their Extended Producer Responsibility responsibilities on annual basis and publish the same on their website. The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit the Annual Reports submitted by Producers, Importers & Brand-Owners and plastic waste processors in their jurisdiction to Central Pollution Control Board and upload the same on the online Extended Producer Responsibility portal.

(13.3) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations under the Plastic Waste Management Rule, 2016.

(13.4) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis.

14. Plastic Packaging Waste Collection System by Producers, Importers & Brand-Owners

(14.1) Producers, Importers & Brand-Owners while fulfilling their Extended Producer Responsibility obligations may develop collection and segregation infrastructure of plastic packaging waste, as required, based on the category of plastics. It may include the following based on implementation modality of Extended Producer Responsibility adopted by Producers, Importers & Brand-Owners: -(a) establish waste plastic collection points and Material Recovery Facilities (MRFs);

(b) ensure the collection of the plastic packaging waste from the collection points, with a frequency that is proportionate to the area covered and the volume;

(c) offer the collection of plastic, from the entities like urban local bodies, gram panchayats, other public authorities or third parties carrying out waste management, and provide for the collection from all entities that have made use of that offer; provide for the necessary practical arrangements for collection and transport;

(d) ensure that the plastic packaging waste collected from the collection points are subsequently subject to recycling in a registered facility by a recycler or its permitted end use in the designated manner.

(14.2) Producers, Importers & Brand-Owners may ensure the network of collection points taking into account population size, expected volume of plastic or packaging waste, accessibility and vicinity to end-users, not being limited to areas where the collection and subsequent management is profitable.

(14.3) The entities involved in waste collection will hand over the waste for treatment and recycling or for identified end uses.

(14.4) Participation of voluntary collection points - voluntary collection points will hand over plastic packaging waste to the Producers, Importers & Brand-Owners or third party agencies acting on their behalf with a view to their treatment and recycling or their identified end use.

15. Fulfilment of Extended Producer Responsibility Obligations

The Producers, Importers & Brand-Owners shall have to provide the details of recycling certificate only from registered recyclers along with the details of quantity sent for end of life disposal, by 30th June of next financial year while filing annual returns on the online portal. The details provided by Producers, Importers & Brand-Owners and registered plastic waste processors will be cross-checked by the online portal. In case of difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of Extended Producer Responsibility obligation of Producers, Importers & Brand-Owners. The certificates shall be subject to verification by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be.

16. Centralized Online Portal

(16.1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration as well as for filing of annual returns by Producers, Importers & Brand-Owners, plastic waste processors of plastic packaging waste by 31st March 2022:-

(16.2) The online system developed by Central Pollution Control Board for the registration as well as for filing of returns by Producers, Importers & Brand-Owners shall reflect the plastic packaging material introduced in the market Producers, Importers & Brand-Owners in a financial year. It shall also reflect the details regarding the audit of the Producers, Importers & Brand-Owners as well as recyclers or other waste processors of plastic packaging waste.

(16.3) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall also use the centralized portal developed by Central Pollution Control Board for registration of Producers, Importers & Brand-Owners as well as recyclers/waste processors. The centralized portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of Extended Producer Responsibility for plastic packaging under Plastic Waste Management Rule, 2016 Producers, Importers & Brand-Owners may, if they so desire, facilitate the development of online web portal or platform.

(16.3) Till the online web portal is developed all activities related to implementation of Extended Producer Responsibility under the Plastic Waste Management Rules, 2016 will be done in an offline manner.

17. Monitoring

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit annual report on Extended Producer Responsibility portal with respect to fulfilment of Extended Producer Responsibility by Producers, Importers & Brand-Owners (which include manufacturers of plastic packaging material) and plastic waste processors in the State/Union Territory to Central Pollution Control Board. The report shall also be submitted to the State Level Monitoring Committee constituted under the Plastic Waste Management Rules, 2016. State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall also submit annual report with respect to recyclers or end of life disposal in the State or Union Territory to Central Pollution Control Board by 31st July of the next year.

18. Committee for Extended Producer Responsibility under PWM Rules

(18.1) A committee shall be constituted by the Central Pollution Control Board under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of Extended Producer Responsibility including amendments to Extended Producer Responsibility guidelines. The committee shall monitor the implementations of Extended Producer Responsibility and also take such measures as required for removal of difficulties. The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the online portal including approval of requisite forms or pro forma.

(18.2) The committee shall comprise of representative from concerned line Ministries/Departments such as Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Department of Drinking Water and Sanitation, Department of Chemical and Petrochemicals; Bureau of Indian Standards, three State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET), National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), and three industry associations, and any other invitee as decided by the chairperson of the committee.

ANNEXURE

Examples for Clause 7

Extended Producer Responsibility Target and Minimum level of recycling of plastic packaging waste

[Refer Clause 7.2 (a), (b) & (c), Clause 7.3 (a), (b) & (c), and Clause 7.4 (a), (b) & (c)]

Example 1:

Year 2022-23	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 70 %	70 MT
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility - no threshold has been prescribed	Quantity of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility and recycled as per actuals Quantity of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility and used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc. as per actuals

Example 2:

Year 2024-25	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 100 %	100 MT
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 30%	Minimum 30 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled. Remaining plastic packaging waste collected (Maximum 70 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.

Example 3:

Year 2028-29	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 100 %	100 MT
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 60 %	Minimum 60 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled. Remaining plastic packaging waste collected (Maximum 40 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.

Reuse**[Refer Clause 7.4 (b)]****Example 4:**

Year 2025 – 26 (Minimum obligation for reuse comes into effect)	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category I Rigid Plastic Packaging)	100 MT
Reuse of Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litres or	15 MT

kilogrammes bUnion Territory less than 4.9 litres or kilogrammes	(Reuse @ 15 %; minimum obligation for reuse 10 %)
Fresh plastic packaging introduced (A)	85 MT
Extended Producer Responsibility target for compliance @ 100% of (A)	85 MT
Minimum level of recycling of Category I plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility @ 60%	Minimum 51 MT of plastic packaging waste collected under Extended Producer Responsibility needs to be recycled. A maximum of 34 MT plastic packaging waste collected may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.

Example 5:

For Year 2022 - 23	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category I Rigid Plastic Packaging)	100 MT
Reuse of Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litres or kilogrammes bUnion Territory less than 4.9 litres or kilogrammes	10 MT
Fresh plastic packaging introduced (A)	90 MT
Extended Producer Responsibility Target @ 35 % of (A)	31.5 MT

Use of recycled plastic content**[Refer Clause 7.2 (d), 7.3 (d)]****Example 6:**

Year 2025-26	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging)	100 MT
Extended Producer Responsibility Target as per clause 5.1 @ 100 %	100 MT
Minimum content of recycled plastic in packaging @ 10%	10 MT of plastic content in the packaging should be recycled plastic 90 MT of virgin plastic content in packaging

[F. No. 17/2/2001 – Part I - HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R 320 (E) dated the 18th March, 2016 and subsequently amended *vide notification numbers G.S.R 285 (E) dated the 27th March, 2018, G.S.R. 571 (E) dated the 12th August, 2021 and G.S.R. 647 (E) dated the 17th September, 2021.*



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237182
CG-DL-E-07072022-237182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]
No. 484]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2022/आषाढ़ 16, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2022/ASHADHA 16, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 522(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 22(अ) तारीख 18 जनवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 18 जनवरी, 2022 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी प्रभावित होने की संभावना उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी जिसके साठ दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियमों अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 18 जनवरी, 2022 को उपलब्ध कराई गई;

और, उपरोक्त अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 3 में,-

(i) खंड (कख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(कग) “जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों” से, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के सिवाय ऐसे प्लास्टिक अभिप्रेत है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित और भारतीय मानके ब्यूरो के अधिकांशतः मानकों का अनुपालन करते हुए, किन्हीं माइक्रो प्लास्टिकों, या स्पष्ट रूप से दृश्य या अलग करने योग्य या विषाक्त अवशेष, जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, छोड़े बिना, परिवेशी पर्यावरणीय (स्थलीय या जलीय) दशाओं के अधीन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अवक्रमित हो जाता है-;’

(ii) खण्ड (ख) में, “ब्रांड लेवल्स;” शब्द, के पश्चात् “और ट्रेडमार्क।” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) में “अर्थात् तैयार की गई थैलियां” शब्दों से पूर्व “(अनुसूची-2 में दिए गए खंड (5.1) (ii) – प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी-11 के अधीन शामिल)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iv) खण्ड (छक) को “(छख)” के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःक्रमांकित किए गए खंड (छख) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(छक) “उपयोग की अवधि समाप्त होने पर निपटान” से प्रवृत्त सुसंगत दिशानिर्देशों के अध्याधीन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग, जिसमें सह-प्रसंस्करण (उदाहरण के लिए सीमेंट, इस्पात या कोई अन्य ऐसे उद्योग में) या अपशिष्ट से तेल उत्पादन, उन मामलों को छोड़कर जिनमें फीडस्टॉक रसायनों का उत्पादन प्लास्टिक के उत्पादन में पुनः उपयोग हेतु किया जाता है जिस पर पुनर्चक्रण के अधीन विचार किया जा सकता है, या भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए उपयोग संबंधित है।”

(v) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्न खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(ट) “आयातक” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग वाले उत्पादों या कैरी बैगों या बहु-परतीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीटों या इस प्रकार की अन्य सामग्रियों का आयात करता है;’ ;

(vi) खण्ड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘णक’ “प्लास्टिक पैकेजिंग” से विभिन्न तरीकों से उत्पादों का संरक्षण करने, उनका परिरक्षण करने, भंडारण करने, परिवहन करने के लिए प्लास्टिकों का प्रयोग करके बनाई गई पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत है;’ ;

(vii) खण्ड (थक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(थख) “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं” से ऊर्जा के लिए (अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन) प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करने में लगी इकाइयों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण अभिप्रेत है। जिसमें सह-प्रसंस्करण या प्लास्टिक अपशिष्ट को तेल में परिवर्तित करना (अपशिष्ट से तेल उत्पादन), उन मामलों को छोड़कर जिनमें फीडस्टॉक रसायनों का उत्पादन प्लास्टिक के उत्पादन में पुनः उपयोग हेतु किया जाता है जिस पर पुनर्चक्रण करने, औद्योगिक खाद बनाने के अधीन विचार किया जा सकता है;’ ;

(viii) खंड (थख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(थग) “पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग का अपशिष्ट” से उत्पाद का अंतिम उपयोग करने वाले उपभोक्ता द्वारा, पैकेजिंग का आशयित उपयोग पूर्ण होने के पश्चात् सृजित किया गया प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है और अब इसका उपयोग अपने आशयित प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है;’ ;

(ix) खंड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(दक) “पश्च-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट” से प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के चरण पर अस्वीकार या पृथक किए जाने के रूप में सृजित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पाद का अंतिम उपयोग करने वाले उपभोक्ता तक प्लास्टिक पैकेजिंग पहुंचने से पूर्व, उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान सृजित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसमें अस्वीकृत, पृथक किए गए उत्पाद सम्मिलित हैं;’ ;

- (x) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(धक) "पुनर्चक्रक" वे इकाईयां हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में कार्यरत हैं;'
- (xi) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
(पक) "पुनः उपयोग से किसी सामान की संरचना में परिवर्तन किए बिना समान प्रयोजन या अन्य प्रयोजन के लिए कोई प्रयोग किया जाने वाला सामान या संसाधन सामग्री अभिप्रेत है;";
- (xii) खंड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(बक) "पुनःचक्रित प्लास्टिक का प्रयोग" से, विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में वर्जित प्लास्टिक के बजाय प्रयुक्त पुनर्चक्रित प्लास्टिक अभिप्रेत है;';
- (xiii) खंड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(ककख) "अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन" से, ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करना अभिप्रेत है और इसमें सह-प्रसंस्करण (अर्थात् सीमेंट, इस्पात या कोई अन्य ऐसे उद्योग में) सम्मिलित है;'
3. उक्त नियम के नियम 4 में, -
- (i) उप-नियम (1) में,
(क) खंड (घ) में, "-के सिवाय मोटाई" शब्दों के पश्चात् "केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे"
(ख) उप-नियम (1) में, खंड (ज) में,-
(क) "कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से निर्मित" शब्दों के पश्चात् "और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे;
(ख) "आईएस 17088:2008" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "आईएस/आईएसओ 17088:2021" शब्द और आंकड़े रखे जाएंगे
(ग) "कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के विक्रेता" शब्दों के पश्चात् "और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे;-
- (ii) उप-नियम (3) में, "कम्पोस्टेबल प्लास्टिक" शब्दों के पश्चात् "और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों।" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियम के नियम 9 में, -
- (i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्-
"(1) उत्पादक, आयातक और ब्राण्ड मालिक अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे।"
- (ii) उप नियम (2) में, "एकत्रण की योजना" शब्दों से आरंभ होने वाले और "इसके पश्चात् दो वर्ष-" से अंत होने वाले" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iii) उप-नियम (4) में,- "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्दों से पूर्व "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।-;
- (iv) उप-नियम (5) में,
(क) "रजिस्ट्रीकरण फॉर्म के बिना" शब्दों के पश्चात् "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन कर रहा हो" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।
(ख) "प्रदूषण नियंत्रण समितियों-" शब्दों के पश्चात् "नियम 13 का उप-नियम (2) के अनुसार।" शब्द अंतस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“10 कंपोस्टेबल और जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार.- (1) प्लास्टिक सामग्री की अवक्रमणीयता के परिमाण और अपघटन के परिमाण का अवधारण अनुसूची I में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा।

(2) कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्रियां, आईएस/आईएसओ 17088:2021, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुरूप होंगी।

(3) जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए गए इन मानकों के अनुरूप होगा।

(4) जब तक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उप-नियम (3) में निर्दिष्ट मानक अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथाअधिसूचित अनंतिम भारतीय मानक आईएस 17899 टी:2022 के अनुरूप होंगे।

(5) एक अस्थायी उपाय के रूप में, जैव अवक्रमणीय प्लास्टिकों के लिए उन मामलों में, जहां किसी वर्तमान परीक्षण के लिए अंतरिम परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें आईएस 17899 टी:2022 की टी 1 में क्र.सं. (i) या क्र.सं. (ii) या टी 2 की क्र. सं. (i) पर दिए गए जैव-अवक्रमणीय संबंधी आईएस 17899 टी:2022 का पहला घटक सम्मिलित होगा:-

परंतु जैवअवक्रमणीय प्लास्टिक का उत्पादन या आयात दिनांक 31 मार्च, 2023 के बाद बंद हो जाएगा इस शर्त के साथ अनंतिम प्रमाणपत्र 30 जून, 2023 तक वैध रहेगा।

(6) अंतरिम परीक्षण रिपोर्ट केन्द्रीय पेट्रो-रासायनिक अभियंत्रण और प्रौद्योगिकी या भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता स्कीम, 2020 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला से या प्रयोगशालाओं के परीक्षण एवं अंशाकन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त की जाएगी, और वे यह प्रमाणित करेंगे कि प्लास्टिक का जैव-अवक्रमण आईएस 17899 टी:2022 के अनुरूप है।

6. उक्त नियम के नियम 11 के उप-नियम (1) में, -

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) उत्पादक या ब्राण्ड मालिक का नाम, रजिस्ट्रीकरण संख्या और कैरी बैग तथा प्लास्टिक पैकेजिंग के मामले में मोटाई।

परंतु, यह उपबंध लागू नहीं होगा,-

(i) आयातित वस्तुओं के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात्, विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड सामग्री नियम, 2011 के नियम 26 के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए;

(iii) उन मामलों में, जहां इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् “इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों हेतु बीआईएस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अधीन मानक चिन्ह के उपयोग और लेबल लगाने की अपेक्षाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों” में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार, इस नियम के अधीन अधिदेशित अपेक्षित सूचना को मुद्रित करना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

(ii) खंड (ख) में, ‘1 जनवरी, 2023 से’ “विनिर्माता” शब्द के स्थान पर “उत्पादक या ब्रांड स्वामी” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) आयातित कैरी बैगों या बहु-परतीय पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातकर्ता या उत्पादक या ब्रांड स्वामी, एक मात्र रूप से या उत्पादों सहित खंड (क) और (ख) का पालन करेगा।”

7. उक्त नियम के नियम 12 के उप-नियम (1) में, - “राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” शब्दों से पहले “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियम के नियम 13 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) कोई भी व्यक्ति कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक बैगों या बहुपरतीय पैकेजिंग का तब तक विनिर्माण नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने निम्नलिखित से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त न कर लिया हो,-

- (i) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति, यदि एक या दो राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे हों; या
- (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन कर रहे हों,”

(ii) उप-नियम (2) में,

(क) “उत्पादक” शब्द के पश्चात्, “,-या आयातकर्ता” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) “आवेदन करना” शब्दों के पश्चात्, “अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उप-नियम (3) में, “प्रपत्र 2 में” शब्दों-, और अंकों के पश्चात्, “अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार” शब्द अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे-;

(iv) उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा।

(v) उप-नियम (7) में, अंत में आने वाले “पंजीकरण निबंधन” शब्दों के पश्चात्, “और पंजीकरण, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्लास्टिक पैकेजिंग हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बाध्यताओं को पूरा करने के अध्यक्षीन होगा” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियम के नियम 17 के बाद, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-:-

“18. पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण - पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण उन व्यक्तियों पर, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं/ रहे हैं, प्रदूषक द्वारा संदाय किए जाने के सिद्धांत के आधार पर उद्धृत किया जाएगा”।

10. उक्त नियम की अनुसूची 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

“अनुसूची-1

[नियम 10 देखें]

(1)	(2)
1	आईएस/आईएसओ 14851:2019 जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- किसी बंद रेस्पिरोमीटर में ऑक्सीजन मांग को मापने की पद्धति (प्रथम पुनरीक्षण)
2	आईएस/आईएसओ 14852:1999 जलीय माध्यम में प्लास्टिक वस्तुओं की अंतिम एरोबिक जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- विकसित कार्बनडाईऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा मापने की पद्धति
3	आईएस/आईएसओ 14853:2016 प्लास्टिक- जलीय माध्यम में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- बायोगैस उत्पादन द्वारा मापने की पद्धति (प्रथम संशोधन)
4	आईएस/आईएसओ 14855-1:2012 प्लास्टिक- नियंत्रित कम्पोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- विकसित कार्बनडाईऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा मापने की पद्धति: भाग 1 सामान्य पद्धति (प्रथम संशोधन)
5	आईएस/आईएसओ 14855-2:2018 प्लास्टिक- नियंत्रित कम्पोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- विकसित कार्बनडाईऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा मापने की पद्धति: भाग 2 प्रयोगशाला- पैमाना परीक्षण में विकसित कार्बनडाईऑक्साइड की ग्रेवीमेट्रिक माप (प्रथम संशोधन)
6	आईएस/आईएसओ 15985:2014 प्लास्टिक- उच्च ठोस अवायुजीवी- आत्मसात्करण दशाओं में अंतिम अवायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण- निर्मुक्त बायोगैस के विश्लेषण से मापने की पद्धति (प्रथम संशोधन)

7	आईएस/आईएसओ 16929:2019 प्लास्टिक- प्रायोगिक पैमाना परीक्षण में परिभाषित कंपोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन की डिग्री का अवधारण (द्वितीय संशोधन)
8	आईएस/आईएसओ 17556:2019 प्लास्टिक- किसी रेस्पिरोमीटर में ऑक्सीजन की माप या विकसित कार्बनडाईऑक्साइड की मात्रा द्वारा मृदा में प्लास्टिक सामग्रियों की अंतिम वायुजीवी जैव-अवक्रमणीयता का अवधारण (द्वितीय संशोधन)
9	आईएस/आईएसओ 20200:2015 प्लास्टिक- प्रयोगशाला पैमाना परीक्षण में अनुकरण की गई कंपोस्टिंग दशाओं में प्लास्टिक सामग्रियों के विघटन की डिग्री का अवधारण (प्रथम संशोधन)''

11. उक्त नियमों के, प्रपत्र 1 में,-

(i) "1. उत्पादक" उपशीर्ष में क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"11.	अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य योजना"।
------	---

(ii) 'उपशीर्ष "2 ब्रांड स्वामी" क्रम संख्यांक 9 के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-

"9.	अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य योजना"।
-----	---

(iii) उपशीर्षक "2 ब्रांड स्वामियों" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"3. आयातकर्ता :

भाग-क		
साधारण		
1.	नाम, पता और संपर्क करने के लिए नंबर	
2.	नवीकरण के मामले में, पूर्वतर रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
3.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
6.(क)	आयातित या आयात किए जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट की मात्रा	
(ख)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए पैकेजिंग हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक की मात्रा	
(ग)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए बहु-परतीय पैकेजिंग की मात्रा	

भाग-ख		
द्रव बहिःस्राव और गैसीय उत्सर्जनों से संबंधित		
7.	क्या इकाई के पास, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
8.	क्या इकाई के पास, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
भाग-ग		
अपशिष्ट से संबंधित		
9.	ठोस अपशिष्ट या अवशिष्ट : (क) उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भण्डारण का ढंग (ग) अपशिष्टों के निपटान के लिए की गई व्यवस्था	
10.(क)	(i) पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आयातित (ii) प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट और (ii) बहुपरतीय पैकेजिंग की आपूर्ति कराने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न करें या उपलब्ध कराएं	
(ख)	(i) आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए प्रयुक्त मात्रा सहित पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त आयातित (ii) प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट और (ii) आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए प्रयुक्त मात्रा सहित आयातित बहुपरतीय पैकेजिंग की मात्रा	
11.	अनुसूची-2 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्य योजना	
		नाम और हस्ताक्षर पदनाम
तारीख :		
स्थान : ”		

12. उक्त नियम के प्रपत्र 4 में, क्रम संख्या (9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(10). अनुसूची-2 में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रत्येक वर्ष तारीख 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़े”

13. उक्त नियम के, प्रपत्र 5 में, तालिका के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित की जाएगी:-

“टिप्पण: केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष तारीख 30 अप्रैल तक निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् :-

- (क) कैरी बैग, पुनर्चक्रित प्लास्टिक बैग, बहुपरतीय पैकेजिंग का विनिर्माता (नियम 13के उप-निमय (1) के खंड (i) के अधीन रजिस्ट्रीकृत)
- (ख) उत्पादक, आयातकर्ता, ब्रांड का स्वामी (नियम 13 के उप-निमय (1) के खंड (i) के अधीन रजिस्ट्रीकृत)

(ग) पुनर्चक्रणकर्ता और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करणकर्ता (नियम 13के उप-निमय (1) के खंड (i) के अधीन रजिस्ट्रीकृत)”

14. उक्त नियम की अनुसूची-2 के पैरा (3) का लोप किया जाएगा।

उक्त नियम की अनुसूची 2 में, उप- पैरा (7.8) के स्थान पर निम्नलिखित का रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(7.8) यदि बाध्य इकाई जैवअवक्रमणीयता प्लास्टिक से बनी प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करती है, तो नियम 10 के उपबंध लागू होंगे और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य लागू नहीं होगा।”

[फा. सं. 17/24/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 320(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ), तारीख 27 मार्च, 2018 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ), तारीख 12 अगस्त, 2021 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ), तारीख 17 अगस्त, 2021 के द्वारा संशोधन और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133(अ), तारीख 16 फरवरी, 2022 के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

G.S.R. 522(E).—Whereas the draft rules further to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 18th January, 2022, *vide* notification number G.S.R. 22 (E) dated the 18th January, 2022, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 18th January, 2022 ;

And whereas, objections and suggestions received within the aforesaid period have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,-

(i) after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(ac) “Biodegradable plastics” means plastics, other than compostable plastics, which undergoes degradation by biological processes under ambient environment (terrestrial or in water) conditions, without leaving any micro plastics, or visible, or distinguishable or toxic residue, which has adverse environment impacts, adhering to laid down standards of Bureau of Indian Standards and certified by the Central Pollution Control Board;’;

(ii) in clause (b), after the words “brand labels”, the words “or trademark” shall be inserted;

- (iii) in clause (c), before the words “means bags made” the following words and brackets “(covered under Category II of plastic packaging – Clause (5.1) (II), given in Schedule – II)” shall be inserted.
- (iv) clause (ga), shall be renumbered as “(gb)” thereof and before clause (gb) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(ga) “End of Life disposal” means using plastic waste for generation of energy subject to relevant guidelines in force, which includes co-processing (e.g. in cement, steel or any other such industry) or waste to oil, except in cases where feedstock chemicals are produced for further use in the production of plastic which may then be considered under recycling or for road construction as per Indian Road Congress guidelines etc.’;
- (v) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-
- ‘(k) “Importer” means a person who imports plastic packaging or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like;’;
- (vi) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(oa) Plastic Packaging” means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing, and transporting of products in a variety of ways;’ ;
- (vii) after clause (qa), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(qb) “Plastic Waste Processors” means recyclers of plastic waste as well as entities engaged in using plastic waste for energy (waste to energy) including in coprocessing or converting plastic waste to oil (waste to oil) except in cases where feedstock chemicals are produced for further use in the production of plastic which may then be considered under recycling , industrial composting;’;
- (viii) after clause (qb), the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(qc) “Post-consumer plastic packaging waste” means plastic packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose;’;
- (ix) after Clause (r), the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(ra) “Pre-consumer plastic packaging waste” means plastic packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of plastic packaging and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the plastic packaging reaches the end-use consumer of the product;’;
- (x) after clause (s), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(sa) “Recyclers” are entities who are engaged in the process of recycling of plastic waste;’;
- (xi) after clause (u), the following clause shall be inserted, namely:-
- ‘(ua) “Reuse” means using an object or resource material again for either the same purpose or another purpose without changing the object’s structure;’;
- (xii) after clause (w), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(wa) “Use of recycled plastic” means recycled plastic used as raw material, instead of virgin plastic, in the manufacturing process;’;
- (xiii) after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely :-
- ‘(aab) “Waste to Energy” means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement, steel or any other such industry);’.
3. In in rule 4 of the said rules, , -
- (i) in sub-rule (1),
- (a) in clause (d), after the words “thickness except”, the words “ as specified by the Central Government” shall be inserted;

(b) in clause (h),-

(A) after the words “made up of compostable plastic”, the words “and biodegradable plastics” shall be inserted;

(B) for the letters and figures “IS 17088:2008,”, the letters and figures “IS / ISO 17088:2021” shall be substituted;

(C) after the words “seller of compostable plastic”, the words “and biodegradable plastics” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), after the words “compostable plastic”, the words “and biodegradable plastics” shall be inserted.

4. In rule 9 of the said rules, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The Producers, Importers and Brand Owners shall fulfil Extended Producers Responsibility for Plastic Packaging as per guidelines specified in Schedule -II.”;

(ii) in sub-rule (2), the portion beginning with the words “This plan of collection” and ending with the words “two years thereafter” shall be omitted;

(iii) in sub-rule (4), before the words “Pollution Control Board”, the words, “Central Pollution Control Board and State” shall be inserted;

(iv) in sub-rule (5), -

(A) after the words “without registration from” the words “Central Pollution Control Board if operating in more than two states or Union territories,” shall be inserted;

(B) after the words “Pollution Control Committees”, the words, brackets and figures “ as per sub-rule (2) of rule 13” shall be inserted.

5. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely.-

“ 10. Protocols for compostable and biodegradable plastic materials.- (1) Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule I.

(2)The compostable plastic materials shall conform to the IS / ISO 17088:2021, as amended from time to time.

(3) The biodegradable plastics shall conform to the standard notified by the Bureau of Indian Standards and certified by the Central Pollution Control Board.

(4) Until a standard referred to in sub-rule (3) is notified by the Bureau of Indian Standards, biodegradable plastics shall conform to tentative Indian Standard IS 17899 T:2022 as notified by the Bureau of Indian Standards.

(5) As a transitory measure, provisional certificate for biodegradable plastics, shall be issued by the Central Pollution Control Board, in cases, where an interim test report is submitted, for an ongoing test, which covers the first component of the IS 17899 T:2022 relating to biodegradability given at Sl. No. (i) or Sl. No. (ii) of Table 1 or Sl. No. (i) of Table 2 of the IS 17899 T:2022:

Provided that the provisional certificate shall be valid till 30th June 2023 with the condition that production or import of biodegradable plastics shall cease after the 31st day of March, 2023.

(6) The interim test report shall be obtained from the Central Institute of Petrochemical Engineering and Technology or a laboratory recognised under the Laboratory Recognition Scheme, 2020, of the Bureau of Indian Standards or laboratories accredited for this purpose by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and they shall certify the bio-degradation of plastic is in line with IS 17899 T:2022.

6. In sub-rule (1) of rule 11 of the said rules,-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) name, registration number of the producer or brand owner and thickness in case of carry bag and plastic packaging :

Provided that this provision shall not be applicable,-

(i) for plastic packaging used for imported goods:

(ii) for cases falling under rule 26 of the Legal Metrology Packaged Commodities Rules, 2011, after the approval of the Central Pollution Control Board:

(iii) for cases where it is technically not feasible to print the requisite information mandated under this Rule, as per specifications given in the “Guidelines for use of Standard Mark and labelling requirements under BIS Compulsory Registration Scheme for Electronic and IT Products” after the approval of the Central Pollution Control Board .”;

(ii) in clause (b), “with effect from the 1st January, 2023” for the word “manufacturer”, the words “producer or brand owner” shall be substituted.

(iii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

“(d) the importer or producer or brand owner of imported carry bags or multi-layered packaging or plastic packaging, alone or along with the products shall adhere to clause (a) and (b).”

7. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (1), before the words, “State Pollution Control Board” the words, “Central Pollution Control Board or” shall be inserted.

8. In rule 13 of the said rules, -

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic bags or multilayered packaging unless the person has obtained registration from,-

(i) the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union territory, if operating in one or two states or Union territories; or

(ii) the Central Pollution Control Board, if operating in more than two States or Union territories.”;

(ii) in sub-rule (2),-

(A) after the word “producer”, the words “or importer” shall be inserted;

(B) after the words “make an application” , the words and figures “as per the guidelines specified in Schedule -II,” shall be inserted;

(iii) in sub-rule (3), after the words “in Form II”, the words and figures “as per the guidelines specified in Schedule -II” shall be inserted.

(iv) Sub-rule (6) shall be omitted;

(v) in sub-rule (7), after the words “terms of registration” occurring at the end, the words and figures “and the registration shall be subject to fulfilment of obligations in accordance with the guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging specified in Schedule -II.” shall be inserted.

9. After rule 17 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

“18. Imposition of Environmental Compensation.- The Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle, on persons who are not complying with the provisions of these rules, as per guidelines notified by the Central Pollution Control Board.”.

10. For Schedule I of the said rules, the following shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE-I

[See rule 10]

(1)	(2)
1	IS / ISO 14851: 2019 Determination of the Ultimate Aerobic Biodegradability of Plastic Materials in an Aqueous Medium — method by measuring the Oxygen demand in a closed respirometer (First Revision)
2	IS / ISO 14852: 1999 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium—method by analysis of evolved Carbon dioxide
3	IS / ISO 14853: 2016 Plastics — Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system —method by measurement of biogas production (First Revision)
4	IS /ISO 14855-1: 2012 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions — method by analysis of evolved Carbon dioxide: Part 1 General method (First Revision)
5	IS / ISO 14855-2: 2018 Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions — method by analysis of evolved carbon dioxide: Part 2 Gravimetric measurement of Carbon dioxide evolved in a laboratory- scale test (First Revision)
6	IS / ISO 15985: 2014 Plastics — Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions — methods by analysis of released biogas (First Revision)
7	IS /ISO 16929: 2019 Plastics — Determination of the Degree of Disintegration of Plastic Materials under Defined Composting Conditions in a Pilot-Scale Test (Second Revision)
8	IS / ISO 17556: 2019 Plastics — Determination of the Ultimate Aerobic Biodegradability of plastic materials in soil by measuring the Oxygen demand in a Respirometer or the amount of Carbon Dioxide Evolved (Second Revision)
9	IS / ISO 20200 : 2015 Plastics — Determination of degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory - Scale test (First Revision)”

11. In the said rules, in Form I,-

(i) in the sub-heading “1.Producers”, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“ 11.	Action plan in line with the guidelines specified in Schedule -II”.	
-------	---	--

(ii) in sub-heading “II Brand Owners”, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“9.	Action plan in line with the guidelines specified in Schedule -II”.	
-----	---	--

(iii) after sub-heading “II. Brand Owners” and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

" III- Importers

PART – A		
GENERAL		
1.	Name, Address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
6 (a)	Quantity of plastic sheet or like used for packaging of imported or to be imported products	
(b)	Quantity of plastic sheet or like used for packaging for further supply or self-use	
(c)	Quantity of multilayered packaging for further supply or self-use	
PART – B		
PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
7.	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
8.	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C		
PERTAINING TO WASTE		
9.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
10. (a)	Attach or provide list of person supplying imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging	
(b)	Quantity of imported (i) plastic sheet or like used for packaging along with the quantity used for further supply or self use, (ii) multilayered packaging along with the quantity used for further supply or self use	
11.	Action Plan in line with Guidelines specified in Schedule - II	
		Name and Signature
		Designation
Date :		
Place :”.		

12. In Form IV of the said rules, after serial number (9) and the entries thereto, the following shall be inserted, namely:-

“(10). Data to be provided as per guidelines specified in Schedule -II by 30th April of every year to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee”

13. In Form VI of the said rules, after the table, the following note shall be inserted:-

“Note: The following informations shall be provided to the Central Pollution Control Board by 30th April of every year, namely:-(a) Manufacturer of carry bag, recycled plastic bag, multilayered packaging (Registered under clause (i) of sub-rule (1) of rule 13;

(b) Producer, Importer, Brand Owner (Registered under clause (i) of sub-rule (2) of rule 13;(c)Recycler and plastic waste processor (Registered under clause (i) of sub-rule (3) of rule 13”.

14. Paragraph 3 of Schedule – II of the said rules shall be omitted. 15. In Schedule II of the said rules, for sub-- paragraph (7.8), the following shall be substituted, namely:-

“(7.8) In case, the obligated entity utilizes plastic packaging made from biodegradable plastics, the provisions of rule 10 shall be applicable and the Extended Producer Responsibility target shall not be applicable.”

[F. No. 17/24/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018, vide notification number G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021, vide notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021 and last amended vide notification number G.S.R. 133(E) , dated the 16th February 2022.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245496
CG-DL-E-27042023-245496

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2023/वैशाख 7, 1945

No. 256]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2023/VAISAKHA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 318(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) तारीख 18 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ) के अधीन अधिसूचित किए गए थे;

और, उक्त नियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किए गए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराते समय, निकायों को कंपनी की पैन संख्या, जीएसटी संख्या, सीआईएन संख्या तथा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि की आधार संख्या और पैन संख्या एवं यथापेक्षित अन्य आवश्यक सूचना उपलब्ध करानी होगी;

और, सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 6 के उप-पैरा(1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर, हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करते हुए, उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड स्वामियों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के रूप में निवासियों के रजिस्ट्रीकरण करने के प्रयोजन से, स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन करना अनुज्ञात किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 के, उपनियम (5) में, उपबंध में, दोनों स्थानों पर आने वाले '2023' अंकों के स्थान पर, क्रमशः '2024' अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 11 के, उप नियम (1) में, खंड (क) में, उप-खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "ठोस प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए"

4. उक्त नियमों के, नियम 13 में,-

(i) उप-नियम (2) में, "या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9 (क) इस नियम के अधीन अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण विद्यमान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण के अधीन उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों के अनुरोध पर ही परिवर्तित किया जाएगा,

(ख) इस नियम के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तब कि वापस, निलंबित या रद्द न किया जाए और तदुपरांत तीन वर्ष के लिए अनुदत्त किया जाएगा।"

5. उक्त नियमों की, अनुसूची II में,-

(i) पैरा 6 में खंड (6.6) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6.6 रजिस्ट्रीकरण कराते समय इकाईयों को कंपनी के मामले में पैन संख्या, जीएसटी संख्या, सीआईएन संख्या देनी होगी, और निकाय आधार संख्या दे सकेंगे, और प्राधिकृत व्यक्ति या प्रतिनिधि की पैन संख्या और यथा अपेक्षित कोई अन्य आवश्यक सूचना प्रदान करनी होगी।"

(ii) पैरा 10 में, खंड (10.6) में, निम्नलिखित उपबंध अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 होगी।"

(iii) पैरा 11 में, खंड (11.2) में, निम्नलिखित उपबंध अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 होगी।"

[फा. सं. 12/31/2023-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में, संख्या सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनंतर इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285 (अ), तारीख 27 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647 (अ), तारीख 17 अगस्त, 2021 के द्वारा संशोधन किया गया था और इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2022 द्वारा और संशोधन किया गया तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522 (अ), तारीख 6 जुलाई 2022 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R. 318(E).—Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules) were notified *vide* notification number G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016;

And Whereas, while registering on the centralized online portal developed by the Central Pollution Control Board, *vide* the guidelines specified in Schedule II of the said rules, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number of the company and Aadhar Number and PAN Number of authorized person or representative and any other necessary information as required.

And Whereas in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Electronics and Information Technology has allowed the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, to perform Aadhaar authentication on voluntary basis, for the purpose of registration of residents as producers, importers, Brand owners and plastic Waste processors, using Yes/no authentication facility, on the centralized portal developed by the Central Pollution Control Board, as specified in clause (a) of sub-para (1) of para 6 of the said guidelines.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the ,

Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10, in the sub-rule (5), in the provision, for the figures “2023” occurring at both places, the figures “2024” shall respectively be substituted.

3. In said rules, in rule 11, in sub-rule (1), in clause (a), after sub-clause (iii) , the following clause shall be inserted, namely:- “ for rigid plastic packaging “

4. In the said rules, in rule 13,-

(i) in sub-rule (2), the words “or for renewal of registration” shall be omitted;

(ii) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“9(a) The registration granted under this rule shall be changed only on the request of Producers, Importers & Brand owners, under the existing Extended Producer Responsibility registration ,

(b) The registration granted under this rule shall be valid for a period of one year, unless revoked, suspended or cancelled and shall subsequently be granted for three years.”

5. In the said rules, in Schedule II,-

(i) in paragraph 6 for clause (6.6), the following clause shall be substituted, namely :-

“6.6 While registering, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number **in case of company**, and the entities may provide Aadhar Number, and shall provide PAN Number of authorized person or representative and any other necessary information as required.”

(ii) in paragraph 10, in clause (10.6), the following provision shall be inserted, namely :-

“Provided that the last date for filing of annual returns shall be the 31st October 2023 for the financial year 2022-2023.

(iii) In paragraph 11, in clause (11.2), the following provision shall be inserted, namely :-

“Provided that the last date for filing of annual returns shall be the 31st July 2023 for the financial year 2022-2023.

[F. No. 12/31/2023-HSM]

NARESH PAL GANGWAR , Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended, *vide* notification number G.S.R 285 (E), dated the 27th March, 2018, *vide* notification number G.S.R. 571 (E), dated the 12th August, 2021, *vide* notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021, further amended *vide* notification number G.S.R. 133 (E), dated the 16th February 2022 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 522 (E), dated the 6th July 2022.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102023-249793
CG-DL-E-30102023-249793

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 30, 2023/कार्तिक 8, 1945

No. 628]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 30, 2023/KARTIKA 8, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 807(अ).—केंद्रीय सरकार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में पर्यावरणीय स्वच्छ रीति में देश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान का उपबंध करने के लिए सा. का. नि. 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

और नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को और सशक्त बनाने के क्रम में प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य और स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों में बहु-चरणीय मैनुअल रिपोर्टिंग और डेटा संग्रहण के स्थान पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग सम्मिलित है; मूल्य की खोज के लिए रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक द्वारा उत्पन्न किए गए प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त नियमों में संशोधन करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6, और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम का गया है) में, उप-नियम (2) के पश्चात नियम 2 में, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) नियम 9 का उप-नियम (1) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यातोनमुख इकाइयों या इकाइयों और प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वाली अन्य इकाइयों या निर्यात आदेश के लिए निर्यात हेतु पैकेजिंग उत्पादों के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर लागू नहीं होगा:

परंतु यह उप-नियम ऐसी इकाइयों द्वारा उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पर लागू नहीं होगा”।

3. उक्त नियमों के नियम 3 में, -

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(ग) "कैरी बैग" से प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक या जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से बने बैग अभिप्रेत हैं, जिनका उपयोग वस्तुओं को ले जाने या वितरित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिनमें एक स्व-वहन सुविधा होती है, लेकिन इसमें ऐसे बैग सम्मिलित नहीं होते हैं जो पैकेजिंग का एक अभिन्न अंग होते हैं या बनाते हैं जिसमें सामान को उपयोग से पहले बंद किया जाता है”;

(ii) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(ध) "उत्पादक" से प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माण में लगे व्यक्ति अभिप्रेत है”;

4. उक्त नियम के नियम 4 में उप-नियम (1) में, "बहु-स्तरीय पैकेजिंग" शब्दों के स्थान पर "प्लास्टिक पैकेजिंग" शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियम के नियम 5 में, उप-नियम (1) में, "शहरी स्थानीय निकाय" शब्दों के स्थान पर "स्थानीय निकाय" शब्द रखा जाएगा।

6. उक्त नियम के नियम 9 में, उप-नियम (6) में, "बहु-स्तरीय पैकेजिंग" शब्दों के स्थान पर "प्लास्टिक पैकेजिंग" शब्द रखा जाएगा।

7. उक्त नियम के नियम 11 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(1) प्रत्येक प्लास्टिक पैकेजिंग में निम्नलिखित जानकारी अंग्रेजी में मुद्रित होगी, अर्थात्:-

(क) 1 जुलाई, 2024 से ठोस प्लास्टिक पैकेजिंग के मामले में, प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी के लिए उत्पन्न किए गए नाम और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या, प्लास्टिक की थैली या पाउच सहित विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के साथ एक से अधिक स्तर वाली बहु-स्तरीय लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहु-स्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग;

(ख) प्लास्टिक की थैली या पाउच (यदि एकल स्तर), प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक शीट से बने कवर और प्लास्टिक शीट, कैरी बैग सहित एकल स्तर वाली लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग के मामले में प्लास्टिक पैकेजिंग और मोटाई के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी के लिए उत्पन्न नाम और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या;

(ग) 1 जनवरी, 2025 से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी के लिए नाम और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या और प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कैरी बैग के मामले में उप-नियम (4) के खंड (ज) के अधीन जारी प्रमाण पत्र की संख्या, जैसा कि लागू होता है;

(घ) प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ-साथ कैरी बैग और जैव निम्नीकरणीय से बनी वस्तुओं के मामले में उप-नियम 4 के खंड (ज) के अधीन जारी नाम और प्रमाण पत्र संख्या;

परन्तु इस उप-नियम के उपबंध विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड कमोडिटीज़ नियम 2011 के नियम 26 के अधीन आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग पर और प्लास्टिक पैकेजिंग के मामलों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों के लिए वीआईएस अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन मानक चिह्न और लेबलिंग की आवश्यकताओं के उपयोग के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित जानकारी मुद्रित करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है;

परन्तु पहले परंतुक के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुक के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में सुसंगत जानकारी पैकेजिंग पर मुद्रित की जाएगी जो सामान की व्यक्तिगत इकाइयों या पैकेजिंग की व्यक्तिगत इकाइयों को एक साथ रखती है।”

8. उक्त नियमों के नियम 12 में, -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के प्राधिकारी होंगे।;

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(2) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या नगरपालिका प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव अपशिष्ट उत्पादक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को लागू करने, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध या निषेध, प्लास्टिक शीट या ऐसी प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक पैकेजिंग से बने कवर और वस्तुओं को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में इन नियमों के नियम 4 के अधीन निषिद्ध करने के लिए प्राधिकरण होगा।”;

(ग) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या पंचायती राज संस्थान के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव अपशिष्ट उत्पादक द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध या निषेध, प्लास्टिक शीट या ऐसी प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक पैकेजिंग से बने कवर और वस्तुओं को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में इन नियमों के नियम 4 के अधीन निषिद्ध करने के लिए प्राधिकरण होगा।”;

(घ) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(4) उपनियम (1), (2) और (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में संबंधित जिले के क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निकाय के कार्यकारी प्रमुख या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता लेंगे”।

9. उक्त नियम के नियम 13 में,-

(क) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) प्रत्येक उत्पादक या आयातक या ब्राण्ड स्वामी एक बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से अनुसूची II में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप I में आवेदन करेंगे। -

- (i) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति, यदि एक या दो राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रही है; या
- (ii) (ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रहा है।”;

(ख) उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण करने वाला या प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करने या संसाधित करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से अनुसूची -2 में निर्दिष्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप II में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।”;

(ग) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण इकाइयों को रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं करेगी जब तक कि इकाई के पास जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध मंजूरी न हो और जिला उद्योग केंद्र या इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र न हो।”;

(घ) उप-नियम (9) का लोप किया जाएगा.

(ङ) उप-नियम (11) का लोप किया जाएगा.

10. उक्त नियम के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“16. राज्य स्तरीय निगरानी समिति- (1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, इन नियमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के प्रयोजन से, एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या नगरपालिका प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी प्रधान सचिव	अध्यक्ष;
(ख)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव	सह-अध्यक्ष;
(ग)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या शहरी विकास के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव या उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(घ)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव या उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(ङ)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या पर्यावरण के लिए उत्तरदायी प्रशासन विभाग के संबंधित प्रभारी सचिव या उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव	सदस्य;
(छ)	दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के नगर आयुक्त	सदस्य;
(ज)	दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अलावा अन्य शहरों से एक नगर आयुक्त	सदस्य;
(झ)	जिला स्तरीय पंचायतों के एक मुख्य परिचालन अधिकारी	सदस्य;
(ञ)	अपशिष्ट प्रबंधन में सम्मिलित गैर-सरकारी संगठन से एक विशेषज्ञ को राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(ट)	राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले उद्योग संघ के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(ठ)	उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ को राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(ड)	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किए जाने वाले शिक्षाविदों से एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ढ)	पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रभारी निदेशक	सदस्य
(ण)	नगरपालिका प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रभारी निदेशक	सदस्य सचिव

(2) राज्य स्तरीय निगरानी समिति छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और यदि आवश्यक समझे तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।”

11. उक्त नियमों की अनुसूची II में, -

(क) पैरा 6 में, खंड (6.3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(6.3) खंड (6.1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए बाध्य संस्थाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑन-लाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से खंड (6.1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने की बाध्यता रखने वाली किसी भी गैर-रजिस्ट्रीकृत इकाई से संव्यवहार नहीं करेगी।”;

(ख) पैरा 10 में, खंड (10.6) में, परंतुक में, "31 अक्टूबर 2023" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगी, अर्थात्:-

"30 नवंबर 2023”;

(ग) पैरा 12 में, खंड (12.8) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(12.9) केंद्रीय सरकार उत्पादकों, आयातकों और ब्राण्ड स्वामियों को खंड 10.6 के अधीन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को खंड 11.2 के अधीन नौ महीने से अधिक की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर सकती है।”

(घ) पैराग्राफ 15 के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“15क विभिन्न श्रेणियों से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र की खरीद.-

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन श्रेणियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र खरीदने की अनुमति दे सकता है जहाँ उस श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व पर अधिशेष विद्यमान है जिससे ऐसी श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व को पूरा किया जा सके जहाँ कमी है।

(2) ऐसे मामलों में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियों के संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण की उपलब्धता और लागत के आधार पर उस श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व को पूरा करने के लिए जहाँ अधिशेष विद्यमान है, उस श्रेणी के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की मात्रा निर्धारित करेगा, जहाँ अधिशेष विद्यमान है।

(3) इस पैरा का उपबंध वर्ष 2025-2026 की समाप्ति पर लागू नहीं होगा।”

[मि. सं 12/31/2023 –एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, सा.का.नि. 320(अ). तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 27 मार्च, 2018, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ) तारीख 12 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ) तारीख 17 अगस्त, 2021, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133(अ) तारीख 16 फरवरी, 2022, और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) तारीख 6 जुलाई, 2022., और अंत में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 318(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2023 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2023

G.S.R. 807(E).—WHEREAS the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the “said rules”) were notified by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016 to provide statutory framework for plastic waste management in the country in an environmentally sound manner;

AND WHEREAS in order to further strengthen the effective implementation of rules amendments are being proposed inter alia including use of information technology tools for online reporting replacing multi-step manual reporting and capturing of data at various stages of waste management at state and local authority level; provide for online electronic trading platform for trading of certificates generated by registered plastic waste processors for price discovery;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to amend the said rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2 after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(3) Sub-rule (1) of rule 9 shall not apply to the export oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government under the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), and to other units manufacturing plastic packaging or on plastic packaging used for packaging products for export against an order for export:

Provided that this sub-rule shall not apply to pre-consumer plastic packaging waste generated by such units.”.

3. In rule 3 of the said rules, -

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(c) “carry bags” mean bags made from plastic material or compostable plastic or biodegradable plastic, used for the purpose of carrying or dispensing, commodities, which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use”;

(ii) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(s) “producer” means persons engaged in manufacture of plastic packaging”;

4. In rule 4 of the said rules, in sub-rule (1), for the words “multi-layered packaging”, the words “plastic packaging” shall be substituted.

5. In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1), for the words “urban local bodies” the words “local bodies” shall be substituted.

6. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (6), for the words “multilayered packaging” the words “plastic packaging” shall be substituted.

7. In rule 11, of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1) Each plastic packaging shall contain the following information, printed in English, namely:-

(a) name and registration certificate number for producer or importer or brand owner generated through centralized online portal specified in Schedule II for plastic packaging, in case of, rigid plastic packaging with effect from 1 July, 2024, multilayer flexible plastic packaging having more than one layer with different types of plastics, including plastic sachet or pouches, and multi-layered plastic packaging;

(b) name and registration certificate number for producer or importer or brand owner generated through centralized online portal specified in Schedule II for plastic packaging and thickness in case of flexible plastic packaging of single layer including plastic sachet or pouches (if single layer), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags;

(c) name and registration certificate number for producer or importer or brand owner generated through centralized online portal specified in Schedule II for plastic packaging with effect from 1 January, 2025 and number of certificate issued under clause (h) of sub-rule (4) in case of plastic sheet or like used for packaging and plastic packaging as well as carry bags commodities made of compostable plastic, as applicable;

(d) name and certificate number issued under clause (h) of sub-rule 4 in case of plastic sheet or like used for packaging and plastic packaging as well as carry bags and commodities made of biodegradable plastic;

Provided that the provisions of this sub-rule shall not apply to plastic packaging covered under rule 26 of the Legal Metrology Packaged Commodities Rules, 2011, and in respect of plastic packaging cases where it is technically not feasible to print the requisite information, as per specifications given in the Guidelines for use of Standard Mark and labelling requirements under BIS Compulsory Registration Scheme for Electronic and IT Products;

Provided further that the plastic packaging under the first proviso shall be approved by the Central Pollution Control Board:

Provided also that the relevant information in respect of plastic packaging under the first and second proviso shall be printed on the packaging that holds together individual units of goods or the individual units of packaging.”.

8. In rule 12 of the said rules , -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(1) The Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules;

(b) for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) The concerned Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or a Union territory Administration responsible for municipal administration shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, restriction or prohibition on use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and plastic packaging and items prohibited under rule 4 of these rules in the urban areas of the State or a Union territory.”;

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(3) The concerned Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or a Union territory Administration responsible for Panchayati Raj Institutions shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, restriction or prohibition on use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and plastic packaging and items prohibited under rule 4 of these rules in the rural area of the State or a Union territory.”;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(4) The authorities referred to in sub-rule (1), (2) and (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner and executive Head of Municipal Body for urban areas or Chief Executive Officer of the District level Panchayats for rural areas within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in respect of the enforcement of the provisions of these rules”.

9. In rule 13 of the said rules,-

(a) for sub rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) Every producer or importer or brand-owner shall for the purpose of one –time registration make an application in Form I through the centralized online portal specified in Schedule II , to -

- (i) the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee of the Union territory concerned, if operating in one or two States or Union territories; or
- (ii) the Central Pollution Control Board, if operating in more than two States or Union territories.”;

(b) for sub rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) Every person recycling or processing waste or proposing to recycle or process plastic waste shall for the purpose of one-time registration make an application to the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee in Form II through Centralized online portal specified in Schedule –II.”;

(c) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall not grant registration to plastic waste recycling or processing units unless the unit possesses a valid consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and a certificate of registration issued by the District Industries Centre or any other Government agency authorised in this regard.”;

(d) Sub-rule (9) shall be omitted.

(e) Sub-rule (11) shall be omitted.

10. For rule 16 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: -

“16. State Level Monitoring Committee.- (1) The State Government or the Union territory Administration shall, for the purpose of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Monitoring Committee, consisting of the following persons, namely:-

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| (a) | Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for municipal administration | Chairman; |
| (b) | Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Panchayati Raj Institutions | Co- Chairman; |
| (c) | Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Urban Development or his nominee | Member; |
| (d) | Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Rural Development or his nominee | Member; |
| (e) | Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible of Environment or his nominee | Member; |
| (f) | Member Secretary of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee | Member; |
| (g) | Municipal Commissioners of cities having population of one million or more | Member; |
| (h) | One Municipal Commissioner from cities other than cities having population of one million or more | Member; |
| (i) | One Chief Executive Officer of the District Level Panchayats | Member; |
| (j) | One expert from Non-Governmental Organisation involved in Waste management to be nominated by the State Government or Union territory Administration | Member; |
| (k) | One representative of an industry association to be nominated by the State Government or Union territory Administration | Member; |
| (l) | One expert from the field of Industry to be nominated by the State Government or Union territory Administration | Member; |
| (m) | One expert from academia to be nominated by the State Government or Union territory Administration | Member; |
| (n) | Director in charge, Department of the State Government or a Union territory administration responsible for Panchayati Raj Institutions | Member |
| (o) | Director in charge, Department of the State Government or a Union territory administration responsible for municipal administration | Member Secretary. |

(2) The State Level Monitoring Committee shall meet at least once in six months and may invite experts, if it considers necessary.”

11. In schedule II to the said rules, -

- (a) in paragraph 6, for clause (6.3) the following clause shall be substituted, namely:-

“(6.3)The entities obligated to register under clause (6.1) shall not deal with any un-registered entity having obligation to register under clause (6.1) through on-line centralized portal developed by the Central Pollution Control Board”;

(b) in paragraph 10, in clause (10.6), in the proviso, for the words and numbers “31st October 2023”, the following words and numbers shall be substituted, namely:-

“30th November 2023”;

(c) in paragraph 12, after clause (12.8), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(12.9) The Central Government may permit filing of annual returns by Producers, Importers and Brand owners under clause 10.6 and by Plastic Waste Processors under clause 11.2 for a period not exceeding nine months for the reasons to be recorded in writing.”

(d) after paragraph 15, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“ 15A Purchase of extended producer responsibility certificate from different categories.-

(1) The Central Pollution Control Board may allow purchase of extended producer responsibility certificates for those categories where surplus exists over the extended producer responsibility obligation of that category for fulfilment of extended producer responsibility obligation of such category where deficit exists.

(2) In such cases, the Central Pollution Control Board shall prescribe the quantum of extended producer responsibility certificates of the category required to be procured, where surplus exists, for fulfilment of extended producer responsibility obligation of the category where deficit is present, based on the availability and cost of collection, segregation and processing for different categories of plastic packaging waste.

(3) The provision of this paragraph shall cease to apply at the end of 2025-2026.”.

[F. No. 12/31/2023 –HSM]

Naresh Pal Gangawar, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018, *vide* notification number G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021, *vide* notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021, *vide* notification number G.S.R. 133(E) , dated the 16th February 2022, *vide* notification number G.S.R. 522(E) , dated the 6th July 2022 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 318(E) , dated the 27th April 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253031
CG-DL-E-15032024-253031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]
No. 188]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सा.का.नि. 201(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.744 (अ) तारीख 16 अक्टूबर, 2023, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और सभी लोगों से जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है उक्त प्रारूप नियमों वाले राजपत्र की प्रतियां उस तारीख से जिसको वे जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं साठ दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप नियम वाले राजपत्र की प्रतियां 16 अक्टूबर, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और इस अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकतः विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें इसके पश्चात नियम 3 के उक्त नियम कहा गया है, -

(i) खंड (कग) स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(क ग) "जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक" से, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के अलावा अन्य प्लास्टिक अभिप्रेत है, जो मृदा, भूमि भराव, नालों के कीचड़, ताजे पानी, समुद्री जैसे विनिर्दिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा किसी सूक्ष्म प्लास्टिक या दृश्यमान या अलग-अलग छोड़े बिना नष्ट हो जाता है या विषाक्त अवशेष, जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;";

(ii) खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(त) "आयातक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए किसी प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग वाली किसी वस्तु या थैली या प्लास्टिक चादर या वैसी ही सामग्री या प्लास्टिक की कच्ची सामग्री का आयात करता है, जो रेजिन या दानों या मध्यवर्ती सामग्री के रूप में शामिल है जिसे फिल्म या प्रीफॉर्म जैसी विनिर्माणकारी प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है;";

(iii) खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(द) "विनिर्माता" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक कच्ची सामग्री का उत्पादन करने में लगा हुआ है, जिसमें कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक भी सम्मिलित है;";

(iv) खंड (ढ) में, "धातुकृत परतें या" शब्द का लोप किया जाएगा;

(v) खंड (ध) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

'(ध) "उत्पादक" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण में लगा हुआ है; और, इसके अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती सामग्री के विनिर्माण में लगा व्यक्ति भी सम्मिलित है, और प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करके या ब्रांड स्वामियों की अन्य वैसी ही व्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पादों के संविदा विनिर्माण में लगा व्यक्ति भी सम्मिलित है;";

(vi) खंड (प क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा -

'(प क) "विक्रेता" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्लास्टिक की कच्ची सामग्री जैसे रेजिन या दानों या प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादन के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री का विक्रय करता है;';

3. उक्त नियम के नियम 4 में,-

(क) उपनियम (1) में, -

(i) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) विनिर्माता किसी उत्पादक या इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किए गए विक्रेता को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक का विक्रय या उपलब्ध या व्यवस्था नहीं कराएगा;";

(ii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ज) खंड (ग) के अधीन मोटाई का उपबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी थैली या वस्तुओं को लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी थैलियां और वस्तुएं विनिर्देश नामक कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए भारतीय मानक: आईएस/आईएसओ 17088:2021 के अनुरूप होंगी;";

(iii) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(जक) विनिर्माता थैलियों या सिर्फ वो वस्तुएँ जो की उप नियम (3) में शामिल हैं वो वस्तुएँ कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक का प्रयोग करके बन सकती हैं करने वाली का विनिर्माण इन नियमों और खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के विनियमों के अधीन अधिकथित अनिवार्य चिन्हांकन और लेबलिंग का उपयोग करेगा; कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक थैलियां या नियमों के अधीन अनुज्ञात वस्तुओं के विनिर्माताओं को विपणन या विक्रय से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे;";

(ख) उप-नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3क) कंपोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का विनिर्माता बाजार में प्रस्तुत की गई ऐसी वस्तुओं की मात्रा और उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता अपशिष्ट की रिपोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देगा;";

(ग) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(5) प्लास्टिक या उसके हिस्से से बनी वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता विनिर्माण के प्रक्रम पर अस्वीकृत या परित्यक्त की गई सामग्री के रूप में उत्पन्न पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित करेगा और ऐसा विनिर्माण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को रिपोर्ट करेगा।"

4. उक्त नियम के नियम 6 में,-

(i) उप-नियम (1) में, "या उत्पादक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1क) प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी, कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माता, उनके और स्थानीय निकायों द्वारा पारस्परिक रूप से तय पाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार, स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय निकाय के साथ संबद्ध हो सकते हैं।"

(iii) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) स्थानीय निकाय प्रत्येक वर्ष 30 जून तक डंप साइटों में विद्यमान प्लास्टिक अपशिष्ट सहित उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का मूल्यांकन करेगा और अगले पांच वर्ष की अवधि में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक सामग्री की मात्रा का भी अनुमान लगाएगा।

(6) स्थानीय निकाय संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना ढांचे का मूल्यांकन करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को एक रिपोर्ट भेजेगा।

(7) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिषिद्ध एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनके वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(8) स्थानीय निकाय वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल करेगा, और उन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात्: -

(i) एक वर्ष में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसमें पुराना प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल है;

(ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना;

(iii) उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का अनुमान;

(iv) उपविधियां बनाने और उनके कार्यान्वयन की प्रास्थिति;

(v) प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनके वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए की गई कार्रवाई।

5. उक्त नियम के नियम 7 में,-

(i) उपनियम (1) में,-

(क) "ग्राम पंचायत" शब्दों के पश्चात "या जिला स्तर पर पंचायत" शब्द अंतःस्थापित किए जाने चाहिए;

(ख) खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(घ) अपशिष्ट चुगने वालों के साथ काम करने वाले नागरिक समाजों या समूहों को लगाना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाए;

(च) अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिषिद्ध एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनके वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना।";

(ii) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) प्रत्येक उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी, विनिर्माता और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माता, जिला और ग्राम स्तर पर उनके और पंचायत द्वारा प्रवेश किया गया

पारस्परिक रूप से तय पाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार, स्वैच्छिक आधार पर जिला और ग्राम स्तर पर पंचायत के साथ संबद्ध हो सकते हैं।”

6. उक्त नियमों के नियम 7 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“7क. जिला स्तर पर पंचायतों की जिम्मेदारी.-

(1) जिला स्तर पर पंचायत प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पाटन स्थलों पर विद्यमान प्लास्टिक अपशिष्ट सहित उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का मूल्यांकन करेगी और अगली पांच वर्ष की अवधि में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का भी अनुमान लगाएगी।

(2) जिला स्तर पर पंचायत संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का मूल्यांकन करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को रिपोर्ट करेगी।

(4) जिला स्तर पर पंचायत वार्षिक रिपोर्ट में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे:

(i) एक वर्ष में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसमें पुराना प्लास्टिक अपशिष्ट भी शामिल है;

(ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना;

(iii) उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का अनुमान;

(iv) उपविधियों की विरचना और कार्यान्वयन की प्रास्थिति;

(v) प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, उनका वितरण, विक्रय और उपयोग को रोकने के लिए की गई कार्रवाई।

7. उक्त नियम के नियम 9 में,-

(i) उप-नियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी जो बाजार में किसी भी प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रस्तुत करते हैं, ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग के संग्रहण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) जहां कोई भी उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी अपनी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को पूरा करता है, उसे उप-नियम (1) के अधीन अपनी जिम्मेदारी का अनुपालन किया गया माना जाएगा।

“(2क) उत्पादक, आयातक, ब्रांड स्वामी, विनिर्माता, और कंपोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विनिर्माता, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे।”

8. उक्त नियम के नियम 10 में,-

(क) उप-नियम (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु यह जहां जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक का परीक्षण प्रयोगशाला के रजिस्ट्रीकरण से पहले आरंभ हो गया हो, और रिपोर्ट आईएस 17899 टी:2022 के अनुरूप हो, वहां ऐसे जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक की, नियम 18 के अधीन उदग्रहणीय पर्यावरण प्रतिकर की रकम के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए विधिवत मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की अवधि तक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक से पुनः परीक्षण के लिए पूछेगा और उत्पादन या उपयोग की अनुमति देगा:

परंतु यह और कि ऐसे परीक्षण का परिणाम आईएस 17899 टी:2022 के अनुरूप नहीं होता है तो बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

(ख) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(7) बीआईएस प्लास्टिक पैकेजिंग और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के लिए अलग रंग या चिन्हांकन विनिर्दिष्ट करेगा।”

9. उक्त नियम के नियम 11 में,-

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक पुनःचक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर एक लेबल होगा "पुनःचक्रित में ---- पुनर्चक्रित प्लास्टिक का प्रतिशत" और नीचे दर्शाए गए अनुसार एक चिह्न होगा और भारतीय मानक आईएस 14534: 2023 के अनुरूप होगा: जिसका शीर्षक समय-समय पर संशोधित "प्लास्टिक - प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनःप्राप्ति और पुनर्चक्रण" - दिशानिर्देश" है।"



टिप्पण : पेट-पोलीथाइलिन टेरीफैथेलेट, एचडीपी-उच्च डेंसिटी पोलीथाइलिन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई - निम्न डेंसिटी पोलीथाइलिन, पीपी-पोलीप्रोपिलिन, पीएस पोलीस्टायरिन और अन्य से अभिप्रेत सभी अन्य राल और बहुसामग्रियां हैं जैसे एबीएस (एक्रीलोनिट्राइल बूटाडिन स्टायरिन), पीपीओ (पोलीफेननाइलिन आक्साइड), पीपी (पोलीकार्बोनेट), पीवीटी (पोलीबूटीलेन पेरीफेलेट) आदि।

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(3) कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी प्रत्येक प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर "केवल औद्योगिक कंपोस्टिंग के अधीन कंपोस्टेबल" लेबल होगा और यह भारतीय मानक: आईएस/आईएसओ 17088: 2021 के अनुरूप होगा , जिसका शीर्षक कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए विनिर्देश होगा।"

जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी प्रत्येक प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु पर "जैवनिम्नकरणीय [---दिनों की संख्या ---] केवल [---प्राप्तकर्ता वातावरण जैसे मृदा, लैंडफिल, पानी आदि] लेबल लगा होगा। ---]".

10. उक्त नियम के नियम 13 में,-

(i) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) प्लास्टिक कचची सामग्री का प्रत्येक विनिर्माता और आयातक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्ररूप-3 में रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति के समक्ष आवेदन करेगा:

(4 क) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, प्लास्टिक कचची सामग्री का विनिर्माता और आयातक,-

(i) केवल इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत निर्माता या विक्रेता को प्लास्टिक कचची सामग्री विक्रय करेगा और ऐसे उत्पादक या विक्रेता की रजिस्ट्रीकरण संख्या प्लास्टिक कचची सामग्री की विक्रय के लिए विक्रय चालान पर उल्लिखित है;

(ii) प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में लगी किसी भी संस्था या इकाइयों को प्लास्टिक की कचची सामग्री विक्रय नहीं करेगा;

(iii) प्लास्टिक कचची सामग्री के सभी पैकेजिंग थैलों पर निम्नलिखित मुद्रित किया जाएगा:

"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन प्रतिषिद्ध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग नहीं किया जाए, जिसमें प्लास्टिक शीट <50 माइक्रोन मोटाई, गैर-बुनी हुई थैलियां<60 जीएसएम, थैलियां <120 माइक्रोन मोटाई" शामिल हैं;

(iv) केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

"(4ख) प्लास्टिक की कचची सामग्री या प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री की विक्रय में लगा प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदन करेगा।";

(iii) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(8) जहां सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद तीस दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है, वहां आवेदक को ऐसी अवधि की समाप्ति पर इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत माना जाएगा।"

11. नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:

"17. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण में लगा प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप-4 में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और संबंधित स्थानीय निकाय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री का प्रत्येक विनिर्माता और आयातक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए प्ररूप-4 में एक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे तिमाही के पश्चात आने वाले मास के अंतिम दिवस तक और वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(3) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री या प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री की विक्रय में लगा प्रत्येक व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति को संव्यवहार के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून ऑनलाइन रूप में प्रस्तुत करेगा।

(4) जिला स्तर पर प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतें प्ररूप-5 में क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार और उसे प्रत्येक वर्ष 30 जून ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(5) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति जिला स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का स्वयं या किसी पदामिहित अभिकरण के माध्यम से लेखापरीक्षा कराएगी और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की प्रति और वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाएगी।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रति वर्ष 31 जुलाई तक इन नियमों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए प्ररूप-6 में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को या उससे पहले इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी अनुशंसाओं के साथ केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

12. उक्त नियमों की अनुसूची 2 में,

(i) शीर्षक में "प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी संबंधी दिशानिर्देश" शब्दों के पश्चात "और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा

4 "बाध्य अस्तित्व:

विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यताओं के अंतर्गत इकाइयां आएंगी, अर्थात्: -

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न, प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक;

(ख) सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातक, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे फिल्म और प्रीफॉर्म और आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई मध्यवर्ती सामग्री भी शामिल है;

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से भिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/बाजार स्थल और सुपरमार्केट/खुदरा श्रृंखला सहित ब्रांड स्वामी;

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता;

(ङ) प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता और आयातक;

(च) कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के विनिर्माता।

(iii) पैरा 5 में, के उप पैरा 5.1 में,

(क) मद (iv) में, "थैले" शब्द के पश्चात, "और वस्तुएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (iv) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

“(v) प्रवर्ग 5

पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई प्लास्टिक शीट या वैसी ही प्लास्टिक शीट, जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से निर्मित थैले और वस्तुएं।”

(iv) पैरा 6 के उप-पैरा (6.1) में, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“(क) निम्नलिखित अस्तित्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत होंगी, अर्थात्:-

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित उत्पादक (पी)

(ii) आयातक (आई);

(iii) ब्रांड स्वामी (बीओ);

(iv) (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल, और (iv) औद्योगिक खाद बनाने में लगे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता;

(v) प्लास्टिक कचची सामग्री के विनिर्माता और आयातक;

(vi) कम्पोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से निर्मित मदों के विनिर्माता।

(v) पैरा 7 में,-

(क) उप-पैरा (7.8) का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (7.8) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(7.9) प्लास्टिक कचची सामग्री के विनिर्माता या आयातक - विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी लक्ष्य:

(i) उत्पादकों की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं जिन्हें इसमें इसके पश्चात सूक्ष्म और लघु उत्पादक कहा गया है, प्लास्टिक कचची सामग्री के विनिर्माताओं या आयातकों द्वारा पूरी की जाएगी जिन्होंने ऐसे सूक्ष्म और लघु उत्पादकों को प्लास्टिक कचची सामग्री की आपूर्ति की है;

परंतु ऐसे उत्पादकों द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक अंतर्वस्तु के उपयोग का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

(ii) प्लास्टिक की कचची सामग्री के विनिर्माता या आयातक के लिए प्रवर्ग वार विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उत्पादकों को बेची गई प्लास्टिक कचची सामग्री की मात्रा होगी, जहां विक्रय बीजक को प्लास्टिक की कचची सामग्री के विनिर्माता या आयातक द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अधिप्रमाणित किया जाता है, ऐसे सूक्ष्म और लघु उत्पादकों द्वारा ब्रांड स्वामियों और उत्पादकों को की गई विक्रय को छोड़कर, जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन यथा परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में प्रवर्गोक्त नहीं किया गया है।

(iii) उत्पादक जो सूक्ष्म या लघु उद्यम है इसके द्वारा विनिर्मित प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रवर्ग केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर घोषित करेगा।

(iv) विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लक्ष्य को पूरा करते समय प्लास्टिक की कचची सामग्री के विनिर्माता या आयातक को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य के अधीन एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर (उपयोगिता काल समाप्ति पर निपटान को छोड़कर) को श्रेणी-वार सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है। अर्थात् :-

तालिका

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (उपयोगिता काल समाप्ति पर निपटान को छोड़कर)।

(विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लक्ष्य का प्रतिशत)

प्लास्टिक पैकेजिंग का प्रवर्ग	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और आगे
प्रवर्ग I	50	60	70	80
प्रवर्ग II	30	40	50	60
प्रवर्ग III	30	40	50	60

(vi) पैरा 8 में, उप- पैरा (8.4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(8.5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाध्य अस्तित्वों के बीच विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों की अदला-बदली के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/प्लेटफॉर्मों की स्थापना के लिए अभिकरणों के प्राधिकृत किए जाने संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगा।

(8.6) विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों की अदला-बदली की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/प्लेटफॉर्मों की संख्या को प्रतिषिद्ध किया जा सकता है।

(8.7) इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का प्रचालन केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(8.9) इन नियमों के नियम 18 के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों के लिए उच्चतम और न्यूनतम कीमत तय करेगा, जो विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यताओं उत्तरदायित्वों को पूरा न करने के लिए बाध्य अस्तित्व पर उदग्रहणीय पर्यावरण प्रतिकर के क्रमशः 100 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के बराबर होगा।

(8.10) इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य जैसा ऊपर निर्धारित है उसके अनुसार उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच होगा।”

(vii). पैरा 10 में,-

(क) शीर्षक में "उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों की भूमिका" शब्दों के स्थान पर "उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और विनिर्माताओं और कंपोस्टेबल प्लास्टिक या जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं और उत्पादकों की भूमिका" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-पैरा (10.1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(10.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और निर्माताओं और कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं को ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत करना होगा।

(ग) उप-पैरा (10.5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(10.5) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रह के लिए एक अलग अपशिष्ट धारा विकसित करने के लिए, उत्पादक, आयातक और ब्रांड-स्वामी और प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता और आयातक और कंपोस्टेबल प्लास्टिक और जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माता जमा वापसी प्रणाली या पुनः क्रय या किसी अन्य मॉडल जैसी स्कीमें चला सकते हैं। जिससे ठोस अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के मिश्रण को रोकने के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यता को प्रत्यक्षतः पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग के संग्रहण हेतु पृथक अपशिष्ट स्ट्रीम को विकसित किया जा सके।

(घ) उप-पैरा (10.6) में ,

(अ) "उत्पादक, आयातक और ब्रांड स्वामी" शब्दों के पश्चात "प्लास्टिक कच्ची सामग्री के विनिर्माता और आयातक" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के संबंध में इस पैरा के अधीन वार्षिक विवरणी 31 मार्च को या उससे पहले फाइल की जा सकेगी।

(viii) पैरा 11 में, उप-पैरा (11.2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के संबंध में इस उप-पैरा के अधीन वार्षिक विवरणी 31 मार्च 2024 को या उससे पहले फाइल की जा सकेगी; "।

(ix) पैरा 15 में, उप-पैरा (15.1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(15.1) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न फाइल करते समय अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक पुनःचर्चित प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु और उपयोगिता काल समाप्ति पर निपटान के लिए भेजे गए प्रमाणपत्रों का विवरण प्रदान करेंगे।

(15.2) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-स्वामियों और विनिर्माताओं और कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं और प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापन किया जाएगा और अंतर होने के मामले में, इन नियमों के अधीन निचले आंकड़े को उत्पादक, विस्तारित जिम्मेदारी बाध्यता को पूरा करने के लिए माना जाएगा।

(15.3) प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा सत्यापन के अधीन होगा।

(15.4) जैवनिम्नकरणीय प्लास्टिक के विनिर्माता परस्पर सहमत तौर-तरीकों के आधार पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सृजित विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्र प्राप्त करके अपने विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी बाध्यता को पूरा करेगा।

(15.5) स्थानीय प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार संबंधित प्राप्तकर्ता पर्यावरण में जीवन के अंत तक जैवनिम्नीकरण के लिए उनके द्वारा एकत्र किए गए जैवनिम्नीकरण प्लास्टिक के बराबर विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, इस तरह के लेनदेन को विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढांचे के अधीन वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय निर्माताओं द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड और जमा किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

13. उक्त नियमों में, 'प्ररूप-1' के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्रपत्र-1"

[नियम 13(2) देखें]

उत्पादकों या ब्रांड स्वामियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....

.....(अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

.....प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

.....

.....

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्री के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. उत्पादक

(क) बड़े और मध्यम उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)

भाग- क	
सामान्य	
1.(क)	इकाई का नाम और स्थान
(ख)	इकाई का पता
(ग)	निम्नलिखित के निर्माण के लिए रजिस्ट्री आवश्यक है: i. कैरी बैग; (क) पेट्रो- आधारित, (ख) वनस्पति खाद-योग्य ii. बहुस्तरीय प्लास्टिक
(घ)	विनिर्माण क्षमता
(ङ)	नवीनीकरण के मामले में, पिछला रजिस्ट्रीकरण नंबर और रजिस्ट्री की तारीख
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र के साथ पंजीकृत है? यदि हाँ, तो एक प्रति संलग्न करें।
3.(क)	परियोजना पर निवेश की गई कुल पूंजी
(ख)	उत्पादन प्रारंभ होने का वर्ष
4. (क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और मात्रा
(ख)	प्रयुक्त कच्चे माल की सूची और मात्रा
5.	विनिर्माण प्रक्रिया का एक प्रवाह आरेख प्रस्तुत करें जिसमें उत्पादों और कैप्टिव बिजली उत्पादन और पानी सहित उत्पन्न अपशिष्ट के संदर्भ में इनपुट और आउटपुट दर्शाया गया हो।
6.	इन नियमों के अनुपालन की स्थिति- मोटाई - पचास माइक्रोन (हां/नहीं)
भाग - ख	
तरल प्रवाह और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित	
7.	क. क्या इस इकाई के पास जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हाँ, तो एक प्रति संलग्न करें
	ख. क्या इस इकाई के पास वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हाँ, तो एक प्रति संलग्न करें

भाग- ग

अपशिष्ट से संबंधित

8. ठोस अपशिष्ट या बेकार वस्तु:
- क. उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा
- ख. संयंत्र के भीतर भंडारण का तरीका
- ग. कचरे के निपटान के लिए बनाया गया उपबंध
9. कैरी बैग या प्लास्टिक शीट के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न या प्रदान करें
10. कर्मियों या ब्रांड मालिकों की सूची संलग्न करें या प्रदान करें जिन्हें उत्पादों की आपूर्ति की जाएगी
11. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए अधिसूचित विनियम के अनुसार कार्य योजना

नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख:

स्थान:

(ख) सूक्ष्म और लघु उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)

भाग - क सामान्य

1. सूक्ष्म या लघु उत्पादक
2. विवरण :
- क. नाम और स्थान
- ख. रजिस्ट्रीकृत पता
- ग. डाक का पता
- घ. जीएसटी सं.
- ङ. पैन सं.
- च. सीआईएन सं. (कंपनियों के लिए लागू)
- छ. उद्यम रजिस्ट्रीकरण सं.
3. अधिकृत व्यक्ति विवरण:
- क. नाम
- ख. पदनाम
- ग. मोबाइल नं.
- घ. आधार सं. (स्वैच्छिक आधार पर आधार

4.	प्रमाणीकरण) ड. पैन सं. च. ई मेलआईडी निर्मित प्लास्टिक पैकेजिंग: श्रेणी - I / श्रेणी - II / श्रेणी - III / श्रेणी - IV / श्रेणी - V)	
5.	कारबार प्रारंभ होने का वर्ष	
6.	इकाई का स्थान: क्र.सं. विनिर्माण इकाई का स्थान विनिर्माण क्षमता (प्लास्टिक-पैकेजिंग श्रेणी वार)	

7.	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
भाग ख : प्लास्टिक पैकेजिंग का विवरण		
8.	विनिर्माण विवरण वर्ष 1, वर्ष 2 मात्रा (एमटी) 1. उपाप्त किया गया कच्चा माल की खरीद 2. उपाप्त की गई प्लास्टिक पैकेजिंग का श्रेणीवार विवरण 3. बेची गई कुल प्लास्टिक पैकेजिंग का श्रेणी-वार विवरण (एमटी) क. ब्रांड मालिक को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग ख. उत्पादक (बड़े और मध्यम) को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग ग. उत्पादक (लघु और सूक्ष्म) को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग घ. विक्रेता को बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग 4. पूर्व-उपभोक्ता का प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (एमटी)	
9.	यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 की अनुपालना की स्थिति	हां/नहीं
10.	मुख पृष्ठ (संलग्नकों सहित)	
11.	सूक्ष्म और लघु उत्पादकों द्वारा स्व-घोषणा	
12.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	
13.	स्व-घोषणा : क. नाम : ख. डिजिटल हस्ताक्षर ग. तारीख : स्थान :	

टिप्पणी :

(i) रजिस्ट्रीकरण स्व-घोषणा पर आधारित होगा और प्लास्टिक पैकेजिंग पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम या नियमों के अधीन मालिकाना हक रखने वाली अरजिस्ट्रीकृत कंपनी के मामले में, कंपनी मालिक उद्यम के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने पैसों का उपयोग कर सकता है।

II ब्रांड मालिक :

भाग-क सामान्य		
1.	नाम, पता और संपर्क संख्या	
2.	नवीकरण के मामले में, पिछली रजिस्ट्री संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
3.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
भाग-ख तरल बहिःस्राव और गैसीय उत्सर्जनों से संबंधित		
5.	क्या इकाई के पास, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
6.	क्या इकाई के पास, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
भाग-ग अपशिष्ट से संबंधित		
7.	ठोस अपशिष्ट या अवशिष्ट : क. उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा ख. संयंत्र के भीतर भंडारण का तरीका ग. अपशिष्टों के निपटान के लिए की गई व्यवस्था	
8.	प्लास्टिक अपशिष्ट की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न करें या उपलब्ध कराएं	
9.	प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः एकत्रित करने पर कार्य योजना	
		नाम और हस्ताक्षर पदनाम तारीख : स्थान :

III. आयातक :

भाग क और भाग ख की मद 3, 4, 5, तथा भाग ग की मद 7 और 8 को प्रयोज्यता के अनुसार भरा जाना है।

भाग-क		
सामान्य		
1.	नाम, पता और संपर्क संख्या	
2.	नवीकरण के मामले में, पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्री की तारीख	
3.	क्या इकाई, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में रजिस्ट्रीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4.(क)	परियोजना में निवेश की गई कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5.(क)	उत्पादों और सह-उत्पादों की सूची और मात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा	
6.(क)	आयातित या आयात किए जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट की मात्रा	
(ख)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए पैकेजिंग हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक की मात्रा	
(ग)	आगे और आपूर्ति या स्व उपयोग के लिए बहु-परतीय पैकेजिंग आयातित की मात्रा या आयात की जाने वाली मात्रा	
भाग-ख		
तरल बहिःस्राव और गैसीय उत्सर्जनों से संबंधित		
5.	क्या इकाई के पास, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
6.	क्या इकाई के पास, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन वैध सहमति है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें	
भाग-ग		
अपशिष्ट से संबंधित		
7.	ठोस अपशिष्ट या अवशिष्ट : क. उत्पन्न अपशिष्ट की कुल मात्रा ख. संयंत्र के भीतर भंडारण का तरीका ग. अपशिष्टों के निपटान के लिए की गई व्यवस्था	
8.(क)	(i) पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट (ii) बहुपरतीय पैकेजिंग की आयातित आपूर्ति कराने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न करें या उपलब्ध कराएं	

(ख)	(i) प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या वैसे ही प्लास्टिक शीट, (ii) स्व-उपयोग के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग की आयातित मात्रा	
9.	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए अधिसूचित विनियमों के अनुसार कार्य योजना	
नाम और हस्ताक्षर पदनाम तारीख : स्थान :		

14. उक्त नियमों में, प्ररूप V के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप V

[नियम 17 (4) देखें]

(क) शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि : (वर्ष)

क	सामान्य जानकारी	
1	शहर या नगर और राज्य का नाम :	
2	स्थानीय निकाय का नाम और पता	
3	ई-मेल :	
4	दूरभाष संख्या :	
5	जनसंख्या	
6	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
7	क्या अलग से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है (हां/नहीं)	
8	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	
9	क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
9	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र में परिवारों की कुल संख्या- वार्ड-वार	
10	घर-घर जाकर एकत्र अधीन करने वाले परिवारों की संख्या- वार्ड-वार	
11	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में स्थित और घर-घर जाकर कचरा एकत्र करने में शामिल वाणिज्यिक स्थापनों और संस्थानों की कुल संख्या	
क	वाणिज्यिक स्थापन	
ख	संस्थान	
12	(i) अनौपचारिक क्षेत्र (रियायतग्राही या स्वयं द्वारा प्रसंस्कृत) में अपशिष्ट बीनने वालों सहित मानव संसाधन का ब्यौरा क. एकत्रण ख. सड़क की सफाई	

	ग. परिवहन घ. पृथक्करण ड. प्रसंस्करण च. निपटान (ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (वार्ड वार) में लगे कचरा बीनने वालों का ब्यौरा क. कचरा बीनने वालों की संख्या	
ख	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	
1.	सीपीसीबी द्वारा तैयार पद्धति के अनुसार उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन में)	
2.	सीपीसीबी द्वारा तैयार पद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट की संरचनात्मक विशिष्टता • प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी I/श्रेणी II/ श्रेणी III/श्रेणी IV/श्रेणी V) • अन्य प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट (i) पुनर्चक्रण योग्य और (ii) गैर-पुनर्चक्रण योग्य	
3.	पृथक अपशिष्ट (परिवारों की संख्या % या संख्या में) का घर-घर जाकर किया गया संग्रहण – वार्ड-वार	
4.	एमआरएफ की कुल सं. और क्षमता (क) यांत्रिक एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और क्षमता पृथक किए गए अपशिष्ट (एमटी) की मात्रा और क्षमता (एमटी) (ख) हस्तचालित एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और पृथक किए गए अपशिष्ट की मात्रा (एमटी) और क्षमता (एमटी)	
5.	प्लास्टिक पुनर्चक्रण सुविधाओं की संख्या - श्रेणीवार विवरण ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता पुनर्चक्रित कुल प्लास्टिक अपशिष्ट की क्षमता (एमटी) पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट श्रेणी-वार (एमटी) अन्य पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) जारी किए गए ईपीआर प्रमाणपत्र श्रेणी-वार (एमटी)	
6.	खाद योग्य प्लास्टिक के लिए औद्योगिक खाद इकाई की संख्या और क्षमता ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या और क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता अपशिष्ट से बनाई गई खाद (एमटी) प्रसंस्कृत खाद योग्य प्लास्टिक (एमटी)	
7.	परिचालन अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की संख्या और क्षमता ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या और क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) उत्पादित ऊर्जा	
8.	तेल इकाइयों के लिए परिचालन अपशिष्टों की संख्या और क्षमता	

	ईपीआर रजिस्ट्री संख्या और क्षमता (एमटी) सहित नाम और पता प्रसंस्कृत अपशिष्ट (एमटी) उत्पादित तेल	
9.	सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा और क्षमता किलोमीटर सहित प्रयुक्त प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) सड़क की लंबाई (कि.मी.)	
10.	दिशा-निर्देशों के अनुसार थर्मोसेट प्लास्टिक का निपटान सुरक्षित लैंडफिल में भेजा गया थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) सह-प्रसंस्कृत थर्मोसेट प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी)	
11.	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु सीमेंट संयंत्र	
क.	ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ नाम और पता प्राप्त कुल अपृथक्कृत अपशिष्ट (एमटी) सह-प्रसंस्कृत किए गए अपृथक्कृत और प्लास्टिक अपशिष्ट में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रतिशत (एमटी)	
ख.	ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ नाम और पता प्राप्त कुल पृथक्कृत अपशिष्ट (एमटी) श्रेणी-वार सह-प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी)	
12.	पुनर्चक्रणकर्ताओं और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा सैनिटरी लैंडफिल में निपटाई गई निष्क्रिय सामग्री (एमटी) की मात्रा	
13.	वैज्ञानिक लैंडफिल स्थल (संख्या और क्षमता) की संख्या क्षमता (एमटी) प्राप्त अपशिष्ट (एमटी)	
14.	पुराने अपशिष्ट स्थल (पुराने अपशिष्ट की संख्या और मात्रा) मौजूद अपशिष्ट (एमटी) उपलब्ध नहीं है। आरडीएफ में प्रसंस्कृत अपशिष्ट (एमटी) आरडीएफ में प्लास्टिक अपशिष्ट (%) शेष अपशिष्ट (एमटी)	
15.	रजिस्ट्रीकृत यूएलबी की ईपीआर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
16.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तैयार किए गए ईपीआर दिशानिर्देश (हां/नहीं) विवरण संलग्न किए जाएं	
ग.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन	
1.	कृपया पुष्टि करें कि क्या उप-नियम बनाए गए हैं (हां/नहीं)	

2.	प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग को छोड़कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघनों की संख्या और अनुपालन न होने पर की गई कार्रवाई (नियम 12)			
i.	उल्लंघनों (उदाहरणार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना/इधर-उधर फेंकना) की कुल संख्या			
ii.	की गई कार्रवाइयां (लगाया गया जुर्माना/दण्ड - रूपए)			
3.	120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले अभिज्ञात सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वस्तुओं और प्लास्टिक कैरी बैग सहित नियम 4 के अधीन अधिरोपित गए प्रतिबंध का कार्यान्वयन करना (वार्ड-वार) (तिमाही संसूचना)			
(i)	सीपीसीबी एसयूपी अनुपालन ऐप पर रजिस्ट्रीकरण संख्या			
(ii)	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक स्थापन/संस्थाओं और महत्वपूर्ण स्थलों की कुल संख्या			
क.	- वाणिज्यिक प्रतिष्ठान : मॉल, सिनेमा हॉल, विमानपत्तन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, अन्य			
ख.	- संस्था- विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय परिसर आदि			
ग.	- हॉटस्पॉट – पर्यटन स्थल, सब्जी मंडी, थोक बाजार, मछली बाजार, फूल बाजार, धार्मिक स्थल आदि			
(iii)	किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या			
(iv)	अधिरोपित किया गया कुल जुर्माना (₹)			
(v)	अभिग्रहीत किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन)			
(vi)	अभिग्रहीत किए गए एसयूपी के निपटान के ढंग के ब्यौरे			
	अभिग्रहीत की गई एसयूपी की मात्रा (टन)	निपटान का तरीका (पुनर्चक्रण/ डब्ल्यूटीई/ डब्ल्यूटीओ/सह-प्रसंस्करण/ सड़क निर्माण)		प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता का नाम और पता
(vii)	अनुकल्पिक सामग्री का उत्पादन करने वाली इकाइयों का ब्यौरा			
	क्र.सं.	इकाई का नाम	अनुकल्पिक उत्पादित एसयूपी	उत्पादन क्षमता (टीपीए)
				पता
(x)	खाद योग्य प्लास्टिक और जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली इकाइयों का ब्यौरा			
(xi)	प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वस्तुओं के पारि अनुकल्पों के लिए दुकानें			
घ.	फेंके गए प्लास्टिक अपशिष्ट के जलाशयों में प्रवेश करने संबंधी डाटा			
1.	नालों और अन्य जलाशयों में प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए प्रवेश बिंदु प्रवेश बिंदुओं की संख्या			
	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपाय			

2.	नदी खण्डों सहित सतही जलाशय सतही जलाशयों की संख्या एकत्र किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
3.	नालों, जिनसे प्लास्टिक अपशिष्ट हटाया गया, की संख्या नालों की कुल लंबाई नालों, जिनसे अपशिष्ट हटाया गया, की कुल लंबाई एकत्र किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) एकत्र की गई गाद	

(ख) पंचायती राज संस्था द्वारा जिला स्तर पर प्रस्तुत किए जाने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट का रूपविधान

संसूचना की अवधि : (वर्ष)

क.	सामान्य	
1.	जिला और राज्य का नाम :	
2.	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्था का नाम और पता :	
3.	संपर्क हेतु ई-मेल :	
4.	संपर्क हेतु दूरभाष सं.	
5.	सम्मिलित किए गए ग्राम पंचायतों की संख्या	
6.	सम्मिलित किए गए ग्रामों की संख्या	
7.	कुल जनसंख्या	
8.	कुल क्षेत्र	
9.	घरों की कुल संख्या	
ख.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	
1.	शामिल अभिकरणों के ब्यौरे के साथ अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु स्थापित कार्यतंत्रों का संक्षिप्त-विवरण (कृपया ब्यौरा संलग्न करें)	
2.	कृपया अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
3.	स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की क्षमता सहित कुल संख्या	
4.	सीपीसीबी की कार्यपद्धति के अनुसार उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	
5.	सीपीसीबी की कार्यपद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट का विशेषीकरण (प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट : श्रेणी II/ श्रेणी III/ श्रेणी IIII/ श्रेणी IV/ श्रेणी V और अन्य ((i) पुनर्चक्रण-योग्य और (ii) पुनर्चक्रण-अयोग्य))	
6.	एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)	
7.	पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन)	
8.	प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए पहुंचाया गया प्लास्टिक अपशिष्ट (प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा और प्रसंस्करण के प्रकार का ब्यौरा)	

	<ul style="list-style-type: none"> • पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्लास्टिक अपशिष्ट • सीमेंट भट्टों में सह-प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट • अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल बनाने वाले संयंत्रों को प्लास्टिक अपशिष्ट • सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट 	
9.	<p>(i) निम्नलिखित के लिए अनौपचारिक क्षेत्र (रियायतग्राही या स्वयं द्वारा प्रसंस्करण) में कूड़ा बीनने वालों सहित कुल कार्मिकों का ब्यौरा</p> <p>क. एकत्रण</p> <p>ख. गलियों की सफाई</p> <p>ग. परिवहन</p> <p>घ. पृथक्करण</p> <p>ङ. प्रसंस्करण</p> <p>च. निपटान</p> <p>(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कूड़ा बीनने वालों का ब्यौरा (वार्ड वार)</p> <p>क. कूड़ा बीनने वालों की संख्या</p>	
10.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निर्धारित ईपीआर मार्गदर्शक सिद्धांत (हां/नहीं)	
	ब्यौरा संलग्न किया जाए	
ग.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन	
1.	कृपया पुष्टि करें कि क्या उपविधियां बनाई गई हैं (हां/नहीं)	
2.	प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कैरी बैग को छोड़कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के उल्लंघनों की संख्या और अनुपालन होने पर की गई कार्रवाई (नियम 12)	
i.	उल्लंघनों (उदाहरणार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाना/इधर-उधर फेंकना) की कुल संख्या	
ii.	की गई कार्रवाइयां (अधिरोपित किया गया जुर्माना/शास्ति रूपए)	
3.	120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले अभिज्ञात सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं और प्लास्टिक कैरी बैग सहित नियम 4 के अधीन अधिरोपित किए गए प्रतिबंध को लागू करना (वार्ड-वार) (त्रैमासिक संसूचना)	
i.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित संस्थाओं और महत्वपूर्ण स्थल की कुल संख्या	
(क)	- संस्था - विद्यालय, महाविद्यालय, आदि	
(ख)	- महत्वपूर्ण स्थल - सब्जी मंडी, थोक बाजार, मछली बाजार, फूल बाजार, धार्मिक स्थल आदि	
ii.	किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या	
iii.	अधिरोपित किया गया कुल जुर्माना (रु)	
iv.	प्रतिग्रहीत किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन)	
घ.	फेंके गए प्लास्टिक अपशिष्ट के जलाशयों में प्रवेश करने संबंधी डाटा	
1.	नालों और जलाशयों में प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए प्रवेश बिंदु प्रवेश बिंदुओं की संख्या प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपाय	

2.	नदी खण्डों सहित सतही जलाशय सतही जलाशयों की संख्या एकत्र किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
3.	नालों, जिनसे प्लास्टिक अपशिष्ट हटाया गया, की संख्या नालों की कुल लंबाई नालों, जिनसे अपशिष्ट हटाया गया, की कुल लंबाई एकत्र किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी) एकत्र की गई गाद	

15. उक्त नियमों में, प्ररूप VI के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्रारूप VI

[नियम 17 (6) देखें]

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

संसूचना की अवधि :

क.	सामान्य	
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :	
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम और पता :	
3.	संपर्क हेतु ई-मेल :	
4.	संपर्क हेतु दूरभाष सं. :	
5.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का ब्यौरा (राज्य स्तर)	
	• एकत्रण (मीट्रिक टन)	
	• पृथक्करण (मीट्रिक टन)	
	• प्रसंस्करण सहित पुनर्चक्रण (मीट्रिक टन)	
	• निपटान (मीट्रिक टन)	
ख	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्यतंत्र	
1.	अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में सम्मिलित अभिकरणों के ब्यौरे के साथ इसके लिए स्थापित कार्यतंत्र का संक्षिप्त विवरण दिया जाए (कृपया ब्यौरा संलग्न करें)	
2.	कृपया अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित अवसंरचना का ब्यौरा संलग्न करें	
3.	एमआरएफ सुविधाओं की कुल संख्या	
क	क्षमता के साथ यांत्रिक एमआरएफ सुविधाओं की संख्या	
ख	क्षमता के साथ मैनुअल एमआरएफ सुविधाओं की संख्या	
ग	प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन, एकत्रण, पृथक्करण और वर्गीकरण	
1.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की कुल संख्या	
2.	वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	
3.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों (जीपी) की कुल संख्या	

4क	जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की कुल संख्या								
4ख	जिला स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पंचायती राज संस्थाओं की संख्या								
5.	कृपया पुष्टि करें कि सभी ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों ने सीपीसीबी द्वारा नियत प्रारूप के अनुसार नियत समय-सीमा में पूरी जानकारी प्रदान की है (हां/नहीं)								
6.	निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी सूचना प्रस्तुत न करने वाले शहरी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बताएं								
7.	नियमों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले जिला स्तर/शहरी स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्था (पीआरआई) पर लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल रकम का ब्यौरा दें								
8.	सीपीसीबी की कार्य पद्धति के अनुसार उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन) (श्रेणी I/ श्रेणी II/श्रेणी III/श्रेणी IV/श्रेणी V/अन्य)								
9.	एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टन)								
10.	पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट (टन)								
11.	कृपया पुष्टि करें कि सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य पद्धति के अनुसार सभी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों ने प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन और वर्गीकरण का आकलन किया है (हां/नहीं)								
12.	कृपया सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य पद्धति के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट वर्गीकरण रिपोर्ट अपलोड करें								
13.	कृपया पुष्टि करें कि सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य पद्धति के अनुसार जिला स्तर पर यूएलबी और पीआरआई के लिए डाटा सत्यापन और मिलान किया गया है (हां/नहीं)								
घ	ईपीआर कार्यान्वयन								
1.	ईपीआर पर रजिस्ट्रीकृत यूएलबी की कुल संख्या (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त की जानी है)								
2.	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का ब्यौरा (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाना है)								
	नाम	प्रकार पुनर्चक्रणकर्ता/ सह- प्रसंस्करणकर्ता/अपशिष्ट से ऊर्जा/ अपशिष्ट से तेल/ सड़क निर्माण)	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	प्रसंस्करण क्षमता (टीपीए)					
				प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-I)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-II)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-III)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-IV)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-V)	अन्य
3.	पीडब्ल्यूपी (टीपीए) के माध्यम से प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट								
		प्रकार (पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करणकर्ता/ अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल/सड़क निर्माण)		प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-I)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-II)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-III)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-IV)	प्लास्टिक अपशिष्ट (श्रेणी-V)	अन्य
4.	पर्यावरणीय प्रतिकर (ईसी) की संपरीक्षा और उदहण (ईपीआर पोर्टल से डाटा स्वतः प्राप्त किया जाए)								
क	संपरीक्षित इकाईयों (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) की संख्या								
ख	उल्लंघन करती पाई गई इकाईयों (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) की संख्या								
ग	उल्लंघन करने वाली संस्थाओं (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) पर उद्गृहीत करना लगाया गया								

ड	नियम 4 के अधीन अभिज्ञात सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुएं, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग सहित पर अधिरोपित किए गए प्रतिबंध का कार्यान्वयन करना			
1.	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक स्थापनों/संगठनों और महत्वपूर्ण स्थलों (हॉटस्पॉट) की कुल संख्या			
क	- वाणिज्यिक स्थापन : मॉल, सिनेमा हॉल, विमानपत्तन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन			
ख	- संस्था: विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय परिसर आदि			
ग	- महत्वपूर्ण स्थल: पर्यटन स्थल, सब्जी मंडी, थोक बाजार, मछली बाजार, फूल बाजार, धार्मिक स्थल आदि।			
2.	निरीक्षणों की कुल संख्या (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डाटा स्वतः प्राप्त किया गया)			
3.	एसयूपी प्रतिबंध उल्लंघन के लिए बंद किए गए वाणिज्यिक स्थापन और महत्वपूर्ण स्थल की कुल संख्या			
4.	निरीक्षित उद्योगों की कुल संख्या (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डेटा स्वतः प्राप्त किया गया)			
5.	प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए बंद किए गए उद्योगों की कुल संख्या			
6.	अधिरोपित किया लगाया गया कुल जुर्माना (रुपए) (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डाटा स्वतः प्राप्त किया गया)			
7.	अभिग्रहीत किए गए प्रतिबंधित एसयूपी की मात्रा (टन) (एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल से डेटा स्वतः प्राप्त किया गया)			
8.	एसयूपी मुक्त किए गए वाणिज्यिक स्थापन और महत्वपूर्ण स्थल की कुल संख्या			
9.	अभिग्रहीत एसयूपी के निपटान करने के ढंग का ब्यौरा			
	अभिग्रहीत एसयूपी की मात्रा (टन)	निपटान करने का ढंग (पुनर्चक्रण/ अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल/सह-प्रसंस्करणकर्ता/सड़क निर्माण)	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता का नाम और पता	
10.	खाद योग्य प्लास्टिक सहित आनुकल्पित उत्पादन करने वाली इकाइयों का ब्यौरा			
	क्र. सं.	इकाई का नाम	एसयूपी का अनुकल्प	प्रसंस्करण क्षमता (टीपीए)
				पता
11.	एसयूपी शिकायत ऐप पर प्राप्त शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से डाटा स्वतः प्राप्त किया गया)			
12.	निपटाई गई शिकायतों की संख्या (एसयूपी शिकायत निवारण ऐप से डाटा स्वतः प्राप्त किया गया)			
च	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन			
1.	रजिस्ट्रीकृत प्लास्टिक कच्चे माल की विनिर्माण यूनिटों का ब्यौरा			
	कुल संख्या :	क्षमता :	विनिर्मित उत्पाद	

2.	रजिस्ट्रीकृत पीडब्ल्यूपी (गैर-पैकेजिंग) प्रसंस्करण सुविधाओं का ब्यौरा	
	कुल संख्या :	क्षमता :
3.	अरजिस्ट्रीकृत विनिर्माण या पुनर्चक्रण यूनिटों का ब्यौरा (आवासीय या गैर-अनुमोदित क्षेत्रों में)	
	कुल संख्या :	क्षमता :
4.	उपविधियां बनाने वाली यूएलबी की संख्या	
5.	उल्लंघनों की संख्या और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, यथा संशोधित, 2018 (नियम 12) के उपबंधों का अनुपालन करने पर की गई कार्रवाई	
6.	उल्लंघनों की कुल संख्या (कूड़ा जलाना/फैलाना/अरजिस्ट्रीकरण और अन्य अनुपालन)	
7.	की गई कार्रवाई (अधिरोपित जुर्माना/बंद करने का आदेश जारी किया गया)	

16. उक्त नियमों में प्रारूप VII के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्रारूप VII

[नियम 17 (2) देखें]

प्लास्टिक कच्चे माल की तिमाही रिपोर्ट के लिए रूपविधान

प्लास्टिक कच्चे माल के विनिर्माता/आयातक

वर्ष : तिमाही : तिमाही 1/ तिमाही 2/ तिमाही 3/ तिमाही 4

क्र.सं.	क्रेता का नाम	क्रेता का पता	ई-मेल आईडी	दूरभाष सं.	क्रेता की श्रेणी	क्रेता का जीएसटी नं.	प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	आपूर्ति प्लास्टिक कच्चे माल की मात्रा (टन)	आपूर्ति प्लास्टिक कच्चे माल का प्रकार

नोट :

- तिमाही रिपोर्ट सीपीसीबी द्वारा विहित इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में दिए गए निदर्शन पत्र के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।
- तिमाही रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए संव्यवहार के पृथक-पृथक बीजक अपेक्षित नहीं है।

क्रेता की श्रेणी

- बड़े और मध्यम उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)
- सूक्ष्म और लघु उत्पादक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार)
- ब्रांड स्वामी
- विक्रेता
- अन्य (गैर-प्लास्टिक पैकेजिंग अनुप्रयोग)

आपूर्ति प्लास्टिक कच्चे माल का प्रकार

1. पीईटी
2. एचडीपीई
3. पीवीसी
4. एलडीपीई
5. पीपी
6. पीएस
7. अन्य
8. विनिर्दिष्ट वातावरण में जैव अपघटनीय प्लास्टिक
9. खाद योग्य प्लास्टिक

[फा. सं. 17/6/2023-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्याक 320 (अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 285 (ङ), तारीख 27 मार्च, 2018 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 571 (ङ), तारीख 12 अगस्त, 2021 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 647 (ङ), तारीख 17 अगस्त, 2021 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 133(ङ), तारीख 16 फरवरी 2022 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 522(ङ) तारीख 06 जुलाई 2022 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 318(ङ), तारीख 27 अप्रैल 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 807(ङ) तारीख 30 अक्टूबर 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

G.S.R.. 201(E).—WHEREAS, the draft rules further to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 744 (E) dated the 16th October, 2023, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 16th October, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received within the period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, -

(i) for clause (ac), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(ac) “Biodegradable plastics”, means plastics, other than compostable plastics, which undergoes degradation by biological processes in specific environment such as soil, landfill, sewage sludge, fresh water, marine, without leaving any micro plastics or visible or distinguishable or toxic residue, which has adverse environment impact;”;

(ii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(k) “Importer” means a person who imports for commercial use, any plastic packaging or any commodity with plastic packaging or carry bags or plastic sheets or like material, or plastic raw material including in the form of resin or pellets, or intermediate material to be used for manufacturing plastic packaging such as films or preforms;”;

(iii) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely:-

“(m) “manufacturer” means and includes a person engaged in production of plastic raw material, including compostable plastics and biodegradable plastics;”;

(iv) in clause (n), the words “metallised layers or” shall be omitted;

(v) for clause (s), the following clause shall be substituted, namely:-

“(s) “producer” means a person engaged in manufacturing of plastic packaging; and, includes a person engaged in manufacture of intermediate material to be used for manufacturing plastic packaging, and also the person engaged in contract manufacturing of products using plastic packaging or through other similar arrangements for a brand owners;”;

(vi) after clause (u), the following clause shall be inserted,-

“(ua) “seller” means a person who sells plastic raw material such as resins or pellets or intermediate material used for producing plastic packaging;”.

3. In the rule 4 of the said rules,-

(A) in sub-rule (1), -

(i) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

“(e) the manufacturer shall not sell or provide or arrange plastic to be used as raw material to a producer or to a seller not registered under these rules;”;

(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

“(h) the provision of thickness under clause (c) shall not apply to carry bags or commodities made from compostable plastic or biodegradable plastics. Carry bags and commodities made from compostable plastics shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2021 titled as Specifications for Compostable Plastics.”;

(iii) after clause (h), the following clause shall be inserted, namely :-

“(ha) the manufacture of carry bags and commodities covered under sub rule (3) shall be permitted to be made from compostable plastics or biodegradable plastics subject to mandatory marking and labelling laid down under these rules and the regulations of the Food Safety and Standards Authority of India for food contact applications. The manufacturers of compostable plastic or biodegradable plastic carry bags or commodities permitted under the rules, shall obtain a certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling;”;

(B) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(3A) The manufacturer of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics shall report the quantity of such commodities introduced in the market and pre-consumer waste generated to the Central Pollution Control Board.”;

(C) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(5) Every manufacturer of commodities made from plastic or part thereof shall ensure processing of the pre-consumer plastic waste generated in the form of reject or discard material at the stage of manufacturing and such manufacturer shall report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned.”;

4. In rule 6 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), the words “or producers” shall be omitted;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) Every manufacturer, producer, importer, brand owner, manufacturer of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics may engage with local body on voluntary basis, as per mutually agreed terms and conditions entered into by them and the local body”

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(5) The local body shall undertake assessment of plastic waste generated, including plastic waste existing in dump sites, by the 30th June of every year and also estimate the quantity of plastic waste to be generated in following five year period.

(6) The local body shall assess the plastic waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and send a report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by 30th June of each year.

(7) The local body shall take necessary measures to prevent stocking, distribution, sale and usage of prohibited single use plastic items in their jurisdiction.

(8) The local body shall include in the annual report the following details on plastic waste management, namely:-

(i) **plastic waste generated, including plastic waste existing in dump sites, in a year;**

(ii) plastic waste management infrastructure available for collection, segregation, processing;

(iii) projection of plastic waste to be generated;

(iv) status on framing and implementation on byelaws;

(v) actions taken action to prevent stocking, distribution, sale and usage of prohibited Single Use Plastic items.”.

5. In rule 7 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1),-

(A) after the words “gram panchayat” the words “or panchayat at district level” should be inserted;

(B) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

(d) engaging civil societies or groups working with waste pickers;

(e) ensuring that open burning of plastic waste does not take place;

(f) taking necessary measures to prevent stocking, distribution, sale and usage of prohibited Single Use Plastic items in their jurisdiction.”;

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2) Every Producer, Importer and Brand owner, manufacturer and manufacturer of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics may engage with Panchayat at District and Village levels, on a voluntary basis, as per mutually agreed, terms and conditions entered into by them and the Panchayat at District and Village levels.”

6. After rule 7 of said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

“7A. Responsibility of Panchayat at District level.-

(1) The Panchayat at District level shall undertake assessment of plastic waste generated, including plastic waste existing at dump sites, by the 30th June of every year for rural areas of the district and also estimate the quantity of plastic waste to be generated in following five year period.

(2) The Panchayat at District level shall assess the plastic waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by 30th June each year.

(3) The Panchayat at District Level shall include in the annual report the following details on plastic waste management, namely:-

(i) **plastic waste generated, including plastic waste existing at dump sites, in a year;**

(ii) plastic waste management infrastructure available for collection, segregation, processing;

(iii) projection of plastic waste to be generated;

(iv) status on framing and implementation on byelaws;

(v) actions taken action to prevent stocking, distribution, sale and usage of banned Single Use Plastic items.”.

7. In rule 9 of the said rules,-

(i) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) The Producers, Importers and Brand Owners who introduce any plastic packaging in the market shall be responsible for collection of such plastic packaging.

(2) Where any Producer, Importer or Brand owner fulfils his extended producer responsibility, he is deemed to have complied with his responsibility under sub-rule (1).

(2A) The Producers, Importers, Brand Owners, manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics, shall fulfil Extended Producer Responsibility as per guidelines specified in Schedule- II.”.

8. In rule 10 of the said rule,-

(a) in sub-rule (6), the following proviso shall be inserted, namely: -

“ Provided that where testing of biodegradable plastic had commenced prior to the registration of a laboratory, and the report is in conformity with IS 17899 T:2022, the Central Pollution Control Board shall ask the applicant for re-testing and permit the production or usage of such biodegradable plastic, till the period the test report is received from duly recognized laboratory subject to furnishing of bank guarantee equal to the amount of Environment Compensation leviable under rule 18:

Provided further that the bank guarantee shall be forfeited if the result of such test does not conform to IS 17899 T: 2022.

(b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(7) BIS shall specify separate colour or marking for plastic packaging and commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics.”.

9. In rule 11 of the said rule,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) Each recycled plastic packaging or commodity shall bear a label “recycled having [----specify percentage----] of recycled plastic” and a mark as shown below and shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 2023 titled as “Plastics — Recovery and Recycling of Plastics Waste — Guidelines”, as amended from time to time.”



NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephthalate) etc.

(ii) after sub-rule (2) the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(3) Each plastic packaging or commodity made from compostable plastics shall bear a label “compostable only under industrial composting” and shall conform to the Indian Standard: IS/ISO 17088:2021 titled as Specifications for Compostable Plastics.”;

“(4) Each plastic packaging or commodity made from biodegradable plastic shall bear the label “Biodegradable in [--- specify number of days ---] only in the [---specify recipient environment such as soil, landfill, water etc.---]”.’.

10. In rule 13 of the said rules,-

(i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) Every manufacturer and importer of plastic raw material shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned, for registration, in the Form III:

(4A) For the purpose of these rules, the manufacturer and importer of plastic raw material shall,-

(i) sell plastic raw material only to Producer or Seller registered under these rules and the Registration number of such Producer or Seller is mentioned on sale invoice for sale of plastic raw material;

(ii) not sell plastic raw material to any entity or units engaged in manufacturing of prohibited single use plastic items;

(iii) print the following on all packaging bags of plastic raw material:

“Not to be used in the manufacture of single use plastic items prohibited under the Plastic Waste Management Rules, 2016 including plastic sheets < 50 micron thickness, non-woven carry bags < 60 GSM, Carry bags < 120 micron thickness”;

(iv) submit Quarterly Report to the Central Pollution Board and State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned;

“(4B) Every person engaged in sale of plastic raw material or an intermediate material used for manufacture of plastic packaging to producer shall make an application to the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee concerned, for registration.”;

(ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(8) Where the registration is not granted within a period of thirty days after the receipt of application complete in all respect, the applicant shall be deemed to be registered under these rules on the expiry of such period.”

11. for rule 17, the following rule shall be substituted:

“17. Annual reports.- (1) Every person engaged in recycling or processing of plastic waste shall prepare and submit online an annual report in Form-IV to the local body concerned and also to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the 30th April of every year.

(2) Every manufacturer and importer of plastic raw material shall prepare and submit online a quarterly report in Form VII to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the last day of month following the quarter and an annual report by 30th June of every year.

(3) Every person engaged in the sale of plastic raw material or an intermediate material used for manufacture of plastic packaging shall prepare and submit online an annual report mentioning therein the detail of transactions to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the 30th June of every year.

(4) Every urban local body and Panchayat at District Level shall prepare and submit online an annual report in Form -V to the Urban Development Department and to Rural Development Department, respectively, and also to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned by the 30th June every year.

(5) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned shall cause the report submitted by the urban local body and Panchayat at District level to be audited by itself or through a designated agency and copy of the report of such audit and the annual report shall be made available on website of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned.

(6) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare and submit online an annual report in Form VI to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules by the 31st July of every year.

(7) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual report on the implementation of these rules and submit to the Central Government along with its recommendations on or before the 31st August of every year.”.

12. In schedule II to the said rules,-

(i) in the heading after the words “Guidelines on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging”, the words “and commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics” shall be inserted.

(ii) for paragraph 4, the following paragraph shall be substituted, -

“4. Obligated Entities:

The following entities shall be covered under the Extended Producer Responsibility obligations, namely: -

(a) Producer of plastic packaging, other than micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(b) Importer of plastic packaging including intermediate material used for manufacturing plastic packaging such as films and preforms and plastic packaging of imported products;

(c) Brand Owners including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006);

(d) Plastic Waste Processors;

(e) Manufacturers and importers of plastic raw material;

(f) Manufacturers of items made from compostable plastics or biodegradable plastics.”.

(iii) in paragraph 5, in sub-paragraph (5.1),

(a) in item (iv), after the words “carry bags”, the words “and commodities” shall be inserted;

(b) after item (iv), the following item shall be inserted, namely:-

“(v) Category V

Plastic sheet or like used for packaging as well as carry bags and commodities made of biodegradable plastics.”.

(iv) in paragraph 6, in sub-paragraph (6.1), for the following items shall be substituted, namely:-

“(a) The following entities shall register on the centralized portal developed by Central Pollution Control Board, namely: -

(i) Producer (P) including micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)

(ii) Importer (I);

(iii) Brand owner (BO);

(iv) Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil, and (iv) industrial composting;

(v) Manufacturers and importers of plastic raw material;

(vi) Manufacturers of items made from compostable plastics or biodegradable plastics.”.

(v) in paragraph 7,-

(a) sub-paragraph (7.8) shall be omitted;

(b) after sub-paragraph (7.7), the following new sub-paragraph (7.8) shall be inserted, namely:-

“(7.8) Manufacturer or importer of plastic raw material - Extended Producer Responsibility Target:

(i) The extended producer responsibility of producers, which are micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), hereinafter referred to as micro and small producers, shall be fulfilled by manufacturer or importer of plastic raw material who has supplied the plastic raw material to such micro and small producers:

Provided that the target for use of recycled plastic content shall be fulfilled by such producers.

(ii) The Extended Producer Responsibility target category-wise for manufacturer or importer of plastic raw material shall be the quantity of plastic raw material sold to micro and small producers where the sale invoice is authenticated by the manufacturer or importer of plastic raw material, on the centralized online portal, excluding the sale made by such micro and small producers to Brand Owners and Producers, which are not categorized as micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006).

(iii) The producer, which is a micro or small enterprise, shall declare category of plastic packaging manufactured by it on the centralized online portal.

(iv) While fulfilling the Extended Producer Responsibility target the manufacturer or importer of plastic raw material shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under the Extended Producer Responsibility Target, category-wise, as given in the Table below, namely: -

TABLE

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste

(% of Extended Producer Responsibility Target)

Plastic packaging category	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60

(vi) in paragraph 8, after sub-paragraph (8.4), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :-

“(8.5) The Central Pollution Control Board shall issue guidelines for authorisation of agencies for establishment of electronic platform for trade of Extended Producer Responsibility certificates between obligated entities.

(8.6) The number of electronic platform may be restricted keeping in view volume of trade of Extended Producer Responsibility certificates.

(8.7) The operation of electronic platform shall be as per guidelines issued by Central Pollution Control Board after approval of the Central Government.

(8.8) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and the lowest price for extended producer responsibility certificates which shall be equal to 100 % and 30 % ,respectively, of the Environment Compensation leviable on the obligated entities for non-fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations, under rule 18 of these rules.

(8.9) The exchange price of Extended Producer Responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and the lowest prices as fixed above.”;

(vii) in paragraph 10,-

(a) in the heading, for the words “ Role of Producers, Importers & Brand-Owners”, the words “Role of Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastic” shall be substituted;

(b) for sub-paragraph (10.1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(10.1) The Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastic shall have to register through the online centralized portal.”

(c) for sub-paragraph (10.5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(10.5) Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastic may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model in order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling Extended Producer Responsibility obligations to prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.”;

(d) in sub-paragraph (10.6),

(A) after the words “Producers, Importers & Brand Owners”, the following words shall be inserted “manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable or biodegradable plastics”.

(B) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the annual return under this sub-paragraph in respect of the financial year 2022-2023 may be filed on or before 31st March 2024.”;

(viii) in paragraph 11, in sub-paragraph (11.2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the annual returns under this sub-paragraph in respect of the financial year 2022-2023 may be filed on or before the 31st March 2024.”;

(ix) in paragraph 15, for sub-paragraph(15.1), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

“(15.1) The Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastics or biodegradable plastics shall provide the details of certificates for plastic waste recycled and sent for end of life disposal, by 30th June of next financial year while filing annual returns on the online portal.

(15.2) The details of certificates provided by Producers, Importers, Brand-Owners and manufacturers, and manufacturers of commodities made from compostable plastic or biodegradable plastics and registered plastic waste processors shall be verified and in case of difference, the lower figure shall be considered towards fulfilment of Extended Producer Responsibility obligation under these rules.

(15.3) The certificates shall be subject to verification by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be.

(15.4) The Manufacturer of biodegradable plastics shall fulfil their Extended Producer Responsibility obligations by obtaining Extended Producer Responsibility certificates generated by local authorities, as per agreed modalities.

(15.5) The local authorities shall generate Extended Producer Responsibility certificates equal to the biodegradable plastic collected by them and put to end of life biodegradation in the respective recipient environment as per standard notified by Bureau of Indian Standards, which shall be recorded, and details of such certificates obtained by the manufacturers of commodities of biodegradable plastics shall be submitted on the centralised online portal while filing annual returns under these rules. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.”

13. for ‘Form -I’ of the said rules, the following shall be substituted as follows, namely:-

FORM - I

[See rules 13 (2)]

APPLICATION FOR REGISTRATION FOR PRODUCERS or Brand Owners

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board or Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I /We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste Management Rules, 2016

1. Producers

(A) other than micro and small enterprises (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India)

PART – A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing of: i. Carry bags; (a) petro- based, (b) Compostable ii. Multilayered plastics	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4.(a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Status of compliance with these rules- Thickness – fifty micron (Yes/No)	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
7.	a. Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of	

	1974)? If yes, attach a copy	
	b. Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C PERTAINING TO WASTE		
8.	Solid Wastes or rejects: a. Total quantum of waste generated b. Mode of storage within the plant c. Provision made for disposal of wastes	
9.	Attach or Provide list of person supplying plastic to be used as raw material to manufacture carry bags or plastic sheet of like or multilayered packaging	
10.	Attach or provide list of personnel or brand Owners to whom the products will be supplied	
11.	Action plan as per Regulation notified for Extended Producer Responsibility	
Name and Signature Designation Date : Place :		

(B) Producers; Micro and Small Enterprises (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India)

PART-A General		
1.	Micro or Small Producer	
2.	Details: (a) Name and location (b) Registered Address (c) Postal Address (d) GST No. (e) PAN No. (f) CIN No (Applicable for companies) (g) Udyam Registration No.	
3.	Authorized Person Details: (a) Name (b) Designation (c) Mobile No. (d) Aadhaar No. (Aadhaar authentication on voluntary basis) (e) PAN No. (f) Email ID	

4.	Plastic packaging manufactured: Category - I /Category - II/ Category - III/ Category - IV/Category – V)	
5.	Year of commencement of business	
6.	Unit Location: S.No. Place of Manufacturing unit Manufacturing capacity (plastic-packaging category wise)	
7.	Total Capital invested in project	
Part B: Details on plastic packaging		
8.	Manufacturing details 1. Raw material procured 2. Plastic packaging produced category-wise 3. Total Plastic packaging sold category-wise (MT) a. Plastic packaging sold to Brand owner b. Plastic packaging sold to Producer (Large and Medium) c. Plastic packaging sold to Producer (Small and micro) c. Plastic packaging sold to seller 4. Pre-consumer plastic packaging waste (MT)	Year 1 Year 2 Quantity (MT)
9.	Status of Compliance with Rule 4 of Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended	Yes/No
10.	Cover Letter (with attachment)	
11.	Self-Declaration by Micro and Small Producers	
12.	Authorized Signatory	
13.	Self-Declaration: Name: Digital Signature Date: Place:	

Note:

(i) The registration shall be based upon self-declaration and done through centralized online portal on plastic packaging.

(ii) In case of proprietorship firm not registered under any Act or rules of the Central Government or the State Government, the proprietor may use his or her Permanent Account Number (PAN) issued by Income Tax Department for registration of the enterprise.

2. Brand Owners:

PART – A		
GENERAL		
1.	Name, address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
PART – B		
PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C		
PERTAINING TO WASTE		
7.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
8.	Attach or Provide list of person supplying plastic material	
9	Action plan on collecting back the plastic wastes	
Name and Signature		
Designation		
Date :		
Place :		

3. Importers:

Item 3, 4, 5 of Part A, Part B, and item 7 and 8 of Part C, to be filled as per applicability.

PART – A		
GENERAL		
1.	Name, Address and Contact number	

2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
6 (a)	Quantity of plastic sheet or like used for packaging of imported or to be imported products	
(b)	Quantity of imported or to be imported plastic sheet or like used for packaging for further supply or self-use	
(c)	Quantity of imported or to be imported multilayered packaging for further supply or self-use	
PART – B		
PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C		
PERTAINING TO WASTE		
7.	Solid Wastes or rejects: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
8. (a)	Attach or Provide list of person supplying imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging	
(b)	Quantity of imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging used for self use	
9	Action plan as per Regulation notified for Extended Producer Responsibility	
Name and Signature		
Designation		
Date :		

Place :

14. For Form V in the said rules, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM V

[See rules 17 (4)]

(A) FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE URBAN LOCAL BODY

Period of Reporting: (Year)

A	General Information	
1	Name of the City or Town and State:	
2	Name & Address of Local body	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Population	
6	Area in sq. Kilometers	
7	Whether separate Plastic Waste Management Cell is operational (Y/N)	
8	Staff deployed in Plastic Waste Management Cell	
9	Total numbers of the wards in the area under jurisdiction	
10	Total numbers of households in the area under jurisdiction ward –wise	
11	Number of households covered by door-to-door collection – ward-wise	
12	Total number of commercial establishments and Institutions in the area under jurisdiction and those covered by door to door collection	
a	Commercial establishments	
b	Institutions	
13	(i) Details of human resource including waste pickers in informal sector (concessionaire or own resource) deployed for (a) Collection (b) Street sweeping (c) Transportation (d) Segregation (e) Processing (f) disposal (ii) Details of waste pickers engaged in plastic waste management (ward wise) No. of waste pickers	
B	Plastic Waste Management	
1	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) as per CPCB methodology	
2	Compositional characterization of plastic waste as per CPCB methodology • Plastic packaging (Cat I/Cat II/Cat III/Cat IV/Cat V) • Others type of plastic waste (i) recyclable and (ii) non-recyclable	
3	Door to Door collection of segregated waste (coverage in % or number of households) – ward-wise	

4	Total no. and capacity of MRF	
	(a) No. and capacity of Mechanical MRF Facilities No. Capacity (MT) Waste segregated (MT)	
	b) No. and capacity of Manual MRF Facilities No. Capacity (MT) Waste segregated (MT)	
5	Number of plastic recycling facilities with details of category- wise Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Total Plastic Waste recycled (MT) Plastic packaging waste recycled category –wise (MT) Other plastic waste recycled (MT) EPR certificates generated category-wise (MT)	
6	Number and capacity of industrial composting unit for compostable plastics Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Waste composted (MT) Compostable plastics processed (MT)	
7	Number and capacity of Operational Waste to energy Plants Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Plastic Waste processed (MT) Energy produced	
8	Number and capacity of operational wastes to Oil units Name and address with EPR registration number Capacity (MT) Waste processed (MT) Oil generated	
9	Quantity and capacity of Plastic waste used in road construction along with KM Plastic Waste used (MT) Road Length (Km)	
10	Disposal of thermoset plastic as per guidelines Thermoset plastic Waste sent to secured landfill (MT) Thermoset plastic Waste co-processed (MT)	
11	Cement plants for plastic waste for coprocessing	
a	Name and address with EPR registration number Total unsegregated waste received (MT) Percentage of plastic waste in unsegregated waste Plastic waste co-processed (MT)	
b	Name and address with EPR registration number Total segregated plastic waste received (MT) Plastic waste co-processed category-wise (MT)	
12	Quantity of inert material disposed (MT) from recyclers and other waste processor in sanitary landfill	
13	Scientific Landfill site (number and capacity) No. Capacity (MT) Waste received (MT)	
14	Legacy waste site (number and amount of legacy waste) Waste present (MT) Waste processed to RDF (MT) Plastic waste in RDF (%) Waste remaining (MT)	
15.	EPR Registration No. of ULB in case registered	
16	EPR Guidelines leveraged for PWM (Y/N) Details to be attached	
C.	Enforcement of Plastic Waste Management Rules	
1	Please confirm if Bye- laws have been framed (Yes/No)	
2	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM Rules, 2016, except for banned Single Use Plastics and plastic carry bags (Rule 12)	

(i)	Total no of Violations (eg. Burning/ Littering of plastic waste)			
(ii)	Actions Taken (Fines/penalties Imposed Rs.)			
3	Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns (ward-wise) (quarterly reporting)			
(i)	Registration number CPCB SUP compliance App			
(ii)	Total number of commercial establishments/Institutions and Hotspots in the area under jurisdiction			
(a)	-Commercial establishments : Malls, Cinema Halls, Airports, Railway Stations, Metro Stations, others			
(b)	- Institutions- Schools, Colleges, Office Complex etc			
(c)	-Hotspots – Tourist spots, sabzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.			
(iii)	Total No of Inspections carried out			
(iv)	Total Fine imposed (Rs.)			
(v)	Quantity of Banned SUP seized(Tons)			
(vi)	Details of mode of disposal of seized SUP			
	Qty of SUP Seized (T)	Mode of Disposal (Recycling/ WtE/ WtO/ Co-processing/Road making)	Name & Address of the Plastic Waste Processor	
(vii)	Details of Entities producing Alternatives			
	S.No	Name of Entity	SUP Alternative produced	Production Capacity (TPA) Address
(ix)	Details of Entities producing compostable plastics and biodegradable plastics			
(xi)	Shops for Eco alternatives for banned Single Use Plastic items			
D.	Data on ingress of littered plastic waste in water bodies			
1	Ingress points for plastic waste in Drain and Water Body Number of ingress points Measures taken to stop ingress of plastic waste			
2.	Surface water bodies including river stretches Number of surfaces water bodies Quantity of plastic waste collected			
3.	Number of drains cleaned from Plastic waste Total length of drains Total length of drains cleaned from plastic waste Plastic waste collected (MT) Silt collected			

(B) FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY THE PANCHAYAT AT THE DISTRICT LEVEL

Period of Reporting: (Year)

A	General	
1	Name of the District and State:	
2	Name & Address of Panchayati Raj Institution At The District Level	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Number of Gram Panchayats covered	
6	Number of villages covered	
7	Total Population	
8	Total Area	
9	Total number of households	
B	Plastic Waste Management	
1.	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in the area under jurisdiction along with the details of agencies involved (Please attach the details)	
2.	Please attach details of infrastructure put in place for management of plastic waste generated in the area under jurisdiction	
3.	Total no. of Plastic Waste Management Units set up with capacity	
4.	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) as per CPCB methodology	
5	Plastic Waste Characterization as per CPCB methodology (Plastic packaging waste: Cat I/Cat II/ Cat III/Cat IV/Cat V and Others ((i) recyclable and (ii) non-recyclable)	
6.	Quantity of Plastic Waste collected (Tonnes)	
7.	Plastic Waste Segregated (Tonnes)	
8.	Plastic waste channelized for processing and recycling (details quantum of plastic waste, type of processing) (a) Plastic waste to recyclers (b) Plastic waste to co-processing in cement kilns (c) Plastic waste to waste to energy/waste to oil plants (d) Plastic waste for road construction	
9	(i) Details of human resource including waste pickers in informal sector (concessionaire or own resource) deployed for (a) Collection (b) Street sweeping (c) Transportation (d) Segregation (e) Processing (f) disposal (ii) Details of waste pickers engaged in plastic waste management (ward wise) No. of waste pickers	
10	EPR Guidelines leveraged for PWM (Y/N)	
	Details to be attached	
C	Enforcement of Plastic Waste Management Rules	
1	Please confirm if Bye- laws have been framed (Yes/No)	
2	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM Rules, 2016, except for banned Single Use Plastics and plastic carry bags (Rule 12)	

I	Total no of Violations (eg. Burning/ Littering of plastic waste)	
ii	Actions Taken (Fines/penalties Imposed Rs.)	
3	Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns (ward-wise) (quarterly reporting)	
I	Total number of Institutions & Hotspots in the area under jurisdiction	
(a)	- Institutions- Schools, Colleges, etc	
(b)	Hotspots – Subzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.	
II	Total No of Inspections carried out	
III	Total Fine imposed (Rs.)	
IV	Quantity of Banned SUP seized(Tons)	
D.	Data on ingress of littered plastic waste in water bodies	
1	Ingress points for plastic waste in Drain and Water Body Number of ingress points Measures taken to stop ingress of plastic waste	
2.	Surface water bodies including river stretches Number of surfaces water bodies cleaned Quantity of plastic waste collected	
3.	Number of drains cleaned from Plastic waste Total length of drains Total length of drains cleaned from plastic waste Plastic waste collected (MT) Silt collected	

15. for Form VI in the said rules, the following shall be substituted, namely:-

FORM VI

[See rule 17(6)]

FORMAT FOR ANNUAL REPORT ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT TO BE SUBMITTED BY SPCB/PCC

Period of Reporting:

A	General	
1	Name of the State/UT:	
2	Name & Address of SPCB/PCC:	
3	Contact E-mail:	
4	Contact Phone No.	
5	Details of Plastic Waste Management (State Level)	
	• Collection (MT)	
	• Segregation (MT)	
	• Processing including recycling (MT)	
	• Disposal (MT)	
B	Mechanism of Plastic Waste Management	
1	Summary of the mechanisms put in place for management of plastic waste in your State/UT along with the details of agencies involved (Please attach the details)	
2	Please attach details of infrastructure put in place for management of	

	plastic waste generated in your State/UT								
3	Total no. of MRF Facilities								
(a)	No. of Mechanical MRF Facilities with capacity								
(b)	No. of Manual MRF Facilities with capacity								
C	Plastic Waste Generation, Collection, Segregation & Characterization								
1	Total Numbers of the Urban Local Bodies (ULBs) in the area under jurisdiction								
2	No. of ULBs who have submitted Annual Report								
3	Total Numbers of the Gram Panchayat (GPs) in the area under jurisdiction								
4a	Total number of Panchayati Raj institution at District Level								
4b	No. of Panchayati Raj institution at District Level who have submitted annual report								
5	Please confirm that all GPs/ULBs have provided complete information in stipulated time as per format prescribed by CPCB (Yes/No)								
6.	Please provide no. of ULBs/GPs which have not submitted complete information within the stipulated time frame								
7.	Please provide total amount of EC levied on PRI at District Level / ULBs who have not submitted annual report as per prescribed timelines under the rules								
8.	Quantity of Plastic Waste generated (Tonnes) as per CPCB methodology (Cat I/Cat II/ Cat III/Cat IV/Cat V/ Others)								
9.	Quantity of Plastic Waste collected (Tonnes)								
10.	Plastic Waste Segregated (Tonnes)								
11.	Please confirm that all Local Bodies/ GPs have carried out Assessment of Plastic Waste Generation & Characterization as per methodology specified by CPCB (Yes/No)								
12.	Please upload Plastic Waste Characterization Report as per methodology specified by CPCB								
13.	Please confirm that data validation and reconciliation for ULB and PRI at District Level has been done as per methodology specified by CPCB (Yes /No)								
D	Extended Producer Responsibility Implementation								
1.	Total Number of ULBs registered on EPR (To be auto fetched from EPR portal)								
2.	Details of Plastic Waste Processors (To be auto fetched from EPR Portal)								
	Name	Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/Road Making)	Registration No	Processing Capacity (TPA)					
				PW (Cat-I)	PW (Cat-II)	PW (Cat-III)	PW (Cat-IV)	PW-(Cat-V)	Other
3.	Plastic Waste Processed through PWP (TPA)								
	Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Oil/Road Making)		PW (Cat-I)	PW (Cat- II)	PW (Cat- III)	PW (Cat- IV)	PW (Cat- V)	Others	
4.	Audit & Levying of Environmental Compensation (EC) (To be auto fetched from the EPR Portal)								
(a)	No. of Entities (PIBOs/PWPs) audited								
(b)	No. of Entities (PIBOs/PWPs) found in violation								
(c)	EC levied on violating Entities (PIBOs/PWPs)								
E.	Implementation of ban imposed under Rule 4 including on identified single use plastic items, plastic carry bags having thickness less than 120 microns								
1	Total number of commercial establishments/ Institutions &								

	Hotspots in the area under jurisdiction				
(a)	-Commercial establishments :Malls, Cinema Halls, Airports, Railway Stations, Metro Stations				
(b)	- Institutions: Schools, Colleges, Office Complex etc				
c	-Hotspots :Tourist spots, sabzi Mandi, Wholesale market, Fish Market, Flower market, Religious Places etc.				
2	Total No of Inspections (Data Auto fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
3	Total No of Commercial Establishment and hotspots closed for SUP Ban Violation				
4	Total No. of Industries inspected(Data Auto fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
5	Total no. of industries closed for manufacturing banned SUP items				
6	Total Fine imposed (Rs.) (Data Auto-fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
7	Quantity of Banned SUP seized(Tons) (Data Auto-fetched from SUP Compliance Monitoring Portal)				
8	Total No of Commercial establishment and hotspot made SUP free				
9	Details of mode of disposal of seized SUP				
	Qty of SUP Seized (T)		Mode of Disposal (Recycling/ WtE/WtO/ Co-processing/ roadmaking)	Name & Address of the Plastic Waste Processor	
10.	Details of Entities producing Alternatives including compostable plastics				
	Sl.No.	Name of Entity	SUP Alternative	Processing Capacity (TPA)	Address
11.	No of Complaints received on SUP grievance App (Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
12.	No of Complaints resolved (Data Autofetched from SUP Grievance redressal app)				
F	Enforcement of Plastic Waste Management Rules				
1.	Details of Registered Plastic Raw Material Manufacturing Units				
	Total No:		Capacity:	Product Manufactured	
2.	Details of Registered PWP (Non- packaging) Processing Facilities				
	Total No:		Capacity:	Product Manufactured	
3.	Details of Unregistered Manufacturing or Recycling Units (in residential or unapproved areas).				
	Total No:		Capacity:	Product Manufactured	
4.	No. of ULBs which have framed bye-laws				
5.	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of PWM				

	Rules, 2016, as amended, 2018 (Rule 12)	
6.	Total no. of violations (Burning/ Littering/non-registration and other non-compliance)	
7.	Action Taken (Fine Imposed / Closures issued)	

16. After Form VI in the said rules, the following Form shall be inserted, namely:-

FORM VII

[See rule 17(2)]

Format for Quarterly report of Plastic Raw Material

Manufacturer/Importer of plastic raw material

Year : Quarter : Q1/Q2/Q3/Q4

S. No.	Name of Buyer	Address of Buyer	Email ID	Phone No.	Buyer Category	GST no. of Buyer	Category of plastic packaging	Qty of plastic raw material supplied (T)	Type of plastic raw material supplied

Note:

- (i) Quarterly report shall be submitted as per pro forma in electronic format prescribed by CPCB.
- (ii) Individual invoices for transactions are not required for the purposes of quarterly report.

Buyer Category

1. Large and Medium Producers (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India)
2. Micro and Small Producers (as per criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India)
3. Brand Owners
4. Seller
5. Others (Non-plastic packaging applications)

Type of plastic raw material supplied

1. PET
2. HDPE
3. PVC
4. LDPE
5. PP
6. PS
7. Others
8. Biodegradable plastic in specified environment
9. Compostable plastic

[F. No- 17/6/2023 HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note- The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018, vide notification number G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021, vide notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021, vide notification number G.S.R. 133(E) , dated the 16th February 2022, vide notification number G.S.R. 522(E) dated the 6th July 2022, vide notification number G.S.R. 318(E) , dated the 27th April 2023 and last amended vide notification number G.S.R. 807(E) dated the 30th October 2023.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016/चैत्र 19, 1938

No. 861]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/CHAITRA 19, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2016

का.आ. 1357(अ).—ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 का प्ररूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि.451 (अ) तारीख 3 जून, 2015 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उप खंड (i) में उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000 को अधिक्रांत करते हुए उक्त अधिसूचना के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 3 जून, 2015 को उपलब्ध कराई गई थीं;

निर्धारित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों तथा टिप्पणियों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा घोषित जनगणना नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरी, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बंदरगाह और हारबर, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के संगठनों, समय-समय पर क्रमशः राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, सीस-अम्ल बैटरियां और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अलग से बनाए गए नियमों के अधीन आते हैं, के सिवाय प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनितों पर लागू होंगे:-

3. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (1) **"वातजीवी कम्पोस्टीकरण"** से ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

2. **"अवायुजीवी उपचारण"** से ऑक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
3. **"प्राधिकार"** से यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किसी प्रसुविधा के प्रचालक या शहरी स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गई अनुज्ञा अभिप्रेत है;
4. **"जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट"** से कोई ऐसी कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है;
5. **"जैविक मिथेनीकरण"** से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है;
6. **"ब्रांडस्वामी"** से कोई व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेवल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है;
7. **"मध्यवर्ती परिक्षेत्र"** से ऐसा विकास रहित परिक्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें 5 टीपीडी से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण तथा निपटान संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा;
8. **"भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक"** से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत औसतन 100 कि.ग्रा. प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते हैं तथा इनसे केन्द्रीय सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन भी है;
9. **"उप-विधि"** से स्थानीय निकाय, जनगणना शहर और अधिसूचित क्षेत्र टाउनशिप द्वारा, अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में इन नियमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने को सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिसूचित नियामक ढांचा अभिप्रेत है;
10. **"जनगणना नगर"** से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा यथा परिभाषित शहरी क्षेत्र अभिप्रेत है;

11. "ज्वलनशील अपशिष्ट" से प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनीकृत सामग्री को छोड़कर गैर-जैवअवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-पुनःउपभोज्य, गैर-परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत है जिनका 1500 किलो कैलोरी प्रति कि.ग्रा. से न्यूनतम कैलोरिफिक मान हो;
12. "कम्पोस्टीकरण" से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
13. "ठिकेदार" से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है;
14. "सह प्रसंस्करण" से प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने या उन्हें अनुपूरित, दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले गैर-जैव अवक्रमणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;
15. "विकेंद्रित प्रसंस्करण" से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए विखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े;
16. "निपटान" से भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण के उपरांत अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा, करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान अभिप्रेत है;
17. "घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट" से घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइटें, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुई पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सूइयां, तथा सिरिंज और संदूषित पट्टियां आदि अभिप्रेत हैं;
18. "द्वार-द्वार संग्रहण" से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अंतर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्प्लेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत है;
19. "शुष्क अपशिष्ट" से जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट से भिन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाह्य अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर नैपकिन और डायपर आदि अपशिष्ट भी हैं;
20. "क्षेपण स्थल" से जिसका स्वास्थ्यकर भूमिभरण के लिए सिद्धांतों को पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की गई कोई भूमि अभिप्रेत है;
21. "विस्तारित उत्पादक दायित्व" से पैकेजिंग उत्पादों के जीवन काल के अंत तक पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन के लिए, पैकेजिंग उत्पादों जैसे प्लास्टिक, टिन, कांच और कॉरुगेटेड बक्सों इत्यादि के किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;
22. "सुविधा" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण पुनःप्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किया जाता है;

23. "जुर्माना" से इन नियमों तथा/अथवा उप-विधियों के निदेशों के अनुपालन के लिए उपविधियों के अधीन अपशिष्ट जनित्रों या अपशिष्ट प्रसंस्करण के प्रचालकों और निपटान सुविधाओं पर लगाए गए जुर्माना अभिप्रेत है;
24. "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
25. "प्रहस्तन" के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों की छंटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनःप्राप्ति, संग्रहण, गौण भंडारण, काटना, गट्टा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से संबंधित सभी क्रियाकलाप भी हैं;
26. "निष्क्रिय" से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनःचक्रणीय या दाह्य नहीं है, गली की सफाई तथा सतही नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद भी हैं;
27. "भस्मीकरण" से उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट का जलाना या दहन अंतर्वलित इंजीनियरीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है;
28. "अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक" के अंतर्गत व्यक्ति, संगम ऐसे या अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद से अंतर्वलित है;
29. "निक्षालितक" से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है जिसमें उसमें घुली हुई या निलंबित सामग्री का सत्व है;
30. "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत इन नियमों के प्रयोजन के लिए और जिसके अंतर्गत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, म्युनिसिपल कौंसिल, नगरपालिका, नगरपालिका परिषद, म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पंचायत, और टाउन पंचायत, जनगणना नगर, अधिसूचित क्षेत्र और भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक नगरी चाहे उसका कोई भी नाम से पुकारा जाए, भी है;
31. "सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ)" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जहां गैर कंपोस्टीय ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित कोई अन्य अस्तित्व या इसमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अभिकरण जो अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निपटान के लिए उसे परिदान या देने के पूर्व इस प्रयोजन के लिए स्थानीय निकाय या नियम 2 में वर्णित अस्तित्व द्वारा नियोजित अपशिष्ट चुनने वाले, अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता या कोई अन्य नियोजित कार्यबल को प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों से पृथक्करण, छंटाई या पुनर्चक्रण योग्य की पुनर्प्राप्ति की प्रसुविधा है;
32. "अजैविक निम्नीकरण योग्य अपशिष्ट" से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर स्थायी यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है;
33. "सुविधा का प्रचालक" से ऐसा व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है जो ऐसे ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए सुविधा का स्वामी है या प्रचालित करता है जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी है;
34. "प्राथमिक संग्रहण" से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्रोत जिसके अंतर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर आवासीय परिसर भी हैं से या किसी संग्रहण बिंदु या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से संगृहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत है;
35. "प्रसंस्करण" से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनः चक्रित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है;

36. "पुनर्चक्रण" से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा;
37. "पुनर्विकास" से जहां विद्यमान भवन और अन्य अवसंरचनाएं जीर्णशीर्ण हो गई हैं वहां उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुनर्निर्माण अभिप्रेत है;
38. "कचरा व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ)" से ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संहनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित बाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत है;
39. "अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट" से और उसके अंतर्गत ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, जो पुनर्चक्रण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है;
40. "स्वास्थ्यकर भूमिभरण" से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के अंतिम और सुरक्षित निपटान और भूजल, सतही जल या क्षणभंगुर वायु धूल, हवा से उड़ा हुआ कूड़ाकरकट, दुर्गंध, अग्नि परिसंकट, पशुओं का खतरा, पक्षियों का खतरा, नाशकजीव, कृतकनाशी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायों सहित प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपशिष्ट अभिप्रेत है;
41. "स्वास्थ्यकर अपशिष्ट" से प्रयोग किए गए डायपर, स्वास्थ्यकार तौलिए या नैपकिन, टैम्पोन, कन्डोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है;
42. "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
43. "गौण भंडारण" से प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गौण भंडारण डिपो या एमआरएफ या आधानों पर संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है;
44. "पृथक्करण" से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों अर्थात् जैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट जिसके अंतर्गत पुनःचक्रणयोग्य अपशिष्ट, गैर पुनःचक्रणयोग्य दाह्य योग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ाकरकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा सनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट भी है, की छंटाई और पृथक् भंडारण अभिप्रेत है;
45. "सेवा प्रदाता" से जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि अभिप्रेत हैं;
46. "ठोस अपशिष्ट" से ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में वर्णित अन्य अस्तित्व के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई, सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सक अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत है;
47. "छंटाई करना" से मिश्रित अपशिष्ट से पुनःचक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि को समुचित पुनःचक्रण सुविधा में पृथक् करना अभिप्रेत है;
48. "स्थिरीकरण" से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को जैवीय अपघटन को स्थायी अवस्था में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षालन या अरुचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, भू-कटाव नियंत्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त है;

49. **"मार्गविक्रेता"** से किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खडंजा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सावर्जनिक स्थान या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, सौदा, खाद्य मद या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसके अंतर्गत फेरीवाला, पैकार, आबादकर तथा ऐसी सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, भी है और "मार्ग विक्रय" शब्दों को उनके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल किया जाएगा;
50. **"बख्शीश फीस"** से स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य अभिकरण द्वारा कोई फीस या समर्थन मूल्य अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के ग्राही या प्रचालक या भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए अवधारित संदात्त है;
51. **"अंतरण स्थल"** से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और, या निपटान सुविधा को आच्छादित यानों या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत है;
52. **"परिवहन"** से ठोस अपशिष्ट चाहे वह या तो उपचारित आंशिक उपचारित या अनुपचारित को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर्यावरणीय रूप से युक्ति युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गंध, कूड़ा कचरा और घृणित दशा को रोकने के लिए प्रवहन अभिप्रेत है;
53. **"उपचार"** से किसी अपशिष्ट के भौतिक, रसायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है;
54. **"उपयोक्ता फीस"** से ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान सेवाओं को उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने में अपशिष्ट जनित पर स्थानीय निकाय और नियम 2 में वर्णित किसी अस्तित्व द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है;
55. **"कृमि कम्पोस्ट बनाना"** से केचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की जैव निम्नीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है;
56. **"अपशिष्ट जनित्र"** से और इसके अंतर्गत सम्मिलित से, रेल तथा रक्षा स्थापनाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय स्थापनाएं भी है, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, अभिप्रेत है;
57. **"अपशिष्ट की क्रमबद्धता"** से ऐसा प्राथमिकता क्रम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण, कटौती, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता और भू-भरण में निपटान को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा;
58. **"अपशिष्ट चुनने वाला"** से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुनः उपयोजनीय तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए गलियों, डिब्बों, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं;
- (2) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में परिभाषित है, के अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियमों में हैं।

4. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य. प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता,-

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात् जैव निम्नीकरणयोग्य, गैर निम्नीकरणयोग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग-अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निदेश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा;

(ख) प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाए गए डिब्बे में उसे डालेगा;

(ग) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने ही परिसर में भंडारित करेगा, जब कभी वह उत्पन्न होता हो, और उसे संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार निपटान करेगा; और

(घ) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय द्वारा निदेशानुसार इसका निपटान करेगा;

(2) कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलाएगा और न गाड़ेगा;

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए;

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा;

(5) प्रत्येक मार्ग विक्रेता अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसेकि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा;

(6) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष से अंदर सभी आवास कल्याण और बाजार संघ स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा;

(7) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित, उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जाएगा;

(8) इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर सभी होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित जनित्रों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों अथवा प्राधिकृत

पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहां तक संभव होगा परिसर के अंदर संसाधित उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को दिया जाएगा।

5. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में इन नियमों के अनुपालन की मॉनीटरी के लिए उत्तरदायी होगा। यह सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता के अधीन केन्द्रीय मॉनीटरी समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे जो संयुक्त सचिव या सलाहकार की पंक्ति से निम्न के नहीं होंगे अर्थात् :

- (1) शहरी विकास मंत्रालय
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- (3) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
- (4) कृषि मंत्रालय
- (5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- (6) तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, चक्राणुक्रम द्वारा
- (7) तीन राज्य सरकारों के शहरी विकास विभाग, चक्राणुक्रम द्वारा
- (8) दो राज्य सरकारों के ग्रामीण विकास विभाग, चक्राणुक्रम द्वारा
- (9) तीन शहरी स्थानीय निकाय, चक्राणुक्रम द्वारा
- (10) दो जनगणना (सेंसस) शहर, चक्राणुक्रम द्वारा
- (11) एफआईसीसीआई, सीआईआई
- (12) दो विषय विशेषज्ञ

2. इस केन्द्रीय मानीटरी समिति की बैठक इन नियमों के अनुपालन का मॉनीटर करने और पुनर्विलोकन करने के लिए एक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दो विशेषज्ञों को, यदि आवश्यक हो, सहयोजित कर सकेगा। समिति का प्रत्येक तीन वर्ष में नवीकरण किया जाएगा।

6. शहरी विकास मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) शहरी विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ निम्नलिखित के लिए समन्वय करेगा, -

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहारों को सुधारने के लिए राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा किए गए उपायों तथा मंत्रालय और बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के निष्पादन का वर्ष में कम से कम एक बार आवधिक पुनर्विलोकन करेगा तथा सुधारात्मक उपाय करने पर सलाह देगा;

(ख) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर पणधारियों के साथ परामर्श से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति तथा रणनीति तैयार करना, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा की नीति भी है;

(ग) राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति पर आधारित ठोस प्रबंध के संबंध में राज्य नीति और रणनीति को तैयार करने में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सुकर बनाना;

(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंध सेक्टर में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना तथा राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सूचना का प्रसार करना;

(ङ) स्थानीय निकायों और अन्य पणधारियों को प्रशिक्षण देना और उनका क्षमता निर्माण करना; और

(च) समय सीमाओं और मानकों को सुकर बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शी सिद्धांत तथा परियोजना वित्त प्रदान करना;

7. उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) उर्वरक विभाग समुचित क्रियाविधि के माध्यम से, -

(क) नगर कम्पोस्ट के बाजार विकास में सहायता उपलब्ध कराएगा; और

(ख) कंपनियों को विपणन के लिए इस सीमा तक उपलब्ध कराना कि उर्वरक कंपनियों द्वारा 3 से 4 थैले: 6 से 7 थैले के अनुपात में रासायनिक उर्वरकों के साथ कम्पोस्ट के सह विपणन का संवर्धन सुनिश्चित हो।

8. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के कर्तव्य :- कृषि मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से:-

(क) कंपोस्ट के विनिर्माण एवं बिक्री के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश को लचीलापन प्रदान करेगा;

(ख) कृषि भूमि पर कंपोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देगा;

(ग) स्थानीय प्राधिकारियों या उनकी प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा उत्पादित कंपोस्ट की गुणता जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा;

(घ) कंपोस्ट की गुणता बनाए रखने और कृषि भूमि पर कंपोस्ट का उपयोग करते समय कंपोस्ट की तुलना में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के अनुपात के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

9. विद्युत मंत्रालय के कर्तव्य.- विद्युत मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से :- (क) ठोस अपशिष्ट पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों से उत्पादित विद्युत के लिए टैरिफ या प्रभार निर्धारित करेगा;

(ख) ऐसे अपशिष्ट से उत्पन्न विद्युत की खरीद को वितरण कंपनियों द्वारा ऊर्जा संयंत्रों के लिए अनिवार्य बनाएगा।

10. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के कर्तव्य.- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से :-

(क) अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों के लिए अवसंरचना सृजन को सुविधाजनक बनाएगा; और

(ख) ऐसे अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने वाले संयंत्रों के लिए समुचित सब्सिडी या प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

11. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिव के कर्तव्य.-

(1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सचिव, राज्य शहरी विकास विभाग म्युनिसिपल प्रशासन के आयुक्त या निदेशक या स्थानीय निकायों के निदेशक के माध्यम से निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(क) इन नियमों से सुसंगत अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अपशिष्ट चुनने वालों के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूह और समान समूहों सहित पणधारियों के परामर्श से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार करना जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर शहरी विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति से समरूप होगी;

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में राज्य नीति और रणनीति तैयार करते समय भूमिभरण में जाने वाले अपशिष्ट का न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने तथा राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव को न्यूनीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों के अपशिष्ट में कमी, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, वसूली और अनुकूलतम उपयोग पर बल देगा;

(ग) राज्य नीतियों और रणनीतियों में कूड़ा चुनने वालों एवं अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं और पुनर्चक्रण उद्योग के अनौपचारिक सेक्टर द्वारा अपशिष्ट को कम करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाना और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के बारे में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध कराना;

(घ) सभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ड.) राज्य के शहरी योजना विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देना कि उन शहरों को छोड़कर जो साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा या शहरों के एक समूह के लिए क्षेत्रीय स्वच्छता भूमिभरण के सदस्य हैं, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में प्रत्येक शहर की मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रावधान हैं;

(च) ठोस अपशिष्ट के लिए प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक वर्ष के अंदर स्थानीय निकायों के वास्ते उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना और उन्हें महानगर एवं जिला योजना समितियों या नगर एवं ग्राम योजना विभाग के माध्यम से राज्य/शहरों की मास्टर योजना (भूमि उपयोग की योजना) में शामिल करना;

(छ) राज्य और स्थानीय निकायों के शहरी योजना विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देना कि 200 से अधिक आवास वाले या 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के प्लॉट वाली गुप हाउसिंग या वाणिज्यिक, सांस्थानिक या अन्य गैर-आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाता है;

(ज) विशेष आर्थिक जोन, औद्योगिक संपदा, औद्योगिक पार्क के विकासकों को निदेश देना कि प्लॉट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5 प्रतिशत प्लॉट या शैड वसूली या पुनर्चक्रण सुविधा के लिए आरक्षित करें;

(झ) लागत भागीदारी आधार पर क्षेत्रीय सुविधा से 50 कि. मी. (या अधिक) की दूरी के अन्तर्गत आने वाले शहरों और नगरों के समूह के साझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भूमिभरण की स्थापना को सुकर बनाना और ऐसे स्वास्थ्यकर भूमिकरणों के वृत्तिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना;

(ञ) ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण तथा स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण एवं परिवहन या प्रसंस्करण की व्यवस्था करना;

(ट) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके 5 टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए बफर जोन अधिसूचित करना; और

(ठ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट के व्यापारियों के पंजीकरण के संबंध में एक योजना शुरू करना ।

12. जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या उपायुक्त के कर्तव्य.- यथा स्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर या उपायुक्त,

(क) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के निकट समन्वय से अपने जिले में स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं की स्थापना करने के लिए नियम 11 के खंड (च) के अनुसार उपयुक्त भूमि की पहचान तथा आवंटन को सुकर बनाएगा;

(ख) अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान पर एक तिमाही में कम से कम तीन मास में एक बार स्थानीय निकायों के अनुपालन का पुनर्विलोकन करेगा और निदेशक या नगरपालिका प्रशासन के आयुक्त या स्थानीय निकायों के निदेशक और राज्य शहरी विकास के प्रभारी सचिव के साथ परामर्श करके उपचारात्मक उपाय करेगा ।

13. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव के कर्तव्य.- (1) उन क्षेत्रों के लिए जो इन नियमों के अधीन आते हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत या शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के कर्तव्य वहीं होंगे जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शहरी विकास के प्रभारी सचिव के हैं ।

14. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य.- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -

(क) इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय करेगा और स्थानीय निकायों द्वारा विहित मानकों का पालन करेगा;

(ख) सभी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की बाबत भूजल, परिवेशी वायु, ध्वनि प्रदूषण, निक्षालन के लिए मानक निश्चित करेगा;

- (ग) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों और सन्नियमों का पुनर्विलोकन करना और जब कभी भी अपेक्षित हो, उनको अद्यतन करना;
- (घ) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों के कार्यान्वयन को वर्ष में कम से कम एक बार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से पुनर्विलोकन और उनके द्वारा मॉनीटर किए गए आंकड़ों का संकलन करना;
- (ङ.) ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उपचार के लिए किसी नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के प्रस्तावों का पुनर्विलोकन करना और छः माह के अंदर उनके लिए निष्पादन मानक, उत्सर्जन मानदंड विहित करना;
- (च) स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से मॉनीटर करना;
- (छ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन नियमों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करना तथा यह रिपोर्ट लोक अधिकार क्षेत्र में भी रखी जाएगी;
- (ज) प्रतिदिन 5 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाली सुविधाओं के विभिन्न आकारों के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की बाहरी सीमाओं से किसी आवासीय, वाणिज्यिक या किसी अन्य संनिर्माण संबंधी क्रियाकलाप को प्रतिबंधित करने वाले बफर जोन को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रकाशित करना;
- (झ) इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए ठोस अपशिष्ट के शहरी स्थानीय निकायों के समर्थ बनाने के लिए प्रसंस्करण और निपटान के पर्यावरणीय पहलुओं पर समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत प्रकाशित करना; और
- (ञ) अपशिष्ट के अंतरराज्यीय संचलन पर राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना ।

15. स्थानीय निकायों, और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायतों तथा शहरी समूहों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व.- (1)
स्थानीय निकाय और पंचायतें :-

- (क) राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करना और उसकी एक प्रति राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिकरण से उसे अनुमोदित कराना;
- (ख) मलिन बस्तियों तथा अनौपचारिक बसावटों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का द्वार-द्वार के संग्रहण की व्यवस्था करना। बहु मंजिलों भवनों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉलों, आवासीय परिसरों इत्यादि से अपशिष्ट का संग्रहण प्रवेश द्वार या किसी अन्य अभिहित स्थान किया जा सकता है;
- (ग) कूड़ा चुनने वालों/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना और द्वार-द्वार जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में इनकी भागीदारी को सुकर बनाने के लिए इन प्राधिकृत चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के एकीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित करना;
- (घ) स्वयं सहायता समूह बनाने को सुकर बनाना, पहचान पत्र उपलब्ध कराना और तदुपरांत घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रह करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकरण को प्रोत्साहन देना;
- (ङ.) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के उपबंधों को समाविष्ट करते हुए उपविधियां बनाना और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

- (च) उपयोक्ता फीस, जो समुचित समझी जाए, समय-समय पर विहित करना और स्वयं या प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से फीस का संग्रह करना;
- (छ) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेश देना कि कूड़ा करकट न फैलाएं अथवा कागज, पानी की बोतलें, पेय पदार्थों के केनों, टेट्रा पैक्स, फलों के छिलके, रैपर आदि या सड़क खुले सार्वजनिक स्थान, नालों अपशिष्ट निकायों पर न जलाए या कुंड में न फेंके या उनका निपटान न करें तथा इन नियमों के अधीन विहित किए गए अनुसार स्रोत अपशिष्ट को अलग-अलग करें और पृथक किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंप दें;
- (ज) पुनर्चक्रणीय सामग्रियों छंटाई करने के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री वसूली सुविधाएं या गौण भंडारण सुविधाएं स्थापित करना ताकि अनौपचारिक या प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वाले और अपशिष्ट संग्रह करने वाले अपशिष्ट में से पुनर्चक्रणीय सामग्रियों को अलग कर सकें या उत्पादन के स्रोत से या सामग्री वसूली सुविधाओं से कागज, प्लास्टिक, धातु, शीशा, कपड़ा आदि जैसे पृथक किए गए पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को संग्रह करने के लिए अपशिष्ट चुनने वालों और पुनर्चक्रकों को सुलभ मार्ग उपलब्ध कराना; जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के भंडारण के लिए डिब्बे हरे रंग से मुद्रित होंगे, जो पुनर्चक्रण के अपशिष्ट के भंडारण के लिए सफेद रंग से मुद्रित होंगे और अन्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए काले रंग से मुद्रित होंगे;
- (झ) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट निक्षेपण केंद्रों की स्थापना करना और अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को निदेश देना कि घरेलू परिसंकटमय अपशिष्टों निक्षेपण परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान सुविधा में उसके सुरक्षित निपटान के लिए इस केंद्र में करें। ऐसी सुविधा की स्थापना किसी शहर या नगर में इस ढंग से की जाएगी कि एक केंद्र की स्थापना बीस किलोमीटर क्षेत्रफल या उसके भाग के लिए हो जाए और इन केंद्रों में घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्राप्त करने के समय अधिसूचित होगा;
- (ञ) परिसंकटमय अपशिष्ट निपटान सुविधा तक घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का सुरक्षित भंडारण और परिवहन सुनिश्चित करना या जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्देश किया जाए;
- (ट) गली के सफाई कर्मचारियों को निदेश देना कि गली की सफाई से संग्रहीत पेड़ के पत्तों को न जलाएं तथा उन्हें अलग से भंडारण करे और स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता या अभिकरण को सौंपे;
- (ठ) अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रशिक्षण देना;
- (ड) दिन-प्रतिदिन आधार पर बाजारों से सब्जियों, फलों, फूलों, मांस, कुक्कुट पालन और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना और स्वास्थ्यकर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में उचित स्थानों पर या बाजारों के आस-पास विकेन्द्रीकृत कंपोस्ट प्लांट या जैव मिथेनीकरण प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहन देना;
- (ढ) जनसंख्या के घनत्व, वाणिज्यिक क्रियाकलाप और स्थानीय स्थिति पर निर्भर करते हुए दैनिक या वैकल्पिक दिवसों या सप्ताह में दो बार सड़कों, मार्गों, गलियों और उप-गलियों की सफाई के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रह करना;
- (ण) सड़क की सफाई के कूड़े और सतही नालियों से निकाली गई गाद को जिन मामलों में इन अपशिष्टों का सीधा संग्रह करने के लिए परिवहन वाहन सुविधाजनक व्यवहार्य नहीं है, अस्थाई रूप से भंडारण करने के लिए आच्छादित गौण भंडारण सुविधा स्थापित करना। इस प्रकार संग्रह किए गए अपशिष्ट का संग्रह और निपटान स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्धारित नियमित अंतराल पर किया जाएगा;
- (त) बागवानी, उद्यानों और बगीचों के अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रह करना और जहां तक संभव हो उसका प्रसंस्करण पार्कों और बगीचों में करना;
- (थ) पृथक किए गए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का परिवहन प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कंपोस्ट प्लांट, जैव मिथेनीकरण संयंत्र या ऐसी कोई सुविधा तक करना। ऐसे अपशिष्ट के स्थल पर प्रसंस्करण को अधिमान्यता दी जानी चाहिए;

(द) क्रमवर्ती प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भंडारण सुविधा को गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को परिवहन करना;

(ध) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन समय-समय पर यथासंशोधित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार करना;

(न) समुदाय सुविधा के आस-पास दुर्गंध के नियंत्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यक्षीन समुदाय स्तर पर घरेलू कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेंद्रित प्रसंस्करण में समुदायों को अंतर्वलित करना;

(प) दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित सभी उद्यानों, बगीचों में कंपोस्ट का प्रयोग करना और जहां कहीं संभव हो इसके अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों पर भी ऐसा करना अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र द्वारा की जाने वाली पुनर्चक्रण पहलों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं;

(फ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भी हैं, को अंगीकृत करते हुए और समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों के उचित उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र के सहभागी या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित अवसंरचना के संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुकर बनाना: परिवहन लागत और पर्यावरणीय आघात को न्यूनतम करने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण को अधिमान्यता देना जैसे-.

(क) जैव-मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अनारोबिक डार्जेशन या जैव निम्नीकरणीय-अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट के दहनशील भाग के लिए अवशिष्ट जनित ईंधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं या अपशिष्ट आधारित विद्युत प्लांटों या सीमेंट भट्टियों को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति;

(ब) इन नियमों के अधीन विहित रीति से अवशेष अपशिष्टों के निपटान के लिए अनुसूची-1 के अनुसार स्वास्थ्यकर भरण स्थलों और आनुषंगिक अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से करना;

(भ) वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त उपबंध करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैकेिक कृत्यों के लिए निधियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिए आवश्यक निधियों की अपेक्षा पूर्ण करने के पश्चात् की आबंटित की जाएं;

(म) प्ररूप-1 में अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए आवेदन करना जिसके अंतर्गत यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट हो;

(य) प्राधिकार की विधिमान्यता समाप्त होने से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना;

(यक) उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उसके पूर्व आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप-4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना;

(यख) वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी;

(यग) कार्मिकों जिसके अंतर्गत संविदा कार्मिकों और पर्यवेक्षकों भी हैं, को पृथक किए गए अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट के संबंध में प्रशिक्षण;

(यघ) यह सुनिश्चित करना कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात् वर्दी, प्रदीप्त जैकेट, हाथ के दस्ताने, बरसाती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन में लगे सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए और कार्यबल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए;

(यड.) किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्प्लैक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व सुनिश्चित करने की भवन योजना में पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;

(यच) कचरा फैलाने वाले या इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्थल ही जुर्माना लगाने के लिए उपविधि बनाना और मापदंड विहित करना तथा बनाई गई उपविधियों के अनुसार स्थल पर ही जुर्माना लगाने की शक्तियां उचित अधिकारियों या स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित करना; और
(यछ) सूचना, शिक्षण और संचार अभियान के माध्यम से लोक जागरूकता का सृजन करना और निम्नलिखित के संबंध में अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को जानकारी देना;

- i. कचरा न फैलाना;
- ii. कम अपशिष्ट उत्पन्न करना;
- iii. संभव सीमा तक अपशिष्ट का पुनःउपयोग;
- iv. अपशिष्ट का जैव निम्नीकरणीय, गैर-जैव निम्नीकरणीय (पुनर्चक्रण योग्य तथा दहनयोग्य), स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में स्रोत पर पृथक्करण;
- v. घरेलू कंपोस्टिंग, वर्मिन कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन या समुदाय स्तरीय कंपोस्टिंग/बायोगैस उत्पादन का व्यवहार करना;
- vi. उपयोग हुए प्रसाधन अपशिष्ट को ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउचों या स्थानीय निकाय द्वारा विहित उपयुक्त लपेटने वाली सामग्री में लपेटना और इसे गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए रखे गए डिब्बों में डालना;
- vii. स्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्टों का अलग-अलग डिब्बों में भंडारण करना;
- viii. अपशिष्ट चुनने वालों, अपशिष्ट संग्राहकों, पुनःचक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को पृथक्कृत अपशिष्ट सौंपना; और
- ix. अपशिष्ट एकत्र करने वालों या स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मासिक उपयोक्ता फीस या प्रभार का संदाय करना।

(यज) स्वास्थ्यकर स्थल की स्थापना और प्रचालन के लिए नियम 23 में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा के समाप्त होने के तुरंत पश्चात् मिश्रित अपशिष्ट से भरण स्थल को भरना या एकत्र करना बंद किया जाए;

(यझ) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से केवल अप्रयोजनीय, गैर-पुनर्चक्रणयोग्य, गैर-जैवनिम्नीकरणीय, गैर-दहनशील और गैर-सक्रिय अपशिष्ट और पूर्व प्रसंस्करण अपशिष्टों तथा अवशिष्टों को ही स्वास्थ्यकर भरण स्थल पर जाने देने की अनुमति दी जाए और स्वास्थ्यकर भरण स्थलों द्वारा अनुसूची 1 में दी गई विशिष्टियों का अनुपालन किया जाएगा। तथापि, अवशिष्टों का यथासंभव पुनर्चक्रण या पुनःप्रयोग किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भरण स्थल तक शून्य अपशिष्ट जाने के अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके;

(यच) सभी पुराने खुले मलबा स्थलों तथा विद्यमान प्रचालनरत मलबा स्थलों के जैव-खनन तथा जैव-उपचार की संभाव्यता के लिए जांच और विश्लेषण करना और जहां कहीं व्यवहार्य हो स्थलों के जैव-खनन या जैव-उपचार हेतु आवश्यक कार्रवाई करना;

(यट) मलबा स्थल के जैव-खनन और जैव-उपचार की संभाव्यता न होने की स्थिति में पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकने के लिए इसे भरण स्थल कैपिंग मानकों के अनुसार वैज्ञानिक रूप से आच्छादित जाएगा।

16. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्तव्य.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा -

(क) अपनी-अपनी अधिकारिता में स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य में इन नियमों का प्रवर्तन किया जाएगा तथा संबंधित नगरपालिका प्रशासन निदेशालय या राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के निकट समन्वय से वर्ष में कम से कम दो बार इन नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी;

(ख) अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण स्थलों के लिए अनुसूची I और अनुसूची II के अधीन यथा विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय मानकों को मॉनीटर करना तथा शर्तों का पालन करना;

(ग) स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से प्ररूप 1 में आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् प्रस्ताव का परीक्षण करना और ऐसी जांच करना जो उचित समझा जाए;

(घ) प्राधिकार के प्रस्ताव की जांच करते समय, संबंधित अधिनियमितियों के अधीन सहमति की अपेक्षा और अन्य अभिकरणों जैसे राज्य शहरी विकास विभाग, नगर और ग्राम योजना विभाग, जिला योजना समिति या महानगरीय क्षेत्र योजना समिति, जैसा लागू हो, विमानपत्तन या एयरवेस प्राधिकरण, भू-जल बोर्ड, रेलवे, विद्युत वितरण कंपनियां, राजमार्ग विभाग और अन्य संबंधित अभिकरणों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें अपने विचार, यदि कोई हों, देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाएगा;

(ड.) स्थानीय निकाय या किसी सुविधा प्रचालक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को प्ररूप 2 में साठ दिन की अवधि के भीतर प्राधिकार जारी करना जिसमें यथाआवश्यक अन्य शर्तों सहित अनुसूची 1 और 2 में यथाविनिर्दिष्ट अनुपालन मापदंड और पर्यावरण मानक अधिकथित हों;

(च) ऐसे प्राधिकार की विधिमान्यता सहमतियों की विधिमान्यता के साथ समकालिक होगी;

(छ) यदि स्थानीय प्राधिकरण या सुविधा प्रचालक सुविधा का प्रचालन विहित शर्तों के अनुसार करने में असफल रहता है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खंड (क) के अधीन जारी उक्त प्राधिकार को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा;

परंतु यथास्थिति, स्थानीय निकाय या प्रचालक को सूचना दिए बिना ऐसा कोई प्राधिकार निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा; और

(ज) नवीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, प्रत्येक आवेदन को गुणागुण के आधार पर परीक्षा करने के पश्चात् और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सुविधा के प्रचालन में नियमों के सभी उपबंधों, प्राधिकार, सहमति या पर्यावरण अनापत्ति में विनिर्दिष्ट मानकों या शर्तों को पूर्ण कर दिया है, अगले पांच वर्षों के लिए प्राधिकार का नवीकरण करेगा;

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्राधिकार अनुदत्त करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(3) नई प्रौद्योगिकियों के मामले में, जहां यथास्थिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कोई मानक विहित नहीं किया गया है, मानक विनिर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेदन करेगा।

(4) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति जब कभी उचित समझा जाए किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, यथाअभिहित या अधिकथित मानकों तथा यथाअनुमोदित उपचार प्रौद्योगिकी तथा प्राधिकार में निर्दिष्ट शर्तों और इन नियमों के अधीन अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन मॉनीटर करेगा।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति परिसंकटमय अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं में अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा एकत्रित घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के सुरक्षित प्रहस्तन और निस्तारण के लिए स्थानीय निकायों को निदेश देगा।

(6) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अपशिष्ट के अंतर राज्य प्रचालन को विनियमित किया जाएगा।

17. निपटानयोग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकिनों और डायपरों के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों के कर्तव्य.- (1) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माता या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्रांड स्वामी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे।

(2) गैर जैव-निम्नीकरणीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्रांड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

(3) स्वास्थ्यकर नैपकिनों तथा डायपरों के विनिर्माताओं या ब्रांड स्वामियों या विपणन कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों में सभी पुनर्चक्रणयोग्य सामग्रियों के प्रयोग की संभाव्यता का पता लगाएंगे या अपने स्वास्थ्यकर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकिन या डायपर के निस्तारण के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगे।

(4) ऐसे सभी विनिर्माताओं, ब्रांड स्वामियों या विपणन कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के संबंध में लोगों को जानकारी दी जाएगी।

18. कचरा व्युत्पन्न ईंधन से सौ कि.मी. के अंदर अवस्थित औद्योगिक इकाइयों और ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों के कर्तव्य.- ईंधन का प्रयोग करने वाली और ठोस अपशिष्ट आधारित कचरा व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र से सौ कि.मी. के भीतर अवस्थित सभी औद्योगिक इकाइयां इस प्रकार उत्पन्न कचरा व्युत्पन्न ईंधन द्वारा अपनी ईंधन अपेक्षा के कम से कम 5 प्रतिशत का प्रतिस्थापन करने के लिए इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर व्यवस्था करेंगे।

19. ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधा की स्थापना के लिए मानदंड.- (1) भूमि समनुदेशन कार्य आबंटन विभाग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से ऐसे स्थलों को अधिसूचित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) सुविधा का प्रचालक समय-समय पर इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शी सिद्धांतों और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी मैनुअल के अनुसार सुविधा का डिजाइन करेगा और इसकी स्थापना करेगा।

(3) सुविधा के प्रचालक द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं के प्रचालन के पर्यावरण मानकों की मॉनीटरिंग की जाएगी।

(5) सुविधा के प्रचालक का उत्तरदायित्व समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी मैनुअल के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं के पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल प्रचालन की होगी।

(6) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधा के प्रचालक द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति और स्थानीय प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्ररूप 3 में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

20. पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानदंड और की जाने वाली कार्रवाईयां.- पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकरणों के कर्तव्य और दायित्व निम्नलिखित अतिरिक्त खंडों के सहित नियम 15 में उल्लिखित के समान होंगे :

(क) पर्वत पर भरण स्थल के संनिर्माण से बचना होगा। प्रसंस्करण सुविधा से अवशिष्ट अपशिष्ट और निष्क्रिय अपशिष्ट का संग्रहण करने के लिए एक उपयुक्त निकटतम अवस्थान पर एक अंतरण स्थान स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्यकर भरण की स्थापना करने के लिए 25 किलोमीटर के भीतर पहाड़ी के नीचे समतल भूमि क्षेत्र में योग्य भूमि का पहचान की जाएगी। अंतरण स्थान से अवशिष्ट अपशिष्ट का निपटान इस स्वास्थ्यकर भरण स्थल पर किया जाएगा।

(ख) ऐसी भूमि उपलब्ध न होने पर की दशा में निष्क्रिय और अवशिष्ट अपशिष्ट के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भरण स्थल स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(ग) स्थानीय निकाय उपविधि बनाएगा और नागरिकों को गलियों में अपशिष्ट फैकने से प्रतिषिद्ध करने तथा पर्यटकों को गलियों में या पहाड़ियों से नीचे न फैकने किसी अपशिष्ट जैसे कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक के केन, टेट्रा पैक, अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट के स्थान पर सभी पर्यटक स्थलों पर स्थानीय निकाय द्वारा रखे गए कूड़ेदान में फैकने के निर्देश देना।

(घ) स्थानीय निकाय द्वारा, पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करने वाले सभी पर्यटकों को उपविधियों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपबंधों को नगर में प्रवेश बिंदु के साथ-साथ होटलों तथा अतिथि गृहों इत्यादि के माध्यम से, जहां वे ठहरते हैं और पर्यटन स्थलों पर उपयुक्त विज्ञापन बोर्ड लगाकर, व्यवस्था करेगा।

(ङ.) स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं संवहनीय बनाने को प्रवेश द्वार पर पर्यटक से ठोस प्रबंधन प्रभार उदगृहीत कर सकेगा।

(च) भूमि समनुदेशन का प्रभारी विभाग विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए पर्वतों पर उपयुक्त स्थल की पहचान और आबंटन करेगा। स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। पर्वतीय स्थान का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए सीढ़ी उद्यान प्रणाली को अपनाया जा सकेगा।

21. अपशिष्ट से उर्जा प्रसंस्करण के लिए मानदंड - (1) 1500 कि./कैल./कि.ग्रा. या अधिक के कैलोरिफिक मान रखने वाले गैर पुनःचक्रण अपशिष्टों को भरण स्थलों में निस्तारित नहीं किया जाएगा और उनका उपयोग या तो केवल व्युत्पन्न ईंधन

अवशेष के माध्यम से या अवशेष व्युत्पन्न ईंधन तैयार करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में देकर या ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ही किया जाएगा।

- (2) उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेंट या ताप विद्युत संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।
- (3) स्थानीय निकाय या सुविधा का प्रचालक या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण जो पांच टन प्रतिदिन से अधिक प्रसंस्करण क्षमता वाली सुविधा के अपशिष्ट के ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना चाहते हों, वे यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्राधिकार के लिए प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (4) अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा की स्थापना करने के लिए ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति उसका परीक्षण करेगा और साठ दिनों के अंदर अनुमति प्रदान करेगा।

22. क्रियान्वयन की समय-सीमा - इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना यथास्थिति, स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष तथा स्वयं या नियोजित अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सीमा में सृजित की जाएंगी :

क्रम सं.	क्रियाकलाप	नियमों की अधिसूचना की तारीख से समय-सीमा
(1)	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करना	1 वर्ष
(2)	0.5 करोड़ जनसंख्या से कम के स्थानीय निकायों के योग्य उपयुक्त समूह के लिए साझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भरण सुविधा को स्थापित करने के लिए और 0.5 करोड़ या अधिक की जनसंख्या वाले सभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा साझा क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर भरण स्थल सुविधाओं या एकल भरण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान।	1 वर्ष
(3)	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा और स्वास्थ्यकर भरण स्थल सुविधाओं के लिए उपयुक्त स्थलों का उपापन।	2 वर्ष
(4)	जैव निम्नीकरणीय, पुनःचक्रण योग्य, दहन योग्य, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय तथा निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्करण के लिए चलन के लिए अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं को बाध्य करना।	2 वर्ष
(5)	पृथक्कृत अपशिष्ट घर-घर से एकत्र करके और प्रसंस्करण या निपटान सुविधाओं का परिवहन आच्छादित वाहनों में सुनिश्चित करना।	2 वर्ष
(6)	संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्टों का अलग-अलग भंडारण, संग्रहण और परिवहन सुनिश्चित करना।	2 वर्ष
(7)	100000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करना।	2 वर्ष
(8)	100000 से कम जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों और नगरों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करना।	3 वर्ष
(9)	इन नियमों के अधीन यथा अनुज्ञात प्रसंस्करण सुविधाओं से केवल ऐसे अपशिष्ट अपशिष्टों के साथ-साथ अशोधित निष्क्रिय अपशिष्ट के निपटान के	3 वर्ष

	लिए 0.5 करोड़ या उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी स्थानीय निकायों द्वारा या के लिए सम्मिलित या एकल भरण की स्थापना।	
(10)	इन नियमों के अधीन अनुज्ञात अपशिष्ट के निपटान के लिए 0.5 करोड़ से कम के अधीन सभी स्थानीय निकायों और जनसंख्या नगरों द्वारा सम्मिलित या क्षेत्रीय भरण स्थलों की स्थापना।	3 वर्ष
(11)	पुराने या परित्यक्त कूड़ा स्थलों का जैविक उपचार करना या उन्हें ढकना।	5 वर्ष

23. राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय.- (1) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्थानीय निकायों का प्रत्येक विभाग प्रभारी इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

क्रम संख्या	पदनाम	सदस्य
(1)	(2)	(3)
1.	राज्य के शहरी विकास विभाग/स्थानीय स्वशासन विभाग के सचिव	अध्यक्ष, पदेन
2.	राज्य सरकार के पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
3.	राज्य सरकार के राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
4.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
5.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
7.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
8.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड .या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
10.	राज्य का मुख्य नगर नियोजक	सदस्य
11.	स्थानीय निकायों के चक्रानुक्रम द्वारा तीन प्रतिनिधि,	सदस्य
12.	जनगणना नगरों/शहरी समुदायों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
13.	अपशिष्ट चुनने वालों/अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए काम करने वाले विख्यात गैर सरकारी संगठन या सिविल सोसायटी का एक प्रतिनिधि	सदस्य

14.	राज्य या केन्द्रीय स्तर पर उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
15.	अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
16.	दो विषय विशेषज्ञ	सदस्य
17.	राज्य सरकार के राजस्व विभाग, कृषि विभाग और श्रम विभाग का सहयोजित एक प्रतिनिधि	सदस्य

(2) इन नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित सभी विषयों, ठोस अपशिष्ट प्रबंध संबंधी राज्य की नीति तथा कार्यनीति की समीक्षा करने और इन नियमों के त्वरित और समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बैठक करेगी।

(3) समीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित की जाएंगी।

24. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) सुविधा के प्रचालक द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को या इससे पूर्व प्ररूप III में स्थानीय निकाय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(2) स्थानीय नगरीय निकाय प्ररूप IV में अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण समिति और संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या मेट्रोपालिटिन नगर की दशा में नगर पालिका प्रशासन के निदेशक या नगरपालिका प्रशासन के आयुक्त या राज्य के अन्य सभी स्थानीय निकायों के मामले में राज्य के स्थानीय निकायों प्रभारी अधिकारी को प्रत्येक वर्ष के 30 जून या उससे पहले अग्रेषित करेगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, इन नियमों के क्रियान्वयन और अनुपालन न करने वाले स्थानीय निकायों पर की गई कार्रवाई की समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्ररूप V में तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष के 31 जुलाई तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देश में स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति पर एक समेकित समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी सिफारिशों के साथ प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त से पहले अग्रेषित की जाएगी।

(5) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान वार्षिक रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

25. दुर्घटना की रिपोर्ट देना - किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या सुविधा केंद्र या भराव भूमि स्थल पर कोई दुर्घटना होने की दशा में, तब सुविधा का प्रभारी अधिकारी प्ररूप VI में घटना की रिपोर्ट स्थानीय निकाय को भेजेगा। स्थानीय निकाय द्वारा समीक्षा की जाएगी और सुविधा के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश, यदि कोई हो, जारी किया जाएगा।

अनुसूची I

[नियम 15 (ब), (यद्म), 16(1)(ख)(ड.), 16(4) देखें]

स्वास्थ्यकर भरण स्थलों के लिए विनिर्देश

क. स्थल चयन के लिए मानदंड. -

- (i) भूमि निर्धारण के कार्य आबंटन में विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे स्थलों को अधिसूचित किया जाएगा।
- (ii) भूमि भरण स्थल योजनाबद्ध, तथा निर्माण योजना के साथ-साथ चरणबद्ध रीति से बंदी योजना के उचित प्रलेखन के साथ अभिकल्पित और विकसित किए जाएंगे। किसी विद्यमान भूमि भरण स्थल से लगी हुई कोई नई भूमि भरण सुविधा तैयार किए जाने की दशा में विद्यमान भूमि भरण स्थल की बंदी योजना, ऐसे नए भूमि भरण स्थल के प्रस्ताव का भाग होगी।
- (iii) भरण स्थलों का चयन आसपास की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा की योजना भरण स्थल के अभिन्न भाग के रूप में बनाई जाएगी।
- (iv) भूमि भरण स्थल शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे।
- (v) विद्यमान भूमि भरण स्थल, जो पांच वर्षों से अधिक से उपयोग में हैं, इस अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों के अनुसरण में उन्नत किए जाएंगे।
- (vi) भूमि भरण स्थल कम से कम 20-25 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त रूप से बड़े होंगे तथा जल जमाव और दुरुपयोग को रोकने के लिए चरणबद्ध रीति से "भूमि भरण सेल" विकसित किए जाएंगे।
- (vii) भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुंओं से 200 मीटर तथा विमानपत्तनों या हवाई अड्डे से 20 किमी की दूरी पर होंगे। तथापि, विशेष मामले में, भूमि भरण स्थल को नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद विमानपत्तन/हवाईअड्डे से 10 और 20 किमी की दूरी के अंदर स्थापित किया जा सकता है। तटीय विनियम जोन, नमभूमि, महत्वपूर्ण आवासीय क्षेत्रों, संवेदनशील पारि-भंगुर क्षेत्रों और गत 100 वर्षों से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (viii) भरण स्थल और ठोस अपशिष्ट के शोधन तथा निस्तारण के लिए स्थलों को नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
- (ix) पांच टन प्रतिदिन से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण सुविधा के आसपास गैर विकास का बफर जोन बनाए रखा जाएगा। इसका अनुरक्षण ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण सुविधा के कुल क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। बफर जोन का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।
- (x) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। ई-अपशिष्टों का प्रबंधन समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

- (xi) अपशिष्ट प्रसंस्करण का कार्य न हो पाने और आपातकाल या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपशिष्ट को रखने के लिए प्रत्येक भरण स्थल पर ठोस अपशिष्ट के लिए अस्थाई भंडारण सुविधा स्थापित की जाएगी।

ख. स्वास्थ्यकर भरण स्थलों पर सुविधाओं के विकास के लिए मानदंड :-

- (i) भूमि भरण स्थल पर चार-दीवारी या बाड़ होगी और अंदर आने वाले वाहनों की निगरानी करने, अनधिकृत व्यक्तियों तथा आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए उचित उपयुक्त दरवाजा लगाया जाएगा।
- (ii) वाहनों और अन्य मशीनरी का मुक्त संचलन सुनिश्चित करने के लिए पट्टुच और/आंतरिक सड़कें ठोस या पक्की बनाई जाएगी ताकि वाहनीय संचलन के कारण धूल कणों को उड़ने से रोका जा सके।
- (iii) भूमि भरण स्थल पर भूमि भरण के लिए लाए जाने वाले अपशिष्ट की मॉनीटरी करने के लिए अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा तथा प्रदूषण मॉनीटरी उपस्कर सहित उपस्कर और मशीनरी रखने के लिए आश्रय स्थल होंगे। सुविधा का प्रचालक अपशिष्ट प्राप्ति, प्रसंस्करण और निपटान का लेखा-जोखा रखेगा।
- (iv) भूमि भरण स्थल पर लाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को मापने के लिए धर्मकांटा, अग्नि सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुविधाएं, जो भी अपेक्षित हों, जैसे प्रावधान किए जाएंगे।

- (v) पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं (अधिमानतः कर्मचारों के लिए धोने/नहाने की सुविधाओं) जैसी उपयोगिताओं और सहज भूमि भरण प्रचालनों, जब रात्रि के समय किए जाते हैं, के लिए प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान होगा।

- (vi) भूमि भरण स्थलों पर कार्मिकों के स्वास्थ्य की जांच सहित सुरक्षा प्रावधान किए जाएंगे।

- (vii) परिवहन वाहनों की पार्किंग और सफाई या धुलाई के लिए प्रावधान किए जाएंगे। इस प्रकार उत्पन्न मल जल का शोधन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

ग. भूमि भरण प्रचालनों और भूमि भरण पूर्ण होने पर उनको बंद करने के विनिर्देशों के लिए मानदण्ड:-

- (i) अपशिष्ट का उच्च घनत्व प्राप्त करने के लिए भूमि भरण किए जाने वाले अपशिष्ट को भारी कम्पेक्टरों का प्रयोग करते हुए पतली परतों में संहत किया जाएगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, जहां भारी कम्पेक्टरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, में वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएंगे।

- (ii) अपशिष्टों को तत्काल या प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में कम से कम 10 सेमी मिट्टी, अक्रिय मलबे या निर्माण सामग्री से उस समय तक ढक दिया जाएगा जब तक कि कम्पोस्टिंग या पुनर्चक्रण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित न कर दी जाएं।

- (iii) मानसून ऋतु के आरंभ होने से पूर्व भूमि भरण स्थल पर मानसून के दौरान पानी के रिसाव को रोकने के लिए उचित संहनन और श्रेणीकरण के साथ 40-65 सेमी मोटी मिट्टी का मध्यवर्ती आवरण बिछा दिया जाएगा। भूमि भरण स्थल के प्रभावी क्षेत्र से पानी के बहाव को विपथित करने के लिए उचित निकास नालियों का निर्माण किया जाएगा।

- (iv) भूमि भरण स्थल के पूरा हो जाने के पश्चात उसके रिसाव और अपरदन को न्यूनतम करने के लिए अंतिम आवरण डिजाइन किया जाएगा। अंतिम आवरण निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार होगा, अर्थात् -

- (क) अंतिम आवरण में 1×10^{-7} सेमी/सेकंड से कम के पारगम्यता गुणांक सहित 60 सेमी की चिकनी मिट्टी या शोधित मिट्टी से युक्त अवरोधक मिट्टी की परत होगी।

- (ख) अवरोधक मिट्टी की परत के ऊपर 15 सेमी की एक निकास परत होगी।
- (ग) निकास परत के ऊपर प्रकृतिजन्य पादपों की वृद्धि में सहायता करने और अपरदन को कम करने के लिए 45 सेमी की एक वनस्पतिक परत होगी।

घ. प्रदूषण निवारण के मानदंड.- भूमि भरण प्रचालनों से प्रदूषण समस्याओं को रोकने के क्रम में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे, अर्थात्-

- (i) तूफान जल नाले को इस तरीके से डिजाइन और निर्मित किया जाए कि सतही जल बहाव, भूमि भरण स्थल से विपथित हो जाए और ठोस अपशिष्ट स्थानों से निक्षालक, सतही जल बहाव में मिश्रित न हो। निक्षालक उत्पत्ति को कम करने और सतही जल के प्रदूषण को रोकने तथा बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिए भी तूफान जल प्रवाह नालियों के विपथन का प्रावधान किया जाएगा।
- (ii) अपशिष्ट निपटान क्षेत्र के आधार और दीवारों पर गैर-पारगम्य लाइनिंग प्रणाली का निर्माण। ऐसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अवशिष्ट अथवा मिश्रित अपशिष्ट या खतरनाक सामग्रियों (जैसे कि ऐरोसोल, ब्लीच, पालिश, बैटरी, अपशिष्ट तेल, पेंट उत्पाद और कीटनाशक) के संदूषण वाले अपशिष्ट को भरने के लिए प्रयुक्त होने वाले भरण स्थलों के लिए न्यूनतम लाइनर विनिर्देश, एक ऐसा मिश्र अवरोधक होगा जो 1.5 मिमी मोटी उच्च घनत्व वाली पॉलीईथाइलीन (एचडीपीई) जियो-मेम्ब्रेन या जियो-सिंथेटिक लाइनर या उसके समतुल्य होगा तथा मिट्टी (चिकनी अथवा शोधित मिट्टी) के 90 सेमी के ऊपर होगी तथा इसका पारगम्यता गुणांक 1×10^{-7} सेमी/सेकंड से अधिक नहीं होगा। जल सारणी का अधिकतम स्तर, भूमि भरण स्थलों के निचले भाग पर उपलब्ध कराई गई चिकनी अथवा शोधित मिट्टी के अवरोधक परत के आधार से कम से कम दो मीटर नीचे होगा।
- (iii) निक्षालकों के संग्रहण और शोधन सहित इनके प्रबंधन के लिए प्रावधान किए जाएंगे। शोधित निक्षालक, अनुसूची-II में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के पश्चात् पुनर्चक्रित या उपयोग में लाए जाएंगे। अन्यथा इन्हें मलनिर्यास लाइन में विमुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी हाल में निक्षालक को खुले वातावरण में विमुक्त नहीं किया जाएगा।
- (iv) भूमि भरण क्षेत्र से बहने वाले जल को किसी नाले, धारा, नदी, झील या तालाब में प्रवेश करने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी। जल बहाव के निक्षालक या ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होने के मामले में, समस्त मिश्रित जल को संबंधित प्राधिकरण द्वारा शोधित किया जाएगा।

ड. जल गुणवत्ता मॉनीटरि के लिए मानदंड.-

- (i) किसी भूमि भरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व, क्षेत्र में भूमि जल गुणवत्ता के मूलाधार आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए रिकार्ड में रखा जाएगा। भूमि भरण स्थल की परिधि के 50 मीटर के अंदर भूमि जल गुणवत्ता को वर्ष में विभिन्न ऋतुओं अर्थात् ग्रीष्म, मानसून और मानसून-पश्च अवधि के दौरान आवधिक रूप से मॉनीटर किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भू-जल, स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूषित न हो।
- (ii) किसी भी प्रयोजन (पेय जल और सिंचाई सहित) के लिए भूमि भरण स्थलों में और उनके आस-पास भूमि जल के उपयोग पर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के बाद विचार किया जाएगा। मॉनीटरि प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता हेतु निम्नलिखित विनिर्देश लागू होंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	पैरामीटर	आईएस 10500:2012, संस्करण 2.2 (2003-09) वांछनीय सीमा (मिग्रा/ली., पीएच को छोड़कर)
(1)	(2)	(3)
(1)	आर्सेनिक	0.01
(2)	कैडमियम	0.01
(3)	क्रोमियम (Cr ⁶⁺ के रूप में)	0.05
(4)	तांबा	0.05
(5)	साइनाइड	0.05
(6)	सीसा	0.05
(7)	पारा	0.001
(8)	निकल	-
(9)	नाइट्रेट, एनओ ₃ के रूप में	45.0
(10)	पीएच (pH)	6.5-8.5
(11)	लोहा	0.3
(12)	कुल कठोरता (सीएसीओ ₃ के रूप में)	300.0
(13)	क्लोराइड	250
(14)	विलीन ठोस	500
(15)	फेनोलिक यौगिक (सी ₆ एच ₅ ओएच के रूप में)	0.001
(16)	जस्ता	5.0
(17)	सल्फेट (एसओ ₄ के रूप में)	200

च. परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी के लिए मानदंड. -

- (i) भूमि भरण स्थल पर दुर्गंध को कम करने, गैसों को अपस्थलीय फैलने से रोकने, पुनर्वासित भूमि भरण स्थल सतह पर उगाई गई वनस्पति को बचाने के लिए गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियंत्रण प्रणाली संस्थापित की जाएगी। भूमि भरण गैस पुनर्प्राप्ति को बढ़ाने के लिए गैस संग्रहण कुओं के साथ आच्छादन प्रणालियों में जियो मेम्ब्रेन के प्रयोग पर विचार किया जाएगा।

- (ii) भूमि भरण स्थल पर निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण, निम्न विस्फोटक सीमा (एलईएल) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (iii) किसी भूमि भरण स्थल पर संग्रहण सुविधा से प्राप्त भूमि भरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार या तो सीधे तापीय अनुप्रयोगों या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा। अन्यथा, भूमि भरण गैस को जला (प्रदीप्त) दिया जाएगा और सीधे वायुमंडल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। यदि इसका उपयोग या प्रदीप्त संभव न हो तो निष्क्रिय निकास की अनुमति दी जाएगी।
- (iv) भूमि भरण स्थल पर और इसके आसपास परिवेशी वायु गुणवत्ता के नियमित रूप से माँनीटरी की जाएगी। परिवेशी वायु गुणवत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों के अनुसार होगी।

छ. भूमि भरण स्थल पर पौधरोपण के लिए मानदंड.- तैयार स्थल के ऊपर निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार वनस्पतिक आवरण बनाया जाएगा, अर्थात् :

- (क) स्थानीय रूप से अंगीकृत अखाद्य बारहमासी पौधों, जो सूखे तथा अत्यधिक तापमान के प्रतिरोधी हैं, को उगाया जाएगा;
- (ख) पौधे ऐसे प्रजाति के होंगे कि उनकी जड़ें 30 सेमी से अधिक गहरी न हों। यह शर्त, भूमि भरण स्थल के स्थिर होने तक लागू रहेगी;
- (ग) चयनित पौधों में न्यूनतम पोषक वृद्धि के साथ न्यून-पोषक मिट्टी में पनपने की क्षमता होगी;
- (घ) मिट्टी के अपरदन को कम करने के लिए पर्याप्त घनत्व में पौधरोपण किया जाएगा;
- (ङ.) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के परामर्श से भूमि भरण स्थल की सीमा के चारों ओर हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

ज. भूमि भरण स्थल पर पश्चात्कर्ती देखरेख के लिए मानदंड. - (1) भूमि भरण स्थल की बंदी-पश्च देखरेख कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए की जाएगी और दीर्घकालिक माँनीटरी या देखरेख योजना निम्नलिखित से युक्त होगी, अर्थात् :-

- (क) सबसे ऊपरी परत की अखंडता और प्रभाविता को बनाए रखना, मरम्मत करते रहना तथा सबसे ऊपरी परत को अपरदन या अन्य प्रकार के नुकसान के जारी रहने और बहने को रोकना;
- (ख) अपेक्षानुसार निक्षालक संग्रहण प्रणाली की माँनीटरी करना;
- (ग) भरण स्थल में और इसके आसपास भू-जल की माँनीटरी करना;
- (घ) मानकों के अनुरूप भूमि भरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण और प्रचालन करना।

(2) पंद्रह वर्ष की बंदी-पश्च माँनीटरी के बाद बंद पड़े भूमि भरण स्थलों के उपयोग पर मानव बस्ती या अन्यथा प्रयोग किए जाने के बारे में यह सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा कि गैसीय उत्सर्जन और निक्षालक गुणवत्ता विश्लेषण, विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन में हैं और मृदा स्थिरता सुनिश्चित की गई है।

झ. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों हेतु मानदंड - पहाड़ों पर बसे नगरों और शहरों में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए विकसित की गई स्थान-विशिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी। नगरपालिका प्राधिकरण जैवअवक्रमणीय जैविक अपशिष्ट को उपयोगी बनाने के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करेगा। गैर-जैवअवक्रमणीय पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का भण्डारण किया जाएगा और

इन्हें पुनर्चक्रण के लिए आवधिक रूप से भेजा जाएगा। अक्रिय और गैर-जैवअवक्रमणीय अपशिष्ट का उपयोग, सड़कें बनाने या पहाड़ों पर उपयुक्त क्षेत्रों की भराई करने के लिए किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों के कारण सड़क पर बिछाने या भराई के लिए उपयुक्त न पाए गए अपशिष्ट का निपटान मैदानी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भरण स्थलों में किया जाएगा।

ब. पुराने मलबा स्थलों को बंद और बहाल करना - ठोस अपशिष्ट के मलबा स्थल जिन्होंने अपनी क्षमता पूरी कर ली है या नए और उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए भरण स्थलों की स्थापना के बाद जिनमें अतिरिक्त अपशिष्ट नहीं डाले जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और निम्नलिखित विकल्पों की जांच करने के बाद बहाली की जानी चाहिए :

- (i) जैव खनन और अपशिष्ट प्रसंस्करण द्वारा अपशिष्ट को कम करना जिसके बाद नए भरण स्थलों या नीचे (ii) के अनुसार आच्छादन में अवशिष्टों को रखा जाएगा।
- (ii) ग्रीन हाऊस गैसों के संग्रहण और चमकाने/उपयोग में समर्थ बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट आवरण या जियो मेम्ब्रेन से संवर्धित ठोस अपशिष्ट आवरण से आच्छादित किया जाना।
- (iii) ऊपर (ii) के अनुसार अतिरिक्त उपायों (जलोद्भू और अन्य खुरदरी दानेदार मिट्टियों में) जैसे संदूषित भू-जल को निकालने और शोधित करने के लिए कट-ऑफ वॉल और निष्कर्षण कुओं में आच्छादन।
- (iv) स्वीकार्य स्तर तक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त कोई अन्य पद्धति।

अनुसूची II

[नियम 16(1), (ख), (ड.), 16(4) देखें]

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और शोधन के मानक

क. खाद के मानक.- अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकियों में से एक के रूप में कंपोस्टिंग शामिल होगा। कंपोस्ट संयंत्र से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित का पालन किया जाएगा अर्थात् :

- (क) स्थल पर पहुंचने वाले जैविक अपशिष्ट का आगे के प्रसंस्करण से पूर्व समुचित रखरखाव किया जाएगा। जहां तक संभव हो, अपशिष्ट भण्डारण क्षेत्र ढका हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा भण्डारण खुले में किया गया हो तो निक्षालक शोधन और निपटान सुविधा तक पहुंचने वाले पंक्तिबद्ध तालों में निक्षालक और सतही जल बहाव को एकत्रित करने की सुविधा के साथ अपारगम्य आधार उपलब्ध कराया जाना चाहिए;
- (ख) गंध, मक्खियों, कृतकों, पक्षी के खतरे और आग के जोखिम की बाधा को कम करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी;
- (ग) संयंत्र के ब्रेकडाउन या रखरखाव के मामले में, अपशिष्ट अंतर्ग्राही को बंद कर दिया जाएगा और अपशिष्ट को अस्थायी प्रसंस्करण स्थल या अस्थायी भूमि भरण स्थलों की दिशा में विपथित करने की व्यवस्था की जाएगी, जिनका संयंत्र के ठीक-ठाक हो जाने पर पुनः प्रसंस्करण किया जाएगा;
- (घ) प्रसंस्करण सुविधा से प्रक्रिया पूर्व और प्रक्रिया-पश्च अवशिष्टों को नियमित आधार पर हटा दिया जाएगा और स्थल पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री, उपयुक्त विक्रेताओं के माध्यम से भेजी जाएगी। गैर-पुनर्चक्रण योग्य उच्च तापजनक अंशों को पृथक किया जाएगा और सीमेंट संयंत्रों में या विद्युत संयंत्रों को आरडीएफ उत्पादन, सह-प्रसंस्करण के लिए भेजा जाएगा। भूमि भरण स्थलों में केवल सभी प्रक्रियाओं के अवशिष्ट भेजे जाएंगे।

- (ड.) अपारगम्य आधार के साथ विंड्रो क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा आधार बजरी या ठोस चिकनी मिट्टी, 50 सेमी मोटी, जिसका पारगम्यता गुणांक 10^{-7} सेमी/सेकंड से कम हो, का बनाया जाएगा। आधार में 1 से 2 प्रतिशत ढाल होगी और निक्षालक या सतही बहाव का संग्रहण करने के लिए इसकी चारों तरफ नालियों का घेरा होगा।
- (च) परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित रूप से मॉनीटरी की जाएगी। प्रसंस्करण संयंत्र की बाहरी दीवार पर या नीचे की हवा की दिशा में गंध की समस्या की भी नियमित रूप से जांच की जाएगी।
- (छ) नमी बनाए रखने के लिए खाद संयंत्र में निक्षालक को पुनःपरिचालित किया जाएगा।
- (ज) अंतिम उत्पाद खाद, समय-समय पर अधिसूचित उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होगा।
- (झ) खाद का सुरक्षित अनुप्रयोग सुनिश्चित करने हेतु खाद गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देशों को पूरा किया जाएगा, अर्थात् :-

पैरामीटर	जैविक खाद (एफसीओ 2009)	फॉस्फेट संपन्न जैविक खाद (एफसीओ 2013)
(1)	(2)	(3)
आर्सेनिक (मिग्रा/किग्रा)	10.00	10.00
कैडमियम (मिग्रा/किग्रा)	5.00	5.00
क्रोमियम (मिग्रा/किग्रा)	50.00	50.00
तांबा (मिग्रा/किग्रा)	300.00	300.00
सीसा (मिग्रा/किग्रा)	100.00	100.00
पारा (मिग्रा/किग्रा)	0.15	0.15
निकल (मिग्रा/किग्रा)	50.00	50.00
जस्ता (मिग्रा/किग्रा)	1000.00	1000.00
सी/एन अनुपात	<20	20:1 से कम
पीएच (pH)	6.5-7.5	(1:5 घोल) अधिकतम 6.7
नमी, भार का प्रतिशत, अधिकतम	15.0-25.0	25.0
थोक घनत्व (ग्राम/सेमी ³)	<1.0	1.6 से कम
कुल जैविक कार्बन, भार द्वारा प्रतिशत, न्यूनतम	12.0	7.9
कुल नाइट्रोजन (एन के रूप में), भार द्वारा प्रतिशत, न्यूनतम	0.8	0.4

कुल फॉस्फेट (पी2ओ5 के रूप में) भार द्वारा प्रतिशत, न्यूनतम	0.4	10.4
कुल पोटेशियम (के2ओ के रूप में), भार द्वारा प्रतिशत, न्यूनतम	0.4	-
रंग	गहरे भूरे से काले तक	-
गंध	बदबू की अनुपस्थिति	-
कण आकार	कम से कम 90% सामग्री, 4.0 मिमी आईएस छलनी से होकर गुजरनी चाहिए	कम से कम 90% सामग्री, 4.0 मिमी आईएस छलनी से होकर गुजरनी चाहिए
प्रवाहकत्व (डीएसएम-1 के रूप में), से कम	4.0	8.2

*उपरोक्त कथित संकेन्द्रण सीमाओं से अधिक वाली खाद (अंतिम उत्पाद) का उपयोग खाद्य फसलों के लिए नहीं किया जाएगा। तथापि, इसका उपयोग खाद्य फसलों को उगाने से भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

ख. शोधित निक्षालकों के लिए मानक. - शोधित निक्षालकों के निपटान में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	मापदंड	मानक (निपटान का तरीका)		
		अंतर्देशीय सतही जल	सार्वजनिक सीवर	भूमि निपटान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निलंबित ठोस, मिग्रा/ली, अधिकतम	100	600	200
2.	विलीन ठोस (अजैविक), मिग्रा/ली, अधिकतम	2100	2100	2100
3.	पीएच (ph) मान	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0	5.5 से 9.0
4.	अमोनिकल नाइट्रोजन (एन के रूप में) मिग्रा/ली., अधिकतम	50	50	--
5.	कुल केलडाल नाइट्रोजन (एन के रूप में) मिग्रा/ली, अधिकतम	100	--	--

6.	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (27 ⁰ से पर 3 दिन) अधिकतम (मिग्रा/ली)	30	350	100
7.	रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मिग्रा/ली, अधिकतम	250	--	--
8.	आर्सेनिक (एएस के रूप में), मिग्रा/ ली, अधिकतम	0.2	0.2	0.2
9.	पारा (एचजी के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	0.01	0.01	--
10.	सीसा (पीबी के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	0.1	1.0	--
11.	कैडमियम (सीडी के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	2.0	1.0	--
12.	कुल क्रोमियम (सीआर के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	2.0	2.0	--
13.	तांबा (सीयू के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	3.0	3.0	--
14.	जस्ता ((जेडएन के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	5.0	15	--
15.	निकल (एनआई के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	3.0	3.0	--
16.	साइनाइड (सीएन के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	0.2	2.0	0.2
17.	क्लोराइड (सीएल के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	1000	1000	600
18.	फ्लोराइड (एफ के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	2.0	1.5	--
19.	फेनोलिक यौगिक (सी ₆ एच ₅ ओएच के रूप में), मिग्रा/ली, अधिकतम	1.0	5.0	--

नोट : आंतरिक सतही जल-निकायों में शोधित निक्षालकों को बहाते समय, बहाए जाने वाले निक्षालकों की मात्रा और प्राप्त करने वाले जल निकाय में उपलब्ध मिश्रित जल की मात्रा पर उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

ग. **भस्मीकरण के मानक** : ठोस अपशिष्ट शोधन/निपटान सुविधा में भस्मकों/ताप प्रौद्योगिकियों से होने वाले उत्सर्जन में निम्नलिखित मानकों का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात् :

मानदण्ड	उत्सर्जन मानक	
	(1)	(2)
विविक्त-कण	50 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ आधे घंटे के औसत मान से है
एचसीएल	50 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ आधे घंटे के औसत मान से है
एसओ2	200 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ आधे घंटे के औसत मान से है
सीओ	100 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ आधे घंटे के औसत मान से है
	50 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ दैनिक औसत मान से है
कुल जैविक कार्बन	20 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ आधे घंटे के औसत मान से है
एचएफ	4 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ आधे घंटे के औसत मान से है
एनओएक्स (एनओ2 के रूप में व्यक्त एनओ और एनओ2)	400 मिग्रा/एनएम ³	मानक का अर्थ आधे घंटे के औसत मान से है
कुल डाइऑक्साइड और फ्यूरन	0.1 एनजी टीईक्यू/एनएम ³	मानक का अर्थ 6-8 घंटे के नमूने से है। कृपया कुल विषाक्त समतुल्यता प्राप्त करने के लिए विषाक्त समतुल्यता मानों हेतु 17 संबंधित समप्रकारी वस्तु के दिशानिर्देशों का संदर्भ लें।
सीडी+टीएच+उनके यौगिक	0.05 एमजी/एनएम ³	मानक का अर्थ 30 मिनट और 8 घंटे के बीच कहीं भी नमूना लिए गए समय से है।
एचजी और इसके यौगिक	0.05 एमजी/एनएम ³	मानक का अर्थ 30 मिनट और 8 घंटे के बीच कहीं भी नमूना लिए गए समय से है।
एसबी+एस+पीबी+सीआर+ सीओ+सीयू+एमएन+एनआई+बी+ उनके यौगिक	0.5 एमजी/एनएम ³	मानक का अर्थ 30 मिनट और 8 घंटे के बीच कहीं भी नमूना लिए गए समय से है।
नोट : सभी मानों में शुष्क आधार पर 11% ऑक्सीजन तक शुद्धि की गई है।		

टिप्पणी :

- (क) उपरोक्त उत्सर्जन सीमाओं को प्राप्त करने के लिए भस्मीकरण यंत्र के साथ उपयुक्त प्रकार के डिजाइन किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण संस्थापित या पुनःसंयोजित किए जाएंगे।
- (ख) भस्मीकृत किए जाने वाले अपशिष्ट को किसी क्लोरीनयुक्त कीटाणुनाशक के साथ रासायनिक तरीके से शोधित नहीं किया जाएगा।

- (ग) क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक के भस्मीकरण को दो वर्षों के अंदर क्रमबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा।
- (घ) यदि भस्मीकरण राख में विषाक्त धातुओं की सांद्रता समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2008 में यथाविनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हो तो ऐसे राख को परिसंकटमय अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा को भेजा जाएगा।
- (ङ.) भस्मीकरण-यंत्र में ईंधन के रूप में केवल एलडीओ, एलएसएचएस, डीजल, बायोमास, कोयला, एलएनजी, सीएनजी, आरडीएफ और बायोगैस जैसे निम्न सल्फर ईंधन का ही प्रयोग किया जाएगा।
- (च) अधोवायु गैस में सीओ₂ संकेन्द्रण 7% से अधिक नहीं होगा।
- (छ) ट्विन चैम्बर भस्मीकरण-यंत्रों में सभी सुविधाएं इस प्रकार से डिजाइन की जाएंगी कि द्वितीय ज्वलन चैम्बर में 950° से. के न्यूनतम तापमान को प्राप्त करने के लिए और 2 (दो) सेकंड से अधिक के द्वितीय ज्वलन चैम्बर में गैस रह सके।
- (ज) भस्मीकरण संयंत्र (दहन चैम्बर) ऐसे तापमान, अवधारण समय और विक्षोभ के साथ परिचालित किए जाएंगे ताकि लावा और तलहटी राखों में कुल जैविक कार्बन (टीओसी) तत्व को 3% से कम किया जा सके या प्रज्वलन पर उनकी क्षति सूखे वजन के 5% से कम हो।
- (झ) स्थलों से निकलने वाली गंध का प्रबंधन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ किया जाएगा।

प्ररूप -I

[नियम 15 (म), 16(1)(ग), 21(3) देखें]

**ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/शोधन और निपटान के लिए
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन**

सेवा में,

..... के

सदस्य सचिव

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

महोदय,

मैं/हम ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, शोधन और निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार के लिए एतद्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

1.	उनके/सुविधा के प्रचालक द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय/अभिकरण का नाम	
2.	पत्राचार का पता दूरभाष सं. फैक्स सं.	

	ई-मेल	
3.	नोडल अधिकारी और पदनाम (प्रसंस्करण/शोधन या निपटान सुविधा के प्रचालन के लिए उत्तरदायी स्थानीय निकाय या अभिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी)	
4.	सुविधा की स्थापना करने और प्रचालन के लिए अपेक्षित प्राधिकार (कृपया निशान लगाएं)	i. अपशिष्ट प्रसंस्करण ii. पुनर्चक्रण iii. शोधन iv. भूमि भरण स्थल पर निपटान
5.	इन दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें	i. स्थल स्वीकृति (स्थानीय प्राधिकरण) ii. पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाण iii. स्थापना के लिए अनुमति iv. नगरपालिका प्राधिकरण और प्रचालन अभिकरण के बीच करार v. परियोजना में निवेश और अपेक्षित आय
6.	ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/शोधन i. प्रतिदिन प्रसंस्करित अपशिष्ट की कुल मात्रा क) पुनर्चक्रित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा ख) शोधित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा ग) भूमिभरण स्थल में निपटाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा ii. प्रसंस्करित अपशिष्ट के लिए उपयोगिता कार्यक्रम (उत्पाद उपयोग) iii. निपटान के लिए कार्य-पद्धति (ब्यौरा संलग्न करें) क) निक्षालक की मात्रा ख) निक्षालक के लिए शोधन प्रौद्योगिकी iv. पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय v. संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय vi. ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/शोधन/	

	निपटान सुविधा संबंधी ब्यौरा (संलग्न किया जाए)	
7.	ठोस अपशिष्ट का निपटान अभिज्ञात स्थलों की संख्या प्रतिदिन निपटाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा स्थल चयन के लिए अपनाई गई कार्य-पद्धति या मानदण्ड का ब्यौरा (संलग्न करें) प्रचालन के अंतर्गत विद्यमान स्थल का ब्यौरा भूमि भरण की कार्य-पद्धति और प्रचालनात्क ब्यौरा पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपाय	
8.	कोई अन्य सूचना	

हस्ताक्षर :.....

पदनाम

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-II

[नियम 16(1)(ड.) देखें]

प्राधिकार जारी करने के लिए प्रपत्र

फाइल सं. : _____

दिनांक : _____

प्राधिकार सं. : _____

सेवा में,

संदर्भ : आपका आवेदन सं. _____ दिनांक _____

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने के पश्चात _____ को जिनका प्रशासनिक कार्यालय _____ में है, पर अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/शोधन/ निपटान सुविधा स्थापित और प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्राधिकार ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, शोधन और निपटान के लिए सुविधा के प्रचालन हेतु प्रदान किया जाता है।

यह प्राधिकार नीचे उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों और इन नियमों में अन्यथा यथानिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और इन नियमों के अंतर्गत अनुसूचियों I और II में विनिर्धारित मानकों के अध्वधीन है।

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किसी भी समय, प्राधिकार के अंतर्गत लागू किसी शर्त को रद्द किया जा सकता है और इसकी लिखित सूचना दी जाएगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध का उल्लंघन होने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

दिनांक :

(सदस्य सचिव)

स्थान :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र

प्रदूषण नियंत्रण समिति

(हस्ताक्षर और पदनाम)

प्ररूप-III

[नियम 19(6), 24(1) देखें]

सुविधा के प्रचालक द्वारा स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किए जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

1.	शहर/नगर का नाम	
2.	जनसंख्या	
3.	क्षेत्रफल वर्ग किलो मीटर में	
4.	स्थानीय निकाय का नाम और पता दूरभाष सं. फैक्स ई-मेल :	
5.	सुविधा के प्रचालक का नाम और पता	
6.	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम दूरभाष सं. फैक्स ई-मेल :	

7.	शहर/नगर में परिवारों की संख्या शहर में गैर आवासीय परिसरों की संख्या शहर/नगर में चुनाव/प्रशासनिक वार्डों की संख्या	
8.	ठोस अपशिष्ट की मात्रा	
	प्रति दिन स्थानीय निकाय के क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा मीट्रिक टन में	/टीपीडी
	प्रतिदिन संग्रहित ठोस अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
	प्रतिदिन संग्रहित प्रति व्यक्ति अपशिष्ट	/ग्रा./दिन
	प्रसंसकृत ठोस अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
	भरण स्थल पर निपटान किए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
9.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा की स्थिति	
	स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण	हां/नहीं
	क्या घरेलू/वाणिज्यिक/संस्थागत बिनों में स्रोत पर ठोस अपशिष्ट का भंडारण किया जाता है, यदि हां	%
	घरेलू बिनों में स्रोत पर अपशिष्ट के भंडारण की घरेलू रीति की प्रतिशतता	%
	वाणिज्यिक/संस्थागत बिनों में स्रोत पर अपशिष्ट का गैर आवासीय परिसरों में भंडारण करने की प्रतिशतता	%
	गलियों में घरों के ठोस अपशिष्ट का निपटान करने या फेंकने की प्रतिशतता	%
	गलियों में गैर आवासीय परिसरों के ठोस अपशिष्ट का निपटान करने या फेंकने की प्रतिशतता	%
	क्या ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक्कृत स्वरूप में भंडारित किया जाता है	हां/नहीं
	यदि हां, तो स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण करने वाले परिसरों की प्रतिशतता	%
	ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण	
	क्या शहर/नगर में ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण किया जाता है	हां/नहीं
	यदि हां, तो अपशिष्ट के घर-घर जाकर संग्रहण किए जाने में शामिल वार्डों की संख्या	
	शामिल किए गए घरों की संख्या	
	शामिल किए गए वाणिज्यिक संस्थापनाओं, होटलों, रेस्तराओं, शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालय इत्यादि सहित गैर आवासीय परिसरों की संख्या	
	निम्न के माध्यम से घर-घर जाकर संग्रहण किए जाने में शामिल आवासीय और गैर आवासीय परिसरों की प्रतिशतता : मोटरकृत वाहन कंटेनरकृत तिपहिया साइकिल/हैंड कार्ट अन्य साधन	

						%
						%
						%
	यदि नहीं, तो संग्रहण में अपनाई गई प्राथमिक पद्धति					
	गलियों में झाड़ू लगाया जाना					
	शहर में सड़कों, गलियों, लेनों, बाइलेनों की लम्बाई जिनकी सफाई किए जाने की आवश्यकता है					कि.मी.
	गली में झाड़ू लगाए जाने की बारंबारता और लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशतता					
		बारंबारता	रोजाना	एकांतर दिवस पर	सप्ताह में दो बार	कभी-कभी
		लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशतता				
	प्रयुक्त साधन					%
	हाथ से झाड़ू लगाया जाना					%
	यांत्रिक रूप से झाड़ू लगाया जाना					
	क्या सफाई कर्मचारियों द्वारा लंबी हैंडल वाले झाड़ू का प्रयोग किया जाता है					हां/नहीं
	क्या प्रत्येक सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट का संग्रहण करने के लिए हैंडकार्ट/तिपहिया साइकिल दी जाती है					हां/नहीं
	क्या हैंडकार्ट/तिपहिया साइकिल में कंटेनर लगा है					हां/नहीं
	क्या संग्रहण का साधन प्रयोग किए गए संग्रहण/अपशिष्ट भंडारण के कंटेनरों समकालिक है					हां/नहीं
	द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण सुविधाएं					
	शहर/नगर में अपशिष्ट भंडारण डिपो की संख्या और प्रकार खुले अपशिष्ट भंडारण स्थल चिनाई किए गए बिन					संख्या क्षमता घन मीटर में

<p>सीमेंट कंक्रीट सिलिंडर के बिन ढलाव/ढके हुए कक्ष/स्थान ढके हुए धातु/प्लास्टिक के कंटेनर 1.1 घन मीटर तक के बिन 2 से 5 घन मीटर के बिन 5 घन मीटर से बड़े कंटेनर बिन रहित शहर</p>		
बिन/जनसंख्या अनुपात		
<p>अपशिष्ट भंडारण डिपो का वार्डवार विवरण (संलग्न करें) :</p> <p>वार्ड सं. :</p> <p>क्षेत्रफल :</p> <p>जनसंख्या :</p> <p>रखे हुए बिनों की संख्या</p> <p>रखे गए बिनों का कुल आयतन</p>		
अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं की कुल भंडारण क्षमता घन मीटर में		
अपशिष्ट भंडारण डिपो में प्रतिदिन वास्तविक रूप से भंडारित कुल अपशिष्ट		
डिपो से अपशिष्ट के संग्रहण की बारंबारता बताएं साफ किए गए बिनों की संख्या	बारंबारता	बिनों की संख्या
	प्रतिदिन	
	एकांतर दिवस	
	सप्ताह में दो बार	
	सप्ताह में एक बार	
	कभी-कभी	
क्या भंडारण डिपो में पृथक्कृत अपशिष्ट को हरे, नीले और काले बिनों में भंडार करके रखने की सुविधा है	हां/नहीं (यदि हां तो विवरण दें) हरे बिनों की संख्या : नीले बिनों की संख्या : काले बिनों की संख्या :	
भंडारण डिपो से ठोस अपशिष्ट उठाने का कार्य हाथ से किया जाता है		

या यांत्रिक तरीके से? प्रतिशत बताएं ठोस अपशिष्ट को हाथ से उठाए जाने की प्रतिशतता यांत्रिक तरीके से उठाने की प्रतिशतता	% %
यदि यांत्रिक है तो प्रयुक्त पद्धति का स्पष्ट उल्लेख करें	फ्रंट-एंड लोडर/टॉप लोडर
क्या ठोस अपशिष्ट को घर-घर से उठाया जाता है और पृथक्कृत स्वरूप में सीधे शोधन संयंत्र तक भेजा जाता है	हां/नहीं (यदि हां तो स्पष्ट उल्लेख करें)
प्रतिदिन अपशिष्ट का परिवहन प्रयोग किए गए वाहनों का प्रकार और संख्या (कृपया टिक करें या जोड़ें) पशु गाड़ी ट्रैक्टर नॉन टीपिंग ट्रक टीपिंग ट्रक डम्पर प्लेसर अवशिष्ट संग्राहक कम्पैक्टर अन्य जेसीबी - लोडर	अपशिष्ट का परिवहन करने में लगाए गए फेरों की संख्या
अपशिष्ट के परिवहन की बारंबारता	बारंबारता परिवहन किए गए अपशिष्ट का प्रतिशत प्रतिदिन एकांतर दिवस पर सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभी
प्रत्येक दिन परिवहन किए गए अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
प्रतिदिन परिवहन किए गए कुल अपशिष्ट की प्रतिशतता	%
प्रयोग की गई अपशिष्ट शोधन प्रौद्योगिकियां	
क्या ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाता है	हां/नहीं

यदि हां, तो प्रतिदिन प्रसंस्करण किए गए अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में)	
अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए वर्तमान में प्रयुक्त भूमि	
प्रचालनरत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं	
निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं	
शहर/नगर की सीमा से प्रसंस्करण सुविधाओं की दूरी	
अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का विवरण	
कंपोस्टिंग	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
वर्मी कंपोस्टिंग	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
बायो-मिथेनेशन	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
अवशिष्ट जनित ईंधन	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी जैसे कि भष्मीकरण, गैसीकरण, पाइरोलेसिस या कोई अन्य प्रौद्योगिकी (विवरण दें)	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
सह-प्रसंस्करण	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री
सीमेंट संयंत्र को आपूर्तित दहनशील अपशिष्ट	

	ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति दहनशील अपशिष्ट	
	अन्य	मात्रा
	ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएं	
	स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध मलबा स्थलों की संख्या	
	स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध स्वास्थ्यकर भरण स्थलों की संख्या	
	अपशिष्ट के निपटान हेतु उपलब्ध ऐसे प्रत्येक स्थल का क्षेत्रफल	
	अपशिष्ट के निपटान के लिए वर्तमान में प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल	
	शहर/नगर से मलबा स्थल/भरण सुविधा की दूरी	कि.मी.
	निकटतम वसावट से दूरी	कि.मी.
	जल निकाय से दूरी	कि.मी.
	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी	कि.मी.
	विमानपत्तन से दूरी	कि.मी.
	महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों या ऐतिहासिक स्मारक से दूरी	कि.मी.
	क्या यह बाढ़ संभावित क्षेत्र में पड़ता है	हां/नहीं
	क्या यह भूकंप संभावित क्षेत्र में पड़ता है	हां/नहीं
	प्रत्येक दिन भरण में डाले गए अपशिष्ट की मात्रा	टीपीडी
	क्या भरण स्थल को घेरा गया है	हां/नहीं
	क्या स्थल पर रोशनी की सुविधा उपलब्ध है	हां/नहीं
	क्या धर्मकांटा सुविधा उपलब्ध है	हां/नहीं
	भरण स्थल पर प्रयुक्त वाहन और उपकरण (स्पष्ट करें)	उपलब्ध बुलडोजर, कम्पैक्टर इत्यादि
	भरण स्थल पर नियोजित जनशक्ति	हां/नहीं (यदि हां तो विवरण संलग्न करें)
	क्या ढकने का काम दैनिक आधार पर किया जाता है	हां/नहीं
	यदि नहीं, तो भरण स्थल पर जमा अपशिष्ट को ढकने की बारंबारता	
	ढकने के लिए प्रयुक्त सामग्री	
	क्या ढकने की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है	हां/नहीं
	क्या गैस निकलने की व्यवस्था की गई है	हां/नहीं (यदि हां, तो तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें)
	निक्षालन संग्रहण का प्रावधान	हां/नहीं (यदि हां, तो तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें)
10.	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में सुधार लाने के लिए	हां/नहीं

	कार्ययोजना बनाई गई है	(यदि हां, तो तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें)
11.	निम्न के लिए कौन से पृथक प्रावधान किए गए हैं : डेयरी से संबंधित कार्यकलाप : बूचड़खाने के अपशिष्ट : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (निर्माण मलबा) :	प्रस्तावों, उठाए गए कदमों के संबंध में विवरण संलग्न करें हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं
12.	पश्च संवृत्ति योजना का विवरण	योजना संलग्न करें
13.	कितनी मलिन बस्तियों का निर्धारण किया गया है और क्या इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं :	हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण संलग्न करें)
14.	गली में झाड़ू लगाने, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित संग्रहण के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही की नियोजित जनशक्ति का विवरण दें	
15.	इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में स्थानीय निकाय द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों का संक्षेप में उल्लेख करें	
16.	ठोस अपशिष्ट से संबंधित समस्या से निपटने के लिए किसी अभिनव विचार का संक्षेप में उल्लेख करें जिसे अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया जा सके	

प्रचालक के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-IV

[नियम 15 (यक), 24(2) देखें]

स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी
वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

कैलेंडर वर्ष	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

1.	शहर/नगर का नाम	
2.	जनसंख्या	
3.	क्षेत्रफल वर्ग किलो मीटर में	
4.	स्थानीय निकाय का नाम और पता दूरभाष सं. फैक्स ई-मेल :	
5.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्टेम) से संबंधित प्रभारी अधिकारी का नाम दूरभाष सं. फैक्स ई-मेल :	
6.	शहर/नगर में परिवारों की संख्या शहर में गैर आवासीय परिसरों की संख्या शहर/नगर में चुनाव/प्रशासनिक वार्डों की संख्या	
7.	ठोस अपशिष्ट की मात्रा	
	प्रति दिन स्थानीय निकाय के क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा मीट्रिक टन में	/टीपीडी
	प्रतिदिन संग्रहित ठोस अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
	प्रतिदिन संग्रहित प्रति व्यक्ति अपशिष्ट	/ग्रा./दिन
	प्रसंसकृत ठोस अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
	मलबा स्थल/भरण स्थल पर निपटान किए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
8.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा की स्थिति	
	स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण और भंडारण	
	क्या घरेलू/वाणिज्यिक/संस्थागत बिनों में स्रोत पर ठोस अपशिष्ट का भंडारण किया जाता है, यदि हां	हां/नहीं

घरेलू बिनों में स्रोत पर अपशिष्ट के भंडारण की घरेलू रीति की प्रतिशतता		%			
वाणिज्यिक/संस्थागत बिनों में स्रोत पर अपशिष्ट का गैर आवासीय परिसरों में भंडारण करने की प्रतिशतता		%			
गलियों में घरों के ठोस अपशिष्ट का निपटान करने या फेंकने की प्रतिशतता		%			
गलियों में गैर आवासीय परिसरों के ठोस अपशिष्ट का निपटान करने या फेंकने की प्रतिशतता		%			
ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण					
क्या शहर/नगर में ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण किया जाता है		हां/नहीं			
यदि हां, तो अपशिष्ट के घर-घर जाकर संग्रहण किए जाने में शामिल वार्डों की संख्या					
शामिल किए गए घरों की संख्या					
शामिल किए गए वाणिज्यिक संस्थापनाओं, होटलों, रेस्तराओं, शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालय इत्यादि सहित गैर आवासीय परिसरों की संख्या					
निम्न के माध्यम से घर-घर जाकर संग्रहण किए जाने में शामिल आवासीय और गैर आवासीय परिसरों की प्रतिशतता :					
मोटरकृत वाहन		%			
कंटेनरकृत तिपहिया साइकिल/हैंड कार्ट		%			
अन्य साधन		%			
यदि नहीं, तो संग्रहण में अपनाई गई प्राथमिक पद्धति					
गलियों में झाड़ू लगाया जाना					
शहर में सड़कों, गलियों, लेनों, बाइलेनों की लम्बाई जिनकी सफाई किए जाने की आवश्यकता है		कि.मी.			
गली में झाड़ू लगाए जाने की बारंबारता और लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशतता	बारंबारता	रोजाना	एकांतर दिवस पर	सप्ताह में दो बार	कभी-कभी
	लाभान्वित जनसंख्या की प्रतिशतता				
प्रयुक्त साधन					%
हाथ से झाड़ू लगाया जाना					%
यांत्रिक रूप से झाड़ू लगाया जाना					%

	क्या सफाई कर्मचारियों द्वारा लंबी हैंडल वाले झाड़ू का प्रयोग किया जाता है	हां/नहीं
	क्या प्रत्येक सफाई कर्मचारी को अपशिष्ट का संग्रहण करने के लिए हैंडकार्ट/तिपहिया साइकिल दी जाती है	हां/नहीं
	क्या हैंडकार्ट/तिपहिया साइकिल में कंटेनर लगा है	हां/नहीं
	क्या संग्रहण का साधन प्रयोग किए गए संग्रहण/अपशिष्ट भंडारण के कंटेनरों समकालिक है	हां/नहीं
	द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण सुविधाएं	
	शहर/नगर में अपशिष्ट भंडारण डिपो की संख्या और प्रकार खुले अपशिष्ट भंडारण स्थल चिनाई किए गए बिन सीमेंट कंक्रीट सिलिंडर के बिन ढलाव/ढके हुए कक्ष/स्थान ढके हुए धातु/प्लास्टिक के कंटेनर 1.1 घन मीटर तक के बिन 2 से 5 घन मीटर के बिन 5 घन मीटर से बड़े कंटेनर बिन रहित शहर	संख्या क्षमता घन मीटर में
	बिन/जनसंख्या अनुपात	
	अपशिष्ट भंडारण डिपो का वार्डवार विवरण (संलग्न करें) : वार्ड सं. : क्षेत्रफल : जनसंख्या : रखे हुए बिनों की संख्या रखे गए बिनों का कुल आयतन	
	अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं की कुल भंडारण क्षमता घन मीटर में	
	अपशिष्ट भंडारण डिपो में प्रतिदिन वास्तविक रूप से भंडारित कुल अपशिष्ट	

	डिपो से अपशिष्ट के संग्रहण की बारंबारता बताएं साफ किए गए बिनो की संख्या	बारंबारता	बिनो की संख्या
		प्रतिदिन	
		एकांतर दिवस	
		सप्ताह में दो बार	
		सप्ताह में एक बार	
		कभी-कभी	
	क्या भंडारण डिपो में पृथककृत अपशिष्ट को हरे, नीले और काले बिनो में भंडार करके रखने की सुविधा है	हां/नहीं (यदि हां तो विवरण दें) हरे बिनो की संख्या : नीले बिनो की संख्या : काले बिनो की संख्या :	
	भंडारण डिपो से ठोस अपशिष्ट उठाने का कार्य हाथ से किया जाता है या यांत्रिक तरीके से? प्रतिशत बताएं ठोस अपशिष्ट को हाथ से उठाए जाने की प्रतिशतता यांत्रिक तरीके से उठाने की प्रतिशतता	% %	
	यदि यांत्रिक है तो प्रयुक्त पद्धति का स्पष्ट उल्लेख करें	फ्रंट-एंड लोडर/टॉप लोडर	
	क्या ठोस अपशिष्ट को घर-घर से उठाया जाता है और पृथककृत स्वरूप में सीधे शोधन संयंत्र तक भेजा जाता है	हां/नहीं (यदि हां तो स्पष्ट उल्लेख करें)	
	प्रतिदिन अपशिष्ट का परिवहन प्रयोग किए गए वाहनों का प्रकार और संख्या	अपशिष्ट का परिवहन करने में लगाए गए फेरों की संख्या	

<p>पशु गाड़ी ट्रैक्टर नॉन टीपिंग ट्रक टीपिंग ट्रक डम्पर प्लेसर अवशिष्ट संग्राहक कम्पैक्टर अन्य जेसीबी - लोडर</p>	
अपशिष्ट के परिवहन की बारंबारता	<p>बारंबारता परिवहन किए गए अपशिष्ट का प्रतिशत</p> <p>प्रतिदिन एकांतर दिवस पर सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभी</p>
प्रत्येक दिन परिवहन किए गए अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
प्रतिदिन परिवहन किए गए कुल अपशिष्ट की प्रतिशतता	%
प्रयोग की गई अपशिष्ट शोधन प्रौद्योगिकियां	
क्या ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया है	हां/नहीं
यदि हां, तो प्रतिदिन प्रसंस्करण किए गए अपशिष्ट की मात्रा	/टीपीडी
क्या शोधन का कार्य स्थानीय निकाय या किसी अभिकरण के माध्यम से किया जाता है	
अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में)	
अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए वर्तमान में प्रयुक्त भूमि	
प्रचालनरत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं	
निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं	
शहर/नगर की सीमा से प्रसंस्करण सुविधाओं की दूरी	

	अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का विवरण	
	कंपोस्टिंग	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
	वर्मी कंपोस्टिंग	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
	बायो-मिथेनेशन	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
	अवशिष्ट जनित ईंधन	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री की मात्रा उत्पन्न किए गए अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा भरण स्थल में डाले गए शेष अपशिष्ट की मात्रा
	सह-प्रसंस्करण	प्रसंस्करण की गई कच्ची सामग्री
	सीमेंट संयंत्र को आपूर्ति दहनशील अपशिष्ट	
	ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति दहनशील अपशिष्ट	
	अन्य	मात्रा
	ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएं	
	स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध मलबा स्थलों की संख्या	
	स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध स्वास्थ्यकर भरण स्थलों की संख्या	

	अपशिष्ट के निपटान हेतु उपलब्ध ऐसे प्रत्येक स्थल का क्षेत्रफल	
	अपशिष्ट के निपटान के लिए वर्तमान में प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल	
	शहर/नगर से मलबा स्थल/भरण सुविधा की दूरी	कि.मी.
	निकटतम वसावट से दूरी	कि.मी.
	जल निकाय से दूरी	कि.मी.
	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी	कि.मी.
	विमानपत्तन से दूरी	कि.मी.
	महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों या ऐतिहासिक स्मारक से दूरी	कि.मी.
	क्या यह बाढ़ संभावित क्षेत्र में पड़ता है	हां/नहीं
	क्या यह भूकंप संभावित क्षेत्र में पड़ता है	हां/नहीं
	प्रत्येक दिन भरण में डाले गए अपशिष्ट की मात्रा	टीपीडी
	क्या भरण स्थल को घेरा गया है	हां/नहीं
	क्या स्थल पर रोशनी की सुविधा उपलब्ध है	हां/नहीं
	क्या धर्मकांटा सुविधा उपलब्ध है	हां/नहीं
	भरण स्थल पर प्रयुक्त वाहन और उपकरण (स्पष्ट करें)	उपलब्ध बुलडोजर, कम्पैक्टर इत्यादि
	भरण स्थल पर नियोजित जनशक्ति	हां/नहीं (यदि हां तो विवरण संलग्न करें)
	क्या ढकने का काम दैनिक आधार पर किया जाता है	हां/नहीं
	यदि नहीं, तो भरण स्थल पर जमा अपशिष्ट को ढकने की बारंबारता	
	ढकने के लिए प्रयुक्त सामग्री	
	क्या ढकने की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है	हां/नहीं
	क्या गैस निकलने की व्यवस्था की गई है	हां/नहीं (यदि हां, तो तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें)
	निक्षालन संग्रहण का प्रावधान	हां/नहीं (यदि हां, तो तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें)
9.	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों में सुधार लाने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है	हां/नहीं (यदि हां, तो तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें)
10.	निम्न के लिए कौन से पृथक प्रावधान किए गए हैं : डेयरी से संबंधित कार्यकलाप : बूचड़खाने के अपशिष्ट : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (निर्माण मलबा) :	प्रस्तावों, उठाए गए कदमों के संबंध में विवरण संलग्न करें हां/नहीं

		हां/नहीं हां/नहीं
11.	पश्च संवृत्ति योजना का विवरण	योजना संलग्न करें
12.	कितनी मलिन बस्तियों का निर्धारण किया गया है और क्या इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं :	हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण संलग्न करें)
13.	कृपया विवरण दें : गली में झाड़ू लगाने, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित संग्रहण के लिए स्थानीय निकाय की स्वयं की जनशक्ति	
14.	कृपया विवरण दें : गली में झाड़ू लगाने, अपशिष्ट के द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित संग्रहण के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही की नियोजित जनशक्ति	
15.	इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में स्थानीय निकाय द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों का संक्षेप में उल्लेख करें	
16.	ठोस अपशिष्ट से संबंधित समस्या से निपटने के लिए किसी अभिनव विचार का संक्षेप में उल्लेख करें जिसे अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपनाया जा सके	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
नगरपालिका आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/
मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

प्ररूप-V

[नियम 24(3) देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र

भाग क

सेवा में,

अध्यक्ष,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली-110032

1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	:	
2.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम और पता	:	
3.	इन नियमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी स्थानीय निकायों की संख्या	:	
4.	प्राप्त हुए प्राधिकार आवेदनों की संख्या	:	
5.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा की गई प्रगति के संबंध में सारांश विवरण	:	कृपया अनुबंध- I के रूप में संलग्न करें
6.	अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा की गई प्रगति के संबंध में सारांश विवरण	:	कृपया अनुबंध- II के रूप में संलग्न करें
7.	अनुसूची II के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा की गई प्रगति के संबंध में सारांश विवरण	:	कृपया अनुबंध- III के रूप में संलग्न करें
तारीख :		अध्यक्ष या सदस्य सचिव	
स्थान :		राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति	

भाग ख**नगर/शहर**

नगरों/शहरों की कुल संख्या

शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या

श्रेणी-I तथा श्रेणी-II नगरों/शहरों की संख्या

प्राधिकार की स्थिति (नाम/संख्या)

प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या

प्रदान किए गए प्राधिकारों की संख्या

जांच के अधीन प्राधिकार

ठोस अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति

राज्य में ठोस अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी)

संग्रहित

शोधित

खत्ते में डाले गए

ठोस अपशिष्ट नियम की अनुसूची I का अनुपालन (नगरों की संख्या/नाम/क्षमता)

शहरों/नगरों में अच्छी रीतियां

घर-घर से संग्रहण

पृथक्करण

भंडारण

आवृत्त परिवहन

टोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण (नगरों की संख्या/नाम/क्षमता)

टोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना :

क्रम सं.	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	वायो गैस	आरडीएफ/गुटिकाकरण

प्रचालनरत प्रसंस्करण सुविधा

क्रम सं.	कम्पोस्टिंग	वर्मी -कम्पोस्टिंग	वायो गैस	आरडीएफ/गुटिकाकरण

संस्थापनाधीन/योजनाकृत प्रसंस्करण सुविधा

क्रम सं.	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	वायो गैस	आरडीएफ/गुटिकाकरण

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र : (नगरों की संख्या/नाम/क्षमता)

क्रम सं.	संयंत्र का स्थान	प्रचालन की स्थिति	विद्युत उत्पादन (मेगा वाट)	अभ्युक्ति

टोस अपशिष्ट का निपटान (नगरों की संख्या/नाम/क्षमता)

अभिनिर्धारित भरण स्थल

निर्मित भरण स्थल

निर्माणाधीन भरण स्थल

प्रचालनरत भरण स्थल

निश्शेषित भरण स्थल

आच्छादित भरण स्थल

टोस अपशिष्ट मलबा स्थल (नगरों की संख्या/नाम/क्षमता)

विद्यमान मलबा स्थलों की कुल संख्या

पुनर्निर्मित/आच्छादित भरण स्थल

स्वास्थ्यकर भरण स्थल में परिवर्तित मलबा स्थल

अपशिष्ट प्रसंस्करण/भरण स्थलों पर निगरानी

क्रम सं.	सुविधाओं का नाम	परिवेशी वायु	भू जल	निक्षालन की गुणवत्ता	कंपोस्ट की गुणवत्ता	वीओसी
1.						
2.						
3.						

नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं की स्थिति

नगरपालिकाओं की कुल संख्या:

प्रस्तुत की गई कार्य योजना की संख्या:

प्ररूप-VI

[नियम 25 देखें]

दुर्घटना का प्रतिवेदन

1.	दुर्घटना की तारीख और समय	:	
2.	दुर्घटना के लिए कारकों का अनुक्रम	:	
3.	दुर्घटना में शामिल अपशिष्ट	:	
4.	मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन	:	
5.	किए गए आपातकालीन उपाय	:	
6.	दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदम	:	
7.	ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदम	:	
तारीख		हस्ताक्षर	
स्थान		पदनाम	

[फा. सं.18-3/2004-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2016

S.O. 1357(E).—Whereas the draft of the Solid Waste Management Rules, 2015 were published under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number G.S.R. 451 (E), dated the 3rd June, 2015 in the Gazette of India, part II, Section 3, sub-section (i) of the same date inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the publication of the said notification on the Solid Waste Management Rules, 2015 in supersession of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd June, 2015;

And whereas, the objections or comments received within the stipulated period were duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for management of Solid Waste, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Solid Waste Management Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to every urban local body, outgrowths in urban agglomerations, census towns as declared by the Registrar General and Census Commissioner of India, notified areas, notified industrial townships, areas under the control of Indian Railways, airports, airbases, Ports and harbours, defence establishments, special economic zones, State and Central government organisations, places of pilgrims, religious and historical importance as may be notified by respective State government from time to time and to every domestic, institutional, commercial and any other non residential solid waste generator situated in the areas except industrial waste, hazardous waste, hazardous chemicals, bio medical wastes, e-waste, lead acid batteries and radio-active waste, that are covered under separate rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986.

3. **Definitions** –(1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (1) **“aerobic composting”** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in the presence of oxygen;

2. **“anaerobic digestion”** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in absence of oxygen;
3. **“authorisation”** means the permission given by the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, to the operator of a facility or urban local authority, or any other agency responsible for processing and disposal of solid waste;
4. **“biodegradable waste ”** means any organic material that can be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;
5. **“bio-methanation”** means a process which entails enzymatic decomposition of the organic matter by microbial action to produce methane rich biogas;
6. **“brand owner”** means a person or company who sells any commodity under a registered brand label.
7. **“buffer zone”** means zone of no development to be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding 5 TPD of installed capacity. This will be maintained within total and area allotted for the solid waste processing and disposal facility.
8. **“bulk waste generator”** means and includes buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100kg per day;
9. **“bye-laws”** means regulatory framework notified by local body, census town and notified area townships for facilitating the implementation of these rules effectively in their jurisdiction.
10. **“census town”** means an urban area as defined by the Registrar General and Census Commissioner of India;
11. **“combustible waste”** means non-biodegradable, non-recyclable, non-reusable, non hazardous solid waste having minimum calorific value exceeding 1500 kcal/kg and excluding chlorinated materials like plastic, wood pulp, etc;
12. **“composting”** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;
13. **“contractor”** means a person or firm that undertakes a contract to provide materials or labour to perform a service or do a job for service providing authority;
14. **“co-processing”** means use of non-biodegradable and non recyclable solid waste having calorific value exceeding 1500k/cal as raw material or as a source of energy or both to replace or supplement the natural mineral resources and fossil fuels in industrial processes;
15. **“decentralised processing”** means establishment of dispersed facilities for maximizing the processing of bio-degradable waste and recovery of recyclables closest to the source of generation so as to minimize transportation of waste for processing or disposal;
16. **“disposal”** means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains on land as specified in Schedule I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;
17. **“domestic hazardous waste”** means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;

18. **"door to door collection"** means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other non residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;
19. **"dry waste"** means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclable and non recyclable waste, combustible waste and sanitary napkin and diapers, etc;
20. **"dump sites"** means a land utilised by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;
21. **"extended producer responsibility" (EPR)** means responsibility of any producer of packaging products such as plastic, tin, glass and corrugated boxes, etc., for environmentally sound management, till end-of-life of the packaging products;
22. **"facility"** means any establishment wherein the solid waste management processes namely segregation, recovery, storage, collection, recycling, processing, treatment or safe disposal are carried out;
23. **"fine"** means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these rules and/or bye-laws
24. **"Form"** means a Form appended to these rules;
25. **"handling"** includes all activities relating to sorting, segregation, material recovery, collection, secondary storage, shredding, baling, crushing, loading, unloading, transportation, processing and disposal of solid wastes;
26. **"inerts"** means wastes which are not bio-degradable, recyclable or combustible street sweeping or dust and silt removed from the surface drains;
27. **"incineration"** means an engineered process involving burning or combustion of solid waste to thermally degrade waste materials at high temperatures;
28. **"informal waste collector"** includes individuals, associations or waste traders who are involved in sorting, sale and purchase of recyclable materials;
29. **"leachate"** means the liquid that seeps through solid waste or other medium and has extracts of dissolved or suspended material from it;
30. **"local body"** for the purpose of these rules means and includes the municipal corporation, nagar nigam, municipal council, nagarpalika, nagar Palikaparishad, municipal board, nagar panchayat and town panchayat, census towns, notified areas and notified industrial townships with whatever name they are called in different States and union territories in India;
31. **"materials recovery facility" (MRF)** means a facility where non-compostable solid waste can be temporarily stored by the local body or any other entity mentioned in rule 2 or any person or agency authorised by any of them to facilitate segregation, sorting and recovery of recyclables from various components of waste by authorised informal sector of waste pickers, informal recyclers or any other work force engaged by the local body or entity mentioned in rule 2 for the purpose before the waste is delivered or taken up for its processing or disposal;
32. **"non-biodegradable waste"** means any waste that cannot be degraded by micro organisms into simpler stable compounds;
33. **"operator of a facility"** means a person or entity, who owns or operates a facility for handling solid waste which includes the local body and any other entity or agency appointed by the local body;
34. **primary collection"** means collecting, lifting and removal of segregated solid waste from source of its generation including households, shops, offices and any other non-residential premises or from any collection points or any other location specified by the local body;
35. **"processing"** means any scientific process by which segregated solid waste is handled for the purpose of reuse, recycling or transformation into new products;
36. **"recycling"** means the process of transforming segregated non-biodegradable solid waste into new material or product or as raw material for producing new products which may or may not be similar to the original products;
37. **"redevelopment"** means rebuilding of old residential or commercial buildings at the same site, where the existing buildings and other infrastructures have become dilapidated;

38. "**refused derived fuel**"(RDF) means fuel derived from combustible waste fraction of solid waste like plastic, wood, pulp or organic waste, other than chlorinated materials, in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding, dehydrating and compacting of solid waste ;
39. "**residual solid waste**" means and includes the waste and rejects from the solid waste processing facilities which are not suitable for recycling or further processing;
40. "**sanitary land filling** " means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;
41. "**sanitary waste**" means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;
42. "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;
43. "**secondary storage**" means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or MRFs or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;
44. "**segregation**" means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agriculture and dairy waste, non biodegradable wastes including recyclable waste, non-recyclable combustible waste, sanitary waste and non recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;
45. "**service provider**" means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc;
46. "**solid waste**" means and includes solid or semi-solid domestic waste, sanitary waste, commercial waste, institutional waste, catering and market waste and other non residential wastes, street sweepings, silt removed or collected from the surface drains, horticulture waste, agriculture and dairy waste, treated bio-medical waste excluding industrial waste, bio-medical waste and e-waste, battery waste, radio-active waste generated in the area under the local authorities and other entities mentioned in rule 2;
47. "**sorting**" means separating various components and categories of recyclables such as paper, plastic, cardboards, metal, glass, etc., from mixed waste as may be appropriate to facilitate recycling;
48. "**stabilising**" means the biological decomposition of biodegradable wastes to a stable state where it generates no leachate or offensive odours and is fit for application to farm land ,soil erosion control and soil remediation;
49. "**street vendor**" means any person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;
50. "**tipping fee**" means a fee or support price determined by the local authorities or any state agency authorised by the State government to be paid to the concessionaire or operator of waste processing facility or for disposal of residual solid waste at the landfill;
51. "**transfer station**" means a facility created to receive solid waste from collection areas and transport in bulk in covered vehicles or containers to waste processing and, or, disposal facilities;
52. "**transportation**" means conveyance of solid waste, either treated, partly treated or untreated from a location to another location in an environmentally sound manner through specially designed and covered transport system so as to prevent the foul odour, littering and unsightly conditions;
53. "**treatment**" means the method, technique or process designed to modify physical, chemical or biological characteristics or composition of any waste so as to reduce its volume and potential to cause harm;
54. "**user fee**" means a fee imposed by the local body and any entity mentioned in rule 2 on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services.
55. "**vermi composting**" means the process of conversion of bio-degradable waste into compost using earth worms;
56. "**waste generator**" means and includes every person or group of persons, every residential premises and non residential establishments including Indian Railways, defense establishments, which generate solid waste;
57. "**waste hierarchy**" means the priority order in which the solid waste is to should be managed by giving

emphasis to prevention, reduction, reuse, recycling, recovery and disposal, with prevention being the most preferred option and the disposal at the landfill being the least;

58. **“waste picker”** means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood.

(2) Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts.

4 Duties of waste generators.- (1) Every waste generator shall,-

(a) segregate and store the waste generated by them in three separate streams namely bio-degradable, non bio-degradable and domestic hazardous wastes in suitable bins and handover segregated wastes to authorised waste pickers or waste collectors as per the direction or notification by the local authorities from time to time;

(b) wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc., in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material as instructed by the local authorities and shall place the same in the bin meant for dry waste or non- bio-degradable waste;

(c) store separately construction and demolition waste, as and when generated, in his own premises and shall dispose off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; and

(d) store horticulture waste and garden waste generated from his premises separately in his own premises and dispose of as per the directions of the local body from time to time.

(2) No waste generator shall throw, burn or bury the solid waste generated by him, on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

(3) All waste generators shall pay such user fee for solid waste management, as specified in the bye-laws of the local bodies.

(4) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the local body, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the local body.

(5) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the local body.

(6) All resident welfare and market associations shall, within one year from the date of notification of these rules and in partnership with the local body ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.

(7) All gated communities and institutions with more than 5,000 sqm area shall, within one year from the date of notification of these rules and in partnership with the local body, ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.

(8) All hotels and restaurants shall, within one year from the date of notification of these rules and in partnership with the local body ensure segregation of waste at source as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.

5. Duties of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.- (1) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be responsible for over all monitoring the implementation of these rules in the country. It shall constitute a Central Monitoring Committee under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change comprising officer not below the rank of Joint Secretary or Advisor from the following namely,-

- 1) Ministry of Urban Development
- 2) Ministry of Rural Development
- 3) Ministry of Chemicals and Fertilizers
- 4) Ministry of Agriculture
- 5) Central Pollution Control Board
- 6) Three State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees by rotation
- 7) Urban Development Departments of three State Governments by rotation
- 8) Rural Development Departments from two State Governments by rotation
- 9) Three Urban Local bodies by rotation
- 10) Two census towns by rotation
- 11) FICCI, CII
- 12) Two subject experts

2. This Central Monitoring Committee shall meet at least once in a year to monitor and review the implementation of these rules. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change may co-opt other experts, if needed. The Committee shall be renewed every three years.

6. Duties of Ministry of Urban Development.- (1) The Ministry of Urban Development shall coordinate with State Governments and Union territory Administrations to,-

- (a) take periodic review of the measures taken by the states and local bodies for improving solid waste management practices and execution of solid waste management projects funded by the Ministry and external agencies at least once in a year and give advice on taking corrective measures;
- (b) formulate national policy and strategy on solid waste management including policy on waste to energy in consultation with stakeholders within six months from the date of notification of these rules;
- (c) facilitate States and Union Territories in formulation of state policy and strategy on solid management based on national solid waste management policy and national urban sanitation policy;
- (d) promote research and development in solid waste management sector and disseminate information to States and local bodies;
- (e) undertake training and capacity building of local bodies and other stakeholders;and
- (f) provide technical guidelines and project finance to states, Union territories and local bodies on solid waste management to facilitate meeting timelines and standards.

7. Duties of Department of Fertilisers, Ministry of Chemicals and Fertilisers.- (1) The Department of Fertilisers through appropriate mechanisms shall,-

- (a) provide market development assistance on city compost; and
- (b) ensure promotion of co-marketing of compost with chemical fertilisers in the ratio of 3 to 4 bags: 6 to 7 bags by the fertiliser companies to the extent compost is made available for marketing to the companies.

8. Duties of Ministry of Agriculture, Government of India.- The Ministry of Agriculture through appropriate mechanisms shall,-

- (a) provide flexibility in Fertiliser Control Order for manufacturing and sale of compost;
- (b) propagate utilisation of compost on farm land;
- (c) set up laboratories to test quality of compost produced by local authorities or their authorised agencies; and
- (d) issue suitable guidelines for maintaining the quality of compost and ratio of use of compost visa-a-vis chemical fertilizers while applying compost to farmland.

9. Duties of the Ministry of Power.-The Ministry of Power through appropriate mechanisms shall,-

- (a) decide tariff or charges for the power generated from the waste to energy plants based on solid waste.
- (b) compulsory purchase power generated from such waste to energy plants by distribution company.

10. Duties of Ministry of New and Renewable Energy Sources- The Ministry of New and Renewable Energy Sources through appropriate mechanisms shall,-

- (a) facilitate infrastructure creation for waste to energy plants; and
- (b) provide appropriate subsidy or incentives for such waste to energy plants.

11. Duties of the Secretary-in-charge, Urban Development in the States and Union territories.- (1) The Secretary, Urban Development Department in the State or Union territory through the Commissioner or Director of Municipal Administration or Director of local bodies shall,-

- (a) prepare a state policy and solid waste management strategy for the state or the union territory in consultation with stakeholders including representative of waste pickers, self help group and similar groups working in the field of waste management consistent with these rules, national policy on solid waste management and national urban sanitation policy of the ministry of urban development, in a period not later than one year from the date of notification of these rules;
- (b) while preparing State policy and strategy on solid waste management, lay emphasis on waste reduction, reuse, recycling, recovery and optimum utilisation of various components of solid waste to ensure minimisation of waste going to the landfill and minimise impact of solid waste on human health and environment;
- (c) state policies and strategies should acknowledge the primary role played by the informal sector of waste pickers, waste collectors and recycling industry in reducing waste and provide broad guidelines regarding integration of waste picker or informal waste collectors in the waste management system.
- (d) ensure implementation of provisions of these rules by all local authorities;
- (e) direct the town planning department of the State to ensure that master plan of every city in the State or Union territory provisions for setting up of solid waste processing and disposal facilities except for the cities who are members of common waste processing facility or regional sanitary landfill for a group of cities; and
- (f) ensure identification and allocation of suitable land to the local bodies within one year for setting up of processing and disposal facilities for solid wastes and incorporate them in the master plans (land use plan) of the State or as the case may be, cities through metropolitan and district planning committees or town and country planning department;
- (h) direct the town planning department of the State and local bodies to ensure that a separate space for segregation, storage, decentralised processing of solid waste is demarcated in the development plan for group housing or commercial, institutional or any other non-residential complex exceeding 200 dwelling or having a plot area exceeding 5,000 square meters;
- (i) direct the developers of Special Economic Zone, Industrial Estate, Industrial Park to earmark at least five percent of the total area of the plot or minimum five plots or sheds for recovery and recycling facility.
- (j) facilitate establishment of common regional sanitary land fill for a group of cities and towns falling within a distance of 50 km (or more) from the regional facility on a cost sharing basis and ensure professional management of such sanitary landfills;
- (k) arrange for capacity building of local bodies in managing solid waste, segregation and transportation or processing of such waste at source;
- (l) notify buffer zone for the solid waste processing and disposal facilities of more than five tons per day in consultation with the State Pollution Control Board; and
- (m) start a scheme on registration of waste pickers and waste dealers.

12. Duties of District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner.- The District Magistrate or District Collector or as the case may be, the Deputy Commissioner shall, -

- (a) facilitate identification and allocation of suitable land as per clause (f) of rules 11 for setting up solid waste processing and disposal facilities to local authorities in his district in close coordination with the Secretary-in-charge of State Urban Development Department within one year from the date of notification of these rules;
- (b) review the performance of local bodies, at least once in a quarter on waste segregation, processing, treatment and disposal and take corrective measures in consultation with the Commissioner or Director of Municipal Administration or Director of local bodies and secretary-in-charge of the State Urban Development.

13. Duties of the Secretary-in-charge of Village Panchayats or Rural Development Department in the State and Union territory.- (1) The Secretary-in-charge of Village Panchayats or Rural Development Department in the State and Union territory shall have the same duties as the Secretary-in-charge, Urban Development in the States and Union territories, for the areas which are covered under these rules and are under their jurisdictions.

14. Duties of Central Pollution Control Board.-The Central Pollution Control Board shall, -

- (a) co-ordinate with the State Pollution Control Boards and the Pollution Control Committees for implementation of these rules and adherence to the prescribed standards by local authorities;
- (b) formulate the standards for ground water, ambient air, noise pollution, leachate in respect of all solid waste processing and disposal facilities;
- (c) review environmental standards and norms prescribed for solid waste processing facilities or treatment technologies and update them as and when required;
- (d) review through State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees, at least once in a year, the implementation of prescribed environmental standards for solid waste processing facilities or treatment technologies and compile the data monitored by them;
- (e) review the proposals of State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees on use of any new technologies for processing, recycling and treatment of solid waste and prescribe performance standards, emission norms for the same within 6 months;
- (f) monitor through State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees the implementation of these rules by local bodies;
- (g) prepare an annual report on implementation of these rules on the basis of reports received from State Pollution Control Boards and Committees and submit to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the report shall also be put in public domain;
- (h) publish guidelines for maintaining buffer zone restricting any residential, commercial or any other construction activity from the outer boundary of the waste processing and disposal facilities for different sizes of facilities handling more than five tons per day of solid waste;
- (i) publish guidelines, from time to time, on environmental aspects of processing and disposal of solid waste to enable local bodies to comply with the provisions of these rules; and
- (j) provide guidance to States or Union territories on inter-state movement of waste.

15. Duties and responsibilities of local authorities and village Panchayats of census towns and urban agglomerations.- The local authorities and Panchayats shall,-

- (a) prepare a solid waste management plan as per state policy and strategy on solid waste management within six months from the date of notification of state policy and strategy and submit a copy to respective departments of State Government or Union territory Administration or agency authorised by the State Government or Union territory Administration;
- (b) arrange for door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., this may be collected from the entry gate or any other designated location;
- (c) establish a system to recognise organisations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorised waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste;
- (d) facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration in solid waste management including door to door collection of waste;
- (e) frame bye-laws incorporating the provisions of these rules within one year from the date of notification of these rules and ensure timely implementation;
- (f) prescribe from time to time user fee as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorised agency;
- (g) direct waste generators not to litter i.e throw or dispose of any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink cans, tetra packs, fruit peel, wrappers, etc., or burn or bury waste on streets, open public spaces, drains, waste bodies and to segregate the waste at source as prescribed under these rules and hand over the segregated waste to authorised the waste pickers or waste collectors authorised by the local body;
- (h) setup material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for sorting of recyclable materials to enable informal or authorised waste pickers and waste collectors to separate recyclables from the waste and provide easy access to waste pickers and recyclers for collection of segregated recyclable waste such as paper, plastic, metal, glass, textile from the source of generation or from material recovery facilities; Bins for storage of bio-degradable wastes shall be painted green, those for storage of recyclable wastes shall be printed white and those for storage of other wastes shall be printed black;

- (i) establish waste deposition centres for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres;
- (j) ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility or as may be directed by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee;
- (k) direct street sweepers not to burn tree leaves collected from street sweeping and store them separately and handover to the waste collectors or agency authorised by local body;
- (l) provide training on solid waste management to waste-pickers and waste collectors;
- (m) collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralised compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions;
- (n) collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and local situation;
- (o) set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transport vehicles is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body;
- (p) collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible;
- (q) transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for on site processing of such waste;
- (r) transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility;
- (s) transport construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste management Rules, 2016;
- (t) involve communities in waste management and promotion of home composting, bio-gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility;
- (u) phase out the use of chemical fertilizer in two years and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recycling sector.
- (v) facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board. Preference shall be given to decentralised processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as-
- a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable wastes;
 - b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns;
- (w) undertake on their own or through any other agency construction, operation and maintenance of sanitary landfill and associated infrastructure as per Schedule I for disposal of residual wastes in a manner prescribed under these rules;
- (x) make adequate provision of funds for capital investments as well as operation and maintenance of solid waste management services in the annual budget ensuring that funds for discretionary functions of the local body have been allocated only after meeting the requirement of necessary funds for solid waste management and other obligatory functions of the local body as per these rules;
- (y) make an application in Form-I for grant of authorisation for setting up waste processing, treatment or disposal facility, if the volume of waste is exceeding five metric tones per day including sanitary landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be;
- (z) submit application for renewal of authorisation at least sixty days before the expiry of the validity of authorisation;

- (za) prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th April of the succeeding year to the Commissioner or Director, Municipal Administration or designated Officer;
- (zb) the annual report shall then be sent to the Secretary -in-Charge of the State Urban Development Department or village panchayat or rural development department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee by the 31st May of every year;
- (zc) educate workers including contract workers and supervisors for door to door collection of segregated waste and transporting the unmixed waste during primary and secondary transportation to processing or disposal facility;
- (zd) ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce;
- (ze) ensure that provisions for setting up of centers for collection, segregation and storage of segregated wastes, are incorporated in building plan while granting approval of building plan of a group housing society or market complex; and
- (zf) frame bye-laws and prescribe criteria for levying of spot fine for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per the bye laws framed; and
- (zg) create public awareness through information, education and communication campaign and educate the waste generators on the following; namely:-
- (i) not to litter;
 - (ii) minimise generation of waste;
 - (iii) reuse the waste to the extent possible;
 - (iv) practice segregation of waste into bio-degradable, non-biodegradable (recyclable and combustible), sanitary waste and domestic hazardous wastes at source;
 - (v) practice home composting, vermi-composting, bio-gas generation or community level composting;
 - (vi) wrap securely used sanitary waste as and when generated in the pouches provided by the brand owners or a suitable wrapping as prescribed by the local body and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste;
 - (vii) storage of segregated waste at source in different bins;
 - (viii) handover segregated waste to waste pickers, waste collectors, recyclers or waste collection agencies; and
 - (ix) pay monthly user fee or charges to waste collectors or local bodies or any other person authorised by the local body for sustainability of solid waste management.
- (zh) stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline as specified in rule 23 for setting up and operationalisation of sanitary landfill is over;
- (zi) allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill and the sanitary landfill sites shall meet the specifications as given in Schedule-I, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill;
- (zj) investigate and analyse all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio-remediation and wheresoever feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites;
- (zk) in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

16. Duties of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.- (1) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall,-

- (a) enforce these rules in their State through local bodies in their respective jurisdiction and review implementation of these rules at least twice a year in close coordination with concerned Directorate of Municipal Administration or Secretary-in-charge of State Urban Development Department;
- (b) monitor environmental standards and adherence to conditions as specified under the Schedule I and Schedule II for waste processing and disposal sites;
- (c) examine the proposal for authorisation and make such inquiries as deemed fit, after the receipt of the application for the same in Form I from the local body or any other agency authorised by the local body;

- (d) while examining the proposal for authorisation, the requirement of consents under respective enactments and views of other agencies like the State Urban Development Department, the Town and Country Planning Department, District Planning Committee or Metropolitan Area Planning Committee, as may be applicable, Airport or Airbase Authority, the Ground Water Board, Railways, power distribution companies, highway department and other relevant agencies shall be taken into consideration and they shall be given four weeks time to give their views, if any;
- (e) issue authorisation within a period of sixty days in Form II to the local body or an operator of a facility or any other agency authorised by local body stipulating compliance criteria and environmental standards as specified in Schedules I and II including other conditions, as may be necessary;
- (f) synchronise the validity of said authorisation with the validity of the consents;
- (g) suspend or cancel the authorization issued under clause (a) any time, if the local body or operator of the facility fails to operate the facility as per the conditions stipulated:
provided that no such authorization shall be suspended or cancelled without giving notice to the local body or operator, as the case may be; and
- (h) on receipt of application for renewal, renew the authorisation for next five years, after examining every application on merit and subject to the condition that the operator of the facility has fulfilled all the provisions of the rules, standards or conditions specified in the authorisation, consents or environment clearance.
- (2) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall, after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant and for reasons thereof to be recorded in writing, refuse to grant or renew an authorisation.
- (3) In case of new technologies, where no standards have been prescribed by the Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall approach Central Pollution Control Board for getting standards specified.
- (4) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the compliance of the standards as prescribed or laid down and treatment technology as approved and the conditions stipulated in the authorisation and the standards specified in Schedules I and II under these rules as and when deemed appropriate but not less than once in a year.
- (5) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee may give directions to local bodies for safe handling and disposal of domestic hazardous waste deposited by the waste generators at hazardous waste deposition facilities.
- (6) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall regulate Inter-State movement of waste.

17. Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers.- (1) All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market shall provide necessary financial assistance to local authorities for establishment of waste management system.

- (2) All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.
- (3) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.
- (4) All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses for wrapping and disposal of their products.

18. Duties of the industrial units located within one hundred km from the refused derived fuel and waste to energy plants based on solid waste- All industrial units using fuel and located within one hundred km from a solid waste based refused derived fuel plant shall make arrangements within six months from the date of notification of these rules to replace at least five percent of their fuel requirement by refused derived fuel so produced.

19. Criteria for Duties regarding setting-up solid waste processing and treatment facility.- (1) The department in-charge of the allocation of land assignment shall be responsible for providing suitable land for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites by the State Government or Union territory Administration.

- (2) The operator of the facility shall design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time and the manual on solid waste management prepared by the Ministry of Urban Development.

- (3) The operator of the facility shall obtain necessary approvals from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.
- (4) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall monitor the environment standards of the operation of the solid waste processing and treatment facilities.
- (5) The operator of the facility shall be responsible for the safe and environmentally sound operations of the solid waste processing and or treatment facilities as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time and the Manual on Municipal Solid Waste Management published by the Ministry of Urban Development and updated from time to time-
- (6) The operator of the solid waste processing and treatment facility shall submit annual report in Form III each year by 30th April to the State Pollution Control Board or Pollution Committee and concerned local body.

20. Criteria and actions to be taken for solid waste management in hilly areas.- In the hilly areas, the duties and responsibilities of the local authorities shall be the same as mentioned in rule 15 with additional clauses as under:

- (a) Construction of landfill on the hill shall be avoided. A transfer station at a suitable enclosed location shall be setup to collect residual waste from the processing facility and inert waste. A suitable land shall be identified in the plain areas down the hill within 25 kilometers for setting up sanitary landfill. The residual waste from the transfer station shall be disposed of at this sanitary landfill.
- (b) In case of non-availability of such land, efforts shall be made to set up regional sanitary landfill for the inert and residual waste.
- (c) Local body shall frame Bye-laws and prohibit citizen from littering wastes on the streets and give strict direction to the tourists not to dispose any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink canes, tetra packs, any other plastic or paper waste on the streets or down the hills and instead direct to deposit such waste in the litter bins that shall be placed by the local body at all tourist destinations.
- (d) Local body shall arrange to convey the provisions of solid waste management under the bye-laws to all tourists visiting the hilly areas at the entry point in the town as well as through the hotels, guest houses or like where they stay and by putting suitable hoardings at tourist destinations.
- (e) Local body may levy solid waste management charge from the tourist at the entry point to make the solid waste management services sustainable.
- (f) The department in- charge of the allocation of land assignment shall identify and allot suitable space on the hills for setting up decentralised waste processing facilities. Local body shall set up such facilities. Step garden system may be adopted for optimum utilisation of hill space.

21. Criteria for waste to energy process.- (1) Non recyclable waste having calorific value of 1500 K/cal/kg or more shall not be disposed of on landfills and shall only be utilised for generating energy either or through refuse derived fuel or by giving away as feed stock for preparing refuse derived fuel.

- (2) High calorific wastes shall be used for co-processing in cement or thermal power plants.
- (3) The local body or an operator of facility or an agency designated by them proposing to set up waste to energy plant of more than five tones per day processing capacity shall submit an application in Form-I to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, for authorisation.
- (4) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, on receiving such application for setting up waste to energy facility, shall examine the same and grant permission within sixty days.

22. Time frame for implementation.- Necessary infrastructure for implementation of these rules shall be created by the local bodies and other concerned authorities, as the case may be, on their own, by directly or engaging agencies within the time frame specified below:

Sl. No.	Activity	Time limit from the date of notification of rules
(1)	(2)	(3)
1.	identification of suitable sites for setting up solid waste processing facilities	1 year

2.	identification of suitable sites for setting up common regional sanitary landfill facilities for suitable clusters of local authorities under 0.5 million population and for setting up common regional sanitary landfill facilities or stand alone sanitary landfill facilities by all local authorities having a population of 0.5 million or more .	1 year
3.	procurement of suitable sites for setting up solid waste processing facility and sanitary landfill facilities	2 years
4.	enforcing waste generators to practice segregation of bio degradable, recyclable, combustible, sanitary waste domestic hazardous and inert solid wastes at source ,	2 years
5.	Ensure door to door collection of segregated waste and its transportation in covered vehicles to processing or disposal facilities.	2 years
6.	ensure separate storage, collection and transportation of construction and demolition wastes	2 years
7.	setting up solid waste processing facilities by all local bodies having 100000 or more population	2 years
8.	Setting up solid waste processing facilities by local bodies and census towns below 100000 population.	3 years
9.	setting up common or stand alone sanitary landfills by or for all local bodies having 0.5 million or more population for the disposal of only such residual wastes from the processing facilities as well as untreatable inert wastes as permitted under the Rules	3 years
10.	setting up common or regional sanitary landfills by all local bodies and census towns under 0.5 million population for the disposal of permitted waste under the rules	3years
11.	bio-remediation or capping of old and abandoned dump sites	5years

23. State Level Advisory Body. – (1) Every Department in-charge of local bodies of the concerned State Government or Union territory administration shall constitute a State Level Advisory Body within six months from the date of notification of these rules comprising the following members, namely:-

Sl. No	Designation	Member
(1)	(2)	(3)
1.	Secretary, Department of Urban Development or Local self government department of the State	Chairperson, ex-officio
2.	One representative of Panchayats or Rural development Department not below the rank of Joint Secretary to State Government	Member, ex-officio
3.	one representative of Revenue Department of State Government	Member, ex-officio
4.	One representative from Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India	Member, ex-officio

5.	One representative from Ministry of Urban Development, Government of India	Member, ex-officio
6.	One representative from Ministry of Rural Development, Government of India	Member, ex-officio
7.	One representative from the Central Pollution Control Board	Member, ex-officio
8.	One representative from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee	Member, ex-officio
9.	One representative from Indian Institute of Technology or National Institute of Technology	Member, Ex-officio
10.	Chief town planner of the state	Member
11.	Three representatives from the local bodies by rotation	Member
12.	Two representatives from census towns or urban agglomerations by rotation.	Member
13.	One representative from reputed Non-Governmental Organisation or Civil Society working for the waste pickers or informal recycler or solid waste management	Member
14.	One representative from a body representing Industries at the State or Central level	Member
15.	one representative from waste recycling industry	member
16.	Two subject experts	Member
17.	Co-opt one representative each from agriculture department, and labour department of State Government.	Member

(2) The State Level Advisory Body shall meet at least one in every six months to review the matters related to implementation of these rules, state policy and strategy on solid waste management and give advice to state government for taking measures that are necessary for expeditious and appropriate implementation of these rules.

(3) The copies of the review report shall be forwarded to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee for necessary action.

24. Annual report.- (1) The operator of facility shall submit the annual report to the local body in Form-III on or before the 30th day of April every year.

(2) The local body shall submit its annual report in Form-IV to State P Control Board or P Committee and the Secretary-in-Charge of the Department of Urban Development of the concerned State or Union Territory in case of metropolitan city and to the Director of Municipal Administration or Commissioner of Municipal Administration or Officer in -Charge of Urban local bodies in the state in case of all other local bodies of state on or before the 30th day of June every year

(3) Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as the case may be, shall prepare and submit the consolidated annual report to the Central Pollution Control Board and Ministry of Urban Development on the implementation of these rules and action taken against non complying local body by the 31st day of July of each year in Form-V.

(4) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual review report on the status of implementation of these rules by local bodies in the country and forward the same to the Ministry of Urban Development

and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, along with its recommendations before the 31st day of August each year.

(5) The annual report shall be reviewed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change during the meeting of Central Monitoring Committee.

25. Accident reporting- In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the Officer- in- charge of the facility shall report to the local body in Form-VI and the local body shall review and issue instructions if any, to the in- charge of the facility.

SCHEDULE I

[see rule 15 (w),(zi), 16 (1) (b) (e), 16 (4)]

Specifications for Sanitary Landfills

(A) Criteria for site selection.-

- (i) The department in the business allocation of land assignment shall provide suitable site for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites.
- (ii) The sanitary landfill site shall be planned, designed and developed with proper documentation of construction plan as well as a closure plan in a phased manner. In case a new landfill facility is being established adjoining an existing landfill site, the closure plan of existing landfill should form a part of the proposal of such new landfill.
- (iii) The landfill sites shall be selected to make use of nearby wastes processing facilities. Otherwise, wastes processing facility shall be planned as an integral part of the landfill site.
- (iv) Landfill sites shall be set up as per the guidelines of the Ministry of Urban Development, Government of India and Central Pollution Control Board.
- (v) The existing landfill sites which are in use for more than five years shall be improved in accordance with the specifications given in this Schedule.
- (vi) The landfill site shall be large enough to last for at least 20-25 years and shall develop 'landfill cells' in a phased manner to avoid water logging and misuse.
- (vii) The landfill site shall be 100 meter away from river, 200 meter from a pond, 200 meter from Highways, Habitations, Public Parks and water supply wells and 20 km away from Airports or Airbase. However in a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 km away from the Airport/Airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority/ Air force as the case may be. The Landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas..
- (viii) The sites for landfill and processing and disposal of solid waste shall be incorporated in the Town Planning Department's land-use plans.
- (ix) A buffer zone of no development shall be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five Tonnes per day of installed capacity. This will be maintained within the total area of the solid waste processing and disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case to case basis by the local body in consultation with concerned State Pollution Control Board.
- (x) The biomedical waste shall be disposed of in accordance with the Bio-medical Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time . The hazardous waste shall be managed in accordance with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time. The E-waste shall be managed in accordance with the e-Waste (Management) Rules, 2016 as amended from time to time.
- (xi) Temporary storage facility for solid waste shall be established in each landfill site to accommodate the waste in case of non- operation of waste processing and during emergency or natural calamities.

(B) Criteria for development of facilities at the sanitary landfills.-

- (i) Landfill site shall be fenced or hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicles, to prevent entry of unauthorised persons and stray animals
- (ii) The approach and / internal roads shall be concreted or paved so as to avoid generation of dust particles due to vehicular movement and shall be so designed to ensure free movement of vehicles and other machinery.
- (iii) The landfill site shall have waste inspection facility to monitor waste brought in for landfilling h, office facility for record keeping and shelter for keeping equipment and machinery including pollution monitoring equipment. The operator of the facility shall maintain record of waste received, processed and disposed.

- (iv) Provisions like weigh bridge to measure quantity of waste brought at landfill site, fire protection equipment and other facilities as may be required shall be provided.
- (v) Utilities such as drinking water and sanitary facilities (preferably washing/bathing facilities for workers) and lighting arrangements for easy landfill operations during night hours shall be provided.
- (vi) Safety provisions including health inspections of workers at landfill sites shall be carried out made.
- (vii) Provisions for parking, cleaning, washing of transport vehicles carrying solid waste shall be provided. The wastewater so generated shall be treated to meet the prescribed standards.

(C) Criteria for specifications for land filling operations and closure on completion of land filling.-

- (i) Waste for land filling shall be compacted in thin layers using heavy compactors to achieve high density of the waste. In high rainfall areas where heavy compactors cannot be used, alternative measures shall be adopted.
- (ii) Till the time waste processing facilities for composting or recycling or energy recovery are set up, the waste shall be sent to the sanitary landfill. The landfill cell shall be covered at the end of each working day with minimum 10 cm of soil, inert debris or construction material..
- (iii) Prior to the commencement of monsoon season, an intermediate cover of 40-65 cm thickness of soil shall be placed on the landfill with proper compaction and grading to prevent infiltration during monsoon. Proper drainage shall be constructed to divert run-off away from the active cell of the landfill.
- (iv) After completion of landfill, a final cover shall be designed to minimise infiltration and erosion. The final cover shall meet the following specifications, namely :--
 - a) The final cover shall have a barrier soil layer comprising of 60 cm of clay or amended soil with permeability coefficient less than 1×10^{-7} cm/sec.
 - b) On top of the barrier soil layer, there shall be a drainage layer of 15 cm.
 - c) On top of the drainage layer, there shall be a vegetative layer of 45 cm to support natural plant growth and to minimise erosion.

(D) Criteria for pollution prevention.-In order to prevent pollution from landfill operations, the following provisions shall be made, namely:-

- (i) The storm water drain shall be designed and constructed in such a way that the surface runoff water is diverted from the landfilling site and leachates from solid waste locations do not get mixed with the surface runoff water. Provisions for diversion of storm water discharge drains shall be made to minimise leachate generation and prevent pollution of surface water and also for avoiding flooding and creation of marshy conditions.
- (ii) Non-permeable lining system at the base and walls of waste disposal area. For landfill receiving residues of waste processing facilities or mixed waste or waste having contamination of hazardous materials (such as aerosols, bleaches, polishes, batteries, waste oils, paint products and pesticides) shall have liner of composite barrier of 1.5 mm thick high density polyethylene (HDPE) geo-membrane or geo-synthetic liners, or equivalent, overlying 90 cm of soil (clay or amended soil) having permeability coefficient not greater than 1×10^{-7} cm/sec. The highest level of water table shall be at least two meter below the base of clay or amended soil barrier layer provided at the bottom of landfills.
- (iii) Provisions for management of leachates including its collection and treatment shall be made. The treated leachate shall be recycled or utilized as permitted, otherwise shall be released into the sewerage line, after meeting the standards specified in Schedule- II. In no case, leachate shall be released into open environment.
- (iv) Arrangement shall be made to prevent leachate runoff from landfill area entering any drain, stream, river, lake or pond. In case of mixing of runoff water with leachate or solid waste, the entire mixed water shall be treated by the concern authority.

(E) Criteria for water quality monitoring.-

- (i) Before establishing any landfill site, baseline data of ground water quality in the area shall be collected and kept in record for future reference. The ground water quality within 50 meter of the periphery of landfill site shall be periodically monitored covering different seasons in a year that is, summer, monsoon and post-monsoon period to ensure that the ground water is not contaminated.
- (ii) Usage of groundwater in and around landfill sites for any purpose (including drinking and irrigation) shall be considered only after ensuring its quality. The following specifications for drinking water quality shall apply for monitoring purpose, namely :-

S. No.	Parameters	IS 10500:2012, Edition 2.2(2003-09) Desirable limit (mg/l except for pH)
(1)	(2)	(3)
	Arsenic	0.01
	Cadmium	0.01
	Chromium(as Cr ⁶⁺)	0.05
	Copper	0.05
	Cyanide	0.05
	Lead	0.05
	Mercury	0.001
	Nickel	-
	Nitrate as NO ₃	45.0
	pH	6.5-8.5
	Iron	0.3
	Total hardness (as CaCO ₃)	300.0
	Chlorides	250
	Dissolved solids	500
	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH)	0.001
	Zinc	5.0
	Sulphate (as SO ₄)	200

(F) Criteria for ambient air quality monitoring.-

- (i) Landfill gas control system including gas collection system shall be installed at landfill site to minimize odour, prevent off-site migration of gases, to protect vegetation planted on the rehabilitated landfill surface. For enhancing landfill gas recovery, use of geomembranes in cover systems along with gas collection wells should be considered.
- (ii) The concentration of methane gas generated at landfill site shall not exceed 25 per cent of the lower explosive limit (LEL).
- (iii) The landfill gas from the collection facility at a landfill site shall be utilized for either direct thermal applications or power generation, as per viability. Otherwise, landfill gas shall be burnt (flared) and shall not be allowed to escape directly to the atmosphere or for illegal tapping. Passive venting shall be allowed in case if its utilisation or flaring is not possible.
- (iv) Ambient air quality at the landfill site and at the vicinity shall be regularly monitored. Ambient air quality shall

meet the standards prescribed by the Central Pollution Control Board for Industrial area.

G. Criteria for plantation at landfill Site.- A vegetative cover shall be provided over the completed site in accordance with the following specifications, namely:-

- (a) Locally adopted non-edible perennial plants that are resistant to drought and extreme temperatures shall be planted;
- (b) The selection of plants should be of such variety that their roots do not penetrate more than 30 cms. This condition shall apply till the landfill is stabilized;
- (c) Selected plants shall have ability to thrive on low-nutrient soil with minimum nutrient addition;
- (d) Plantation to be made in sufficient density to minimise soil erosion.
- (e) Green belts shall be developed all around the boundary of the landfill in consultation with State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees .

H. Criteria for post-care of landfill site.- (1) The post-closure care of landfill site shall be conducted for at least fifteen years and long term monitoring or care plan shall consist of the following, namely :-⁴

- (a) Maintaining the integrity and effectiveness of final cover, making repairs and preventing run-on and run-off from eroding or otherwise damaging the final cover;
 - (b) Monitoring leachate collection system in accordance with the requirement;
 - (c) Monitoring of ground water in and around landfill;
 - (d) Maintaining and operating the landfill gas collection system to meet the standards.
- (2) Use of closed landfill sites after fifteen years of post-closure monitoring can be considered for human settlement or otherwise only after ensuring that gaseous emission and leachate quality analysis complies with the specified standards and the soil stability is ensured.

I. Criteria for special provisions for hilly areas.-Cities and towns located on hills shall have location-specific methods evolved for final disposal of solid waste by the local body with the approval of the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee. The local body shall set up processing facilities for utilisation of biodegradable organic waste. The non-biodegradable recyclable materials shall be stored and sent for recycling periodically. The inert and non-biodegradable waste shall be used for building roads or filling-up of appropriate areas on hills. In case of constraints in finding adequate land in hilly areas, waste not suitable for road-laying or filling up shall be disposed of in regional landfills in plain areas.

J. Closure and Rehabilitation of Old Dumps- Solid waste dumps which have reached their full capacity or those which will not receive additional waste after setting up of new and properly designed landfills should be closed and rehabilitated by examining the following options:

- (i) Reduction of waste by bio mining and waste processing followed by placement of residues in new landfills or capping as in (ii) below.
- (ii) Capping with solid waste cover or solid waste cover enhanced with geomembrane to enable collection and flaring / utilisation of greenhouse gases.
- (iii) Capping as in (ii) above with additional measures (in alluvial and other coarse grained soils) such as cut-off walls and extraction wells for pumping and treating contaminated ground water.
- (iv) Any other method suitable for reducing environmental impact to acceptable level.

SCHEDULE II

[see rule 16 (1), (b), (e), 16 (4)]

Standards of processing and treatment of solid waste

A. Standards for composting.- The waste processing facilities shall include composting as one of the technologies for processing of bio degradable waste. In order to prevent pollution from compost plant, the following shall be complied with namely :-

- (a) The incoming organic waste at site shall be stored properly prior to further processing. To the extent possible, the waste storage area should be covered. If, such storage is done in an open area, it shall be provided with impermeable base with facility for collection of leachate and surface water run-off into lined drains leading to a leachate treatment and disposal facility;
- (b) Necessary precaution shall be taken to minimise nuisance of odour, flies, rodents, bird menace and fire hazard;

- (c) In case of breakdown or maintenance of plant, waste intake shall be stopped and arrangements be worked out for diversion of waste to the temporary processing site or temporary landfill sites which will be again reprocessed when plant is in order;
- (d) Pre-process and post-process rejects shall be removed from the processing facility on regular basis and shall not be allowed to pile at the site. Recyclables shall be routed through appropriate vendors. The non-recyclable high calorific fractions to be segregated and sent to waste to energy or for RDF production, co-processing in cement plants or to thermal power plants. Only rejects from all processes shall be sent for sanitary landfill site(s).
- (e) The windrow area shall be provided with impermeable base. Such a base shall be made of concrete or compacted clay of 50 cm thick having permeability coefficient less than 10^{-7} cm/sec. The base shall be provided with 1 to 2 per cent slope and circled by lined drains for collection of leachate or surface run-off;
- (f) Ambient air quality monitoring shall be regularly carried out. Odour nuisance at down-wind direction on the boundary of processing plant shall also be checked regularly.
- (g) Leachate shall be re-circulated in compost plant for moisture maintenance.
- (h) The end product compost shall meet the standards prescribed under Fertilizer Control Order notified from time to time.
- (i) In order to ensure safe application of compost, the following specifications for compost quality shall be met, namely:-

Parameters	Organic Compost (FCO 2009)	Phosphate Rich Organic Manure (FCO 2013)
(1)	(2)	(3)
Arsenic (mg/Kg)	10.00	10.00
Cadmium (mg/Kg)	5.00	5.00
Chromium (mg/Kg)	50.00	50.00
Copper (mg/Kg)	300.00	300.00
Lead (mg/Kg)	100.00	100.00
Mercury (mg/Kg)	0.15	0.15
Nickel (mg/Kg)	50.00	50.00
Zinc (mg/Kg)	1000.00	1000.00
C/N ratio	<20	Less than 20:1
pH	6.5-7.5	(1:5 solution) maximum 6.7
Moisture, percent by weight, maximum	15.0-25.0	25.0
Bulk density (g/cm ³)	<1.0	Less than 1.6
Total Organic Carbon, per cent by weight, minimum	12.0	7.9

Total Nitrogen (as N), per cent by weight, minimum	0.8	0.4
Total Phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight, minimum	0.4	10.4
Total Potassium (as K ₂ O), percent by weight, minimum	0.4	-
Colour	Dark brown to black	-
Odour	Absence of foul Odor	-
Particle size	Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve	Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve
Conductivity (as dsm-1), not more than	4.0	8.2

* Compost (final product) exceeding the above stated concentration limits shall not be used for food crops. However, it may be utilized for purposes other than growing food crops.

B. Standards for treated leachates.—The disposal of treated leachates shall meet the following standards, namely:-

S. No	Parameter	Standards (Mode of Disposal)		
		Inland surface water	Public sewers	Land disposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Suspended solids, mg/l, max	100	600	200
2.	Dissolved solids (inorganic) mg/l, max.	2100	2100	2100
3	pH value	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0
4	Ammonical nitrogen (as N), mg/l, max.	50	50	-
5	Total Kjeldahl nitrogen (as N), mg/l, max.	100	-	-
6	Biochemical oxygen demand (3 days at 27 ⁰ C) max.(mg/l)	30	350	100
7	Chemical oxygen demand, mg/l, max.	250	-	-
8	Arsenic (as As), mg/l, max	0.2	0.2	0.2
9	Mercury (as Hg), mg/l, max	0.01	0.01	-
10	Lead (as Pb), mg/l, max	0.1	1.0	-
11	Cadmium (as Cd), mg/l, max	2.0	1.0	-

12	Total Chromium (as Cr), mg/l, max.	2.0	2.0	-
13	Copper (as Cu), mg/l, max.	3.0	3.0	-
14	Zinc (as Zn), mg/l, max.	5.0	15	-
15	Nickel (as Ni), mg/l, max	3.0	3.0	-
16	Cyanide (as CN), mg/l, max.	0.2	2.0	0.2
17	Chloride (as Cl), mg/l, max.	1000	1000	600
18	Fluoride (as F), mg/l, max	2.0	1.5	-
19	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH) mg/l, max.	1.0	5.0	-

Note : While discharging treated leachates into inland surface waters, quantity of leachates being discharged and the quantity of dilution water available in the receiving water body shall be given due consideration.

C. Standards for incineration: The Emission from incinerators /thermal technologies in Solid Waste treatment/disposal facility shall meet the following standards, namely:-

Parameter	Emission standard	
(1)	(2)	(3)
Particulates	50 mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
HCl	50 mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
SO₂	200 mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
CO	100 mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
	50 mg/Nm ³	Standard refers to daily average value
Total Organic Carbon	20 mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
HF	4 mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
NO_x (NO and NO₂ expressed as NO₂)	400 mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
Total dioxins and furans	0.1 ng TEQ/Nm ³	Standard refers to 6-8 hours sampling. Please refer guidelines for 17 concerned congeners for toxic equivalence values to arrive at total toxic equivalence.
Cd + Th + their compounds	0.05 mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.
Hg and its compounds	0.05 mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + their compounds	0.5 mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.
<i>Note.- All values corrected to 11% oxygen on a dry basis.</i>		

Note:

- (a) Suitably designed pollution control devices shall be installed or retrofitted with the incinerator to achieve the above emission limits..
- (b) Waste to be incinerated shall not be chemically treated with any chlorinated disinfectants.
- (c) Incineration of chlorinated plastics shall be phased out within two years.
- (d) if the concentration of toxic metals in incineration ash exceeds the limits specified in the Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2008, as amended from time to time, the ash shall be sent to the hazardous waste treatment, storage and disposal facility.
- (e) Only low sulphur fuel like LDO, LSHS, Diesel, bio-mass, coal, LNG, CNG, RDF and bio-gas shall be used as fuel in the incinerator.
- (f) The CO₂ concentration in tail gas shall not be more than 7%.
- (g) All the facilities in twin chamber incinerators shall be designed to achieve a minimum temperature of 950^oC in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than 2 (two) seconds.
- (h) Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ash less than 3%, or the loss on ignition is less than 5% of the dry weight.
- (i) Odour from sites shall be managed as per guidelines of CPCB issued from time to time

FORM – I**[see rule 15 (v) 16 (1) (c), 21(3)]**

**Application for obtaining authorisation under solid waste management rules
for processing/recycling/treatment and disposal of solid waste**

To,

The Member Secretary,

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee,

of.....

Sir,

I/We hereby apply for authorisation under the Solid Waste Management Rules, 2016 for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

1.	Name of the local body/agency appointed by them/ operator of facility	
2.	Correspondence address Telephone No. Fax No. ,e-mail:	

3.	Nodal Officer & designation (Officer authorised by the local body or agency responsible for operation of processing/ treatment or disposal facility)	
4.	Authorisation required for setting up and operation of the facility (Please tick mark)	waste processing recycling treatment disposal at landfill
5.	Attach copies of the Documents Site clearance (local body) Proof of Environmental Clearance Consent for establishment Agreement between municipal authority and operating agency Investment on the project and expected return	
6.	Processing/recycling/treatment of solid waste (i) Total Quantity of waste to be processed per day Quantity of waste to be recycled Quantity of waste to be treated Quantity of waste to be disposed into landfill (ii) Utilisation programme for waste processed (Product utilisation) (iii) Methodology for disposal (attach details) Quantity of leachate Treatment technology for leachate (iv) Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution (v) Measures to be taken for safety of workers working in the plant (vi) Details on solid waste processing/recycling/ treatment/disposal facility (to be attached)	
7.	Disposal of solid waste Number of sites identified Quantity of waste to be disposed per day Details of methodology or criteria followed for site selection (attach) Details of existing site under operation Methodology and operational details of landfilling Measures taken to check environmental pollution	
8	Any other information.	

Date:

Signature:

Place:

Designation

Form- II

[see rule 16 (1) (e)]

Format for issue of authorisation

File No.: _____

Dated: _____

Authorisation No

To _____

Ref: Your application number _____ dt. _____

The _____ State Pollution Control Board/Pollution Control Committee after examining the proposal hereby authorises _____ having administrative office at _____ to set up and operate waste processing/recycling/ treatment/disposal facility at _____

The authorisation is hereby granted to operate the facility for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

The authorisation is subject to the terms and conditions stated below and such conditions as may be otherwise specified in these rules and the standards laid down in Schedules I and II under these rules.

The _____ State Pollution Control Board/Pollution Control Committees of the UT _____ may, at any time, revoke any of the conditions applicable under the authorisation and shall communicate the same in writing.

Any violation of the provision of the Solid Waste Management Rules, 2016 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board/Pollution Control Committee of the UT

(Signature and designation)

Date: _____

Place: _____

Form – III

[see rule 19 (6), 24 (1)]

Format of annual report to be submitted by the operator of facility to the local body

1	Name of the City/Town and State	
2	Population	
3	Area in sq. kilometers	
4	Name & Address of the local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
5	Name and address of operator of the facility	
6	Name of officer in-charge of the facility Phone No: Fax No: E-mail:	

7	Number of households in the city/town , Number of non-residential premises in the city Number of election/ administrative wards in the city/town	
8	Quantity of Solid waste	
	Estimated Quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones	/tpd
	Quantity of solid waste collected per day	/tpd
	Per capita waste collected per day	/gm/day
	Quantity of solid waste processed	/tpd
	Quantity of solid waste disposed at landfill	/tpd
9	Status of Solid Waste Management (SWM) service	
	Segregation and storage of waste at source Whether solid waste is stored at source in domestic/commercial/institutional bins If yes, Percentage of households practice storage of waste at source in domestic bins Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial /institutional bins Percentage of households dispose of throw solid waste on the streets Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets Whether solid waste is stored at source in a segregated form If yes, Percentage of premises segregating the waste at source	Yes/No % % % % Yes/No %
	Door to Door Collection of solid waste	
	Whether door to door collection (D2D) of solid waste is being done in the city/town	Yes/No
	if yes	
	Number of wards covered in D2D collection of waste	
	No. of households covered	
	No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions/offices etc covered	

	Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through :					
	Motorized vehicle					%
	Containerized tricycle/handcart					%
	Other device					%
	If not, method of primary collection adopted					
	Sweeping of streets					
	Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned					km
	Frequency of street sweepings and percentage of population covered	frequency	Daily	Alternate days	Twice a week	Occasionally
		% of population covered				
	Tools used					%
	Manual sweeping					%
	Mechanical sweeping					Yes/No
	Whether long handle broom used by sanitation workers					Yes/No
	Whether each sanitation worker is given handcart/tricycle for collection of waste					Yes/No
	Whether handcart / tricycle is containerized					Yes/No
	Whether the collection tool synchronizes with collection/ waste storage containers utilized					Yes/No
	Secondary Waste Storage facilities					
	No. and type of waste storage depots in the city/town	No.				Capacity in m ³
	Open waste storage sites					
	Masonry bins					
	Cement concrete cylinder bins					
	Dhalao/covered rooms/space					
	Covered metal/plastic containers					
	Upto 1.1 m ³ bins					
	2 to 5 m ³ bins					
	Above 5m ³ containers					
	Bin-less city					
	Bin/ population ratio					

	Waste Transportation per day Type and Number of vehicles used (pl tick or add)	No. Trips made waste transported
	Animal cart Tractors Non tipping Truck Tipping Truck Dumper Placers Refuse collectors Compactors Others JCB/loader	
	Frequency of transportation of waste	Frequency (%) of waste transported Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally
	Quantity of waste transported each day	/tpd
	Percentage of total waste transported daily	%
	Waste Treatment Technologies used Whether solid waste is processed	Yes/No
	If yes, Quantity of waste processed daily Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares)	/tpd
	Land currently utilized for waste processing	
	Solid waste processing facilities in operation	
	Solid waste processing facilities under construction Distance of processing facilities from city/town boundary	
	Details of technologies adopted	

	Composting , vermi composting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Qty. of residual waste landfilled Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
	Bio-methanation	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
	Refuse Derived Fuel	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
	Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology (give detail) Co-processing	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Qty. raw material processed
	Combustible waste supplied to cement plant	
	Combustible waste supplied to solid waste based power plants	
	Others	Qty.
	Solid waste disposal facilities	
	No. of dumpsites sites available with the local body	
	No. of sanitary landfill sites available with the local body Area of each such sites available for waste disposal	
	Area of land currently used for waste disposal	
	Distance of dumpsite/landfill facility from city/town	kms
	Distance from the nearest habitation	kms
	Distance from water body	kms

	Distance from state/national highway	kms
	Distance from Airport	kms
	Distance from important religious places or historical monument	kms
	Whether it falls in flood prone area	Yes/No
	Whether it falls in earthquake fault line area	Yes/No
	Quantity of waste landfilled each day	tpd
	Whether landfill site is fenced	Yes / No
	Whether Lighting facility is available on site	Yes / No
	Whether Weigh bridge facility available	Yes / No
	Vehicles and equipments used at landfill (specify)	Bulldozer, Compacters etc. available
	Manpower deployed at landfill site	Yes/No (if yes, attach details)
	Whether covering is done on daily basis	Yes/No
	If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill	
	Cover material used	
	Whether adequate covering material is available	Yes/No
	Provisions for gas venting provided	Yes/No, (if yes, attach technical data sheet)
	Provision for leachate collection	Yes/No, (if yes, attach technical data sheet)
10	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city	Yes/No (if Yes attach Action Plan details)
11	What separate provisions are made for : Dairy related activities : Slaughter houses waste : C&D waste (construction debris) :	Attach details on Proposals, Steps taken, Yes/No Yes/No Yes/No
12	Details of Post Closure Plan	Attach Plan
13	How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :	Yes/ No (if Yes, attach details)
14	Give details of manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste	

15	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules	
16	Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies.	

Signature of Operator

Dated :

Place:

Form – IV

[see rules 15(za), 24(2)]

Format for annual report on solid waste management to be submitted by the local body

CALENDAR YEAR:	DATE OF SUBMISSION OF REPORT:

1	Name of the City/Town and State	
2	Population	
3	Area in sq. kilometers	
4	Name & Address of local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
5	Name of officer in-charge dealing with solid waste management (SOLID WASTEM)Phone No: Fax No: E-mail:	
6	Number of households in the city/town Number of non-residential premises in the city Number of election/ administrative wards in the city/town	
7	Quantity of Solid waste (solid waste)	
	Estimated Quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones	/tpd
	Quantity of solid waste collected per day	/tpd

	Per capita waste collected per day	/gm/day
	Quantity of solid waste processed	/tpd
	Quantity of solid waste disposed at dumpsite/ landfill	/tpd
8	Status of Solid Waste Management service	
	Segregation and storage of waste at source Whether SOLID WASTE is stored at source in domestic/commercial/ institutional bins, If yes, Percentage of households practice storage of waste at source in domestic bins Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial /institutional bins Percentage of households dispose or throw solid waste on the streets Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets Whether solid waste is stored at source in a segregated form, If yes, Percentage of premises segregating the waste at source	Yes/No % % % % Yes/No %
	Door to Door Collection of solid waste	
	Whether door to door collection (D2D) of solid waste is being done in the city/town	Yes/No
	if yes	
	Number of wards covered in D2D collection of waste	
	No. of households covered	
	No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions/ offices etc covered	
	Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through : Motorized vehicle Containerized tricycle/handcart Other device	% % %
	If not, method of primary collection adopted	
	Sweeping of streets	
	Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned	km

	Frequency of street sweepings and percentage of population covered	frequency	Daily	Alternate days	Twice a week	Occasionally
	% of population covered Tools used Manual sweeping Mechanical sweeping Whether long handle broom used by sanitation workers Whether each sanitation worker is given handcart/tricycle for collection of waste Whether handcart / tricycle is containerized Whether the collection tool synchronizes with collection/ waste storage containers utilized			% % Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No		
	Secondary Waste Storage facilities					
	No. and type of waste storage depots in the city/town Open waste storage sites Masonry bins Cement concrete cylinder bins Dhalao/covered rooms/space Covered metal/plastic containers Upto 1.1 m ³ bins 2 to 5 m ³ bins Above 5m ³ containers Bin-less city	No.	Capacity in m ³			
	Bin/ population ratio Ward wise details of waste storage depots (attach) : Ward No: Area: Population: No. of bins placed Total volume of bins placed					
	Total storage capacity of waste storage facilities in cubic meters					
	Total waste actually stored at the waste storage depots daily					

	Give frequency of collection of waste from the depots Number of bins cleared	Frequency	No. of bins
		Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally	
	Whether storage depots have facility for storage of segregated waste in green, blue and black bins	Yes/ No (if yes, add details) No. of green bins: No. of blue bins: No. of black bins:	
	Whether lifting of solid waste from storage depots is manual or mechanical. Give percentage (%) of Manual Lifting of solid waste (%) of Mechanical lifting	% %	
	If mechanical – specify the method used	front-end loaders/ Top loaders	
	Whether solid waste is lifted from door to door and transported to treatment plant directly in a segregated form	Yes/ No (if yes, specify)	
	Waste transportation per day Type and Number of vehicles used	No. Trips made waste transported	
	Animal cart Tractors Non tipping Truck Tipping Truck Dumper Placers Refuse collectors Compactors Others JCB/loader		

Frequency of transportation of waste	Frequency (%) of waste transported Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally
Quantity of waste transported each day	/tpd
Percentage of total waste transported daily	%
Waste Treatment Technologies used	
Whether solid waste is processed	Yes/No
If yes, Quantity of waste processed daily	/tpd
Whether treatment is done by local body or through an agency	
Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares)	
Land currently utilized for waste processing	
Solid waste processing facilities in operation	
Solid waste processing facilities under construction	
Distance of processing facilities from city/town boundary	
Details of technologies adopted	
Composting ,	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
Vermi composting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
Bio-methanation	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled

Refuse Derived Fuel	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology (give detail)	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
Co-processing	Qty. raw material processed
Combustible waste supplied to cement plant	
Combustible waste supplied to solid waste based power plants	
Others	Qty.
Solid waste disposal facilities	
No. of dumpsites sites available with the local body	
No. of sanitary landfill sites available with the local body	
Area of each such sites available for waste disposal	
Area of land currently used for waste disposal	
Distance of dumpsite/landfill facility from city/town	kms
Distance from the nearest habitation	kms
Distance from water body	kms
Distance from state/national highway	kms
Distance from Airport	kms
Distance from important religious places or historical monument	kms
Whether it falls in flood prone area	Yes/No
Whether it falls in earthquake fault line area	Yes/No
Quantity of waste landfilled each day	tpd
Whether landfill site is fenced	Yes / No
Whether Lighting facility is available on site	Yes / No

	Whether Weigh bridge facility available	Yes / No
	Vehicles and equipments used at landfill (specify)	Bulldozer, Compacters etc. available
	Manpower deployed at landfill site	Yes/No (if yes, attach details)
	Whether covering is done on daily basis	Yes/No
	If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill	
	Cover material used	
	Whether adequate covering material is available	Yes/No
	Provisions for gas venting provided	Yes/No (if yes, attach technical data sheet)
	Provision for leachate collection	Yes/No (if yes, attach technical data sheet)
9	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city	Yes/No (if Yes attach Action Plan details)
10	What separate provisions are made for : Dairy related activities : Slaughter houses waste : C&D waste (construction debris) :	Attach details on Proposals, Steps taken, Yes/No Yes/No Yes/No
11	Details of Post Closure Plan	Attach Plan
12	How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :	Yes/ No (if Yes, attach details)
13	Give details of: Local body's own manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste	
14	Give details of: Contractor/ concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste	
15	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules	

16	Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies	
----	--	--

Signature of CEO/Municipal Commissioner/
Executive Officer/Chief Officer

Date:

Place:

Form – V

[see rule 24(3)]

Format of annual report to be submitted by the state pollution control board or pollution control committee committees to the central pollution control board

PART A

To,

The Chairman
Central Pollution Control Board
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
DELHI- 110 0032

1.	Name of the State/Union territory	:	
2.	Name & address of the State Pollution Control	:	
3.	Number of local bodies responsible for management of solid waste in the State/Union territory under these rules	:	
4.	No. of authorisation application Received	:	
5.	A Summary Statement on progress made by local body in respect of solid waste management	:	Please attach as Annexure-I
6.	A Summary Statement on progress made by local bodies in respect of waste collection, segregation, transportation and disposal	:	Please attach as Annexure-II
7.	A summary statement on progress made by local bodies in respect of implementation of Schedule II	:	Please attach as Annexure-III

Date:	Chairman or the Member Secretary State Pollution Control Board/ Pollution Control Committee
Place:	

PART B**Towns/cities**

Total number of towns/cities

Total number of ULBs

Number of class I & class II cities/towns

Authorisation status (names/number)

Number of applications received

Number of authorisations granted

Authorisations under scrutiny

SOLID WASTE Generation status

Solid waste generation in the state (TPD)

collected

treated

landfilled

Compliance to Schedule I of SW Rules (Number/names of towns/capacity)

Good practices in cities/towns

House-to-house collection

Segregation

Storage

Covered transportation

Processing of SW (Number/names of towns/capacity)

Solid Waste processing facilities setup:

Sl. No.	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF/Pelletization

Processing facility operational:

Sl. No.	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF/Pelletization

Processing facility under installation/planned:

Sl. No.	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF/Pelletisation

Waste-to-Energy Plants: (Number/names of towns/capacity)

Sl. No.	Plant Location	Status of operation	Power generation (MW)	Remarks

Disposal of solid waste (number/names of towns/capacity):

Landfill sites identified

Landfill constructed

Landfill under construction

Landfill in operation

Landfill exhausted

Landfilled capped

Solid Waste Dumpsites (number/names of towns/capacity):

Total number of existing dumpsites

Dumpsites reclaimed/capped

Dumpsites converted to sanitary landfill

Monitoring at Waste processing/Landfills sites

Sl. No.	Name of facilities	Ambient air	Groundwater	Leachate quality	Compost quality	VOCs
1.						
2.						
3.						

Status of Action Plan prepared by Municipalities

Total number of municipalities:

Number of Action Plan submitted:

Form – VI

[see rule 25]

Accident Reporting

1.	Date and time of accident	:	
2.	Sequence of events leading to accident	:	
3.	The waste involved in accident	:	

4.	Assessment of the effects of the accidents on human health: and the environment	:	
5.	Emergency measures taken	:	
6.	Steps taken to alleviate the effects of accidents	:	
7.	Steps taken to prevent the recurrence of such an accident	:	
Date:		Signature:.....	
Place:		Designation:	

[F. No. 18-3/2004-HSMD]
BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

Speed Post /Email

F. No. A-14011/2024-WQM-I /695

Dated: 06.11.2024

To

The Member Secretary,
Jammu and Kashmir Pollution Control Committee
Parivesh Bhawan, Forest Complex
Gladni, Narwal, Transport Nagar
Jammu - 180004 (Jammu and Kashmir)

Sub: Compliance of Hon'ble NGT (PB) order dated 30.08.2024 in the matter of OA No. 1119/2024; News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024".

Sir,

Enclosed please find a copy of Hon'ble NGT (PB) order dated 30.08.2024 in the matter of OA No. 1119/2024; News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024".

In this regard, it is requested to provide the status report/ action taken report in the said matter at earliest.

Yours faithfully

(Vishal Gandhi)

Scientist -E, WQM-I

Encl: As above

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, New Delhi - 110032

दूरभाष/Tel: 43102030, 22305792, वेबसाईट/Website : www.cpcb.nic.in



Speed Post /Email

Reminder-I

F. No. A-14011/2024-WQM-I /7/6

Dated: 19.11.2024

To

The Member Secretary,
Jammu and Kashmir Pollution Control Committee
Parivesh Bhawan, Forest Complex
Gladni, Narwal, Transport Nagar
Jammu - 180004 (Jammu and Kashmir)

Reference: CPCB letter no F. No. A-14011/2024-WQM-I dated 06.11.2024

Sub: Compliance of Hon'ble NGT (PB) order dated 30.08.2024 in the matter of OA No. 1119/2024; News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024".

Sir,

Kindly refer to our earlier letter dated 06.11.2024 wherein it was requested to provide the status report/ action taken report in the matter of OA No. 1119/2024; News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024".

This is to inform your kind self that no information has been received in the matter till date. Therefore, it is again requested to kindly provide the status report/ action taken report in the said matter at earliest.

Yours faithfully

R. P. Gurung
(R. P. Gurung) 19/11/24.
Scientist -E

Encl: As above

‘परिवेश भवन’ पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032.
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032.

दूरभाष /Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website: www.cpcb.nic.in



251

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA.

310

Speed Post /Email

Reminder-II

F. No. A-14011/2024-WQM-I /724

Dated: 27.11.2024

To

The Member Secretary,
Jammu and Kashmir Pollution Control Committee
Parivesh Bhawan, Forest Complex
Gladni, Narwal, Transport Nagar
Jammu - 180004 (Jammu and Kashmir)

Reference: i. CPCB letter no F. No. A-14011/2024-WQM-I dated 06.11.2024

ii. CPCB letter no F. No. A-14011/2024-WQM-I dated 19.11.2024

Sub: Compliance of Hon'ble NGT (PB) order dated 30.08.2024 in the matter of OA No. 1119/2024; News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024".


Sir,

Kindly refer to our earlier letters dated 06.11.2024 and 19.11.2024, on the subject matter, wherein it was requested to provide the status report/ action taken report in the matter of OA No. 1119/2024; News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024".

This is to inform your kind self that no information has been received in the matter till date. Therefore, it is again requested to kindly provide the status report/ action taken report in the said matter at earliest.

This may be taken on priority as the matter is listed on 11.12.2024.

Yours faithfully


(R. P. Gurung)
Scientist -E


Encl: As above

‘परिवेश भवन’ पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली - 110032.

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110 032.

दूरभाष /Tel : 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website: www.cpcb.nic.in

251



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 494]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 25, 2000/आश्विन 3, 1922

No. 494]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2000/ASVINA 3, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 742(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1996 (1996 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) इस अधिसूचना में अन्यथा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—

(1) अनुसूची 1 में पटाखों के लिए शोर मानकों से संबंधित क्रम संख्याक 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“90. कोयला खानों के लिए मानक

1. वायु क्वालिटी मानक

निम्नलिखित धूल उत्पादक स्रोतों से 500 मीटर की दूरी पर प्रबल हवा की दशा पर विचार करते हुए नीचे की ओर हवा की दिशा में निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस. पी. एम.), अन्तः श्वसनीय कणिकीय पदार्थ (आर. पी. एम.), सल्फर डाईआक्साइड (एस ओ₂) और नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ₂) का संकेन्द्रण नीचे दी गई मारणी-I, और II, और III में विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक नहीं होगा।

धूल उत्पादन के स्रोत

लदाई या उतराई, कर्षण मड़क, कोयला परिवहन मड़क, कोयला हथालने का संयंत्र (मी. एच. बी.) रेल सरकवां, विस्फोट, छेदन, अधिक ऊंचे ढेर या कोई अन्य धूल उत्पादन के बाहरी स्रोत जैसे कोक भट्टी (कठोर तथा मुलायम), इष्टिका उद्योग, पास की मड़क आदि।

- टिप्पण :— 1. जहां उपचारित बहिस्त्राव ऐसे नगर सीवर में डाला जाता है जो अंतिम उपचार संयंत्र में जाता है, वहां जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) की 100 मि.ग्रा./लि. तक और रसायन आक्सीजन मांग (सी ओ डी) की 400 मि.ग्रा./लि. तक छूट दी जा सकेगी।
2. बहिस्त्राव की क्वालिटी (एक लिटर प्रति किलोग्राम उत्पाद) संयुक्त सूती वस्त्र उद्योग संयुक्त ऊनी वस्त्र उद्योग और टैक्सटाइल प्रसंस्करण उद्योग में क्रमशः 100, 250 और 80 होगी।

93. स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

जलाशय या उसके भाग में के जल का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। जल के उपयोगों और क्रियाकलापों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए जल क्वालिटी की कसौटी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसकी उपयुक्तता अवधारित करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दी गई है। विभिन्न प्रकार के उपयोगों में एक उपयोग यह भी है जो जल के उच्चतर स्तर की क्वालिटी या शुद्धता की मांग करता है और उस जलाशय के विस्तार में उसे "अभिहित सर्वोत्तम उपयोग" के रूप में जाना जाता है। इस पर आधारित प्राथमिक जल क्वालिटी की कसौटी के निबंधनों के अनुसार विभिन्न उपयोगों के लिए जल क्वालिटी अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं। सारणी 1 में स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी की तर्कयुक्त कसौटी विनिर्दिष्ट की गई है।

सारणी 1

स्नान-जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड

(संगठित बाह्य स्नान के लिए प्रयुक्त जल)

मानदंड		तर्कआधार
1. फिकल	500 (वांछनीय)	निम्न मल जल संदूषण सुनिश्चित करने के लिए,
कोली फॉर्म	2500 (अधिकतम अनुज्ञेय)	फिकल कोलीफॉर्म और फिकल स्ट्रेप्टोकोक्का के
एम. पी. एन./100 मि.लि.		बारे में यह माना गया है कि वे जीवाणु रोगोत्पादकता
2. फिकल स्ट्रेप्टोकोक्की	100 (वांछनीय)	को दर्शित करते हैं। वांछनीय और अनुज्ञेय सीमाएं
एम. पी. एन./100 मि.लि.	500 (अधिकतम अनुज्ञेय)	पर्यावरणिय दशाओं में उतार-चढ़ाव
		को अनुज्ञात करने के लिए मुझाव देती हैं जैसे कि
		मौसमी परिवर्तन, बहाव की दशाओं में परिवर्तन
		आदि।
2. पी. एस.	6.5 से 8.5 के बीच	यह रेंज त्वचा और आँख, नाक, कान आदि जैसे
		कोमल अंगों को संरक्षण प्रदान करती है जो बाह्य
		स्नान के दौरान सीधे प्रभावित होते हैं।
3. घुली हुई आक्सीजन		5 मि.ग्रा./लि. के न्यूनतम घुली हुई आक्सीजन
		संकेन्द्रण ठीक ऊपरीधारा में आर्गनिक प्रदूषण युक्त
		आक्सीजन लेने से युक्त युक्त मुक्ति सुनिश्चित करते
		हैं जो तलछट से अनाइरोबिक गैसों (आबनोक्सीयस
		गैसों) के उत्पादन को निवारित करने के लिए
		आवश्यक है।
4. जैव-रसायन		3 मि.ग्रा./लि. या इससे कम जल की जैव रसायन
आक्सीजन मांग (बी ओ डी)		आक्सीजन मांग आक्सीजन डिमांडिंग प्रदूषकों
(27° से. पर 3 दिन)		से युक्त युक्त मुक्ति सुनिश्चित करती है और
		आबनाक्सीयस गैसों के उत्पादन को रोकती है।'
(2) अनुसूची 6 के शोर मान दंडों से संबंधित भाग ड में, मोटरगाड़ियों के लिए शोर सीमा से संबंधित भाग क के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः		
स्थापित किया जाएगा :—		

“कक. 1 जनवरी, 2003 से मोटर यानों के लिए शोर सीमा

मोटर यानों के लिए निम्नलिखित शोर सीमा 1 जनवरी, 2003 से लागू होगी। अनुसरण किए जाने वाली परीक्षण पद्धति भा मा.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely.

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2000.
- (2) Save as otherwise provided in this notification, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, —
 - (1) In Schedule I, after serial number 89 relating to Noise standards for fire crackers and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“90. Standards for coal mines**1. Air Quality Standards**

The Suspended Particulate Matter (SPM), Respirable Particulate Matter (RPM), Sulphur dioxide (SO₂) and Oxides of Nitrogen (NO_x) concentration in downwind direction considering predominant wind direction, at a distance of 500 metres from the following dust generating sources shall not exceed the standards specified in the Tables I, II and III given below:

Dust Generating Sources

Loading or unloading, Haul road, coal transportation road, Coal handling plant (CHP), Railway siding, Blasting, Drilling, Overburden dumps, or any other dust generating external sources like coke ovens (hard as well as soft), briquette industry, nearby road etc.

93. Primary Water Quality Criteria for Bathing Waters.

In a water body or its part, water is subjected to several types of uses. Depending on the types of uses and activities, water quality criteria have been specified to determine its suitability for a particular purpose. Among the various types of uses there is one use that demands highest level of water quality or purity and that is termed as "Designated Best Use" in that stretch of water body. Based on this, water quality requirements have been specified for different uses in terms of primary water quality criteria. The primary water quality criteria for bathing water are specified along with the rationale in table 1.

Table 1.

**PRIMARY WATER QUALITY CRITERIA FOR BATHING WATER
(Water used for organised outdoor bathing)**

CRITERIA		RATIONALE
1. Fecal Coliform MPN/100 ml:	500 (desirable) 2500 (Maximum Permissible)	To ensure low sewage contamination. Fecal coliform and fecal streptococci are considered as they reflect the bacterial pathogenicity.
2. Fecal Streptococci MPN/100 ml:	100 (desirable) 500 (Maximum Permissible)	The desirable and permissible limits are suggested to allow for fluctuation in environmental conditions such as seasonal change, changes in flow conditions etc.
2. pH:	Between 6.5 –8.5	The range provides protection to the skin and delicate organs like eyes, nose, ears etc. which are directly exposed during outdoor bathing.
3. Dissolved Oxygen:	5 mg/l or more	The minimum dissolved oxygen concentration of 5 mg/l ensures reasonable freedom from oxygen consuming organic pollution immediately upstream which is necessary for preventing production of anaerobic gases (obnoxious gases) from sediment.
4. Biochemical Oxygen demand 3 day,27°C:	3 mg/l or less	The Biochemical Oxygen Demand of 3 mg/l or less of the water ensures reasonable freedom from oxygen demanding pollutants and prevent production of obnoxious gases";

WATER QUALITY DATA OF RIVER SINDH AT WAIL BRIDGE MONITORED UNDER NWMP-2024				
Sampling Month	Dissolved O2 (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100ml)
Primary Water Quality Criteria for Outdoor Bathing	> 5mg/L	6.5-8.5	< 3mg/L	< 2500 MPN/100 ML
Jan	11.2	7.9	2.1	-
Feb	10.3	8.5	1.4	-
May	10.0	8.0	1(BDL)	-
Jun	11.0	8.0	1.9	-
Jul	9.6	8.2	1.7	13800
Aug	8.9	7.7	1.9	2800

WATER QUALITY DATA OF RIVER SINDH AT DUDERHAMA MONITORED UNDER NWMP-2024				
---	--	--	--	--

Sampling Month	Dissolved O2 (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100ml)
Primary Water Quality Criteria for Outdoor Bathing	> 5mg/L	6.5-8.5	< 3mg/L	< 2500 MPN/100 ML
Jan	9.5	7.6	2.2	-
Feb	10.3	8.3	2.7	-
May	8.2	7.9	2.2	-
Jun	10.1	8.3	1.7	-
Aug	8.5	7.7	1.4	650

WATER QUALITY DATA OF RIVER SINDH AT RANGIL, SRINAGAR MONITORED UNDER NWMP-2024				
--	--	--	--	--

Sampling Month	Dissolved O2 (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	Fecal Coliform (MPN/100ml)
Primary Water Quality Criteria for Outdoor Bathing	> 5mg/L	6.5-8.5	< 3mg/L	< 2500 MPN/100 ML
Jan	10.8	7.4	2.0	-
Feb	10.1	8.5	1.4	-
May	10.3	7.7	1.6	-
Jun	9.0	7.9	1.1	-
Aug	8.6	7.6	1.5	160

Item No. 08

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1119/2024

News Item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in Greater Kashmir dated 19.08.2024

Date of hearing: 30.08.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. This original application is registered *suo motu* on the basis of the news item titled "Sindh Nallah Polluted trout habitat threatened in Ganderbal" appearing in 'Greater Kashmir' dated 19.08.2024

2. The news item relates to rampant pollution in the Sindh nallah in Ganderbal District of Kashmir. As per the article, Sindh nallah was once a pristine source of fresh water and a habitat for trout but is now heavily polluted due to the unchecked garbage dumping from Wayil to Sonamarg. Despite its significance, authorities have shown indifference to the growing pollution problem. The article highlights that the Sindh Nallah is a major tributary of the River Jhelum and plays an essential role in the region, contributing to irrigation, hydropower generation, and supplying drinking water to Srinagar via the Rangil Water Treatment Plant. Yet, despite its significance, the nallah's banks are increasingly tainted by heaps of waste, particularly plastic and other refuse, which remain unattended. The article states that the pollution threatens the trout fish population and the overall water quality, causing irretrievable damage to the habitat. Furthermore, the river's water is already becoming undrinkable, and the pollution is marring the natural beauty of the area.

3. The news item raises substantial issues relating to compliance of environmental norms.

4. The power of the Tribunal to take up the matter *suo-motu* has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "*Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors.*" reported in 2021 SCC Online SC 897.

5. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

- (1). Central Pollution Control Board, through its Member Secretary, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032.
- (2). Jammu & Kashmir Pollution Control Committee, through its Member Secretary, Parivesh Bhavan, Forest Complex, Transport Nagar, Jammu – 180 006.
- (3). Ministry of Environment and Forest, through its Regional Office, Integrated Regional Office, Jammu, IWDP Complex, Gladin, Narwal, Near J&K Pollution Control Board, Jammu – 180006.
- (4). Deputy Commissioner, Ganderbal, Duderhama Ganderbal Bridge, Srinagar, Jammu and Kashmir 191201.
- (5). Commissioner Fisheries Department, Union Territory of Jammu & Kashmir.

6. Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

7. List on 11.12.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. Afroz Ahamd, EM

August 30, 2024
Original Application No. 1119/2024
dv